अष्टम माला, खंड 30, अंक 62

बुधवार 12 अगस्त, 1987
21 श्रावण, 1909 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

आठवां सत्र दूसरा भाग

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 30 में अंक 61 से 70 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय सूची

अष्टम माला, खंड 30 — आठवां सत्र-दूसरा भाग 1987/1909 (शक)

अंक 62 — बुधवार, 12 अगस्त, 1987/21 श्रावण, 1909 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौलिक उत्तर		1-18
*तारांकित प्रश्न संख्या :	223 से 226 और 229 से 231	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		19-28
तारांकित प्रश्न संख्या :	227, 228, 232 से 235 और 237 से 243	
अतारांकित प्रश्न संख्या :	2421 से 2468, 2470, 2471, 2473 से 2491, 2493 से 2499, 2501 से 2520, 2522 से 2558, 2560 से 2610, 2612 से 2619 और 2621 से 2646	28-221
सभापटल पर रखे गये पत्र		222-224
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति उन्तालीसवां प्रतिवेदन		224
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में समिति के लिये निर्वाचन		225-228
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण संबंधी समिति		228-229
नियम 377 के अधीन मामले		229-232
(एक) कर्नाटक में कारजागी में महालक्ष्मी कित्टूर और गोल गुम्बज एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रोकने की आवश्यकता		
श्री जी०एस०बसवराजू		229
(दो) लोगों पर तेजाब फैंकने वाले समाज विरोधी तत्वों के लिए दंड का प्रावधान करने के लिये भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता		
श्री अजय मुशरान		229-230
(तीन) भूमिहीन और छोटे किसानों को 10 वर्ष पूर्व दिये गये ऋणों को माफ करने की आवश्यकता		
श्री उमाकांत मिश्र		230

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय पृष्ठ

(चार) विजयवाड़ा में संघ लोक सेवा आयोग का एक परीक्षा केन्द्र खोलने की मांग

श्री वी॰शोभनाद्रीश्वर राव 230-231

(पांच) खाद्य तेलों, घी, दूध, डबलरोटी तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें न बढ़ने देने के लिये कारगर उपाय करने की आवश्यकता

श्री मोहम्मद महफूज अली खां 231

(छह) उत्तर आरकट जिले में इलैईगिरि हिल्स अथवा जवादु हिल्स में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता

श्री ए॰जयमोहन 231-232

देश में सूखे की स्थिति पर चर्चा 232

श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर 232-236

श्री के. एन. प्रधान 237-239

श्री भीष्म देव दुबे 239-240

श्री आर. अण्णानम्बी 240-242

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर 243-246

श्री महेन्द्र नारायण सिंह 246-249

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल 250-253

श्री जगन्नाथ पटनायक 253-255

प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत 255-258

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया 258-259

श्री उमाकांत मिश्र 259-262

श्री एम. वाई. घोरपडे 262-264

श्री राम नारायण सिंह 264-266

श्री नारायण चन्द पराशर 266-268

श्री दिग्विजय सिंह 268-271

श्री आर. जीवरत्नम 271-273

श्री बी. बी. पाटिल 273-276

श्रीमती बसवराजेश्वरी 276-279

श्री एम. जी. घोलप 279-282

श्री एम. रघुमा रेड्डी 282-284

श्री भरत सिंह 285-286

श्री मोहम्मद अयूब खां 286-287

श्री बलराम सिंह यादव 287-289

विषय	पृष्ठ
श्री बालासाहिब विखे पाटिल	289-292
श्री काली प्रसाद पांडेय	292-293
श्री के. एस. राव	293-296
श्री केशव राव पारधी	296-298
श्री भद्रेश्वर तांती	298-300
श्री कमला प्रसाद सिंह	300-302
श्रीमती एन. पी. झांसी लक्ष्मी	302-303
श्री ए. चार्ल्स	303-305
श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि	305-306
बाल श्रमिकों संबंधी राष्ट्रीय नीति के बारे में वक्तव्य	
श्री पी. ए. संगमा	251-252
आधे घंटे की चर्चा	
बीड़ी कर्मकार	
श्री डालचन्द्र जैन	306-309
श्री पी. ए. संगमा	309-310
डा. गौरी शकर राजहंस	310-312
श्री हरीश रावत	312
डा. चन्द्र शेखर	312-313
श्री अजीत कुमार साहा	314
श्री पी. ए. संगमा	309-318
सभा पटल पर रखे गये पत्र	313-314

लोक सभा

———

बुधवार, 12 अगस्त, 1987/21 श्रावण, 1909 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री वी. तुलसीराम : अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर के बाद पांच मिनट फाइटिंग-आवर रखिए सारा।

अध्यक्ष महोदय : आउट साइड।

———

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

"गैर सरकारी संगठनों के लिए किया गया आबंटन"

*223. **श्री मुरलीधर माने** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के लिए वर्ष 1985, 1986 और 1987 के लिए कितना वार्षिक आबंटन किया गया है ; और

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई देखरेख की जा रही है कि उक्त धनराशि का वनरोपण कार्यक्रम के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए ?

[हिन्दी]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) वनरोपण पर स्वैच्छिक एजेंसी कार्यक्रम के लिये निम्नलिखित धनराशि रखी गई है :-

1985-86	125 लाख रुपये
1986-87	430 लाख रुपये
1987-88	590 लाख रुपये

(ख) प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से मंगाई जाती है और प्राप्त होने पर उसकी समीक्षा की जाती है। जहां आवश्यक समझा जाता है, वहां फील्ड के काम की समीक्षा के लिए दौरे भी किये जाते हैं।

श्री मुरलीधर माने : अध्यक्ष महोदय, आपको पता है देश में बरसात न होने से काफी सूखा पड़ रहा है। माननीय मंत्री जी को पता है, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी लैंड पड़ी हुई है, जहां पर बरसात न होने की वजह से कुछ भी पैदावार नहीं हो रही है। बैरन लैंड भी काफी पड़ी है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारे पास ऐसी योजनाएं हैं, जिनसे जहां पर इरिगेशन की सुविधायें नहीं हैं, उनको लाभ पहुंचाया जा सके ? क्या माननीय मंत्री जी बता सकते हैं, जो फारेस्ट लैंड सरकार के पास है, वहां एफरेस्टेशन कार्यक्रम चालू हुआ है या नहीं ? भले ही सरकार की नीति है, लेकिन जिस ढंग से इस काम को करना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। ऐसी को आपरेटिव सोसायटीज भी हैं, जिनको सरकार ग्रान्ट देती है, लेकिन हकीकत में वहां एफारेस्टेशन नहीं हो रहा है। आपने कहा है कि इन्सपेक्शन किया जाता है और रिपोर्ट आती है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या सरकार के पास ऐसी मालूमात है, जिनको सरकार ने ग्रान्ट दिया है, लेकिन उसका उन्होंने यूज़ नहीं किया है ? अगर यूज़ किया है, तो गलत यूज़ किया है - इस बारे में मंत्री जी बतायेंगे ?

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इस सवाल के दूसरे भाग, जो इसमें नहीं है, पूछने की कोशिश की है, लेकिन मुझे इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। जहां तक वेस्ट लैंड बोर्ड के काम करने का ताल्लुक है, पिछले दो सालों में इसने अच्छा काम किया है। हमारी भरपूर कोशिश है कि जहां पर ज़मीन बंजर और बेकार पड़ी हुई है और बहुत सी जमीन फारेस्ट के अन्दर डिग्रेडेड फारेस्ट है, उसको भी हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमने योजनायें बनाई हैं और पैसे इस काम के लिए रखे हैं तथा लोगों का पूरा योगदान लेते हैं। जहां तक वालैन्ट्री एजेंन्सीज़ का ताल्लुक है, उसके बारे में भी हमने सवाल के जवाब में बताया है। जितनी भी प्राइवेट संस्थायें हैं, जो ठीक काम करती हैं और जिन्होंने हमसे पैसे की सहायता मांगी है, उनकी जांच करने के बाद कि ये संस्थायें ठीक है या नहीं है, जो ठीक पाई गई उन सभी संस्थाओं को हमने पैसा दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने 143 प्रोजेक्ट्स में पैसा दिया है, 1985-86 में 22 प्रोजैक्ट्स, 1986-87 में 98 प्रोजैक्ट्स और चालू वर्ष 1987-88 में 23 प्रोजैक्ट्स को हमने पैसा दिया है। हमारी पूरी कोशिश है कि ऐसी संस्थायें जो ठीक काम करती है, लोगों को मौके पर जाकर बताती हैं, जिनसे समाज को फायदा मिलता है, गरीब लोगों और आदिवासी-हरिजन लोगों को इनकम होती है, वहां पर नर्सरी कायम करवाती है, ऐसी संस्थाओं को हम सहायता देते हैं, ताकि लोगों को भी उनसे पूरा लाभ मिल सके। ऐसी योजनाओं के लिए सरकार ने इस साल भी 1987-88 में पांच करोड़ 70 लाख रुपये के करीब रखे हैं।

श्री मुरलीधर माने : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, इसके तहत कितने हज़ार एकड़ जमीन में एफारेस्टेशन किया है ? जिन संस्थाओं को पैसा दिया है, उन्होंने कितने हज़ार एकड़ में एफारेस्टेशन किया है और कौन से प्लान्ट लगाए हैं ? क्या ये पर्यावरण के लिए ठीक हैं या नहीं ? कई जगहों पर थोड़ी-सी कंट्रोवर्सी है। जहां पर कोआप्रेटिव सोसायटीज है वहां पर भी कंट्रोवर्सी है। इसलिए है कि पानी की स्थिति है, जमीन खराब होने की स्थिति है। इस तरह से बहुत सारे किसानों में कंट्रोवर्सी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कितनी हैक्टेअर पर, कितने और किस ढंग से वन लगाये गये ?

श्री भजनलाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इसका ताल्लुक है कि कौन-सी जगह कितना वन रोपण किया है, मैं बताना चाहता हूं कि 1985-86 में हमारा 91.96 लाख पौध लगाने और 5,558,90 हेक्टेअर पर लगाने का टारगेट था। हमने 1985-86 में 2,576 हैक्टेअर में 71,06 लाख पौध लगाये हैं। 1986-87 में हमारा 25,958,85 हैक्टेअर में 588.82 लाख पौध लगाने का टारगेट था जबकि हमने 6,017, 09 हैक्टेअर में पौध लगाये। 1987-88 के हमारा [टारगेट 55.23 लाख पौध लगाने और 2,165,48 हेक्टेअर में लगाने का है। अभी इसकी हमारे पास रिपोर्ट नहीं आयी है। जैसे ही रिपोर्ट आयेगी, हम बता सकेंगे।

श्रीमती ऊषा चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि हमारे किसान और आदिवासी भाई आजकल सूखे का सामना कर रहे हैं। फोरेस्ट लेण्ड एक्ट के कारण कई प्रोजेक्ट बंद पड़े हुए हैं जिसके कारण पहाड़ी इलाकों में आदिवासी लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। कई जगह पर यह स्थिति है। क्या गवर्नमेंट गरीब, आदिवासी किसानों को लीज पर फौरेस्ट दे कर और उनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा उपलब्ध कराकर वन रोपण और वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करेगी? फौरेस्ट को भी हम खेती समझ कर, एग्रीकल्चर समझ कर क्या हम किसानों को जमीन उपलब्ध करायेंगे या नहीं?

श्री भजनलाल : अध्यक्ष महोदय, फौरेस्ट की जमीन को खेती के लिए देना मुनासिब बात नहीं है। हम तो यह चाहते हैं कि फौरेस्ट के अन्तर्गत ज्यादा से ज्यादा लोग लगें। एक बात बहिन जी ने ठीक कही कि जो गरीब लोग, आदिवासी लोग पहाड़ी एरिया के साथ बसते हैं ......।

श्रीमती ऊषा चौधरी : मैंने खेती करने के लिए नहीं कहा है। वैसे भी आदिवासी लोगों के पास खेती करने के लिए नहीं रहती है। मैंने कहा कि खेती की तरह जंगल लगाने के लिए उन्हें जमीन देंगे?

श्री भजनलाल : अध्यक्ष महोदय, जहां फौरेस्ट नहीं है और फौरेस्ट के एरिया में खाली लेण्ड है। वह हमने आदिवासी लोगों और गरीब लोगों को एक हैक्टेअर से दो हैक्टेअर जमीन एक स्कीम वृक्ष पट्टा स्कीम के तहत देने की योजना बनायी है ताकि वे एक या दो हैक्टेअर जमीन में पेड़ लगा कर, फलदार पौध लगा कर और ग्रामीण लकड़ी लगा कर अपनी जीविका कमा सकें। ऐसी हमने स्कीम बनायी है। अगर हम जनरल फौरेस्ट में लोगों को जमीन देने की योजना बना देंगे तो फौरेस्ट नहीं बचेगा।

[अनुवाद]

श्री मुकुल वासनिक : क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि बेकार भूमि विकास बोर्ड (वेस्टलैंड डिवेल्पमेंट बोर्ड) को वन रोपण के लिए वन भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार है और यदि हां; तो वन रोपण के लिए बेकार भूमि विकास बोर्ड को कितनी वन भूमि अंतरित की गई है? क्या यह भी सच है कि सरकारी नियमों और विनियमों के कारण, वन भूमि, बेकार भूमि विकास बोर्ड को ठीक समय पर अंतरित नहीं की जाती है जिससे बेकार भूमि विकास बोर्ड को कार्यक्रम को ढंग से कार्यान्वित करने में बड़ी परेशानी हो रही है और और यदि हां तो, इस संबंध में सरकार के सुझाव क्या हैं?

[हिन्दी]

श्री भजनलाल : अध्यक्ष महोदय, वेस्टलैण्ड बोर्ड और फोरेस्ट डिपार्टमेंट का काम बहुत ज्यादा अलग अलग नहीं है। फोरेस्ट डिपार्टमेंट और वेस्टलैण्ड बोर्ड इन दोनों का एक ही काम है।

देश के अन्दर ज्यादा से ज्यादा फोरेस्ट लगें, इसके लिए प्रधान मंत्री जी ने एक अलग से संस्था कायम की है, खास कर इसलिए कि देश के अन्दर ज्यादा से ज्यादा जंगल लगायें जाए। जगंल को कटने से बचाया जा सके, इसलिए वेस्ट लैण्ड जो पड़ी हुई है या जहां पर फारेस्ट ठीक नहीं है, डिग्रेडेड फारेस्ट है, बहुत मामूली फारेस्ट है, कहीं बहुत घना नहीं है, उसमें वेस्ट लैण्ड काम करती है और वेस्ट लैण्ड बोर्ड ने पिछले साल 15 लाख 10 हजार हेक्टर में पेड़ लगाये गये।

श्री मुकुल वासनिक : फारेस्ट लैण्ड ?

श्री भजन लाल : फारेस्ट लैण्ड में ही मैं कह रहा हूं कि 1986-87 में 17 लाख 20 हजार हैक्टर के करीब पेड़ लगाये गये हैं और चालू साल में भी बरसात न होने की वजह से टारगेट कुछ कम करना पड़ा है और इस साल में 19 लाख हैक्टर में पेड़ लगाने का टारगेट रखा है। वेस्ट लैण्ड बोर्ड ने और फारेस्ट डिपार्टमेंट ने 19 लाख हैक्टर में पेड़ लगाने का प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा वनों को प्रोसाहन दिया जा रहा है और कोई भी संस्था चाहे पंचायत हो या दूसरी संस्थायें हो, किसी के पास अगर जमीन है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, अगर वे बोर्ड को देना चाहें, या फारेस्ट डिपार्टमेंट को देना चाहें तो बड़ी खुशी के साथ हम लेते हैं और उसमें भी फारेस्ट लगाने की कोशिश करते हैं।

[अनुवाद]

"दिल्ली के रिज क्षेत्र को नया रूप देना"

***224. डा० सुधीर राय**† :

श्री आनन्द पाठक : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के रिज क्षेत्रों में, जहां कभी पशु-पक्षियों की भरमार थी, पशु-पक्षि लुप्त हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली के रिज क्षेत्रों को नया रूप देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

[हिन्दी]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा रिज के उस हिस्से को, जो असोला, साहूपुर और मैदानगढ़ी गांवों की ग्राम सभा की जमीन का एक भाग है, 9. 10. 86 को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है। इस घोषणा के अनुसरण में प्रभावी संरक्षण से अभयारण्य के वनस्पतिजात और प्राणिजात का पुनर्वास हो सकेगा और इस क्षेत्र में इकोलॉजिकल बैलेन्स की बहाली में सहायता मिलेगी।

[अनुवाद]

डा० सुधीर राय : महोदय, दिल्ली रिज के वन प्रकृति की अनमोल देन है किन्तु लालची ठेकेदारों, अधिक मात्रा में पशुओं को चराने और लालची शिकारियों के कारण वन शीघ्रता से समाप्त होता जा

रहा है। यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने अगस्त, 1986 में इसे वन्य जीवन अभयारण्य अधि सूचित किया था किन्तु मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अन्तर्गत केन्द्र इस क्षेत्र का अधिग्रहण कर इनका वन्य जीवन अभयारण्य के रूप में विकास कर सकता है ?

[हिन्दी]

श्री भजनलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात में बड़ा वजन है कि यह रिज जो है आराबली पहाड़ी राजस्थान से शुरू होकर राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा तक जाती है और यह रिज का जो एरिया है वह अरावली पहाड़ी का है और अरावली जो रिज के नाम से दिल्ली के साथ लगती हुई है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर एक अभयारण्य बनाने का निश्चय कर चुकी है और उसके लिए कार्यवाही कंप्लीट हो चुकी है, महकमे ने मंजूरी उनको दे दी है और उस पर आगामी कार्य-वाही बहुत जल्दी करेंगे ताकि वन्य-जीवों को बचाया जा सके। इनकी इस बात में भी काफी वजन है कि जीवों की जितनी रक्षा होनी चाहिए, उतनी रक्षा नहीं कि जा सकी है, शिकार की वजह से जातियां खत्म होती जा रही हैं। जहां तक शिकार का ताल्लुक है आप जानते हैं कि दिल्ली नजदीक है और दिल्ली के शिकारी दिल्ली और हरियाणा में शिकार करते हैं। वाइल्ड एनिमल पहले तो जंगल में मिलते थे, अब दिल्ली तक भी पहुंच गए हैं। मैं इसमें इतना ही कह सकता हूं कि दिल्ली एडमिनि-स्ट्रेशन ने अच्छा काम किया है और भारत सरकार इसमें पूरी सहायता करेगी और जीवों की रक्षा की जाएगी और बहुत अच्छा अभयारण्य यहां बनाया जाएगा। अभयारण्य का मतलब यह नही कि टूरिस्ट काम्प्लेक्स बन जाए, अगर टूरिस्ट काम्प्लेक्स बन गया तो इसका परपज़ जो वन्य जीवों की रक्षा का है, हल नहीं होगा। दिल्ली में इस मामले में देरी हो गई। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन चाहता था कि टूरिस्ट्स के लिए मॉटल और काम्पलैक्स बन जाए जैसे कि हरियाणा में साथ-साथ बने हुए हैं। वे भी उसकी नकल करना चाहते थे। हरियाणा के टूरिस्ट की मंशा और है तथा इस काम्पलेक्स की मंशा दूसरी होनी चाहिए। जहां अभयारण्य बनेगा वहां जानवर रहें, उनकी रक्षा की जाए, उनको बचाया जा सके और उनकी नसल को कायम रखा जा सके, इसी बात को लेकर दिल्ली प्रशासन ने इस पर कार्य शुरू किया है और काफी प्रगति पर है।

अध्यक्ष महोदय : अभी तो भजन लाल जी आदमियों का शिकार भी शुरू हो गया है।

(व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, जिस शक्ल में यह सवाल पूछा गया है और आपने इजाजत भी दी है, उससे तो यही साबित होता है कि आप भी चौधरी भजन लाल को जादूगर समझते हैं।

[अनुवाद]

प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है जैसे कि चौधरी भजन लाल समाप्त हो चुके बनों को पहाड़ियों पर फिर से उत्पन्न कर सकते हैं। प्रश्न के भाग (क) में पूछा गया है कि क्या दिल्ली के रिज क्षेत्रों से, जहां कभी पशु-पक्षियों की भर मार थी, पशु-पक्षी लुप्त हो गये हैं, और भाग (ग) में दिल्ली के रिज क्षेत्रों को नया रूप देने के लिये उठाये गये कदमों के बारे में पूछा गया है। भाग (क) और (ख) के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि रिज लुप्त नहीं हुए है, इसलिये उनके लुप्त हो जाने के कारण

बताने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यद्यपि यह परिकल्पना ही है, तथापि मैं यह पूछना चाहूंगा कि यदि वे लुप्त हो गये हैं तो क्या वहां फिर से पेड़ लगाये जायेंगे ?

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, राव साहब बहुत सीनियर और पुराने मैम्बर हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने जादू की बात की है। अगर मैं कुछ थोड़ा बहुत जादूगर हूं तो ये भी मेरे गुरू हैं। मेरे से कहीं ज्यादा जादूगर हैं। और हमने इन्हीं से जादूगरी सीखी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भजन लाल जी, पंजाबी में एक कहावत है :

"गुरू जिनां दे उड़न चेले जान छड़प"

...(व्यवधान)

श्री भजनलाल : अध्यक्ष जी, आपने भी ठीक कहा है कि वे गुरू भी क्या जो चेले उनसे फालतू न हों।......(व्यवधान) जहां तक रिज का ताल्लुक है, यह गुड़गांव के साथ लगती है। आप जानते हैं कि जानवरों को दोपाए और चौपाए ही भक्षण करते हैं। दोपाए बड़े लोग हैं, जो गुड़गांव में रहते हैं और वे भी कुछ खा जाते हैं।......(व्यवधान)

रूटाइल रेत का आयात

*225. **डा. चिन्ता मोहन** :

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987 के दौरान रूटाइल रेत का आयात करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसका कितनी मात्रा में आयात किया जाएगा;

(ग) क्या गैर सरकारी क्षेत्र को भी इसके आयात की अनुमति दी जाएगी;

(घ) यदि नहीं तो इसके आयात के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं; और

(ङ) इसका आयात कब तक शुरू होने की संभावना है ?

[अनुवाद]

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) 2000 मीटन टन।

(ग) जी, हां। वास्तविक उपभोक्ताओं को रूटाइल आयात करने की अनुमति दी जाती है।

(घ) तथा (ङ) सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस वर्ष रूटाइल की सप्लाई में रही कमी को दूर करने के लिए लगभग 2000 मीटरी टन रूटाइल का आयात इंडियन रेअर अर्थ्स के माध्यम से किया जाए। आयात नवम्बर, 1987 तक होने की सम्भावना है।

डा. चिन्ता मोहन : हम प्रसन्न हैं कि प्रधान मंत्री ने आयात और निर्यात के सम्बन्ध में एक मन्त्रिमण्डलीय समिति नियुक्त की है। प्रधान मंत्री को हर समय सलाह देने के लिए एक परमाणु ऊर्जा आयोग है।

रूटाइल रेत आर्क वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाला और साथ ही फास्ट ब्रीड रियक्टरों में प्रयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। हमारी वर्तमान आवश्यकता लगभग 20,000 टन है और हमारे नियोजकों ने सरकारी क्षेत्र के दो उद्योगों को शुरू करने के लिए इसकी बहुत अच्छी तरह से आयोजना की है—एक केरल में है और दूसरा उड़ीसा में है। इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड ने 1982 में उड़ीसा में लगभग 50 करोड़ रुपए की धन राशि से सरकारी क्षेत्र में एक इकाई आरंभ की थी। परन्तु बढ़ती हुई कीमतों के कारण यह 1984 में 85 करोड़ रुपये हो गई और उन्होंने इसे अक्टूबर, 1986 में यह सोचकर लगभग 135 करोड़ रुपये के खर्च से आरंभ किया, कि इसमें 135 करोड़ रुपये के व्यय से प्रतिमाह लगभग 8000 टन रूटाइल रेत के उत्पादन के साथ प्रतिवर्ष 90 करोड़ रुपये की आय होगी। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हम इतना अधिक उत्पादन करने की आयोजना कर रहे हैं जिसे इस देश की अर्थव्यवस्था सुधरे। महोदय, इधर हमने काफी मशीनरी आयात की है और हमने तीन इकाईयां आरम्भ की हैं। एक अम्ल उत्पादन संयंत्र है, दूसरा खनिज पृथक्करण संयंत्र है और तीसरी एकक सांश्लेषिक रूटाइल इकाई है। इन तीन इकाईयों में से दो इकाईयां पुरानी मशीनरी आयात किए जाने के कारण लगभग बेकार हो चुकी हैं। अब इन संयंत्रों पर लगाया गया 135 करोड़ रुपया व्यर्थ गया है। हमें इससे प्रतिवर्ष 90 करोड़ रुपये की आय की आशा की थी लेकिन हम इस से प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपये की आय भी पैदा न कर पाये। **(व्यवधान)**

महोदय, हम विदेशों से काफी मशीनरी का आयात कर रहे हैं और इसमें काफी रिश्वत चलती है। मशीनरी के आयात द्वारा 25 करोड़ रुपए की धन राशि ली गई। क्या सरकार इस की जांच करने के लिए सभा की किसी समिति द्वारा जांच या कोई अन्य जांच कराएगी ?

श्री के. आर. नारायणन : हमारे निर्माताओं की रूटाइल रेत की वर्तमान आवश्यकता 30000 मीट्रिक टन नहीं आंकी गई है बल्कि यह 13000 मीट्रिक टन है। इसका अनुमान इंडियन रेअर अर्थ्स के प्राधिकारियों द्वारा निर्माताओं के संघों के प्रतिनिधियों के साथ हाल ही में एक बैठक में लगाया गया था। यही कारण है कि इस समय हमारा उत्पादन लगभग 11000 मीट्रिक टन है और कुल आवश्यकता को पूरा करने के लिए अर्थात् अगले वर्ष 13000 मीट्रिक टन की जरूरत हेतु हमारा 2000 मीट्रिक टन आयात करने का प्रस्ताव है।

माननीय सदस्य ने ओ.एस.सी.ओ एम. संयंत्र के उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने में असफल हो जाने के बारे में जो कहा था वह ठीक है।

हम ओ.एस.सी.ओ.एम. द्वारा लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाये हैं।

एक माननीय सदस्य : कारण क्या है ?

श्री के०आर० नारायणन : इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि मशीनरी आदि के ठेकेदारों द्वारा उस माल की छुड़ाई के कार्यक्रम में बेकार का विलंब हुआ है जिनको मंगाया गया था।

दूसरे, हाल के वर्षों में कच्चे माल की किस्म में भी खराबी आई है और उसकी पृथक्करण प्रक्रिया में काफी समय लगता है। एक अन्य कारण यह था कि ओ.एस.सी.ओ.एम. के एक कारखाने के डिजाइन में कुछ अधिक परिवर्तन करने पड़े। ये वे कारण हैं जिनसे हमें ओ.एस.सी.ओ.एम. में उत्पादन का लक्ष्य पाने में रुकावट पड़ी। परन्तु ओ.एस.सी.ओ.एम. ने अब उत्पादन आरंभ कर दिया है और हम आशा करते हैं कि अगले कुछ वर्षों में यह पूरा उत्पादन करेगा और हम रूटाइल रेत के स्वदेशीय उत्पादन द्वारा निर्माताओं की आवश्यकताओं को पूरा कर पायेंगे।

डा. चिन्ता मोहन : महोदय, मंत्री महोदय, शायद तथ्यों से अवगत नहीं हैं। शायद उन्होंने कारखाने का दौरा नहीं किया है या वह वहां की घटनाओं से अनभिज्ञ हैं। संयंत्र इस उच्च ताप को सहन नहीं कर सकता है जो तापीय संयंत्र में पैदा होता है। इसके परिणामस्वरूप इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड जिसे 1980 में शुरू किया गया था। पुरानी मशीनरी के कारण पूरी तरह खराब हो गया है और अब 135 करोड़ रुपये व्यर्थ चले गए हैं। संयंत्र पर 135 करोड़ रुपये व्यय करने के पश्चात भी इससे 10 लाख रुपये मासिक आय प्राप्त नहीं हो पाती है। हम विन चड्ढा के बारे में बात कर रहे हैं और अमरीका के बारे में सोच रहे हैं। एक अन्य विन चड्ढा भी है जिसने 25 करोड़ रुपये की रिश्वत ली है। वह अमरीका में नहीं हैं, बल्कि दिल्ली में हैं। वह अमरीका में नहीं हैं। वह दिल्ली में ही हैं। क्या आप जांच करायेंगे?……(व्यवधान) यदि सरकार इसके बारे में बहुत गंभीर है तो उसे इसकी जांच करानी चाहिए। (व्यवधान)……मैं माननीय प्रधान मंत्री से एक स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। महोदय, यह एक बहुत गंभीर मामला है…(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति रखिये।

डा. चिन्ता मोहन : रिश्वत लेने के बारे में कुछ कहें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। कृपया बैठ जायें।

डा० चिन्ता मोहन : मैं समझता हूं कि यह सच है, क्या वह जानकारी देने के लिए तैयार हैं।

श्री के. आर. नारायणन : मैं समझता हूं कि यह कहना बिल्कुल गलत है कि सप्लाई की गई मशीनरी ओ. एस. सी. ओ. एम. में खराब हो रही हैं। वास्तविकता यह है कि पहले ही प्राकृतिक रूटाइल का 35 प्रतिशत उत्पादन हो चुका है। अगले वर्ष संश्लेषित रूटाइल का 35 प्रतिशत उत्पादन किया जायेगा। लेकिन माननीय सदस्य ने इसमें कई असंगत बातें जोड़ दी हैं। (व्यवधान)

डा० चिन्ता मोहन : नहीं, नहीं। आप अभी आये हैं। आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : महोदय, रूटाइल रेत की देश में वास्तविक आवश्यकता 13000 टन है और वह उपलब्ध 11000 टन है। अतः 2000 टन रूटाइल रेत का आयात किया जाना है मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या यह हमारी इकाईयों के क्षमता से कम उत्पादन करने के कारण हैं। दूसरे क्या आयात और 115 प्रतिशत आयात शुल्क के कारण इसकी पहुंचने के बाद इसकी कीमत काफी ऊंची हो जायेगी।

मैं जानना चाहूंगा कि आप देशी उत्पादकों को कैसे संतुष्ट करेंगे।

श्री के. आर. नारायणन : महोदय, यह मांग की समस्या इसलिए उठी है क्योंकि हाल ही में काफी लघु उद्योग शुरू हुए हैं जिन्हें वैल्डिंग इलेक्ट्रोड उद्योग के लिए रूटाइल की आवश्यकता है।

रूटाइल रेत की मांग में अचानक वृद्धि हुई है जबकि विगत समय में मांग कम थी। हमने तो 1985-86 में जब रूटाइल की कोई मांग न थी, इसका निर्यात उस समय की औद्योगिक स्थिति को देखते हुए किया था।

जहां तक कीमत का संबंध है, हम जिन 2000 टन का आयात करना चाहते हैं उसके लिए आयात शुल्क 110 प्रतिशत है। यह स्वंय इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड द्वारा आयात किया जा रहा है। फिर 13000 टन की पर आने वाली अतिरिक्त लागत की राशि को सभी निर्माताओं को देना होगा अर्थात प्रत्येक निर्माता को इस समय अदा किये जा रहे (लगभग 6300 रुपये) के बजाय 7400 रुपये प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से अदा करने होंगे। अतः इस प्रकार से स्टाक के आयात से और शुल्क भाग के वितरण से भी पूरी कीमत काफी कुछ घटी है—वास्तव में काफी कम हुई है अर्थात वह कीमत जो निर्माताओं को अदा करनी पड़ती है।

हम इस विशेष आयात पर से शुल्क को हटाने के प्रश्न पर भी विचार कर रहे हैं।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : क्षमता से कम उत्पादन के क्या कारण हैं ?

श्री के.आर. नारायणन : कम उत्पादन का कारण यह है कि हमें कुछ चावारा और मानावाला-कुरिची के कुछ संयत्रों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। हम नई मशीनरी आयात कर रहे हैं और संयंत्रों का आधुनिकीकरण भी कर रहे हैं। दूसरा कारण ओ. एस. सी. ओ. एम. से सम्बन्धित समस्यायें हैं जिनका हल भी इसे कार्य के शुरू किये जाने से निकल आयेगा। वे पहले ही उत्पादन शुरू कर चुके हैं। हमने पहले से मौजूद कुछ समस्याओं को सुलझा लिया है। हम विश्वास करते हैं कि अगले वर्ष से ओ. एस. सी. ओ. एम. में उत्पादन काफी बढ़ जायेगा।

श्री एच. एन. नन्जे गौडा : मंत्री महोदय ने बताया है कि आवश्यकता 13000 टन की है और उपलब्धता 11000 टन है। केवल 2000 टन रूटाइल रेत का आयात किया जायेगा। इसका अर्थ है कि कमी 15 प्रतिशत है। क्या मैं जान सकता हूं कि पिछली जनवरी से इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड विशेषरूप से लघु इकाईयों को केवल 35 प्रतिशत कोटा क्यों आबंटित कर रहे हैं? हो यह रहा है कि बड़ी इकायां सौ प्रतिशत कोटा प्राप्त कर रहीं हैं जबकि लघु इकाईयां केवल 65 प्रतिशत प्राप्त कर रही है हैं। कुछ लघु इकाईयां निर्यात में भी शामिल हैं। ये इकाईयां विशेष रूप से इलेक्ट्रोड उद्योग कच्चे माल की कमी के कारण बहुत कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। क्या सरकार कम से कम इन लघु इकाईयों को पूरा कोटा प्रदान करेगी ? मुझे बताया गया है कि शुल्क सब लोगों पर लगाया जायेगा। परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। क्या आप अब कम से कम उन्हें निर्देश देंगे कि लघु इकाईयों को उनके कोटे का शत प्रतिशत रूटाइल रेत आबंटित किया जाये ?

श्री के. आर. नारायणन : इलेक्ट्रोड के छोटे निर्माताओं से हमारी व्यापक चर्चायें हुई हैं। और वे हमारे द्वारा शुरू की गई वितरण प्रणाली से संतुष्ठ हैं। केवल पिछले कुछ सप्ताहों में इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड ने उनके प्रतिनिधियों से सीधे चर्चायें की हैं। वास्तव में उन्होंने हमें यह कहते हुए लिखा है कि वे इस हल से काफी खुश हैं कि हमने उनकी वर्तमान आवश्यकताओं का पता लगाया है। यह सच नहीं है कि लघु उद्योग निर्माताओं को, रूटाइल रेत के आबंटन से वंचित रखा जा रहा है। यही एक कारण है कि इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड स्वयं इसका आयात कर रहा है, भंडारण कर

रहा है और फिर इसे स्वयं निर्माताओं को वितरित कर रहा है। कुछ छोटे निर्माता जो स्वयं आयात नहीं कर सकते हैं, उन्हें इस उद्यम अर्थात इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड से सहायता मिल सकेगी।

नेशनल फैडरेशन आफ ब्लाइंड्स की मांगे

*226. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव†** :

श्री श्रीहरि राव : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल फैडरेशन आफ ब्लाइंड्स द्वारा हाल ही में की गई मांगों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त मांगों पर कोई कार्यवाही की है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

(ख), (ग) और (घ) विकलांग व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में समूह (ग) और (घ) पदों में, कार्यकारी आदेश के माध्यम से 3 प्रतिशत पद आरक्षित किए हुए हैं जिनमें से 1 प्रतिशत नेत्रहीनों के लिए आरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार कानून बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है। इस प्रयोजन के लिए समिति के गठन करने का प्रस्ताव है।

विवरण

राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ, नई दिल्ली, जो कि एक स्वयंसेवी संगठन है, ने सरकार को एक "मांग पत्र" प्रस्तुत किया है जिस पर एक उच्च स्तरीय बैठक में संघ के साथ विचार-विमर्श किया गया था, जहां उनके द्वारा मुख्य मांगों पर जोर दिया गया था वे निम्न प्रकार हैं :—

1. यह सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाना कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा नेत्रहीन व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाए।

2. तीन महीने की अवधि के भीतर 4000 नेत्रहीन व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना, जो सम्पूर्ण देश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं।

3. रोजगार की कमी को दूर करने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान शुरू किया जाए।

4. नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण।

5. समूह "क" और "ख" पदों में आरक्षण।

6. नेत्रहीन व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्तियों की, लाभदायक कार्यकर्ताओं के रूप में, संभावनाओं के बारे में जागृति उत्पन्न करने हेतु विकलांगों के लिए "राष्ट्रीय सप्ताह" मनाना।

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव : अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने शारीरिक तौर पर विकलांग लोगों के लिए रोजगार अवसरों के सम्बन्ध में चेतना जागृत करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार सप्ताह मनाने का निश्चय किया है। वास्तविक समस्या यह है कि सरकारी संगठन और निजी

संगठन दोनों यह सोच कर सरकार के कार्यकारी आदेशों की उपेक्षा कर रहे हैं कि ये लोग उनके कार्यालयों में किसी काम के लिए उपयुक्त नहीं होंगे।

क्या सरकार 2 अक्तूबर, गांधी जयन्ती दिवस से पूर्व रिक्त स्थानों को नेत्रहीन व्यक्तियों, जिनके लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार स्तर पर एक प्रतिशत पद आरक्षित किए जाते हैं, सहित उचित संख्या में विकलांग व्यक्तियों से भरने के लिए शीघ्र कदम उठाए गी, क्योंकि उसी दिन विकलांगों के लिए राष्ट्रीय रोजगार सप्ताह मनाने का सरकार का विचार है? महोदय एक उदाहरण यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसे विकलांग व्यक्ति को अवसर नहीं दिया है जिसने 1982 में सिविल सर्विस परीक्षा पास की थी और इसके लिए उच्चतम न्यायालय को उस सरकार को उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी में लेने का निदेश देना पड़ा है। अतः हालत ऐसे हैं और शारीरिक तौर पर विकलांगों के संगठन ने भी माननीय प्रधान मंत्री के समक्ष यह मामला उठाया है कि जब उन्होंने उस मामले को उठाना चाहा तो उन पर लाठियां बरसाई गई। क्या सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र कोई कानून बनाएगी? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार कब तक ऐसा कानून बनाएगी ताकि इस कार्यकारी आदेश को अधिनियम बनाया जा सके।

डा. राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : महोदय, इस सम्बन्ध में कार्यकारी आदेश दिया गया है जैसा कि मैंने प्रश्न के उत्तर में कहा है। हाल ही में प्रधान मंत्री ने राज्यों के सभी मुख्य मंत्रियों को लिखा है कि वे नेत्रहीनों तथा अन्य विकलांग व्यक्तियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर इस आरक्षण नीति को लागू करें। प्रधान मंत्री ने केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों को आदेश दिए हैं कि आरक्षण नीति को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करें। ऐसी बात नहीं है कि सरकार इन सभी बातों के प्रति उदासीन हैं। किन्तु बात यह है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित स्थान नेत्रहीनों के लिए आरक्षित स्थानों की तुलना में कहीं अधिक है। नेत्रहीनों के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण है और यदि हमें पर्याप्त नेत्रहीन व्यक्ति नहीं मिलें तो यह पद शारीरिक तौर पर विकलांग तथा अन्य बहरे तथा गूंगे व्यक्तियों द्वारा भरे जाते हैं। हम यह जानते हैं, नेत्रहीनों को ऐसे अनेक कामों में नियुक्त किया जा सकता है जहां शारीरिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों को नहीं लगाया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न वर्गों में लगभग 416 नौकरियों का सृजन किया है और हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि पिछला बकाया कोटा पूरा किया जाए। इसलिए हम राष्ट्रीय रोजगार सप्ताह मनाने जा रहे हैं जिस के दौरान इस मामले को तेज किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश की घटना के सम्बन्ध में जहां शारीरिक तौर पर एक विकलांग व्यक्ति को सिविल सेवा में भरती होने से रोक दिया गया था, आप यह मामला मुझे लिखित रूप में दीजिए और मैं उत्तर प्रदेश सरकार के साथ इस पर चर्चा करूंगी।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव : यह केवल एक उदाहरण था और उच्चतम न्यायालय ने भी निदेश दिया है, किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में कब कानून बनाएगी? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि भारत में लगभग ऐसे 90 लाख नेत्रहीन व्यक्ति हैं और लगभग 450 लाख ऐसे हैं जिनकी दृश्य-युक्ति कुशल नहीं है। प्रत्येक वर्ष लगभग 50 हजार बच्चे विटामिन-ए की कमी से नेत्रों की ज्योति खो बैठते हैं। इस बात का पत्ता चला है कि इन में से एक प्रतिशत कुपोषण के

कारण होते हैं। महोदय, इन परिस्थितियों में मैं मंत्री जी से यह जानना चहता हूं कि सरकार पहले से किए गए उपायों के अतिरिक्त कौन से उपाय करने का विचार रही है जिससे गरीब गर्भवती महिलाओं और गरीब बच्चों को (विटामिन-ए के कुपोषण को दूर करने के लिए) पोषक भोजन दिया जाए जिसमें विटामिन "ए" की भारी मात्रा शामिल हो ?

डा. राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : जहां तक नेत्रहीन व्यक्तियों का सम्बन्ध है, विटामिन 'ए' तथा ऐसी अन्य बातों की कमी से सम्बन्धित यह प्रश्न अत्यन्त संगत है। किन्तु यह रोग का एक निवारक पहलू है। अतः यह स्वास्थ्य मंत्रालय से संबद्ध है। अब जबकि माननीय सदस्य ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, मैं समझती हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय इसकी ओर ध्यान देगा।

श्री श्रीहरि राव : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नेत्रहीन व्यक्तियों सहित कितने विकलांगों को अभी तक सरकारी कम्पनियों और गैर-सरकारी संगठनों में नियुक्त किया गया है ? "ग" और "घ" वर्ग के पदों पर पदोन्नति में आरक्षण और "क" और "ख" वर्ग के पदों में आरक्षण के सम्बन्ध में आप ने कहा कि, "यह सम्बन्धित मंत्रालय के विचाराधीन है।" मैं यह जानना चाहता हूं कि आप इन पदों को कब भर रहे हैं ?

डा. राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : मेरे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उनके अनुसार मंत्रालयों/विभागों में सम्बन्धित स्थिति यह है। "ग" वर्ग "ग" में भरे गए पदों की कुल संख्या 6440 है; नेत्रहीनों द्वारा भरे गए पद 28 (0.43 प्रतिशत); बहरे व्यक्तियों द्वारा भरे गए पद—16(0.24 प्रतिशत); और विकृत शरीर वाले व्यक्तियों द्वारा भरे गए पद — 147(2.8 प्रतिशत) हैं। सभी विकलांगों के लिए कुल आरक्षण 3 प्रतिशत है। वर्ग "घ" में भरे गए पदों की कुल संख्या 2961 है; नेत्रहीनों द्वारा भरे गए पद —25(0.92 प्रतिशत); बहरे व्यक्तियों द्वारा भरे गए पद—7(0.26 प्रतिशत); और शारीरिक विकृति वाले व्यक्तियों द्वारा भरे गए पद —160(5.94 प्रतिशत) हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वर्ग "ग" में भरे गए पदों की कुल संख्या 15,558 हैं; नेत्रहीनों को दिए गए पद 15(0.1 प्रतिशत); शारीरिक विकृति वाले व्यक्तियों को दिए गए पद 144 (0.92 प्रतिशत)। वर्ग "घ" में भरे गए पदों की कुल संख्या 8,210 है; नेत्रहीनों द्वारा भरे गए पद —27 (0.3 प्रतिशत); बहरे व्यक्तियों द्वारा भरे गए पद 38(0.5 प्रतिशत); और शारीरिक विकृति वाले व्यक्तियों द्वारा भरे गए पद—89(1.1 प्रतिशत) हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, विकलांगों के पुनर्वास के लिए भारत सरकार ने काफी अच्छी योजनायें बनायी हैं। अभी हाल ही में हरेक जिले में विकलांग पुनर्वास केन्द्र खोले जाने की एक योजना भी बनी है। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से यह जानना चाहूंगा कि अभी तक कितने जिलों में ऐसे विकलांग पुनर्वास केन्द्र खोले जा चुके हैं और उनका कार्य क्षेत्र क्या है ?

[अनुवाद]

डा. राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : ये जिला पुनर्वास केन्द्र लगभग 8 स्थानों पर खोले गए हैं। आगामी वर्षों में 10 और केन्द्र खोले जाएंगे।

बैंकों को शाखाएं खोलना

*229. **श्री एन. डेनिस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगाने के बाद भी राष्ट्रीयकृत बैंकों को शाखाएं खोले जाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या राज्य सरकारों को उन कारणों की जानकारी दी जाती है, जिससे वे बैंक शाखाएं खोलने की आवश्यकता के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को एक बार पुनः संतुष्ट कर सकें; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) से (ग) वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकारें अपने ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में नई बैंक शाखाएं खोलने के लिए केन्द्रों की सूचियां भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजती हैं । तदुपरांत, भारतीय रिजर्व बैंक इन सूचियों की जांच करने के बाद, नीति में निर्धारित मानकों के अनुसार, पात्र केन्द्रों का आवंटन करता है । बैंकों से यह कहा गया है कि वे उन्हें आबंटित किए गए केन्द्रों में शाखाएं खोलने का काम नीति की शेष अवधि के दौरान, समान रूप से विभिन्न चरणों में पूरा करें । राज्य सरकारों से प्राप्त केन्द्रों की सूची में से किए जाने वाले आवंटनों के बारे में राज्य सरकारों को बराबर सूचना दी जाती है और यदि राज्य सरकार द्वारा किसी केन्द्र विशेष के बारे में कोई प्रश्न किया जाता है तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसका भी समुचित उत्तर दिया जाता है ।

श्री एन० डेनिस : महोदय राज्य सरकारों से कहा गया है कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों का पत्ता लगाएं जहां बैंककारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं । किन्तु राज्य सरकारों द्वारा पत्ता लगाए जाने पर भी बैंक नही खोले जा रहे । राज्यों द्वारा पत्ता लगाए गये कुछ केन्द्रों को छोड़ दिया गया है । उदाहरण के तौर पर मेरे अपने जिले कन्याकुमारी में राज्य सरकार ने 10 केन्द्रों का पता लगाया है । किंतु अभी तक इनमें से किसी भी केन्द्र में कोई बैंक स्थापित नहीं किया गया है । अब पत्ता चला है कि केवल तीन केन्द्रों पर ही शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है । शेष सात केन्द्रों को छोड़ दिया गया है । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार द्वारा पत्ता लगाए गए सभी केन्द्रों पर शाखाएं खोली जाएंगी अथवा नहीं । इन केन्द्रों को भारतीय रिजर्व बैंक के आदेशों पर राज्य सरकार द्वारा पत्ता लगाया जाता है । राज्य सरकार भी इन केन्द्रों पर बैंक की शाखाएं खोलने के संबंध में पूर्णतया संतुष्ट हैं ।

श्री जनार्दन पुजारी : यह सच है कि कन्याकुमारी जिले में केवल तीन स्थानों पर बैंक की शाखाएं खोली गई हैं । मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि यद्यपि राज्य सरकार ने 10 केन्द्रों का पत्ता लगाया है, दुर्भाग्य से वे भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियों के अनुरूप नहीं हैं । अत : वह केवल तीन केन्द्र ही दे सके । जहां तक शेष केन्द्रों का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकार को नई शाखाएं खोलने के लिए कुछ अधिक स्थानों का पता लगाने के लिए कहा

है । जहां तक तमिलनाडु का संबध है, हमने वहां पर इन दो वर्षों में लगभग 57 शाखाएं खोली हैं ।

श्री एन० डेनिस : नई शाखाएं खोलने के बारे में यह देखा गया है कि सरकार द्वारा परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाये जाते हैं । राज्य सरकार द्वारा चुने गये कुछ केन्द्रों को सरकार ने स्वीकृति नही दी है और वहां पर शाखाएं इस आधार पर नही खोली जाती कि ये अतिरिक्त केन्द्र हैं । लेकिन कमी वाले कुछ क्षेत्रों में ये शाखाएं इस, आधार पर नहीं खोली जाती कि राज्य सरकारों द्वारा उन क्षेत्रों की पहचान नहीं की गयी ।

क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूं कि इस बात पर ध्यान न देते हुए कि राज्य सरकारों ने इन केन्द्रों की पहचान नहीं की है, कमी वाले क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोली जायेंगी और जो छूटें मैदानी क्षेत्रों और आदिवासी केन्द्रों को दी गई है वही छूटें तटीय क्षेत्रों को भी प्रदान की जायेंगी ?

श्री जनार्दन पुजारी : जहां तक प्रश्न के पहले भाग अर्थात शाखाएं खोलने के बारे में का सम्बंध है जहां कहीं भी कमी वाले क्षेत्र हैं जिनकी राज्य सरकार द्वारा पहचान नही की गई है, अगर इसे सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में लाया जाता है तो निश्चय ही वहां पर शाखाएं खोली जायेंगी ।

यहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बंध है, इस सम्बंध में केवल आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्रों को छुट दी जाती है । तटीय क्षेत्रों के लिए ऐसी कोई छूट नही दी जायेगी ।

श्री शान्ताराम नायक : महोदय कुछ बैंक प्रबन्धकों ने यह बताया है कि बैंकों में विद्यमान भर्ती प्रतिबंध शाखाओं और कर्मचारिओं की वृद्धि में रुकावट डालता है । वे यह धारणा आम जनता और युनियन के लोगों को भी देते हैं ।

क्या आप स्पष्ट करेंगे कि बैंकों में विद्यमान भर्ती प्रतिबंध इस सम्बंध में बाधा है या नहीं ।

श्री जनार्दन पुजारी : जहां तक भर्ती का प्रश्न है इस सम्बध में पूर्ण प्रतिबंध नहीं हैं । बैंकों मे भर्ती हो रही हे । हमें बैंकों की वास्तविक जरूरतों और आवश्यकता को देखना है ।

जहां तक कर्मचारी देने का सम्बंध है, उसकी कोई कमी नही है । हम प्रत्येक बैंक की आवश्यकताओ को पूरा कर रहे है । जब कभी कोई भी कमी होती है हम ऐसी शाखाओं में पर्याप्त कर्मचारी भेजने के लिए प्रबंधकों से कहते हैं ।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या मंत्री जी सदन को बताऐंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऐसी शाखाएं खोलने का मानदण्ड क्या है ? वित्त मंत्रालय को अभ्यावेदन भेजे जाते हैं । और सामान्यत : किसी न किसी बहाने के आधार पर उनका नकारात्मक उत्तर दिया जाता है ।

श्री जनार्दन पुजारी : भारतीय रिजर्व बैंक की नई बैंक शाखाएं खोलने सम्बंधी नीति के अनुसार प्रत्येक 17,000 जनसंख्या के पीछे एक शाखा खोली जायेगी और प्रत्येक गांव से 10 कि.मी. की दूरी के भीतर भी एक शाखा खोली जायेगी । इस बात को ध्यान में रखते हुए 10 कि.मी. की दूरी के भीतर प्रत्येक गांव और 17,000 की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में एक शाखा खोली जाती है ।

श्री पी० कूलनदेइवेलू : राष्ट्रीयकृत बैंकों की विभिन्न शाखाएँ खोलने के बारे में, यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि वे विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी शाखा नहीं खोल रही है। इसके पीछे कारण यह है कि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी जमा राशि नहीं मिलती जितनी शहरी क्षेत्र में या उद्योग केन्द्रों में उन्हें मिलती है।

मान लीजिए, उन्हें जमा राशि मिल जाती है तो उसका अर्थ है कि उन्हें स्वयं ही उन्नति मिल जायेगी। इस कारण से इन राष्ट्रीयकृत बैंक का उद्देश्य लोगों की सेवा करना नहीं बल्कि साहूकारी संस्था होना है उनका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना है अत: वे व्यापार कर रहे हैं।

मैं मंत्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि यद्यपि वे सरकार से जमा राशि प्राप्त कर रहे हैं, तथापि कुछ सरकारी व्यक्तियों को सीमान्त धन देने की प्रथा भी अपनायी जा रही है मान लीजिए उन्हें एक करोड़ रुपया जमा राशि प्राप्त होती है तो उन्हें अपने आप ही बैंकों से एक या दो प्रतिशत सीमान्त धन प्राप्त होगा। इसी कारण से कुछ ही बैंकों में जहां सीमान्त धन दिया जा रहा है राशि जमा की जा रही है। क्या मंत्री जी इस तथ्य से पूरी तरह अवगत हैं? क्या इस सम्बंध में कोई उपाय किया गया है?

श्री जनार्दन पुजारी : जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने का सम्बंध है, 31 दिसम्बर 1986 तक हमने 53,397 शाखाओं में से 29,766 शाखाएँ खोली हैं। यह 50 प्रतिशत से अधिक है। यह सच नहीं है कि हम ग्रामीण क्षेत्र की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं जहां तक राशियों के जमा किये जाने का सम्बंध है जहां कहीं भी ऐसे कदाचार हमारे ध्यान में लाये गये हैं उन पर शीघ्र कार्यवाही की जा रही है। लेकिन मैं इस आरोप का खंडन करता हूं कि वे एक प्रतिशत की मांगें कर रहे हैं। अगर एक प्रतिशत दिया भी जाता है तो इसका भुगतान कौन करता है?

श्री पी० कुलनदईवेलू : ऐसे कई मामलों के बारे में पता चला है।

श्री जनार्दन पुजारी : इसका भुगतान किसके द्वारा किया जाता है?

श्री पी० कुलनदईवेलू : बैंक के माध्यम से।

श्री जनार्दन पुजारी : नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वहां ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। अगर कोई उदाहरण हमारे नोटिस में लाया जाये और अगर कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य है तो हम निश्चय ही ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष लम्बित याचिकाएं

*230. **श्री ए० चार्ल्स**† :

श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा दायर की गई कितनी याचिकाएं 30 जून, 1987 को लम्बित पड़ी थीं ;

(ख) उक्त याचिकाओं को निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) प्रशासनिक न्यायाधिकरण की केरल पीठ की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) तथा (ख) 30.6.1987 तक उच्च न्यायालयों तथा अन्य न्यायालयों से स्थानान्तरित किए गए 13,351 मामलों के अतिरिक्त केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की न्याय-पीठों में कुल 23,540 मूल आवेदन पत्र दायर किए गए थे, जिनमें से 16,772 मामले निपटा दिए गए हैं तथा 20,119 मामले लम्बित हैं मामले निपटाने की गति संतोषप्रद समझी जाती है।

(ग) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की एर्नाकुलम न्यायपीठ की स्थापना इसलिए रुकी हुई है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के दिनांक 9.12.86/5.5.1987 के हाल ही के निर्णय को ध्यान में रखते हुए उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया को संशोधित किया जाना है।

श्री ए० चार्ल्स : मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर से यह पता चलता है कि 36,891 आवेदन पत्रों में से जिसमें उच्च न्यायालयों और अन्य न्यायालयों से 13,351 हस्तान्तरित आवेदन पत्र भी शामिल है, केवल 16,772 मामले निपटाये गये हैं और 20,119 मामले लम्बित पड़े है और निपटान दर संतोषजनक मानी गई हैं। आंकड़ों को देखते हुए ; यह दलील की जा सकती है कि मामलों की निपटान दर संतोषजनक है। लेकिन सच यह है कि अभी भी 20,119 आवेदन पत्र लम्बित-पड़े हैं जिनमें 13,351 मामले जो उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों से आये है लम्बे अर्से से लम्बित मामले हैं। मेरा कहना यह है कि इसे आंकड़ों की दृष्टि कोण से न देखा जाय 120.119 श्रमिकों का अर्थ होता है। कि इसमें 20,119 परिवार शामिल है। अगर मेरी जानकारी सही है तो उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार को 31 जुलाई 1987 तक प्रशासनिक न्यायधिकरणों की स्थापना हेतु एक उचित कानून बनाने के लिए निर्देश दिये थे। अब वह अवधि समाप्त हो गई है। मैं जानना चाहता हूं कि न्यायधिकरण स्थापित करने और उप-अध्यक्ष की नियुक्ति में हुए विलम्ब को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री पी० चिदम्बरम : पांच न्यायपीठें 1 नवम्बर 1985 को स्थापित की गई थीं ; तीन न्यायपीठें 3 मार्च 1986 को स्थापित की गई थी और 6 न्यायपीठें 30 जून 1986 को स्थापित की गई थी हम और अधिक न्यायपीठें स्थापित करते लेकिन उच्चतम न्यायलय के फैसले के कारण हमें बीच में ही रुकना पड़ा जिसका हवाला मैंने अपने 9.12.1986 के उत्तर में दिया था। हमने पुर्नविचारार्थ एक याचिका दायर की थी और पुर्नविचारार्थ याचिक 5 मई 1987 को निपटायी गयी थी। अब उस फैसले के अनुसार हमें एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया का अनुसरण करने में तब तक बहुत अधिक कठिनाई है जब तक हम संसद द्वारा एक उपयुक्त कानून नहीं बनाते। 'हम विधान का प्रारूप बना रहे हैं। जैसे ही संसद द्वारा कानून पारित होगा अन्य पीठों को स्थापित किया जायेगा। वास्तव में हम और न्यायपीठें स्थापित करना चाहते थे और इसके लिए तैयार थे लेकिन अगर उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय न होता तो हम सभी न्यायपीठों को स्थापित कर देते। एर्णाकुलम न्यायपीठ उनमें से एक है। मैं माननीय सदस्य की चिन्ता को समझता हूं कि 20,119 मामले लम्बित पड़े हैं। लेकिन अगर उन्हें न्यायालयों में हमारे अनुभव के बारे में ज्ञात हो तो वह देखेगें कि न्यायालयो में समादेश याचिकाएं 9 वर्षों से भी अधिक समय से लम्बित पड़ी हुई हैं और कुछ न्यायालयों में 12 वर्षों से भी अधिक समय से लम्बित पड़ी हैं। सी० ए० टी० के निपटान के और उच्च न्यायालयों में मिपटान के मामले में अपने अनुभव के आधार पर मेरा यह कहना है कि निपटान

दर संतोषजनक है। अगर हम अधिक न्यायपीठें स्थापित करते हैं और विद्यमान न्यायपीठों में और अधिक नियुक्तियां करते हैं तो यह और भी अधिक हो जायेगी। लेकिन उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण वह पांच महीने के लिए रुक गई है। हम संसद के समक्ष एक उचित कानून लायेगें।

श्री ए० चार्ल्स : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या 31 जुलाई अन्तिम तिथि थी।

श्री पी० चिदम्बरम : 31 जुलाई अवश्य ही अन्तिम तिथि थी लेकिन कानून 31 जुलाई से नहीं पहले लाया जा सका। हम उच्चतम न्यायालय को तीन महीने का समय बढ़ाने के लिए पहले ही प्रस्ताव भेज चुके हैं।

श्री ए. चार्ल्स : मेरे प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के उत्तर से पता चलता है कि केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की एक न्यायपीठ एर्णाकुलम में स्थापित की जायेगी। जैसा कि आप जानते हैं त्रिवेन्द्रम केरल की राजधानी है और यह केवल राज्यों के पुर्नसंगठन के समय ऐतिहासिक कारणों से उच्च न्यायालय को कोचीन में राजधानी से काफी दूर स्थापित करना पड़ा इसमें काफी प्रशासनिक कठिनाई महसूस की जा रही है। 1971 में राज्य विधान मंडल ने त्रिवेन्द्रम में उच्च न्यायालय एक पीठ की स्थापना के लिए सर्वसम्मत्ति एक संकल्प पारित किया था।

अतः मेरा यह कहना है कि प्रशासनिक न्यायधिकरण की न्यायपीठें स्थापित करने का विचार करते समय अगर आप एर्णाकुलम में एक न्यायपीठ स्थापित करते हैं तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा—क्योंकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से राजधानी में एक भी न्यायपीठ न होने से बहुत असुविधा हो जाएगी। अतः मंत्री जी इस के पक्ष में विचार करें मैं एक साकारात्मक उत्तर का अनुरोध करता हूं। त्रिवेन्द्रम में एक न्यायपीठ स्थापित की जाये।

श्री पी. चिदम्बरम : त्रिवेन्द्रम में एक न्यायपीठ स्थापित करने से मैं भी प्रसन्न हूंगा। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने मेरे हाथ बांधे हुए हैं। हमें न्यायधिकरण की न्यायपीठ उस स्थान पर स्थापित करनी है जहां उच्च न्यायालय स्थित हैं। अगर आप त्रिवेन्द्रम में उच्च न्यायालय की एए न्यायपीठ स्थापित करवाने में सफल होते हैं, तो मैं भी त्रिवेन्द्रम में न्यायाधिकरण की एक पीठ स्थापित कर सकता हू।

[हिन्दी]

श्री कमला प्रसाद सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कुल 35 हजार मुकदमों में से मात्र 16,772 मुकदमें निपटाये जाना बताया है यह संख्या मात्र 40 परसेंट हैं। क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन 16,772 मुकदमों को निपटाये जाने में कुल कितना समय लगा।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : जैसा कि मैंने कहा कि पांच न्यायपीठें 20 महीनों से कार्य कर रही हैं 3 न्यायपीठें 16 महीनों से और छः न्यायपीठें 12 महीनों से कार्य कर रही है अर्थात् प्रत्येक न्यायपीठ औसतन 16 महीने से कार्य कर रही है। 16 महीनों की अवधि में 14 न्यायपीठों ने 16,772 मामले निपटाये हैं। किसी भी मापदण्ड के अनुसार यह निपटान दर संतोष जनक है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है ।

राजस्व मामलों के लिए राज्य विधान मंडल न्यायधिकरण स्थापित करने के लिए विधान बना सकते हैं। लेकिन 323क के अन्तर्गत प्रशासनिक न्यायधिकरण स्थापित करने के लिए वे ऐसा नहीं कर सकते ।

क्या मैं जान सकता हूं कितने राज्यों ने केन्द्र सरकार को अपने राज्यों में प्रशासनिक न्याय-धिकरण स्थापित करने के लिए उचित कानून पारित करने का अनुरोध किया है और सरकार राज्य सरकारों की सलाह से न्यायधिकरणों के सदस्यों के चयन के मामले में क्या उपाय करने जा रही है ?

श्री पी. चिदम्बरम : माननीय सदस्य ने स्पष्ट रूप से हाल ही के प्रशासनिक न्यायधिकरण अधिनियम को नहीं पढ़ा है; कानून पहले से ही विद्यमान है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको अधिसूचना जारी करनी होगी ।

श्री पी. चिदम्बरम : हमने अधिसूचना जारी की है। हम राज्य सरकारों को पहले ही लिख चुके हैं कि वे हमें यह बतायें कि क्या वे राज्यों में प्रशासनिक न्यायधिकरण स्थापित करना चाहते हैं। कुछ राज्य सहमत हो गए हैं और हमने उन राज्यों में हमने न्यायधिकरण स्थापित कर दिए हैं। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश में न्यायधिकरण स्थापित किया गया है। कर्नाटक में न्यायधिकरण स्थापित किया गया है। यदि मेरी जानकारी सही है तो उड़ीसा में न्यायधिकरण स्थापित किया गया है। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसने न्यायधिकरण के लिए कहा हो और हम न्यायधिकरण स्थापित करने के लिए सहमत नहीं हुए हों मैंने मुख्य मंत्रियों को न्यायधिकरण स्थापित किए जाने की मांग करने के लिए लिखा है और हमने न्यायधिकरण स्थापित किये हैं ।

भाड़ा समानीकरण नीति

*231. **श्री बाजूबन रियान :**

श्री बसुदेव आचार्य : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहा और इस्पात के मामले में भाड़ा समानीकरण व्यवस्था को समाप्त करने के निर्णय को अब बदल दिया गया है;

(ख) क्या यह निर्णय लेने से पहले पूर्वी राज्यों से जिन पर इस प्रणाली का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है परामर्श किया गया था, यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लोहा और इस्पात के सम्बन्ध में भाड़ा समानीकरण को समाप्त करने के अपने पूर्व-निर्णय की समीक्षा की है और मामला, राष्ट्रीय विकास परिषद् को भेजने का निर्णय किया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

खेतिहर मजदूरों के लिए निःशुल्क बीमा योजना

*227. श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री सरफराज अहमद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खेतिहर मजदूरों के लिए निःशुल्क बीमा योजना शुरू करने का विचार है, यदि हां, तो कब से;

(ख) इस योजना की रूपरेखा क्या है;

(ग) प्रीमियम का भुगतान कौन करेगा;

(घ) चालू वर्ष में यह योजना किन-किन राज्यों में शुरू की जाएगी तथा इससे कितने खेतिहर मजदूरों को लाभ होगा; और

(ङ) क्या सरकार का अन्य मजदूरों के लिए भी ऐसी योजना शुरू करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) 16 मार्च, 1987 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय जीवन बीमा नियम ने एक योजना की व्यापक रूप रेखाएं प्रस्तुत की हैं, जिसके अंतर्गत संपूर्ण देश में सभी भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बीमा कवच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी । सरकार ने अब इस योजना को अनुमोदित कर दिया है और इस योजना का तुरन्त कार्यान्वयन करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को समुचित अनुदेश जारी किए जा रहे हैं । प्रारंभ में, यह योजना तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू की जाएगी और इस अवधि के दौरान संपूर्ण प्रीमियम के भुगतान की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी । इस योजना के अन्तर्गत भारत में 18 से 60 वर्ष के आयुवर्ग के सभी भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को शामिल किया जाएगा । भारतीय जीवन बीमा निगम, भूमिहीन खेतिहर मजदूर की मृत्यु हो जाने पर उसके द्वारा नामजात व्यक्ति को 1000/- रुपए की राशि का भुगतान करेगा इस प्रकार के बीमा कवच के लिए भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को किसी तरह के प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ेगा । भारतीय जीवन बीमा निगम इस योजना को "बिना लाभ-बिना हानि" आधार पर लागू करेगा, क्योंकि इस योजना का उद्देश्य सभी भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना है । अन्य मजदूरों को भी इसी प्रकार का बीमा कवच प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

[अनुवाद]

सचिव के पदों के लिये चयन :

*228. श्री भट्टम श्री राममूर्ति :

श्री गुरुदास कामत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों से भारत सरकार के सचिव के पदों के लिए उन के चयन के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले पर विचार किया है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०चिदम्बरम्) : (क) जी, हां, ।

(ख) और (ग) भारत सरकार के सचिवों के पद वरिष्ठ स्टाफिंग योजना के अन्तर्गत आते हैं, जिनके अनुसार अलग-अलग अधिकारियों की सेवाएं उनके संबंधित संवर्ग प्राधिकारियों से प्रति-नियुक्ति के आधार पर ली जाती हैं। इन पदों पर नियुक्तियां, प्रत्येक पद की कार्य अपेक्षाओं तथा पसन्द के क्षेत्र में अधिकारियों की अर्हताओं और अनुभव को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं।

प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और पूर्व सूचना दल की स्थापना करना

* 232. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और पूर्व सूचना दल की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह विदेशों में प्रौद्योगिकी के विकास पर निगरानी रखेगा; और

(ग) क्या विदेशी सहयोग और स्वदेशी अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी देते समय इसकी रिपोर्टों पर विचार किया जायेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक स्वायत शासी निकाय के रूप में प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन समिति (टी.आई.एफ.ए.सी.) की स्थापना की स्वीकृति दे दी है।

(ख) और (ग) जी हां। प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन समिति विदेशों में चुनिंदा क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के विकास को मानीटर न करेगी और निवेश प्रदान करेगी, जिससे आयात की जाने वाली प्रौद्योगिकी के चयन में एवं स्वदेशी अनुसंधान परियोजनाओं के लिए मदद मिलेगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में महिला बैंक प्रबन्धक

*233. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में किसी महिला बैंक प्रबन्धक की नियुक्ति की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों में कितनी महिला प्रबन्धक कार्य कर रही हैं ; और

(ग) इनमें से कितनी महिलाओं की नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की गई है और कितनी महिलायें इस पद पर पदोन्नत की गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) तत्काल उपलब्ध सूचना के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रबन्धक के पदों पर 350 के लगभग महिला अधिकारी काम कर रही हैं। प्रबन्धक पदों के लिए अधिकारियों की नियुक्ति अधिकारी संवर्ग से की जाती है जिसमें सीधे भर्ती

किए गए अधिकारी और लिपिकीय संवर्ग से पदोन्नत अधिकारी शामिल होते हैं। कुछ विशेषज्ञ पदों को छोड़कर, सामान्यतया बैंकों में अधिकारियों को सीधे ही प्रबन्धक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता है।

मुक्त विनिमय दर के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अध्ययन

*234. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासशील देशों में मुक्त विनिमय दर के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि यह प्रणाली इसका प्रयोग करने वाले देशों के लिए बेहतर लाभकारी नहीं है, जैसाकि 26 जून, 1987 के "इकानामिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) क्या भारत में इस पद्धति के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी.के. गढ़वी) : (क) अभी हाल ही में, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कर्मचारियों द्वारा "विकासशील देशों में अस्थिर विनिमय दरें : नीलाम और अन्त: बैंक बाजारों से प्राप्त हाल का अनुभव" विषय पर किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि कोष के 15 विकासशील सदस्य देशों ने, जिन्होंने पिछले चार वर्षों में बाजार से संबद्ध अस्थिर विनिमय दर प्रणाली अपनाई है, विनिमय दर में न तो कोई अबाध रूप से गिरावट अनुभव की है और नहीं उनकी विनिमय दर की अस्थिरता बढ़ी है, उनकी स्वदेशी अर्थव्यवस्था की गतिविधियां भी प्रतिकूल नहीं रही हैं, और उनकी विदेशी भुगतान शेष की स्थिति में और आगे गिरावट रुक गई।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

"दिल्ली के रिज क्षेत्र को पक्षी विहार घोषित करना"

*235. **श्री पूर्णचन्द्र मलिक** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली के रिज क्षेत्र को पूर्ण रूप से पक्षी विहार/सुरक्षित वन घोषित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) और (ख) दिल्ली के रिज क्षेत्र में पड़ने वाले असोला, साहूपुर तथा मैदान गढ़ी गांवों के भागों को 9. 10. 86 को पहले ही वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया जा चुका है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बंगाल को कल्याण योजनाओं के लिये धनराशि

*237. **श्री विमल कांति घोष** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल की कल्याण योजनाओं के लिए कोई धनराशि आवंटित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल में प्रमुख कल्याण योजनाओं के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) इन योजनाओं के नाम क्या हैं तथा इनके संबंध में मुख्य बातें क्या हैं ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा. राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : (क) से (ग) योजना में धनराशि का आवंटन विभिन्न योजनाओं के संबंध में किया जाता है और न कि राज्यवार दर्शाया जाता है। विभिन्न योजनाओं के लिए वार्षिक व्यय आवश्यकतानुसार दिया जाता है और 1985-86 के दौरान पश्चिम बंगाल की योजनाओं के लिए 2,46,16,245/- रुपये दिए गये हैं। इन योजनाओं के नाम और मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दर्शाई गई हैं।

विवरण

कल्याण मंत्रालय द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अभी तक पश्चिम बंगाल को जिन योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि प्रदान की गई है उनके नाम तथा मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :—

(क) **विकलांग कल्याण**

(1) विकलांगों के संगठनों को सहायता की योजना :-

इस योजना के अन्तर्गत उन स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायक अनुदान दिया जाता है, जो विकलांगों को शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने में कार्यरत हैं। स्वयंसेवी संगठनों से आवेदन पत्र राज्य सरकारों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। योजना के अन्तर्गत 1.4.1985 से 31.7.1987 की अवधि के दौरान 15 स्वयंसेवी संगठनों को 95,34,634 रुपये की धनराशि प्रदान की गई।

(2) विकलांग व्यक्तियों को सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने/लगाने के लिए सहायता की योजना :

इस योजना के अन्तर्गत राज्य/केन्द्र सरकार के अधीन स्वायत निकायों सहित स्वयंसेवी संगठनों को, विकलांग व्यक्तियों के लिए 2500 रुपये से 3000 रुपये तक की कीमत के सहायक यंत्र उपलब्ध कराने के लिए (i) यदि उनकी मासिक आय 1200 रुपये से कम हो तो निःशुल्क (ii) यदि उनकी आय 1201 रुपये से 2500 रुपये के बीच हो तो 50% कीमत पर, अनुदान दिए जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत 1.4.1985 से 31.7.1987 की अवधि के दौरान 4 संगठनों को कुल 14,54,500 रुपये की धनराशि प्रदान की गई है।

(3) विकलांगों के लिए छात्रवृत्तियां :

इस योजना के अन्तर्गत विकलांग छात्रों को नवीं कक्षा से आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए तथा तकनीकी तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण, पत्राचार पाठ्यक्रमों एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए भी छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। छात्रवृति की राशि अध्ययन के पाठ्यक्रम के अनुसार भिन्न होती है। इसके अतिरिक्त, नेत्रहीन प्रोस्थैस्कि को रीडर भत्ता/अस्थि विकलांग को परिवहन भत्ता प्रदान किया जाता है। 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को योजना के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति के रूप में कुल 10 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई थी।

(4) जिला पुनर्वास केन्द्र :

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों को सेवायें प्रदान करना है। यह केन्द्र विकलांगता निवारक इसका शीघ्र पता लगाने तथा चिकित्सा सुविधा पर जोर देता है। जिला पुनर्वास केन्द्र पश्चिम बंगाल को प्रदान की गई कुल राशि 9.96 लाख रुपये थी।

(5) राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कलकत्ता :

अस्थि विकलांग कल्याण के क्षेत्र में एक शीर्ष संगठन है और पश्चिम बंगाल और अन्य निकट राज्यों की विकलांग जनसंख्या को सेवाएं प्रदान करता है। संस्थान मंत्रालय की सहायक यंत्र और उपकरण योजना के अन्तर्गत सहायक यंत्र और उपकरण प्रदान करने के लिए सचल टीमों की भी व्यवस्था कर रहा है। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कलकत्ता का वर्ष 1985-86 और 1986-87 के लिए वास्तविक व्यय 12.50 लाख रुपये (योजना) और 35.11 लाख रुपये (गैर योजना) था। 1987-88 के दौरान संस्थान का बजट प्रावधान 15 लाख रुपये (योजना) और 46.31 लाख रुपये (गैर योजना) है।

(5) समाज रक्षा :

(1) सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण के लिए योजना :

इस योजना का उद्देश्य निराश्रित बच्चों को कल्याण सेवाएं प्रदान करना और उन्हें सामान्य नागरिक के रूप में पुनर्वास करना है। इस योजना के अन्तर्गत संस्थागत सेवाएं और फोस्टर देखभाल सेवाएं शामिल की जाती हैं। 150/- रुपये प्रति मास प्रति बच्चा की दर से अनुरक्षण प्रयोजन और 40 रुपये प्रति मास प्रति बच्चा की दर से किराये पर व्यय करने के लिए अनुदान दिया जाता है। प्रति बच्चा प्रति मास, फर्नीचर और यंत्र आदि के लिए 500/- रुपये दिए जाते हैं जबकि कुटीर के निर्माण के लिए योजना के अन्तर्गत 6000/- रुपये पूंजी अनुदान के रूप में दिए जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत सहायता की पद्धति में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों और स्वयंसेवी संगठनों के बीच व्यय के हिस्से का अनुपात 45 : 45 : 10 है। 1985-86 और 1986-87 के दौरान, योजना के अन्तर्गत, पश्चिम बंगाल को 47,00,269 रुपये दिये गए थे।

(2) किशोर सामाजिक असमंजस की रोकथाम और नियंत्रण योजना :

यह योजना संरक्षण गृहों/किशोर गृहों में सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने/उन्नयन करने और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए अभी शुरू की गई है। जब भी राज्य सरकार योजना कार्यान्वित करती है, तो कुल व्यय, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच बराबर बांटा जाता है। यदि स्वयंसेवी संगठन योजना का कार्यान्वयन करती है, तब लागत केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और स्वयंसेवी संगठनों में 45 : 45 : 10 के अनुपात में बांटी जाती है। योजना के अन्तर्गत, पश्चिम बंगाल को 5 लाख रुपये का सांकेतिक अनुदान दिया गया है।

(3) संगठनात्मक सहायता योजना :

इस योजना के अन्तर्गत उन संगठनों को सहायक अनुदान दिया जाता है जो मुख्यता कल्याण मंत्रालय को आवंटित विषयों के कार्यकलापों में लगे हुए हैं और जो विभिन्न कार्यकलापों के समन्वय हेतु एक केन्द्रीय कार्यालय की स्थापना करते हैं।

सहायक अनुदान योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय कार्यालय स्टाफ (100 प्रतिशत) का वेतन और कार्यालय व्यय (50 प्रतिशत) शामिल किया जाता है। संगठनों को राज्य सरकारों के माध्यम से अपने आवेदन-पत्र भेजने अपेक्षित हैं। फिर भी मंत्रालय द्वारा अच्छे और प्रतिष्ठा वाले संगठनों के आवेदन पत्रों पर भी विचार किया जा सकता है। 1985-86 के दौरान 32 स्वयंसेवी सगठनों को 7,85,613 रुपये का अनुदान दिया गया जबकि, 1986-87 के दौरान 19 स्वयंसेवी संगठनों को 4,26,253 रुपये का अनुदान दिया गया था।

(4) समाज कल्याण के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता के लिए योजना-वृद्धों का कल्याण :

इस योजना के अन्तर्गत, पिछले तीन वर्षों के लिए वृद्धों के कल्याण में लगे स्वयंसेवी संगठनों को सहायक अनुदान दिया जाता है। योजना के अन्तर्गत व्यय का 90 प्रतिशत सहायक अनुदान में शामिल होता है, जबकि शेष 10 प्रतिशत स्वयंसेवी संगठनों द्वारा वहन किया जाता है। भवन निर्माण के लिए अनुदान दिये जाते हैं। आवेदन पत्र, राज्य सरकारों के माध्यम से भेजे जाते हैं। 1985-86 के दौरान स्वयंसेवी संगठनों को 2,10,708 रुपये अनुदान दिया गया था जबकि 1986-87 के दौरान योजना के अन्तर्गत 2 स्वयंसेवी संगठनों को 2,47,268 रुपये अनुदान दिया गया।

कार्यक्रम कार्यान्वयन के आंकड़ों की जांच के लिए स्वतंत्र निकाय

*238. श्री के. वी. शंकर गौडा :

श्री मती बसवराजेश्वरी : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कार्यक्रम कार्यान्वयन की कार्यकारी एजेंसियों द्वारा दिये गये आंकड़ों की पुन : जांच के लिये स्वतंत्र निकाय बनाने का विचार है जैसा कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के सदस्यों ने सुझाव दिया है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की स्थापना से 20-सूत्री कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता मिली है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) जुलाई, 1987 के शुरू में 20-सूत्री कार्यक्रम की सलाहकार परिषद की प्रथम बैठक में कुछ सदस्यों ने यह सुझाव दिया था कि स्वतंत्र निकायों को, कार्यक्रम लागू करने वाली सरकारी एजेंसियों द्वारा दिये गये आंकड़ों की पुन : जांच करने के लिए, शायद शामिल किया जा सकता है । इस समय, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि सलाहकार परिषद अपने अभिमतों के आधार पर क्या अंतिम सिफारिश देगी ।

उत्तर बंगाल का औद्योगिक विकास

*239. **श्री रेणुपद दास :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर बंगाल के औद्योगिक विकास के लिए केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन विभिन्न योजनायें किस चरण में है ; और

(ख) उत्तर बंगाल में, विशेष रूप से "उद्योग विहीन जिलों" में टेलीफोन सहित आवश्यक आधारभूत सुविधायें प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) उत्तर बंगाल के औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार की कोई विशिष्ट स्कीम केन्द्र सरकार के अनुमोदन के लिए लम्बित नही पड़ी है ।

(ख) उत्तर बंगाल के 5 जिलों में से 4 जिले "उद्योग विहीन जिले" निर्धारित किए गए हैं । इन चार जिलों में संवृद्धि केन्द्रों से संबंधित केन्द्र सरकार की स्कीम चल रही है । इस स्कीम के अन्तर्गत सड़कें, दूर-संचार, जल, बिजली, बैंक, डाकखाने, स्कूल, औद्योगिक आवास, किस्म नियंत्रण के लिए परीक्षण केन्द्र आदि जैसी विभिन्न आधारभूत सुविधाएं दी जा रही हैं । केन्द्र सरकार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और राज्य सरकार (राज्य योजना के द्वारा) प्रत्येक "उद्योग विहीन जिले" के लिए लागत का 1/3 भाग या अधिकतम 2 करोड़ रु० का अंशदान देती है ।

पश्चिमी दिल्ली में हेरोइन का पकड़ा जाना

*240. **श्री मानिक रेड्डी :**

श्री सुभाष यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1987 में पश्चिमी दिल्ली में 10 करोड़ रुपये के मूल्य की 9.2 किलोग्राम हेरोइन पकडी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) 6 जुलाई, 1987 को स्वापक औषध-द्रव्य नियंत्रण ब्यूरो के अधिकारियों ने एक व्यक्ति कुलदीप सिंह

के हरीनगर, दिल्ली में स्थित घर की तलाशी ली तथा 9.2 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी जो लगभग एक-एक किलोग्राम के 9 पैकेटों में थी। हेरोइन के ऐसे छ: पैकेट एक ब्रीफकेस में से तथा अन्य तीन पैकेट एक सूटकेस में से पकड़े गए थे।

औषध द्रव्य का कोई निश्चित मूल्य नहीं आंका जा सकता है क्योंकि यह औषध द्रव्य की शुद्धता, उद्गम स्रोत, मार्किट, जहां इसे बेचा जाता है जैसे अनेक कारणों पर निर्भर करता है।

कानून के तहत उपयुक्त कार्यवाही हेतु, कुलदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया था और आगे जांच-पड़ताल चल रही है।

आयकर की बकाया धनराशि

*241. श्री बी० तुलसी राम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसी कितनी कम्पनियां और अन्य फर्में हैं जिन पर आयकर की एक करोड़ रुपये और इससे अधिक राशि बकाया है ;

(ख) इतनी बकाया धनराशि के इकट्ठा हो जाने के क्या कारण हैं और इससे कितना नुकसान हुआ है ; और

(ग) इन प्रतिष्ठानों से आयकर वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) (क) : देश में ऐसी 332 कम्पनियां और अन्य फर्में हैं जिनके विरुद्ध 31.3.1987 की स्थिति के अनुसार 1 करोड़ रुपये से अधिक आयकर की मांग बकाया थी।

(ख) इतनी बकाया धनराशि इकट्ठी हो जाने के कारण नीचे दिये जाते हैं : —

(i) अपीलीय न्यायाधिकरणों और न्यायालयों के समक्ष अनिर्णीत पड़ी अपीलें ;

(ii) समझौता आयोग के समक्ष अनिर्णीत पड़ी याचिकाएं ;

(iii) आयकर प्राधिकारियों के पास लम्बित अधित्यजन और पुनरीक्षण याचिकाएं ;

(iv) विभिन्न न्यायालयों द्वारा स्थगित की गई मांगें ; और

(v) भुगतान के लिए 35 दिन का सामान्य समय समाप्त नहीं होना।

राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है क्योंकि यदि कर-निर्धारिती कानूनी अवधि के अन्दर बकाया मांग का भुगतान नहीं करता है तो उसे व्यतिक्रम की अवधि के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज देना पड़ेगा।

(ग) प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर रहते हुए, संबंधित आयकर प्राधिकारी द्वारा बकाया मांग की वसूली करने के लिए कानून के अनुसार समय-समय पर उपयुक्त उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ, बकाया अपीलों के शीघ्र निपटान के लिए अपीलीय प्राधिकारियों से अनुरोध करना शामिल है और आयकर अधिनियम की धारा 226 (3) और धारा 179 के तहत कार्रवाई करना तथा आयकर अधिनियम की धारा 222 के तहत कर-वसूली अधिकारी को वसूली-प्रमाणपत्र जारी करने के बाद चल तथा अचल सम्पत्तियों की कुर्की

करना भी शामिल है। जो व्यतिक्रमी कर का भुगतान करने में जानबूझकर टाल-मटोल करते हैं उनके मामले में भी अभियोजन चलाए जा रहे हैं।

बैंकों में जमा धनराशि की विकास दर

*242. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में 31 मार्च 1987 की स्थिति के अनुसार कितनी धनराशि जमा है ;

(ख) क्या बैंकों में जमा धनराशि का वार्षिक विकास दर वर्ष 1979 की तुलना में वर्ष 1987 में कम हुई है, यदि हां, तो इसमें कमी आने के क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्ष 1984 से वर्ष 1987 तक के प्रत्येक वर्ष में ऋण जमा राशि का अनुपात कितना रहा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, मार्च 1987 के अंतिम शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमाराशियां 92443 करोड़ रुपये थीं।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमाराशियों में 1978-79 के दौरान हुई 21.2 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 1986-87 में 20.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1986-87 में जमाराशियों में हुई वृद्धि को संतोषजनक माना जाता है और हर साल जमाराशियों की वृद्धि में जो उतार-चढ़ाव होता है वह एक सामान्य प्रक्रिया है, जो अर्थव्यवस्था के विकास की दर, प्रारक्षित राशि में वृद्धि और बचतों की अन्य विभिन्न लिखतों के अपने-अपने आकर्षण जैसे कारणों पर निर्भर करती है।

(ग) मार्च 1984, 1985, 1986 और 1987 के अन्तिम शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र के बैंकों का ऋण : जमा अनुपात क्रमश : 67.3 प्रतिशत 66.9 प्रतिशत, 64.8 प्रतिशत और 60.4 प्रतिशत था।

बंगलूर शहर में शहरी निर्धन लोगों को ऋण

*243. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलूर शहर में शहरी निर्धन लोगों को ऋण की मंजूरी के लिये कुल कितने आवेदन फार्म जारी किये गये ;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि विभिन्न चुनिंदा राष्ट्रीयकृत बैंकों को बहुत कम संख्या में आवेदन फार्म दिये गये थे ;

(ग) लाभ प्राप्तकर्ताओं की कुल संख्या कितनी है ;

(घ) ऋण की कुल कितनी राशि वितरित की गई/वितरित की जायेगी ;

(ङ) क्या लाभ प्राप्तकर्ताओं को ऋण मंजूरी करने से पूर्व समुचित जांच की गई थी ; और

(च) क्या ऐसा पता चला कि कुछ लाभ प्राप्तकर्ताओं द्वारा गलत जानकारी दी गई थी और यदि हां, तो ऐसे लाभ प्राप्तकर्ताओं तथा संबंधित बैंक अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (च) संभवत : माननीय सदस्य का आशय शहरी गरीबों के स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों से है। बंगलौर शहर के संयोजक बैंक अर्थात् केनरा बैंक ने सूचित किया है कि 1986-87 के दौरान शहरी गरीबों के स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 26,486 आवेदन जारी किए गए थे और सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों के माध्यम से शहरी गरीबों को, बैंकों को दिए गए लक्ष्य के अनुसार, पर्याप्त संख्या में आवेदन उपलब्ध कराए गए थे। 1986-87 के दौरान प्राप्त प्रस्तावों में से बैंकों ने 8,626 मामलों में ऋण मंजूर किये और 257.37 लाख रुपए संवितरित किए।

बैंकों की शाखाओं को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ऋण आवेदन पत्रों का मूल्यांकन करना होता है। जहां कहीं आवेदकों द्वारा दी गई सूचना में मामूली किस्म की विसंगतियां पायी गई थीं वहां उन्हें ठीक कर दिया गया था तथा जब कभी ऐसी विसंगतियां/गलत सूचना पाई गई थी तो उन मामलों में ऋण आवेदन पत्र रद्द कर दिए गए थे और तदनुसार आवेदकों को सूचित कर दिया गया था।

[अनुवाद]

सोवियत संघ के परमाणु रिएक्टर के सम्बन्ध में समझौता

2421. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत संघ के साथ परमाणु रिएक्टर की सप्लाई के लिए की गई बात-चीत में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सोवियत संघ को तकनीकी विनिर्देशों तथा डिजाइन क्षमता के अनुसार हमारी आवश्यकताओं की जानकारी दे दी गई है ;

(ग) क्या सोवियत संघ ने संस्थापन सहित कुल लागत और उसके भुगतान की शर्तें स्पष्ट कर दी हैं ;

(घ) एक औपचारिक समझौता कब किए जाने की संभावना है ; और

(ङ) इस समझौते के अन्तर्गत पहला पावर रिएक्टर कब तक चालू हो जाने की आशा है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) से (घ) पेशकश के तकनीकी, लागत संबंधी, सुरक्षोपाय संबंधी, तथा अन्य पहलुओं पर बातचीत चल रही है। अभी यह बता पाना समय से बहुत पहले की बात है कि इस बातचीत का निष्कर्ष क्या निकलेगा।

(ङ) वर्तमान स्थिति में यह प्रश्न उठता ही नहीं

गृह निर्माण ऋणों की मंजूरी में विलम्ब

2422. **डा. सुधीर राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेतनभोगी कर्मचारियों को भी उस समय अनेक कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब वे जीवन बीमा निगम, आवास सहकारी समितियों अथवा अन्य ऋणदायी एजेंसियों से गृह निर्माण ऋणों की मांग करते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि निम्न आय वर्ग अथवा मध्यम आय वर्ग के लोगों को जीवन बीमा निगम सहकारी समितियों अथवा बैंकों से समय पर ऋण नहीं मिल पाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा महाराष्ट्र में कताई मिलों को ऋण देना

2423. **प्रो. मधु दंडवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जैसी केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं ने महाराष्ट्र में निर्माणाधीन सहकारी कताई मिलों को उनकी परियोजनाएं पूरी करने के लिए दीर्घ अवधि के ऋण देने से इनकार कर दिया है ।

(ख) यदि हां, तो क्या इन कताई मिलों को धनराशि न दिए जाने का एक पक्षीय निर्णय उनके अपने द्वारा किए गए अध्ययन के निष्कर्ष पर आधारित है जिससे अन्य बातों के साथ-साथ यह भी पता चलता है कि जहां तक कताई क्षमता का प्रश्न है देश इस मामले में चरम सीमा की अवस्था तक पहुंच गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का अपने दृष्टिकोण की समीक्षा और केन्द्रीय वित्त संस्थाओं के महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्र में स्थित ग्यारह सहकारी कताई मिलों को आर्थिक सहायता के लिए सहमत करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) देश में पहले से निर्मित कताई की बड़ी क्षमता और वर्तमान कताई एककों द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, क्षमता के कम उपयोग, निवेश वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों, मांग की कमी जैसी महसूस की जा रही काफी कठिनाइयों को देखते हुए वित्तीय संस्थाओं ने विचाराधीन प्रस्तावों को छोड़कर, नई कताई मिलें स्थापित करने के सहायता प्रस्तावों पर विचार न करने का निर्णय लिया है । वित्तीय संस्थाएं नई कताई मिलों का वित्त पोषण करने के सम्बन्ध में अपनी नीति के बारे में राज्य सरकारों को अवगत कराती रहती हैं । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि संस्थाओं ने क्षेत्र स्तरीय कताई एककों का वित्त पोषण करने के सम्बन्ध में नए सिरे से समीक्षा करने का काम शुरू कर दिया है ।

अनिवासी भारतीयों के लिये आर्थिक नीतियों को उदार बनाया जाना

2424. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों के लिए अपनी आर्थिक नीतियों को उदार बनाया है;

(ख) यदि हां, तो कब से और उदारीकरण का ब्यौरा क्या है;

(ग) उदारीकरण के पश्चात से अनिवासी भारतीयों ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या योगदान दिया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी.के. गढ़वी) : (क) और (ख) सरकार ने अनिवासी भारतीयों के लिए पूंजी के निवेश की सुविधाओं को अप्रैल, 1982 से और उदार बना दिया है। अनिवासी भारतीयों/भारत मूल के व्यक्तियों और अनिवासी भारतीयों द्वारा कम से कम 60 प्रतिशत भाग तक धारित समुद्रपारीय निगमित निकायों को भारत में अप्रत्यावर्तन तथा प्रत्यावर्तन दोनों ही आधारों पर पूंजी लगाने की अनुमति दी गई है। प्रत्यावर्तन अधिकार के साथ पूंजी का निवेश किसी भी नई अथवा विद्यमान कम्पनी में उस कम्पनी के द्वारा जारी की गई पूंजी के 40 प्रतिशत भाग तक किया जा सकता है। अनिवासी भारतीय, स्टाक एक्सचेंजों में उद्धृत कम्पनियों के शेयरों को भी कुछ विनिर्दिष्ट सीमाओं के अन्तर्गत खरीद सकते हैं। ऐसे अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों पर, जिनकी परिपक्वता की अवधि एक या एक वर्ष से ज्यादा की है, समान परिपक्वता अवधियों वाले स्थानीय निक्षेपों की तुलना में अधिक ऊंची दरों पर ब्याज दिया जाता है। इन निक्षेपों में से दिए जाने वाले दान अथवा परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में विदेशों से प्रेषित धनराशियों पर दानकर नहीं लगता। अनिवासी भारतीय, राष्ट्रीय बचत पत्रों में भी पूंजी लगा सकते हैं जिन पर उनको 13 प्रतिशत ब्याज मिलता है।

(ग) और (घ) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत, 1982 में उनके प्रारंभ से लेकर 30 जून, 1987 तक अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेश का ब्यौरा इस प्रकार है -

(करोड़ रुपए)

योजना	30 जून, 1987
प्रत्यक्ष निवेश	1083.37
पोर्टफोलियो निवेश	62.36
कम्पनियों में निक्षेप	26.18
बैंक—निक्षेप (अनिवासी बाह्य/विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों में शेष)	7920.72 (अ)

(अ) 31-5-1987 तक के अन्तिम आंकड़े।

लघू बचतों के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि

2425. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1986-87 में लघु बचतों के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि में "सीमांत" गिरावट को देखते हुए सरकार का चालू वर्ष में और अधिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए एक आकर्षक योजना शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लघु बचतों के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि में गिरावट के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक अल्प बचत योजना जिसमें ब्याज की मासिक अदायगी करने की व्यवस्था होगी, को शुरू करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस योजना के नियम, अधिसूचित होने पर, सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का निलम्बन

2426. **श्री बंजवाड़ा पपी रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1986 में और 30 जून, 1987 तक राज्य सरकारों द्वारा राज्य-वार भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारी निलम्बित किए गए और 30 जून, 1987 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध देश में राज्य-वार कितने मामले न्यायालयों में लम्बित थे ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) :

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निलम्बनाधीन अधिकारियों की संख्या	न्यायालयों में लम्बित पड़े मामलों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	6	3
असम	2	2
बिहार	2	1
हरियाणा	2	—
महाराष्ट्र	2	
नागालैण्ड	1	—
राजस्थान	1	—
उत्तर प्रदेश	1	—
संघ राज्य क्षेत्र	1	—
जम्मू व कश्मीर	—	1
मणिपुर	—	1

जमा ऋण अनुपात

2427. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय बैंकों की जिनकी विदेशों में शाखाएं हैं: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित जमा ऋण अनुपात क्या है;

(ख) यह अनुपात भारत में भारतीय बैंकों की जमा शाखाओं के ऋण अनुपात की तुलना में कितना अधिक अथवा कम है;

(ग) उक्त दोनों मामलों में सांविधिक ऋण अथवा सरकारी प्रतिभूतियों आदि निवेश की प्रतिशतता क्या है ;

(घ) भारतीय बैंकों को स्वदेशी शाखाओं और विदेशों में स्थित शाखाओं के मामले में बैंक जमा राशियों का क्रमशः कितना प्रतिशत वसूल न हो सकने वाला ऋण है; और

(ङ) भारतीय बैंकों की स्वदेशी शाखाओं और विदेशों में स्थित शाखाओं के मामले में बैंक जमा राशियों का कितना प्रतिशत "संदेहपूर्ण" है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) विदेशों में स्थित भारतीय बैंकों की शाखाओं को उस देश के कानूनों और विनियमों के अनुसार काम करना होता है, जहां पर वे कार्य कर रही होती हैं तथा जहां तक नकदी संबंधी अपेक्षाओं का सवाल है वे हर देश के लिए अलग-अलग होती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के लिए कोई जमा अग्रिम अनुपात निर्धारित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में हर शाखा का जमा अग्रिम अनुपात अलग-अलग है। भारत में काम कर रहे सभी वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात दिसम्बर 1986 के अन्त में 63 प्रतिशत था।

(ग) भारत में ऐसा कोई विशिष्ट सांविधिक उपबंध नहीं है, जिसमें यह परिकल्पना की गयी हो कि बैंकों की जमाराशियों का कतिपय विशेष प्रतिशत अग्रिम के रूप में दिया जा सकता है या बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में लगाया जा सकता है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अनुसार बैंकों को अपनी देयताओं का कुछ प्रतिशत नकद परिसम्पत्तियों के रूप में रखना होता है जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश भी शामिल है। इस समय यह निर्धारित प्रतिशत 37.5 है। इसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी देयताओं का कुछ प्रतिशत नकद प्रारक्षित निधि के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना होता है इस समय यह निर्धारित अनुपात 9.5 प्रतिशत है। भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं को संबद्ध मेजबान देश द्वारा निर्धारित विनियमों का, यदि कोई हों, अनुसरण करना होता है। प्रत्येक देश के लिए ये विनियम अलग-अलग होते हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय वाणिज्यिक बैंक अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों की तसल्ली के मुताबिक अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रति अपनी देनदारी को पूरा करने के लिए अपने आंतरिक और विदेशी परिचालनों से होने वाली वार्षिक आमदनी में से हर साल व्यवस्था करते हैं। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की, जिसका सभी बैंकों को अनुपालन करना

होता है, तीसरी अनुसूची में निर्धारित तुलनपत्र व लाभ हानि खाते के फार्म के अनुसार बैंकों को अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की वह राशि प्रकट करने के संबंध में, जिसके लिए उन्होंने अपने लेखा-परीक्षकों की तसल्ली के मुताबिक व्यवस्था कर ली हो, सांविधिक सुरक्षा प्रदान की गयी है। ऐसे अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की राशि प्रकट करने के संबंध में, जिसके लिए बैंकों के लेखापरीक्षकों की तसल्ली के मुताबिक व्यवस्था कर ली गयी हो, प्रदान की गयी सुरक्षा को देखते हुए यह राशि प्रकट नहीं की जा सकती।

चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट के बारे में असमानता दूर करने सम्बन्धी समिति

2428. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथे वेतन आयोग-की रिपोर्ट के बारे में असमानता दूर करने सम्बन्धी समिति को दिये गये विषयों का ब्योरा क्या है;

(ख) इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक दिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) और (ख) सरकार ने चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से विसंगतियों पर यदि कोई हों तो विचार करने के लिए विसंगति दूर करने सम्बन्धी समिति स्थापित किए जाने के आदेश अभी तक जारी नहीं किए हैं।

(ग) ऐसी समितियों की रिपोर्टें सभा के पटल पर नहीं रखी जातीं।

रोटरों तथा स्टेटरों पर उत्पाद-शुल्क

2429. **श्री कमल चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोनोब्लाक पम्प के केवल रोटरों तथा स्टेटरों पर और न कि बिजली मोटरों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाने के बारे में वर्ष 1967 और 1981 में वित्त मंत्रालय द्वारा स्पष्टीकरण जारी किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार को ये शिकायतें मिली हैं कि उक्त स्पष्टीकरणों का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ताओं द्वारा वर्ष 1984 से अनुपालन नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई तथा इस संबंध में क्या निर्णय किया गया ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी. के. गढ़वी) : (क) दिनांक 28. 2.86 से पूर्व विद्यमान केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ के अन्तर्गत, मार्च, 1967 और फरवरी, 1981 में यह स्पष्ट किया गया था कि उत्पादन शुल्क केवल रोटर्स और स्टेटर्स पर उद्ग्रहणीय था और विद्युत मोटरों पर नहीं, यदि ऐसी मोटरें मोनोब्लाक पम्प के निर्माण के दौरान अभिज्ञेय उत्पादों के रूप में न उभरी हों। ऐसे अनुदेश का आशय उन मामलों को शामिल करना नहीं था जिसमें विद्युत मोटरें मोनोब्लाक पम्प के निर्माण के दौरान अभिज्ञेय उत्पादों के रूप में उभरी हों।

(ख) और (ग) अगस्त, 1986 में, सरकार को एक सांसद से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि गुजरात में मोनोब्लाक पम्पों के कुछ निर्माताओं के मामले में रोटर्स और स्टेटर्स पर उत्पादन शुल्क वसूल करने की बजाए इसे विद्युत मोटरों पर वसूल किया जा रहा है। माननीय सांसद को यह स्पष्ट किया गया था कि 1967 और 1981 में जारी किए गए अनुदेश के अन्तर्गत सभी अलग-अलग मामले नहीं आ सकते हैं खासकर वे मामले जिनमें विद्युत मोटरें अभिज्ञेय उत्पादों के रूप में उभरी हों।

विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण

2430. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं के लिए विकलांग श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों को भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें यह सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति सभी नौकरियों के लिए पात्र हैं, वहां विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार प्रदान करने के प्रश्न पर विभिन्न प्रकार की नौकरियों के लिए विकलांगों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए विचार करना पड़ता है। तदनुसार मंत्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उपयुक्त रोजगार का पता लगाया है और उनके लिए समूह ग और घ में 3% पद आरक्षित किये गये हैं। विकलांग व्यक्तियों की विकलांगता को ध्यान में रखते हुए सरकार और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण एकक स्थापित किये गए हैं।

"उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र"

2431. **श्री सलीम आई. शेरवानी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1950 में उत्तर प्रदेश का वन क्षेत्र कितना था और वर्तमान वन क्षेत्र कितना है; और

(ख) उत्तर प्रदेश में आरम्भ किये गये वनरोपण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) वर्ष 1950-51 में और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन विभाग के अधीन वनों के रूप में दर्ज किया गया क्षेत्र नीचे दिया गया है :

वर्ष	वन क्षेत्र (मिलियन हेक्टेयर में)
1950-51	3.47
1984-85	5.13

(ख) उत्तर प्रदेश में पिछले पांच वर्षों के दौरान चलाए गए वनरोपण कार्यक्रम के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :-

वर्ष	क्षेत्र (हजार हेक्टेयर में)
1982-83	115.25
1983-84	171.45
1984-85	170.21
1985-86	177.40
1986-87	243.25

राज्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी परिषद की स्थापना करना

2432. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां राज्य स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समन्वय और उसको बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदें स्थापित की गई हैं; और

(ख) इन परिषदों की उपलब्धियां क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) निम्नलिखित 24 (चौबीस) राज्यों और 5 (पांच) संघ शासित प्रदेशों तथा उत्तर पूर्वी परिषद ने राज्य स्तर पर वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी कार्यों के समन्वय और उनको बढ़ावा देने के लिए राज्य परिषदें और/अथवा राज्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों की स्थापना की है।

I राज्य

1. आंध्र प्रदेश
2. अरूणाचल प्रदेश
3. असम
4. बिहार
5. गोवा
6. गुजरात
7. हरियाणा
8. हिमाचल प्रदेश

9. जम्मू और कश्मीर
10. कर्नाटक
11. केरल
12. मध्य प्रदेश
13. महाराष्ट्र
14. मणिपुर
15. मेघालय
16. मिजोरम
17. नागालैंड
18. उड़ीसा
19. पंजाब
20. राजस्थान
21. तमिलनाडु
22. त्रिपुरा
23. उत्तर प्रदेश
24. पश्चिम बंगाल

2 संघ शासित प्रदेश

1. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह
2. चंडीगढ़
3. दादरा और नगर हवेली
4. दिल्ली
5. लक्ष्यद्वीप

(ख) कई राज्य परिषदों ने अपने राज्य के विकास के लिए जरूरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को अभिनिर्धारित किया है तथा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने, पर्यावरण सुरक्षा, दूर संवेदन, उद्यमवृत्ति विकास तथा युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने आदि क्षेत्रों में परियोजनाओं/कार्यक्रमों को तैयार किया है। कुछ राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने अपनी राज्य वार्षिक योजनाओं तथा 7 वीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के एक भाग के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना/कार्यक्रमों को तैयार किया है। योजना आयोग ने "वैज्ञानिक सेवाओं और अनुसंधान" पर एक अलग कार्यकारी दल गठित

किया है, जो राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों/कार्यों पर विचार विमर्श करेंगे तथा बजट सम्बंधी आवंटन की सिफारिश करेगा।

"पारिस्थितिकीय संतुलन"

2433. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए हैं।

(ख) क्या सरकार ने पर्वतीय राज्यों को भूसंरक्षण के लिए स्पष्ट अनुदेश जारी किए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि तथा जल प्रबंध के लिए क्या उपाय किए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) एक पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 से चल रहा है। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और गोवा के राज्यों में चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न, ईंधन, चारा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल जैसी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और स्कीमों के निर्माण में, पारि-पुनर्जनन, पारि-परिरक्षण और पारि-विकास पर उचित ध्यान दिया जाता है।

(ख) से (घ) पहाड़ी क्षेत्रों के समेकित जल-संभर प्रबन्ध के लिए राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं, वनरोपण, वैकल्पिक ऊर्जा और ईंधन तथा चारे की आपूर्ति के अलावा मृदा, भूमि और जल-प्रबन्ध इनके मुख्य घटक हैं। तीसरी योजना में शुरू की गई नदी घाटी परियोजनाओं के आवाह-क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में इस समय 17 राज्यों में 27 आवाह क्षेत्र आते हैं। बाढ़-प्रवण नदियों के आवाह क्षेत्रों में समेकित जल-संभर प्रबन्ध स्कीम में 200 जल-संभर हैं। सातवीं योजना का उद्देश्य भू-क्षरण और भू-अवक्रमण को रोकने तथा उपलब्ध भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने की दृष्टि से भी मृदा और जल संरक्षण कार्यक्रमों को तीव्र करना है।

आदिवासी क्षेत्रों के लिए योजनाएं

2434. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीणी क्षेत्रों, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों, जो देश में सर्वाधिक पिछड़े हैं, में आरम्भ किये गए कल्याण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या महिलाओं के लिए कोई विशेष कल्याण कार्यक्रम शुरू किया गया है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कल्याण कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने सफल रहे हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन. आर. इ. पी.) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (आर.एल.ई.जी.पी.), एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.) तथा स्व : रोजगार के लिए ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण की राष्ट्रीय योजना (ट्राईसम) एवं समेकित बाल विकास सेवा (आई. सी. डी. एस.) परियोजनाएं मुख्य कार्यक्रम है जिन्हें आदिवासी क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष कर आदिवासी उप योजना के अन्तर्गत जो कि आदिवासी लोगो के विकास के लिए एक बहु-प्रयोजनोयनीति है और कृषि, पशुपालन, लघु-सिंचाई सहकारिता, समाज सेवा, वानिकी आदि के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्रों की योजनाएं कार्यान्वित की जाती है। इसके अतिरिक्त इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 1985-86 से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियो के लिए आवास के निर्माण की योजना कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ख) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यह व्यवस्था की गई है कि इस कार्यक्रम के अन्तगत सहायता प्राप्त कुल लाभ प्राप्त कर्त्ताओं में 30 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए। देश क 80 प्रतिशत जिलों के "ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास" क अन्तगत आय प्रवधन कार्यक्रम क माध्यम से गरीब महिलाओं को सहायता दी जाती है।

(ग) 1986-87 के दौरान "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम" तथा "ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम" के अन्तगत रोजगार के 695.78 मिलियन कार्य-दिवसों की गारन्टी दी गई है। इन्दिरा आवास योजना के अन्तगंत अभी तक 1,82,970 मकान बनाए हुए बताये गये हैं। 1986-87 के दोरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 37.47 लाख परिवारों को सहायता प्रदान की जा चुकी है। वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान 8.73 लाख और 10.23 लाख आदिवासी परिवारों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की गई।

जनजातीय उपयोजना/विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का उपयोग

2435. **श्री मतीलाल हसदा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान जनजातीय उपयोजना तथा विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/संघराज्यों-क्षेत्रों द्वारा उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस धनराशि का पूरा उपयोग किया है तथा किन-किन राज्यो ने इसका पूरा उपयोग नहीं किया है ; और

(ग) उक्त धनराशि का पूरा उपयोग न किए जाने के क्या कारण है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण 1 से 4 में दी गई है।

(ग) केवल 4 से 5 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में धनराशि का कम उपयोग किया गया है जो केवल न्यूनतम है और लगभग यह मुख्यतया परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण है।

विवरण I

1985-86 और 1986-87 के दौरान आदिवासी उपयोजना के लिए राज्य योजन धनराशि के अन्तर्गत परिव्यय और व्यय दर्शाने वाला विवरण

		1985-86		1986-87	
क्रम सं०	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश का नाम	आदिवासी उपयोजना की धनराशि	राज्यों द्वारा रिपोर्ट किया गया व्यय	आदिवासी उपयोजना की धनराशि	राज्यों द्वारा रिपोर्ट किया गया व्यय
1	2	3	4	5	6
		(रु० करोड़ों में)			
1.	आन्ध्र प्रदेश	35.21	26.52	45.41	35.33
2.	असम	46.11	45.12	56.27	56.33
3.	बिहार	194.13	216.03	259.50	254.43
4.	गुजरात	94.00	94.00	89.81	92.22
5.	हिमाचल प्रदेश	18.06	14.67	18.60	18.60
6.	कर्नाटक	4.30	4.32	10.27	10.23
7.	केरल	3.68	6.24	1.33	0.87
8.	मध्य प्रदेश	201.47	201.94	225.35	230.02
9.	महाराष्ट्र	82.45	94.26	104.67	108.04
10.	मणिपुर	26.13	26.13	27.19	27.19
11.	उड़ीसा	149.52	138.47	169.22	157.46
12.	राजस्थान	44.41	57.96	82.44	64.27
13.	सिक्किम	1.34	0.30	3.43	3.43
14.	तमिलनाडु	4.75	4.18	9.46	उपलब्ध नहीं
15.	त्रिपुरा	31.27	23.63	33.62	37.70
16.	उत्तर प्रदेश	1.46	1.18	1.64	उपलब्ध नहीं
17.	पश्चिम बंगाल	24.93	23.39	29.84	29.75
18.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	3.54	2.09	17.98	17.98
19.	गोवा दमन और दीव	0.40	0.30	0.45	0.45

विवरण-2

1985-86 और 1986-87 के दौरान, आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की दी गई राशि और राज्य सरकारों द्वारा रिपोर्ट किये गए व्यय दर्शाने वाला विवरण

रु० लाखों में

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1985-86 दी गई राशि	व्यय	दी गई धनराशि	1986-87 व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	740.00	8(2.79	850.38	1078.40
2.	असम	632.40	493.37	710.63	उपलब्ध नहीं
3.	बिहार	1964.41	1862.11	2066.05	तदैव
4.	गुजरात	1126.66	1126.66	1246.96	तदैव
5.	हिमाचल प्रदेश	205.36	198.93	241.84	219.23
6.	कर्नाटक	148.13	142.30	116.26	130.26
7.	केरल	70.01	70.47	77.76	72.15
8.	मध्य प्रदेश	3969.98	3180 52	4399.72	उपलब्ध नहीं
9.	महाराष्ट्र	950 69	1028.56	1072.00	1020.69
10.	मणिपुर	252.85	252.89	280.91	उपलब्ध नहीं
11.	उड़ीसा	1915.00	1896.82	2174.48	2174.24
12.	राजस्थान	910.28	880.24	1019.90	1004.59
13.	सिक्किम	38.99	39.21	38.96	37.20
14.	तमिलनाडु	145.93	200.53	162.09	उपलब्ध नहीं
15.	त्रिपुरा	250.17	265.65	263.67	तदैव
16.	उत्तर प्रदेश	27.87	18.81	31.10	तदैव
17.	पश्चिम बंगाल	616.27	617.15	701.29	702.39
18.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	30.00	9.26	40.00	उपलब्ध नही
19.	गोवा दमन और दिव	5.00	4.99	6.00	5.10

विवरण-3

1985-86 और 1986-87 के दौरान विशेष कम्पोनेंट योजना के अन्तर्गत परिव्यय और व्यय दर्शाने वाला विवरण

रु० करोड़ों में

क्रम सं०	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश का नाम	1985-86 विशेष कम्पोनेंट योजना परिव्यय	1985-86 विशेष कम्पोनेंट योजना व्यय	1986-87 विशेष कम्पोनेंट योजना परिव्यय	1986-87 विशेष कम्पोनेंट योजना व्यय (अनुमानित)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	120.64	105.65	142.04	77.55
2.	असम	10.44	3.86	13.95	14.92
3	बिहार	67.27	54.29	84.25	96.05
4.	गुजरात	25.87	24.93	29.82	29.19
5.	हरियाणा	30.33	26.16	32.33	31.97
6.	हिमाचल प्रदेश	19.49	16.42	22.55	22.56
7.	जम्मू और कश्मीर	9.56	9.56	10.90	10.90
8.	कर्नाटक	67.93	67.17	104.14	103.24
9.	केरल	29.58	28.85	35.81	35.01
10.	मध्य प्रदेश	63.32	64.85	76.66	75.59
11.	महाराष्ट्र	42.87	62.32	57.38	57.92
12.	मणिपुर	1.42	0.87	1.89	1.09
13.	उड़ीसा	36.51	36.01	47.09	44.92
14.	पंजाब	21.87	18.24	24.79	28.59
15.	राजस्थान	66.47	66.35	79.29	69.28
16.	सिक्किम	0.39	0.20	0.42	0.16
17.	त्रिपुरा	7.55	6.86	10.71	10.84
18.	तमिलनाडु	126.16	113.74	128.05	128.05
19.	उत्तर प्रदेश	172.67	175.82	199.44	192.18
20.	पश्चिमी बंगाल	65.42	61.39	71.92	71.15
21.	दिल्ली	16.43	18.03	18.50	20.90
22.	चण्डीगढ़ प्रशासन	1.98	1.98	1.83	1.86
23.	पांडिचेरी	5.20	4.78	5.95	6.25
24.	गोवा, दमन और दीव	0.83	0.63	0.66	0.67

विवरण

वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान विशेष कम्पोनेंट योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता और उपयोग दर्शाने वाला विवरण

		1985-86		1986-87	
क्रम सं०	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	दी गई धनराशि	उपयोग की गई धनराशि	दी गई धनराशि	उपयोग की गई धनरशि X
1	2	3	4	5	6
				रु० लाखों में	
1.	आन्ध्र प्रदेश	1444 42	उपलब्ध नहीं	134·542	X राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।
2.	असम	183·89	उपलब्ध नहीं	160·55	
3.	बिहार	1787·86	उपलब्ध नहीं	1611·10	
4.	गुजरात	319·35	319 09	346·75	
5.	हरियाणा	345·10	344·80	293 55	
6.	हिमाचल प्रदेश	177·54	178·26	155·63	
7.	जम्मू और कश्मीर	79·29	45·89	58.37	
8.	कर्नाटक	902·89	902·89	1215.87	
9.	केरल	347·97	350·19	342·31	
10.	मध्य प्रदेश	1110·54	955·72	1179·30	
11.	महाराष्ट्र	862·21	1090·22	1139·49	
12.	मणिपुर	2·72	3·30	4·89	
13.	उड़ीसा	645·08	645·63	661·30	
14.	राजस्थान	1098·49	उपलब्ध नहीं	1342·16	
15.	तमिलनाडु	1338·98	उपलब्ध नहीं	1344·26	
16.	पंजाब	588·48	523·15	509.05	
17.	त्रिपुरा	40·01	उपलब्ध नहीं	43·67	
18.	उत्तर प्रदेश	3334·15	3334·15	3720 36	
19.	पश्चिमी बंगाल	1859·58	उपलब्ध नहीं	1883·62	
20.	सिक्किम	3·78	3·26	4·02	
21.	चण्डीगढ़	6·16	उपलब्ध नहीं	38·43	
22.	दिल्ली	121·61	79·75	81·02	
23.	पांडिचेरी	14·19	12·89	14·60	
24.	गोवा,दमन और दीव	5·69	उपलब्ध नहीं	5·18	

*उपलब्ध नहीं :- संबंधित राज्य सरकारों ने अभी तक सूचना नहीं भेजी है।

त्रिपुरा सरकार द्वारा मांगा गया धन

2436. श्री अजय विश्वास : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा सरकार ने 1980-81 से 1986-87 तक प्रतिवर्ष योजनाओं के लिए कितने धन की मांग की ; और

(ख) इस अवधि के दौरान योजना आयोग ने कितनी राशि मंजूर की थी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1980-81 से 1986-87 तक की वार्षिक योजना के लिए त्रिपुरा सरकार द्वारा प्रस्तावित परिव्यय और योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परिव्यय को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु०)

वार्षिक योजना	परिव्यय	
	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित	योजना आयोग द्वारा अनुमोदित
1	2	3
1980-81	45.11	39.81
1981-82	66.81	45.00
1982-83	73.72	50.00
1983-84	85.94	58.00
1984-85	115.94	68.00
1985-86	202·86	86.00
1986-87	151·56	105.00

"चंडक हाथी अभयारण्य को केन्द्रीय सहायता"

2437. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

पिछले तीन वर्षों के दौरान चंडक हाथी अभयारण्य के विकास के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : पिछले तीन वर्षों में चण्डक वन्यजीव अभयारण्य पर उड़ीसा सरकार द्वारा खर्च की गई धनराशि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

वर्ष	राज्य बजट से खर्च की गई धनराशि	केन्द्रीय सहायता के रूप में खर्च की गई धनराशि	कुल
1984-85	38.53,746.00 रु.	2,75,000.00 रु.	41,28,746.00 रु.
1985-86	34.13,907.00 रु.	3.77,500.00 रु.	37,91,407.00 रु.
1986-87	41,13.681.00 रु.	1,47,500.00 रु.	42,61,181.00 रु.
योग :	1,13.81.334.00 रु.	8,00,000.00 रु.	1,21,81,334,00 रु.

[हिन्दी]

"माही-बजाज सागर बांध"

2438. **श्री प्रभु लाल रावत : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वन-विकास भूमि को राजस्व भूमि में बदलने का विचार है जहां पर माही-बजाज सागर बांध के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों को बसाया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, तो क्या सरकार इस मामले पर विचार करेगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रॉनिक पुश बटन टेलीफोनों के निर्माण के लिए विदेशी सहयोग

2439. **श्री सी. के. कुप्पुस्वामी : क्या प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक पुश बटन टेलीफोनों के निर्माण के लिए विभिन्न कंपनियों से जानकारी के अन्तरण के लिए विदेशी सहयोग करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विदेशी सहयोगकर्ताओं के नाम क्या हैं ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी, और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) और (ख) इलेक्ट्रॉनिक पुश बटन टेलीफोनों का विनिर्माण करने के लिए, विदेशी कंपनियों से तकनीकी-जानकारी का अंतरण करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। उपस्कर का विस्तृत रूप से मूल्यांकन करने के उपरान्त, निम्नलिखित तीन विदेशी सहयोगकर्ताओं का चयन किया गया है ;

1. मेसर्स सीमेंस ए. जी. (पश्चिम जर्मनी)
2. मेसर्स एरिक्सन इन्फोर्मेशन सिस्टम (स्वीडन)
3. मेसर्स इटैल्टी फेस स्टेण्डर्ड (इटली)

आन्ध्र प्रदेश में तूफान के संबंध में चेतावनी देने वाला केन्द्र

2440. **श्री सी० सम्बु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में चिराला अथवा ओंगल में तूफान के संबंध में चेतावनी देने वाला एक केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) जी नहीं। विशाखापतनम् में स्थित चक्रवात चेतावनी केन्द्र आन्ध्र प्रदेश में चक्रवातों की चेतावनी देने के कार्य को देखता है। चक्रवातों का पता लगाने के लिए दो चक्रवात संसूचक रडार (400 कि० मी० की दूरी की क्षमता वाले) की विशाखापतनम् और मसूलीपतनम् में स्थापित किए गए हैं। मद्रास में एक दूसरा चक्रवात संसूचक रडार है। चिराला या ओंगोल की ओर आने वाले चक्रवातों का इन "राडारों" से पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा, सम्पूर्ण बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों पर इन्सेट-1 बी के द्वारा चौबीसो घन्टे निगरानी रखे जाने की व्यवस्था है।

साधारण बीमा निगम में तकनीकी कर्मचारी

2441. **श्री हरेन भूमिज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय साधारण बीमा निगम ने अपनी सहयोगी कंपनियों को इस आशय के अनुदेश दिये हैं कि वे विशेष कार्यों के लिए नियुक्त तकनीकी कर्मचारियों से कोई तकनीकी काम न करायें ;

(ख) क्या न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कम में कार्य कर रहे दावा निरीक्षक आटोमोबाइल इंजीनियर (लाइसेंस-धारी), कंपनी के डिवीजनल कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों में मोटर टेक्निकल विभाग संचालित कर रहे हैं ;

(ग) क्या साधारण बीमा निगम की सभी सहायक कंपनियों के अधिकांश डिवीजनल कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय मोटर दावा फाइलो पर अपने इंजीनियरों के किसी तकनीकी नियंत्रण के बगैर कार्य कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी. नहीं ।

(ग) और (घ) मंडलीय/क्षेत्रीय कार्यालयों के उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा सर्वे रिपोर्ट की जांच पड़ताल कर लिए जाने के बाद ही मोटर से संबंधित दावों का आमतौर पर निपटान किया जाता है। तकनीकी दृष्टि से और जाच---पड़ताल करने की आवश्यकता केवल जटिल अथवा संदिग्ध स्वरूप के दावों के मामलों में अथवा उन मामलों में होती है जिनमें विशिष्ट शिकायतें प्राप्त हुई हो अथवा विवाद उत्पन्न हुए हों।

"गल्फस्ट्रीम-III इक्जीक्यूटिव जेट" विमानों का नागर विमानन महानिदेशालय के साथ पंजीकरण

2442. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक या अधिक "गल्फस्ट्रीम-III इक्जीक्यूटिव जेट" विमान हाल में नागर विमानन महानिदेशालय के साथ पंजीकृत किये गये हैं ;

(ख) ये विमान किन व्यक्तियों अथवा संगठन के थे तथा इन विमानों का किसने किराया था ;

(ग) ये विमान कितने मूल्य पर और किससे खरीदा गया था इस सौदे में बिक्री एजेंट कौन था ;

(घ) विमान का तकनीकी तथा अन्य ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या भारत में इस विमान के संचालन हेतु आवश्यक मंजूरी दे दी गई है ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : यह सच है कि नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा हाल ही में एक गल्फ स्ट्रीम III/एस० आर० ए० विमान पंजीकृत किया गया है ;

(ख) यह विमान भारत सरकार के स्वामित्व में है जिसने विमान का पंजीकरण मांगा था ।

(ग) इसे मैसर्स गल्फस्ट्रीम एयरोस्पेस कारपोरेशन, यू० एस० ए० से 14.15 मिलियन अमरीकी डालर में खरीदा गया था । इसके बीच कोई बिक्री एजेंट नहीं था ।

(घ) (i) विमान का कुल परिमाप निम्नलिखित है :

(ii) ऊंचाई-24'.6", लम्बाई-83'.2", विस्तार-77'.10"

(iii) इंजनों की सं०-2. टाइप-राल्स रायस, स्पे एम के-511-8

(iv) पावर रेटिंग-11400 पाउंड्स (प्रत्येक इंजन)

(v) टाइम-जेट

(vi) अधिकतम संचालन उंचाई-45,000'

(vii) अनुमानित क्षेत्र-4000 एन० एम०

(ङ) जी हां ।

भारतीय निवेश केन्द्र की योजनाएं

2443. **श्री पी० एम० सईद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निवेश केन्द्र अनिवासी भारतीयों द्वारा अपनी बचतों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहनों की पेशकश के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के परामर्श से नवोपाय योजनाएं बना रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त केन्द्र की विदेशों में विशेषकर खाड़ी क्षेत्र में कितनी शाखा हैं और उन देशों के नाम क्या हैं ; और

(घ) क्या उक्त केन्द्र की सऊदी अरब में कोई शाखा है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में (श्री बी०के० गढ़वी) : (क) और (ख) भारतीय निवेश केन्द्र को अनिवासी भारतीयों तथा विदेशियों से अधिकाधिक पूंजी का निवेश प्राप्त करने के लिए एक सम्पर्क अभिकरण के रूप में अभिहित किया गया है। यह केन्द्र अनिवासी भारतीयों से संबंधित निवेश नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति और आयात निर्यात नीति आदि के संबंध में संभावित अनिवासी उद्यम-कर्ताओं को समस्त जानकारी उपलब्ध करता है और विभिन्न स्तरों पर उनकी सहायता करता है। तथापि, अनिवासी भारतीयों के निवेश से संबंधित नीति और उसके अन्तर्गत दिए जाने वाले प्रोत्साहन केन्द्रीय सरकार और राज्यों की सरकारों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं।

(ग) और (घ) भारतीय निवेश केन्द्र के छह विदेशस्थ कार्यालय हैं, जो कि न्यू-यार्क, लंदन, फ्रांकफर्ट, अबु-धाबी, टोकियो और सिंगापुर में स्थित हैं। ये ऐसे कार्यालय हैं, जिनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत भौगोलिक आधार के क्षेत्र सम्मिलित हैं। सऊदी अरब में भारतीय निवेश केन्द्र का कोई कार्यालय नहीं है। अबु-धाबी स्थित कार्यालय ही सऊदी अरब विषयक कार्य सम्पन्न करता है।

मात्स्यिकी नीति की समीक्षा

2444. **टी० बाल गौड़** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग को सातवीं योजना के अन्तर्गत उच्च उत्पादन लक्ष्य, जिसमें विभिन्न रूपों में कई विदेशी नौकाओं को मछली मारने के लिए पानी में प्रवेश की अनुमति दी गई है के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) इस लक्ष्य में संशोधन करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं जिनकी वजह से हमारे देश में मात्स्यिकी क्षेत्र में विदेशी लोगों की भागेदारी को अनावश्यक महत्व दिया गया है ;

(ग) क्या योजना आयोग ने वर्तमान मात्स्यिकी नीति और उसके उद्देश्यों की व्यापक समीक्षा शुरू कर दी है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) योजना आयोग को (i) सातवीं योजना के बाद मछली उत्पादन लक्ष्य परिशोधित करने और (ii) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जहाज किराए पर लेने से संबंधित नीतियों में संशोधन करने आदि के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) पंचवर्षीय योजना का अवध्यावधि मूल्यांकन करते समय, जो इस समय किया जा रहा है, मछली उत्पादन के लक्ष्य सहित लक्ष्यों की समीक्षा की जाती है। उपलब्ध संसाधनों से अन्तर्देशीय मछली उत्पादन में सुधार करने की पर्याप्त गुंजाइश और समुद्री उत्पादनों की विश्व-व्यापी मांग में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सातवीं योजना के अन्त तक अधिक से अधिक मछली उत्पादन प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जाएगा।

(ग) और (घ) अन्तर्देशीय और समुद्री मत्स्य उद्योग के सभी पहलुओं को व्यापक रूप से शामिल करते हुए मध्यावधि मूल्यांकन का मसौदा तैयार किया जा रहा है।

देश में विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव

2445. **श्री टी. बशीर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कार्यरत फील्ड एजेंसियों, अनुसंधान एजेंसियों और विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी विभिन्न एजेंसियों के बीच समुचित समन्वय का अभाव है; और

(ख) यदि हां, तो इन कमियों को दूर करने और पिछले कई वर्षों में तैयार किए गए आधारभूत ढांचे का कारगर ढंग से उपयोग करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के.आर. नारायणन) : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संगठनों, प्रयोगशालाओं, क्षेत्रीय एजेंसियों और साथ ही उद्योग के मध्य समन्वय सुनिश्चित करने के लिए अनेक क्रियाविधियों का विकास किया गया है। इन क्रियाविधियों का निरंतर पुनरीक्षण किया जा रहा है और जब कभी आवश्यकता समझी जाती है, सुधारात्मक उपाए किए जाते हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं और उपयोग के मध्य परस्पर क्रिया और समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए जुलाई, 87 में सी.एस.आई.आर. और फिक्की द्वारा "आत्म-निर्भरता और विकास" पर संयुक्त रूप से प्रायोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया उनमें प्रौद्योगिकी आयात और इसका अवशूषण, आयातित प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान और विकास सहायता, नवीन अनुसंधान के लिए विषय-क्षेत्र, सी.एस.आई.आर. और सरकारी प्रयोगशालाओं तथा सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की अनुसंधान और विकास संस्थाओं के मध्य सहलग्नताएं सम्मिलित हैं। विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों, सी.एस.आई.आर. के निदेशकों और वैज्ञानिकों, प्रमुख उद्योगपतियों, महाप्रबन्धकों और सर्वाजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों के अनुसंधान और विकास प्रमुखों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इससे पूर्व विभिन्न औद्योगिक संस्थानान्तर्गत अनुसंधान और विकास केन्द्रों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों के मध्य अधिक परस्पर क्रिया कोबढ़ाने की दृष्टि से अप्रैल, 87 में वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान विभाग तथा कफेडरेशन आफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री (सी.ई.एल.) के द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था।

विरलमृदा (रेयर अर्थ) के निर्यात से होने वाली आय

2446. **श्री विजय एन. पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1987 के अंत तक पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष वार कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की विरलमृदा (रेयर अर्थ) का निर्यात किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस तथ्य की दृष्टि से कि विरलमृदा (रेयर अर्थ) सीरेयिक सेमी कन्डक्टर्स की उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण कच्चा माल है इसका निर्यात बंद करने का है। और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के.आर. नारायणन) : (क) पिछले तीन वर्षों में निर्यात की गई विरलमृदाओं का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :

	1984-85		1985-86		1986-87	
	मीटरी टन	लाख रुपए	मीटरी टन	लाख रुपए	मीटरी टन	लाख रुपए
विरलमृदा क्लोराइड	3,513	413.9	3,627	503.1	3,842	574.8
विरलमृदा क्लोराइड	90	29.4	158	54.1	146	57.4
अन्य		4.5		11.8		21.2
		447.8		569.0		653.4

(ख) और (ग) क्योंकि भारत में विरलमृदाओं की कोई मांग अब तक नहीं रही है, अतः विरलमृदा क्लोराइड की अधिकांश मात्रा का निर्यात उससे यीट्रियम आक्साइड अलग किए बिना क्लोराइड या फ्लोराइड के रूप में किया जाता है। तथापि इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड ने सिरेमिक सेमी कंडक्टरों के लिए यीट्रियम आक्साइड के महत्व को ध्यान में रखते हुए यीट्रियम आक्साइड को अलग करने और उसे अपेक्षित स्तर तक परिशुद्ध बनाने का एक कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इस प्रकार अलग किए गए यीट्रियम आक्साइड को देश में यथावश्यक उपयोग के लिए भन्डारित रखा जाएगा।

किशोर न्याय अधिनियम, 1986 का कार्यान्वयन

2447. **श्री एच.बी. पाटिल :**

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

श्री परसराम भारद्वाज :

श्री लक्ष्मण मलिक : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने किशोर न्याय अधिनियम, 1986 को लागू करने के लिए न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं के सृजन हेतु राज्यों को अनुदान दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को दिए गए अनुदान का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या कुसंगति में पड़े बच्चों की देखभाल संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए स्वयं-सेवी कल्याण एजेंसियों का उपयोग करने हेतु, भी अनुदान मांगा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां;

(ख) किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के क्रियान्वयन के लिए न्यूनतम अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन करने के लिए 1986-87 के दौरान निम्नलिखित राज्यों को सांकेतिक अनुदान के रूप में 40.00 लाख रु० की धनराशि प्रदान की गई :-

1.	असम	5.00 लाख रु०
2.	बिहार	5.00 लाख रु०
3.	मध्य प्रदेश	7.00 लाख रु०
4.	उड़ीसा	6.00 लाख रु०

5.	राजस्थान	5,00 लाख रु०
6.	उत्तर प्रदेश	7.00 लाख रु०
7.	पश्चिम बंगाल	5.00 लाख रु०

(ग) और (घ) सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण के लिए पृथक योजना में निराश्रित बच्चों की देखभाल तथा पुनर्वास के लिए स्वयंसेवी संगठनों को राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों के माध्यम से अनुदान प्रदान किए जाते हैं। 1986-87 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 2,49,89,552 रु० की धनराशि प्रदान की गई।

भारत को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता

2448. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ का भारत को कितनी विदेशी सहायता देने का विचार है;

(ख) क्या गत वर्षों की तुलना में सहायता ही राशि में कोई कटौती की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी.के. गढ़वी) : (क) 30 जून, 1988 को समाप्त होने वाले राजकोषीय वर्ष 1988 के लिए सहायता के वचनों के बारे में बातचीत करने के लिए जून, 1987 में पेरिस में हुई भारत सहायता संघ की बैठक में यह सूचित किया गया था कि भारत को विश्व बैंक समूह द्वारा दी जाने वाली सहायता की राशि 2·5 अरब संयुक्त राज्य अमरीकी डालर होगी। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा दी जाने वाली सहायता के बारे में कोई विशिष्ट आंकड़े नहीं बताए गए।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की वर्तमान पुनर्भरण अवधि (राजकोषीय वर्ष 1988-1990) के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा भारत को दी जाने वाली सहायता की मात्रा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की पिछली पुनर्भरण अवधि (राजकोषीय वर्ष 1985-1988) के मुकाबले में अधिक होने की सम्भावना है।

(ग) प्रश्न ही नही उठता।

सिविल कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण

2449. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण में सुधार हेतु फोर्ड फाउंडेशन से सलाहकार सेवा प्राप्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो दी गई सलाह और परामर्श का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके आधार पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, हां। संगठित सेवाओं के अधिकारियों को प्राथमिकता वाले अभिज्ञात क्षेत्रों में एक वर्ष अथवा इससे मिलती जुलती अवधि के लिए विदेशों में प्रशिक्षण पर भेजे जाने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है ताकि वे अपनी वापसी पर मुख्य प्रवाह में लौटने से

पहले 3-5 वर्ष की अवधि तक केन्द्रीय/राज्य/राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों की सेवा कर सके। इस प्रयोजन के लिए, फोर्ड फाउंडेशन के खर्चे पर एक परामर्शदाता की सेवाओं का लाभ उठाया गया था।

(ख) और (ग) यह परामर्शदाता मई-जून, 1987 के दौरान 3 सप्ताह की अवधि के लिए भारत वर्ष में रहा तथा इसने प्रशिक्षण के प्रयोजन से विदेशी संस्थानों की एक श्रृंखला सुझायी है। आगे की अनुवर्ती कारंवाई की जा रही है।

बीमार एककों को पुन: चालू करना

2450. **डा० दत्ता सामन्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बीमा उद्योग एकक बोर्ड ने अब तक बीमार एककों को पुन: चालू करने के लिए क्या विभिन्न उपाय किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने, जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना आरम्भ कर दिया है, अपने कारबार के संचालन के सम्बन्ध में विस्तृत विनियम बनाए हैं। बोर्ड द्वारा अब तक रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम की धारा 15 (1) के अन्तर्गत 72 मामले और धारा 15 (2) के अन्तर्गत दो मामले दर्ज किए गए हैं। सम्बन्धित अधिनियम और विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड इन मामलों पर कारंवाई कर रहा है।

अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाति के लोगों को दिए गए सामाजिक न्याय का मूल्यांकन

2451. **श्री हुसैन दलवाई :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सवैधानिक उपबन्धों के अनुसार अनुसूचित जाती तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को दिए गए सामाजिक न्याय का कभी मूल्यांकन किया है ?

(ख) यदि हां, तो उस एजेंसी का नाम क्या है जिसके माध्यम से यह मूल्यांकन-कार्य किया गया था ;

(ग) क्या इस एजेंसी ने इस सम्बध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन, एक विशेष अधिकारी (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त) की संविधान में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किये गये रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करने हेतु व्यवस्था की हुई है, जिसके कार्यालय को इन रक्षापायों की कार्यान्विति को सुनिश्चित करने हेतु और आगे सुदृढ़ किया गया है। उनकी रिपोर्ट प्रति वर्ष तैयार की जाती है और संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। इसके अतिरिक्त नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के कार्य से संबधित वार्षिक रिपोर्ट भी संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

अल्पसंख्यकों के बारे में डा० गोपाल सिंह पैनल की सिफारिशें

2452. **श्री जी. एम. बनातवाला :**

श्री हुसैन दलवाई : क्या कल्याण मंत्री अल्पसंख्यकों के बारे में डा० गोपाल सिंह समिति की सिफारिशों के बारे में 25 फरवरी, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 314 के उत्तर के सम्बध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया है ;

(ख) पैनल द्वारा क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ;

(ग) उन सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उसने क्या निर्णय लिया है ;

(घ) इन सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ङ) यह रिपोर्ट सभा पटल पर कब तक रखी जाएगी ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) अल्पसंख्यकों पर उच्चाधिकार प्राप्त पैनल की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। इस संबंध में कोई समय-सीमा का उल्लेख करना संभव नहीं है।

कोयला और कपास के लिए भाड़ा समीकरण

2453. **श्री बाजमल अबेदिन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला और कपास के संबंध में पूर्वी राज्यों द्वारा की गई मांग के अनुसार भाड़ा समीकरण नीति लागू न करने के क्या कारण है ;

(ख) पूर्वी राज्यों द्वारा की गई मांग के अनुसार लोहा और इस्पात पर भाड़ा समीकरण नीति समाप्त न किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले राज्यों के नाम क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) अनेक समितियों द्वारा भाड़ा समीकरण के विषय में अध्ययन किया गया है, इनमें से अंतिम समिति राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति थी जिसके अध्यक्ष श्री बी० डी० पाण्डेय थे। समिति का निष्कर्ष यह था कि भाड़ा समीकरण के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय प्रकीर्णन की शर्तों के अनुसार लाभकारी प्रभाव वास्तविक परिवहन लागतों में वृद्धि से प्रति संतुलन की अपेक्षा अधिक था और भाड़ा समीकरण से पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में थोड़ा प्रभाव पड़ा। यह स्कीम आर्थिक कार्यकलाप के प्रकीर्णन के वांछनीय उद्देश्य को पूरा नहीं करती है बल्कि यह उद्योगों को नान-आप्टिमल (गैर-इष्टतम) लोकेशन की ओर ले जा सकती है। यह निर्णय लिया गया कि कोयला, कपास आदि जैसी किसी नई जिन्स के संबंध में भाड़ा समीकरण को लागू न किया जाए।

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रतिवेदनों को मद्देनजर रखते हुए, सरकार ने लोहे और इस्पात पर भाड़ा समीकरण समाप्त करने के पूर्व निर्णय की समीक्षा की है और इस मसले को राष्ट्रीय विकास परिषद को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है।

(ग) जिन्स के विषय में भाड़ा समीकरण नीति जिन्स के स्रोतों से दूर अवस्थित राज्यों को लाभान्वित करती है प्रत्येक कच्चे माल के संबंध में पृथक-पृथक राज्यों द्वारा प्राप्त किए गए लाभ के परिणाम नहीं निकाले गए हैं।

"चीनी मिलों से प्रदूषण"

2454. श्री मोहन भाई पटेल :

श्री चिन्तामणि जेना :

श्री काली प्रसाद पाण्डेय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितनी चीनी मिलों का पता लगाया गया है, जो प्रदूषण फैलाती हैं ;

(ख) सरकार ने इस प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाएं हैं ;

(ग) क्या कुछ चीनी मिलें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों/अनुदेशों का उल्लंघन करने की दोषी पाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) नई निर्माणाधीन चीनी मिलों को प्रदूषण के विरुद्ध क्या मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) बड़े और मझौले क्षेत्र में 276 चीनी मिले हैं जिनमें से 120 इकाइयों ने बहिस्राव उपचार संयंत्र नहीं लगाए हैं।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के परामर्श से चीनी फैक्ट्रियों के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक तैयार किए हैं तथा इकाइयों से इन मानकों के अनुपालन की आशा की जाती है। केन्द्रीय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उद्योगों को राजी कर रहें हैं कि वे निर्धारित मानकों तक अपने बहिस्रावों का उपचार करें। दोषी उद्योगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) नई चीनी औद्योगिक इकाइयों को निम्नलिखित प्रदूषण नियंत्रण उपाय करने हैं।

(1) पर्याप्त क्षमता के अस्तर लगे हुए शीरा भण्डारण टैंकों का निर्माण ; और

(2) निर्धारित न्यूनतम राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन के लिए बहिस्रावों हेतु पर्याप्त उपचार सुविधाएं।

स्वर्ण ऋणों पर ब्याज

2455. प्रो० के० वी० थामस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित बैंकों द्वारा दिये गये स्वर्ण ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज की दर निश्चित है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें कितना अन्तर हो सकता है ; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ अनुसूचित बैंक स्वर्ण ऋणों पर बीमा धरोहर सुरक्षित रखने आदि के लिए अलिखित प्रभार ले रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बैंकों द्वारा ब्याज दरों में प्रयोजन के आधार पर, ऋणकर्ता की श्रेणी और अग्रिम की राशि के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक की ब्याज दरों संबंधी निदेशों के अनुसार फेरबदल किया जाता है और न कि सोने सहित प्रतिभूति की किस्म पर। सोने के गहनों के बदले ब्याज दरें लघु सिंचाई के लिए 10 प्रतिशत वार्षिक से लेकर लघु उद्योगों को दिये जाने वाले 25 लाख रुपए से अधिक के अल्पावधिक ऋणों के लिए 16.5 प्रतिशत वार्षिक के बीच होती हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अतिरिक्त प्रभारों के बारे में उसने कोई विशेष अनुदेश जारी नहीं किये हैं। लेकिन, बैंक आमतौर पर वास्तविक बीमा शुल्क आदि वसूल करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी बताया है कि उन ऋणों के लिए, जिनके वास्ते सोने के गहनों को जमानत के रूप में रहन रखा जाता है, सुरक्षित अभिरक्षा प्रभार लेने का कोई मामला उसके ध्यान में नहीं आया है।

"पर्यावरण की उपेक्षा करने वाले राज्य"

2456. **श्री ललितेश्वरी प्रसाद शाही :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा बार-बार मार्गनिर्देश और अनुदेश जारी किये जाने के बावजूद राज्य सरकारें पर्यावरण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान जारी किये गये मार्गनिर्देशों और देश में पर्यावरण सम्बधी कार्यक्रम में तेजी लाने के लिये उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

यह कहना सही नहीं है कि राज्य सरकारें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठा रही हैं।

पिछले दो वर्षों में जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्त और देश में पर्यावरणीय कार्यक्रम को तेज करने के लिए उठाये गये कदम नीचे दिये गये हैं :-

(1) सभी राज्यों से अलग पर्यावरण विभाग स्थापित करने और उसको किसी विकास विभाग के साथ न जोड़ने का अनुरोध किया गया था ताकि हितों के टकराव से बचा जा सके। उन्हें इसको वन के साथ जोड़ने की सलाह दी गई। 23 राज्यों ने पर्यावरण विभाग स्थापित कर लिए हैं। तीन राज्यों ने पर्यावरण को वन विभाग के साथ जोड़ दिया है। 6 राज्यों में स्वतन्त्र विभाग हैं। दस राज्यों ने इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा है।

(2) पर्यावरण की सुरक्षा में सभी सम्बन्धितों के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के राज्यपाल की अध्यक्षता में व्यापक आधार वाली पर्यावरण सुरक्षा परिषद स्थापित करने की सलाह दी गयी थी। अब तक 5 राज्यों ने इस प्रकार की परिषदें स्थापित कर ली हैं तथा अन्य सात राज्य शीघ्र ही ऐसा करने को राजी हो गए हैं।

(3) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 19 नवम्बर, 1986 से लागू हुआ। अधिनियम के तहत नियम बनाए गए हैं और राज्यों को अधिकार दिए गए हैं। कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 को संशोधित किया जा रहा है।

(4) प्रतिवर्ष एक राष्ट्रीय पर्यावरणीय जागरूकता अभियान चलाया जाता है।

(5) गैर-वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने के लिए प्रस्तावों की मंजूरी में प्रतिपूरक वन रोपण सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों में से एक महत्वपूर्ण शर्त है।

(6) गैर-वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने के लिए किसी प्रस्ताव के साथ आर्थिक क्षतियों और आर्थिक तथा सामाजिक लाभों के रूप में लागत-लाभ विश्लेषण होना चाहिए।

(7) निजी उद्योगों द्वारा कच्चे माल के लिए पौधे उगाने हेतु वन भूमि के उपयोग को प्रतिबन्धित कर दिया गया है चाहे वह पट्टे पर हो अथवा राज्य सरकार/राज्य वन विकास निगम के साथ संयुक्त क्षेत्र में।

(8) यह विभाग विकास परियोजनाओं को स्वीकृति देने से पहले पर्यावरण पर उनके प्रभाव को आंकता है। परियोजना प्राधिकारियों को स्वयं अपने मूल्यांकन तैयार करने में सहायता देने के लिए प्रश्नावलियां और मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए गए हैं।

(9) गंगा नदी की प्रदूषित धाराओं को साफ करने के लिए तैयार की गई गंगा कार्य योजना के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई है।

(10) देश में परती भूमि के वनीकरण के लिए कार्यक्रमों के निर्माण, समन्वय और मिलान के लिए एक राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की गई है।

(11) वनरोपण और भू-संरक्षण के जरिए पारिस्थितिकी बहाली के लिए भूतपूर्व सैनिकों के दो पारि-विकास कृत्यक बल लगाए गए हैं।

(12) देश की वनस्पतिजात और प्राणिजात के सर्वेक्षण और संरक्षण तथा संकटापन्न प्रजातियों का पता लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(13) एक राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(14) पर्यावरण से सम्बन्धित सभी विषयों के सम्बन्ध में अनुसंधान को प्रोत्साहन और देश में अनुसंधान और विकास सुविधाओं का निर्माण करना इस विभाग की एक मुख्य गतिविधि है।

(15) ग्यारह उद्योगों के सम्बन्ध में बहिस्रावों के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक तैयार किए गए हैं। ग्यारह उद्योगों के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत मानक अधिसूचित किए गए हैं। कुछ और मानक तैयार किए जा रहे हैं।

(16) वायु प्रदूषण फैलाने वाले 12 उद्योगों के लिए उत्सर्जन सीमाएं तैयार की गई हैं।

(17) परिवेशी वायु गुणवत्ता के लिए 43 निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(18) विभिन्न क्षेत्रों के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता के लिए सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

(19) जल गुणवत्ता के 170 निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(20) केन्द्र/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा 978 मुकदमे चलाए गए हैं जिनमें से 246 मामलों में निर्णय ले लिया गया है और 732 मामले विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं। 48 उद्योगों को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

परमाणु ईंधन काम्पलेक्स

2457. श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :

डा० चिंता मोहन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत हैदराबाद में परमाणु ईंधन कम्पलेक्स सुविधा विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा कब प्रदान की गई;

(ग) इस सुविधा के अन्तर्गत उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया था;

(घ) क्या लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के.आर. नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र की स्थापना हैदराबाद में सन् 1972 में की गई थी।

(ग) से (ङ) नीचे यह बताया जा रहा है कि नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र ने 1986-87 में कितना उत्पादन करने का लक्ष्य रखा था और उस वर्ष कितना उत्पादन किया :-

क्रम संख्या	उत्पादन	यूनिट	लक्ष्य	उत्पादन	अंतर रहने का कारण
1.	दाबित भारी पानी रिएक्टर-ईंधन के बन्डल	संख्या	4000	4236	—
2.	बायलिंग वाटर रिएक्टर-ईंधन के बंडल	संख्या	100	96	(6×6) किस्म की ईंधन असैम्बलियों के स्थान पर नए डिजायन वाली (7×7) किस्म की ईंधन असैम्बलियां तैयार करने का काम पहली बार हाथ में लिया गया था। विकास-कार्य और मानकीकरण में अनुमान से अधिक समय लग गया। तथापि, विद्युत रिएक्टरों सम्बन्धी आवश्यकता पूरी की जा चुकी है।
3.	जरकालाय	संख्या	540	507	विशेष प्रकार की कलैंड्रिया ट्यूबें तैयार करनी पड़ीं जिसकी वजह से उत्पादन में अधिक समय लगा। तथापि, रिएक्टरों सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी की जा चुकी हैं।
4.	स्टेनलैस स्टील की ट्यूबें	मीटरी टन	500	541	——
5.	बाल बेयरिंग ट्यूबें	मीटरी टन	2000	890	उत्पादन को बेयरिंग बनाने वालों से मिले आर्डरों के अनुसार सीमित रखना पड़ा।
6.	उच्च शुद्धता वाली सामग्री	किलो ग्राम	6500	7830	——

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को गरीबी निवारण कार्यक्रमों से लाभ

2458. **श्री के. कुन्जम्बु :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को विभिन्न गरीबी निवारण कार्यक्रमों से मिलने वाले लाभों के बारे में गहराई से कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को इसका लाभ मिला है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) अनुसूचित जाति/जनजाति लाभग्राहियों द्वारा विभिन्न निर्धनतारोधी कार्यक्रमों से उठाए गए लाभों के बारे में गहराई से कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, परिवार लाभग्राही कार्यक्रमों के अन्तर्गत, छठी तथा सातवी योजनावधि (जून,1987 तक) के दौरान अनुसूचित जाति/जनजाति के क्रमश: 151 लाख तथा 59.58 लाख परिवारों को आर्थिक सपायता दी गई है।

आदिवासियों में ऋण ग्रस्तता

2459. **श्री लक्ष्मण मलिक** :

श्री राधाकान्त डिगाल :

श्रीमती ऊषा चौधरी :

श्री परसराम भारद्वाज : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासियों में ऋण-ग्रस्तता में वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्तसम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में यदि कोई सुधारात्मक कदम उठाये गए हैं, तो वे क्या हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी०ई०ओ०) ने, 7 राज्यों की 10 समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं (आई०टी०डी०पी०) में, नमूना आदिवासी परिवार आधार पर समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं का एक मूल्यांकन सर्वेक्षण किया है। अध्ययन किए गए पहलुओं में ऋणग्रस्तता भी एक है। नमूना सर्वेक्षण अध्ययन के अनुसार ऋणग्रस्तता सीमा 1975-76 से 1982-83 के बीच वृद्धिशील थी। फिर भी ऐसा मुख्यत: साहूकारों से अल्पवधि ऋणों को, बैंकों तथा सहकारी संस्थाओं से उत्पादक प्रयोजनों हेतु दीर्घ तथा मध्यावधि ऋणों के ढांचे में परिवर्तन के कारण ही था।

(ग) पी०ई०ओ० द्वारा प्रकाशित समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं पर मूल्यांकन रिपोर्ट, लगभग 10 आई०टी०डी०पी० अध्ययन में चुने हुए परिवारों के प्रत्यर्थी से एकत्र किए गए प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है न कि सात चुने हुए राज्यों से माध्यमिक या अन्य आंकड़ों से।

(घ) समेकित ग्रामीण विकास परियोजना और बैंकों द्वारा रियायती ब्याज दरों के ऋण देने के अलावा, समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं में आदिवासियों के जीवनस्तर में सुधार करने हेतु लाभोन्मुखी योजनाएं शुरू की जा रही है। कृषि, बागवानी, रेशम उत्पादन पशुपालन, हथकरघा, कुटीर उद्योग, लघु सिंचाई और छोटे व्यवसाय आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में शुरू किए गए हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा धनराशि

2460. **श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वर्ष 1985-86 के दौरान कुल कितनी धनराशि जमा की गई; और

(ख) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वर्ष 1985-86 के दौरान क्रमशः कृषि उद्योग तथा निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि के ऋण जारी किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार 1985-86 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल जमाराशियों में 11714 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के बकाया अग्रिमों में क्रमशः 4436 करोड़ रुपए और 1411 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान कमजोर वर्गों के बकाया बैंक ऋणों में 1026 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई।

साधारण बीमा निगम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षण

2461. **श्री अनादिचरण दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1987 को साधारण बीमा निगम में कर्मचारियों की वर्तमान संख्या की तुलना में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने आरक्षित पदों को अनारक्षित किया गया तथा अनरक्षित किए जाने से पूर्व इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) 1 जून, 1987 को पिछले बकाया आरक्षित पदों की श्रेणीवार संख्या कितनी है और इन बकाया पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) साधारण बीमा निगम/इसकी सहायक कंपनियों के कार्यालयों से, जो कि सारे भारत में फैले हुए हैं, सूचना इकट्ठी की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण

2462. **प्रो० पी०जे० कुरियन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण देने वाले बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे उनसे समानान्तर जमानत लें और उनसे अधिक ब्याज पर वसूल करें;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इससे ऋण लेने वाले लाभार्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) वर्ष 1986-87 के दौरान शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना को जारी रखते हुए, औद्योगिकी धंधों के वास्ते ऋण की अधिकतम सीमा 25,000 रुपए से बढ़ाकर 35,000 रुपए कर दी गई है। वर्तमान ब्याज दर अनुसूचि के अनुसार 25,000 रुपए से अधिक के ऋणों पर ब्याज दर ऊंची थी। बैंक, 25,000 रुपए से अधिक के ऋणों पर लागू संपार्श्विक प्रतिभूति/तीसरी पार्टी की गारंटी की भी मांग कर सकते थे। तदुपरांत समीक्षा करने पर, इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक धंधों के वास्ते मंजूर किए गए 35,000 रुपए तक के ऋणों पर ब्याज की दर कम करके निर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में 10 प्रतिशत

और अन्य क्षेत्रों में 12 प्रतिशत कर दी गई। 25,000 रुपए तक के ऋणों के वास्ते मार्जिन, संपार्श्विक प्रतिभूति/तीसरी पार्टी की गारंटी की अपेक्षाएं भी समाप्त कर दी गयी हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करने के लिए मंत्री मंडलीय समिति

2463. श्री एस०जी० घोलप : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करने हेतु एक मंत्रिमंडलीय समिति नियुक्त की है;

(ख) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) क्या अधिकांश राज्यों में धोबी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में माना जाता है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार धोबी समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का है; और

(ङ) कितने समुदायों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) धोबी समुदाय निम्नलिखित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति के रूप में मान्य है :-

1. असम (धुपी, धोबी)
2. बिहार
3. हिमाचल प्रदेश (छिंबे, धोबी)
4. केरल (वण्णन्)
5. मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन तथा सिहोर जिले।
6. मणिपुर (धुपी, धोबी)
7. मेघालय (धुपी, धोबी)
8. उड़ीसा (धोमा, धोबी)
9. राजस्थान
10. तमिलनाडु का कन्याकुमारी जिला तथा तिरूनेलवेली जिले का शेनकोट्टा ताल्लुका (वण्णन्)
11. त्रिपुरा (धोबा)
12. उत्तर प्रदेश
13. पश्चिम बंगाल (धोबा, धोबी)
14. अरुणाचल प्रदेश (धुपी अथवा धोबी)
15. मिजोरम (धुपी अथवा धोबी)

केंद्र शासित प्रदेश

1. दिल्ली

(घ) जिन राज्यों में धोबी समुदाय अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल नहीं है, वहां उसे शामिल करने के प्रस्ताव पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सूचियों के प्रस्तावित समग्र संशोधन के परिप्रेक्ष्य में, ऐसे ही अन्य प्रस्तावों सहित विचार किया जा रहा है।

इसके अलावा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में कोई भी संशोधन, संविधान के अनुच्छेद 341(2) तथा 342(2) को ध्यान में रखकर संसद के अधिनियम के जरिए ही किया जा सकता है।

(ङ) जनहित में सूचना प्रकाशित नहीं की जा सकती।

अगले संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट का प्रक्षेपण

2464. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट का कब तक प्रक्षेपण किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या देश में पुनः प्रयोग में लाए जाने योग्य उपग्रह प्रमोचक राकेटों का निर्माण किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उनके कब तक तैयार हो जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) अगले संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए०एस०एल०वी०) के 1988 के प्रारंभ में छोड़े जाने की संभावना है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

विकासशील देशों को विश्व बैंक से ऋण

2465. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने 30 जून, 1987 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान 17.7 बिलियन अमरीकी डालर की रिकार्ड ऋण राशि प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इसमें भारत का हिस्सा कितना है और इस ऋण से योजनावार कितना व्यय किया जाएगा और तत्संबंधी विस्तृत ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऋण राशि में से कुछ राशि बिहार में नई परियोजनाओं हेतु खर्च करने का है अथवा इस राशि को निर्माणाधीन अन्य प्रमुख परियोजना पर खर्च किया जाएगा और तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी०के० गढ़वी) : (क) विश्व बैंक समूह ने 30 जून, 1987 को समाप्त हुए बैंक राजकोषीय वर्ष, 1987 के दौरान विकासशील देशों को कुल

17.6 अरब अमरीकी डालर की राशि के ऋण और उधार अनुमोदित किए हैं। इस राशि में अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का 14.2 अरब अमरीकी डालर का ऋण तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण का 3.4 अरब अमरीकी डालर का उधार शामिल है।

(ख) इस अवधि के दौरान बैंक समूह द्वारा भारत को कुल 280 करोड़ अमरीकी डालर देने का वचन दिया गया है, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का 212.8 करोड़ अमरीकी डालर का ऋण तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अधिकरण के 67.6 करोड़ अमरीकी डालर के उधार शामिल है। ऐसी परियोजनाओं की सूची विवरण के रूप में संलग्न है, जिनके लिए ऋण/उधार की स्वीकृत दी गई है।

(ग) इस राशि में से 6.8 करोड़ अमरीकी डालर की राशि बिहार सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली एक नई परियोजना, अर्थात बिहार सार्वजनिक ट्यूबवैल् के लिए निर्धारित की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य विद्यमान ट्यूबवैलों का पुनरुद्धार करना तथा उन्हें आधुनिक बनाना और बिहार में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नये सार्वजनिक ट्यूबवैलों का निर्माण करना है।

विवरण

राजकोषीय वर्ष 1987 में ऋणों/उधारों के लिए विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की सूची :

क्रमांक	परियोजना का नाम	ऋण/उधार की राशि करोड़ अमरीकी डालर में	(करोड़)
1.	बम्बई जल प्रदाय और मल व्यय-III	4	14.50
2.	बिहार ट्यूबवैल्स	—	6.80
3.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार	—	8.50
4.	गुजरात ग्रामीण सड़कें	—	11.96
5.	आयल इण्डिया पेट्रोलियम	14	—
6.	गेवरा और सोनपुर बजरी ताप कोयला	34	—
7.	उत्तर प्रदेश शहरी विकास	2	13
8.	नौंवा दूर संचार	34.50	—
9.	राष्ट्रीय जल प्रबन्ध	—	11.40
10.	कर्नाटक विद्युत	33	—
11.	मद्रास पेट्रो	5.30	1.50
12.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	48.50	—
13.	तलचर ताप	37.50	—
		212.80	67.66

[अनुवाद]

बैंकों के लिए स्वतंत्र सुरक्षा बल :

2466. **श्री शांताराम नायक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में बैंकों के लिए एक स्वतंत्र सुरक्षा बल बनाने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि बैंकों ने इस पर होने वाले खर्च का कुछ प्रतिशत भाग वहन करने से इंकार कर दिया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि बैंक यह मानते हैं कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना पूर्ण रूप से सरकार की जिम्मेदारी है; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि इस समय राज्य सरकारें बैंकों को सशस्त्र सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के लिए काफी पैसा लेती हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ख) बैंकों के लिये केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तरह राष्ट्रीय बैंक सुरक्षा बल जैसे स्वतंत्र सुरक्षा बल का गठन करने के प्रश्न पर गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित वरदन समिति द्वारा विचार किया गया था। इस मामले पर गहराई से विचार करने के बाद, वरदन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अनुरूप राष्ट्रीय बैंक सुरक्षा बल का गठन करना संभव नहीं होगा। बैंकों में आंतरिक सुरक्षा प्रबंधकों को मजबूत बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये, तत्कालीन वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति, वरदन समिति के विचारों से सहमत थी। बैंक सुरक्षा प्रणालियों के सभी पहलुओं पर व्यापक रूप से विचार करने के लिये, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति भी इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि राष्ट्रीय बैंक सुरक्षा बल स्थापित करना व्यवहार्य नहीं होगा।

(ग) भाग (क) और (ख) के लिये दिये गये उत्तर के प्रकाश में यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(घ) बैंक अपनी शाखाओं में सुरक्षा प्रबंधों में सुधार लाने के वास्ते उपाय करते रहे हैं ? अलबत्ता, राज्य सरकारों से जो मुख्यतः कानून और व्यवस्था बनाये रखने तथा अपराधों को नियंत्रण में रखने के लिये जिम्मेदार हैं यह अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे उपाय करेंगी जिनसे बैंक के कार्यालयों से संबंधित अपराधों, मामलों की जांच करने और शरारती तत्वों के विरूद्ध निवारक कार्रवाई करने पर अधिक ध्यान दिया जा सके।

(ङ) सशस्त्र गार्डों की व्यवस्था पर होने वाला खर्च अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग होता है और उससे संबंधित ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है।

सेवा निवृत्ति पर मिलने वाले लाभों की देय धनराशि का शीघ्र भुगतान

2467. **श्री सोमनाथ रथ:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उनकी पेंशन और उपदान के कुछ भाग का उनके सेवानिवृत्त होने से पूर्व भुगतान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपदान और पेंशन के भुगतान में विलंब किये जाने तथा भुगतान न किए जाने के संबंध में कार्मिक और पेंशन मंत्रालय में पिछले एक वर्ष में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई और उनके क्या परिणाम निकले ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नही उठता ।

(ग) 30 जून, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान, पेंशन संबंधी प्रसुविधाओं के बारे में विभिन्न विषयों पर अलग-अलग पेंशन भोगियों, पेंशनभोगी संगठनो तथा सरकारी विभागों से 34,899 पत्र प्राप्त हुए थे। ये पत्र मोटे तौर पर पेंशनभोगियों के वर्ग विशेष को प्रभावित करने वाले नीति संबंधी विषयों, कार्य विधि संबंधी कठिनाइयों तथा पेंशन, उपदान, परिवार पेंशन व भविष्य निधि की बकाया के भुगतान/निर्धारण में होने वाली देरी के बारे में अलग-अलग व्यक्तियों से प्राप्त हुई शिकायतों तथा राज्य सरकारों/सरकारी उपक्रमों के पेंनशनभोगियों की शिकायतों से संबंधित थे ।

(घ) नीति संबंधित विषयों से संबंधित अभ्यावेदनों की पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जांच की जाती है तथा उनके उत्तर दिए जाते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की शिकायतों व सम्बन्धित अभ्यावेदन आवश्यक कार्रवाई के लिए पेंशन की देखरेख करने वाले संबधित मंत्रालयों/विभागों राज्य सरकारों को भेज दिए जाते हैं। 30 जून, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान प्राप्त हुए 34899 पत्रों में से 33,354 पत्रों का निपटान कर दिया गया था।

बुनियादी उद्योगों में निवेश करने के लिए एक नियंत्रक कम्पनी की स्थापना

2468. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिक विभाग का महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्माण हेतु बुनियादी उद्योगों में निवेश करने के लिए एक नियंत्रक कंपनी स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों के राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है ।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा कम्पनियों के कार्यकरण की निगरानी

2470. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संस्थाओं को गैर-सरकारी क्षेत्र की उन कंपनियों के कार्यकरण पर निगरानी रखने का निदेश जारी किए गए हैं ; जिनमें उन्होंने भारी पूंजी निवेश किया है ;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय संस्थाओं को जारी किए गए अनुदेशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन वित्तीय संस्थाओं की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) बन्द होने की स्थिति में पहुंच चुकी कंपनियों के बारे में क्या उपचारात्मक कार्य करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) वित्तीय संस्थाएं अपने सहायता प्राप्त एककों का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन एककों को मंजूर की गयी सहायता का उचित रूप से उपयोग किया जा रहा है और सहायता प्राप्त एकक स्वस्थ वित्तीय सिद्धान्तों के अनुसार काम कर रहे हैं। वित्तीय संस्थाओं के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से और स्वस्थ सार्वजनिक नीति के सहायक के रूप में सरकार ने उन सहायता प्राप्त कंपनियों में, जिनमें संस्थाओं की काफी जोखिम होती है या जिनके समस्याओं में फंस जाने की आशंका होती है, सरकार ने वित्तीय संस्थाओं के मनोनीत निदेशकों की नियुक्ति के बारे में कतिपय मार्गनिर्देश जारी किए हैं। वित्तीय संस्थाओं से इन मार्गनिर्देशों का पालन किए जाने की अपेक्षा की जाती है। जहां तक रुग्ण एककों के संबंध में उपचारात्मक कार्रवाई करने का सवाल है, वित्तीय संस्थाएं संभाव्य अर्थक्षम रुग्ण एककों के मामले में पुनरुद्धार के उपयुक्त मिले जुले कार्यक्रम तैयार करती हैं। जो एकक अर्थक्षम नहीं पाए जाते, उनके मामले में वित्तीय संस्थाओं के पास अपने अग्रिमों की रकम वापस मांगने और कानूनी कार्रवाई के द्वारा अपनी प्रतिभूतियों को लागू करने के अलावा कोई और चारा नहीं रह जाता।

विश्व बैंक सहायता के लिए परिस्थितिकी मंजूरी

2471. **श्री बृजमोहन महंती :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक से वित्तीय सहायता के लिये एक और शर्त, अर्थात् पारिस्थितिकी मंजूरी, को जोड़ा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) विश्व बैंक द्वारा पारिस्थितिक मंजूरी संबंधी कोई विशेष शर्त नहीं जोड़ी गई है। भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच विचार-विमर्श का विषय, विशिष्ट परियोजना निवेश के संबंध में है, न कि सहायता की किसी सामान्य शर्त के रूप में, पारिस्थितिक मामले और उनके संतोषजनक समाधान का रहा है।

जीवन बीमा निगम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सहायक प्रशासनिक अधिकारी

2473. **श्री राम भगत पासवान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जीवन बीमा निगम में सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-एक पदों के संवर्ग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की संख्या एक प्रतिशत से भी कम है ; और

(ख) यदि हां, तो श्रेणी-एक संवर्ग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं। भारतीय जीवन बीमा निगम में इस समय ए०ए०ओ० (प्रथम श्रेणी के पद) के संवर्ग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या 6.81 प्रतिशत है।

(ख) निगम ने यह देखने के लिए कठोर कदम उठाए हैं कि प्रथम श्रेणी संवर्ग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। निर्धारित आरक्षण के अलावा,

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों की सीधी भर्ती/पदोन्नति के समय : (1) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं, (2) अधिकतम आयु, (3) कोई आवेदन शुल्क नहीं, (4) रियायती मानदण्डों के अनुसार चयन के संबंध में विभिन्न प्रकार की छूट/रियायतें दी जाती हैं। इसके अलावा, मात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए कार्यालय समय के दौरान ही पदोन्नति से पूर्व कोचिंग कक्षाएं आयोजित की जाती हैं।

निगम द्वारा किए जा रहे उपायों के परिणामस्वरूप प्रथम श्रेणी के सबसे नीचे के पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व 81-82 के 1.57 प्रतिशत से बढ़कर 86-87 में 6.81 प्रतिशत हो गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा आदिवासियों को ऋण

2474. **श्री कम्मोदी लाल जाटव : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 तथा 1986 के दौरान मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा आदिवासियों के शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों में कितनी धनराशि के ऋण वितरित किए गए; और

(ख) मध्य प्रदेश में हरिजनों तथा आदिवासी लोगों की (अलग-अलग) कुल संख्या क्या है तथा उनमें से कितने व्यक्तियों को इस सहायता का लाभ मिला है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य का आशय शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत मंजूर किये गये ऋणों से है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की कुल संख्या और वर्ष 1985 और 1986 में उक्त योजना के अन्तर्गत प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत सहायता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 1986-87 से, उक्त योजना के अन्तर्गत, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हिताधिकारियों के लिये 30 प्रतिशत के आरक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और मध्य प्रदेश में वर्ष 1986-87 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 1060 हिताधिकारियों को ऋण मंजूर किये गये थे।

[अनुवाद]

"वानिकी के संबंध में क्षेत्रीय दल"

2475. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वानिकी के संबंध में क्षेत्रीय दलों का गठन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे दलों की संख्या कितनी है और उनके निदेश पद क्या हैं; और

(ग) वनों के आरक्षण के संबंध में क्षेत्रीय दल द्वारा क्या प्रगति की गई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रकार के 6 दल गठित किये गये हैं। क्षेत्रीय सलाहकार दलों के विचारणीय विषय नीचे दिये गए हैं :—

ये दल निम्नलिखित मुददों पर निगरानी रखेंगे और भारत सरकार को रिपोर्ट देंगे :

(1) वनों का स्तर, खास कर क्षेत्र में वनों का संरक्षण ।

(2) वननाशन आदि के मुख्य कारण जो क्षेत्र के वनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं ।

(3) क्षेत्र में आदिवासी/वन आबादी की समस्याएं ।

(4) खासकर उद्योगों में लकड़ी के प्रयोग का क्षेत्र के वनों पर पड़ने वाला प्रभाव और दबाव तथा इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय ।

(5) जलावन की लकड़ी और चारे से सम्बन्धित समस्या ।

(6) कोई अन्य मामला जो क्षेत्र की वन सम्पदा के परिरक्षण और संरक्षण में सहायक हो ।

(ग) सदस्यों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के अभिमतों पर विचार करने के लिए दलों की बैठक हो गई है । सरकार के विचारार्थ रिपोर्टों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

विस्थापित जनजातियों के पुनर्वास के लिए मार्गनिर्देश

2476. **श्री जगन्नाथ पटनायक** :
श्री एस. एम. गुरड्डी :
श्री बी. एस. बासवराज :
श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के मार्गनिर्देश जारी किए हैं कि देश के विभिन्न भागों में विकास संबंधी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के कारण विस्थापित जनजातियों का शीघ्रता से पुनर्वास किया जाए ;

(ख) यदि हां, तो यह मार्गनिर्देश किन-किन राज्यों को दिए गए हैं ; और

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों ने इन जनजातीय लोगों को फिर से बसाने के लिए किस सीमा तक कार्यवाही की है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा मुख्य परियोजनाओं में शामिल भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास पहलुओं के संबंध में फरवरी, 1986 में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जो आदिवासियों के लिए भी लागू हैं । ये दिशा-निर्देश केन्द्रीय सरकार की परियोजनाओं पर भी लागू हैं । इन दिशानिर्देशों को राज्य सरकारों को इस अनुरोध के साथ भेज दिया गया है कि वे भी अपनी परियोजनाओं के लिए इसी तरह के दिशानिर्देश जारी करने पर विचार करें । कल्याण मंत्रालय ने राज्य सरकारों को यह भी लिखा है कि उन परियोजनाओं के लिए पुनर्वास योजनाएं इन दिशानिर्देशों को ध्यान में रख कर ही तैयार की जाए, जिनमें आदिवासियों का विस्थापन शामिल है । उन्हें अपनी परियोजनाओं के लिए पुनर्वास योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रबोधन करने हेतु पुनर्वास सैल गठित करने की सलाह दी गई है ।

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा सुझाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी परियोजनाओं के लिए पुनर्वास सैल गठित करने हेतु उड़ीसा राज्य सरकार ने अपने विभागों को पहले ही अनुदेश दे दिये हैं । हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, राज्य सरकारों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केन्द्र शासित प्रदेश ने जारी किए गए दिशानिर्देशों को स्वीकार कर लिया है और यह आश्वासन दिया है

कि उनके राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई परियोजनाओं के लिए इन दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया जाएगा। अन्य राज्यों से रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी हैं।

आंतरिक ऋण

2477. **श्री मुरली एस. देवरा : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्तरिक ऋण के आंकड़े क्या हैं और उसकी तुलना में देश का कुल राजस्व कितना है ; और

(ख) क्या सरकार के राजस्व का काफी प्रतिशत भाग प्रभार के रूप में चला जाता है। यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बैंक दर कम करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी.के. गढ़वी) : (क) और (ख) वर्ष, 1986-87 (बजट अनुमान) में केन्द्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के कुल राजस्व का अनुमान 55178 करोड़ रुपए लगाया गया था, आन्तरिक ऋण से निवल प्राप्तियां 11180 करोड़ रुपए और ब्याज संदाय 10091 करोड़ रुपए थी (जो कुल अनुमानित राजस्व का 18.3 प्रतिशत है)।

बैंक दरों को कम करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

"वन्य जीव जन्तुओं की लुप्त हो रही जातियां"

2478. **श्री शांताराम पोतदुखे :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन वन्यजीव जन्तु और पक्षियों की जातियां कौन-कौन सी हैं, जो लुप्त हो रही हैं ; और

(ख) लुप्त हो रही इन जातियों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) पशुओं की 146 प्रजातियों को संकटापन्न और खतरे में पड़ी हुई समझा जाता है, जिनमें 81 प्रजातियां स्तनधारियों की, 47 पक्षियों, की' 15 सरीसृपों की और 3 प्रजातियां जलथल चरों की हैं। अनुमान है कि देश में लगभग 1500 पौधों की प्रजातियां संकटापन्न हैं, जिनमें से 235 की सूची बना ली गई हैं। ब्यौरे भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के प्रकाशनों अर्थात "थ्रीटन्ड एनीमल्स ऑफ इण्डिया" और "रेड डाटा बुक आफ इण्डियन प्लान्ट्स" में दिए गए हैं, जिनकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) उठाये गये कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

— वन्य प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी अभिसमय के तहत वनस्पतिजात और प्राणिजात की संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार और वाणिज्य का विनियमन।

— वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 का प्रवर्तन जिसके अन्तर्गत उल्लंघन के लिए कठोर दण्ड निर्धारित किए गए हैं।

— पौधों और पशुओं की खतरे में पड़ी हुई प्रजातियों और उनके विविध वास स्थलों की सुरक्षा के लिए 60 राष्ट्रीय उद्यान और 266 वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किए गए हैं।

— 13 स्थलों को "जीवमंडल रिजर्व" के रूप में नाम निर्दिष्ट करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है जिनमें बहुत बड़ी मात्रा में जीव संसाधनों को अपनी प्राकृतिक अवस्था में संरक्षित किया जायेगा जिनमें से नीलगिरि जीवनमंडल रिजर्व को पहले ही गठित किया जा चुका है।

— नेशनल ब्यूरो अफ प्लान्ट जैनेटिक रिसोर्सिज वन से सम्बन्धित फसल वाले महत्वपूर्ण पौधों के संरक्षण पर ध्यान दे रहा है।

"विश्व पर्यावरण दिवस"

2479. **(डा०) प्रभात कुमार मिश्र :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 जून, 1987 को "विश्व पर्यावरण दिवस" मनाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अवसर पर लोगों में पर्यावरण की रक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिये कोई विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, 1987 को मनाया गया।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. सोसायटी आफ नेचर फोटोग्राफर्स ने दिल्ली विश्वविद्यालय में पर्णपाती और साल वनों, आल्पीय अंचलों तथा नम भूमि में प्राकृतिक वास स्थलों की वार्षिक फोटो प्रदर्शनी आयोजित की।

2. दिल्ली विश्वविद्यालय की बोटानिकल सोसायटी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग में "भारत में पर्यावरण प्रबन्ध के लिए शैक्षिक प्राथमिकताओं के सम्बन्ध में अनुसंधान" सम्बन्धी सेमिनार आयोजित की।

3. इन्स्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स ने दिल्ली में एक सेमिनार आयोजित की।

4. दि इंडियन फेडरेशन आफ यू. एन. एसोसिएशन्स ने दिल्ली में एक सेमिनार आयोजित की।

5. "दिल्ली में पर्यावरण की समस्याएं" नामक एक सेमिनार दिल्ली प्रशासन के पर्यावरण विभाग के सहयोग से इंडियन नेशनल साइंस एकादमी के तत्वाधान में आयोजित की गयी।

6. बाल भवन ने हरित वाहिनी के सदस्य उन बच्चों के लिए घटनाओं की एक श्रृंखला दिन भर आयोजित की, जिन्होंने हरितीकरण के लिए अपने आप को समर्पित किया था।

7. पर्यावरण के लिए विश्व सम्मेलन ने उन पत्रकारों तथा अन्य लोगों के लिए पर्यावरण पुरस्कार की घोषणा की, जिन्होंने पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

8. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन ने 4 जून, 1987 को यह घोषणा की कि जून के पूरे महीने को बम्बई में वृक्षारोपण के रूप में मनाया जाएगा। इस कम्पनी का प्रत्येक कर्मचारी इस माह के दौरान इसकी शोधशाला के चारों ओर वृक्ष लगाएगा।

9. बड़ौदा में, भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लि० द्वारा उगाए गए एक लाख से भी अधिक वृक्षों के एक "जीवन्त संग्रहालय" को पर्यावरण दिवस के अवसर पर राष्ट्र को समर्पित किया गया। संग्रहालय के लिए प्रयुक्त की गई कुल 75 हेक्टेयर भूमि में से 32 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षों की 70 संकटापन्न प्रजातियां उगाई गई थी।

10. "वायु प्रदूषण और वाहन जनित प्रदूषण" के सम्बन्ध में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक सेमिनार आयोजित की गयी।

11. अगरतल्ला में, त्रिपुरा के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक समारोह आयोजित किया, जिसमें उन व्यक्तियों को पांच नगद पुरस्कार दिए गए, जिन्होंने पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने में महत्वपूर्ण योगदान किया था।

12. "यूथ फार इन्वायरनमेंट एक्शन" नामक एक स्वैच्छिक दल के अधीन लोगों के दल" ने पर्यावरण सुरक्षा और सुधार के संदेश का प्रसार करने के लिए मद्रास शहर से चिंगलपुट तथा वहां से वापस 140 किमी. की पैदल यात्रा की। यह पैदल यात्रा 4 जून को प्रारम्भ हुई और 7 जून, 1987 को मद्रास में समाप्त हुई।

13. दि चण्डीगढ़ चैप्टर आफ दि इंस्टीट्यूट आफ दि टाउन प्लानर्स ने 5 जून, 1987 को चण्डीगढ़ में "पर्यावरण और गरीबों के लिए शरणस्थल" के सम्बन्ध में एक सेमिनार आयोजित की, जिसमें प्रमुख नगर योजनाकारो, इंजीनियरों, वास्तुकारों, सामाजिक वैज्ञानिकों तथा प्रशासकों ने भाग लिया।

"राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड"

2480. श्री एम० रघुमा रेड्डी :
श्री मानिक रेड्डी :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :
श्री सुभाष यादव :
श्री प्रकाश चन्द्र : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड को अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) वन भूमि सुधार की किन-किन योजनाओं को मंत्रालय द्वारा अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी; नहीं।

(ख) मंत्रालय में इस उद्देश्य हेतु कोई स्कीम लम्बित नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए सेवा अवधि की सीमा

2481. **श्री राम कुमार राय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए सेवा अवधि की सीमा के संबंध में कोई संशोधन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार का कोई कर्मचारी कितने वर्ष की सेवावधि के पश्चात् स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो सकता है और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के उप मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के ऋण

2482. **चौधरी राम प्रकाश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को यह सूचना प्राप्त हुई है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ऋण कुछ राज्यों में उचित ढंग से वितरित नहीं किये जा रहे हैं ;

(ख) उन राज्य औद्योगिक विकास निगमों के नाम क्या-क्या हैं जिन पर आरोप है कि वे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पुनोंक्त ऋण उचित ढंग से वितरित नहीं कर रहे हैं ;

(ग) इस मामले में सुधार के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(घ) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का प्रभावित उद्यमियों को सीधे राहत देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सरकार को कुछ ऐसी शिकायतें मिली हैं कि आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने एक खास अवधि के दौरान धन-राशियों का उचित रूप से भुगतान नहीं किया था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने, जिसे इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया था, यह पाया कि आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा ऋणों की मंजूरी और उनके भुगतान के संबंध में जिस प्रक्रिया का अनुपालन किया है वह अन्य राज्यों के औद्योगिक विकास निगमों द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया के समतुल्य थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक राज्य औद्योगिक विकास निगमों/राज्य वित्तीय निगमों जैसी

राज्य स्तरीय संस्थाओं के कार्य निष्पादन का समय-समय पर मूल्यांकन अध्ययन करता है ताकि उनके परिचालनों में सुधार किए जाने वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सके। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक राज्य स्तरीय एजेंसियों के कार्य पर उनके बोर्डों में मनोनीत अपने निदेशकों के जरिए भी नजर रखता है।

याचिकाओं का मौके पर निपटान करना

2483. **श्री पी० कुलनदैवेलू :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने याचिकाओं के "मौके पर निपटान" करने संबंधी कार्यक्रम आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो 1987 में अब तक कितनी याचिकाएं प्राप्त हुई हैं और उनमें कितनी याचिकाएं निपटा दी गई हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न राज्यों द्वारा लोगों की शिकायतों को तुरन्त दूर नहीं किया जाता; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) ऐसे सरकारी कार्यालय जिनका जनता से काफी वास्ता पड़ता है उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे जहां तक सम्भव हो सके शिकायतों का मौके पर ही निपटान करने की व्यवस्था करें। ये महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर शिकायत बूथों, बैंकों की बड़ी शाखाओं में "सहायता" काउंटरों, निर्धारित दिनों तथा समय आदि पर जनता की शिकायतों की खुली सुनवाई आदि के रूप में है।

(ख) इस आशय की सूचना केन्द्रीकृत रूप से उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) लोक शिकायतों का निपटान बीस सूत्री कार्यक्रम 1986 के सूत्र नम्बर 20 का एक अंग है। ऐसे संकेत हैं कि राज्य अपनी ओर से लोक शिकायतों के निपटान की व्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयास कर रहे हैं।

मंजूरी के लिये लम्बित पड़ी राज्यस्थान की परियोजनाएं

2484. **श्री शान्ति धारीवाल :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार कि मंजूरी और स्वीकृति के लिये कौन-कौन सी परियोजनायें भेजी थीं;

(ख) 30-6-1987 तक इनमें से किन परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है;

(ग) इन परियोजनाओं में से किन-किन परियोजनाओं को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है और इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) शेष परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दे दी जायेगी?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राजस्थान की लंबित परियोजनाओं को स्वीकृति

परियोजनाएं जिनके बारे में राजस्थान सरकार ने 1985-86 तथा 1986-87 में संघ सरकार को लिखा	30-6-87 तक स्वीकृत परियोजनाएं	परियोजनाएं जिन्हें अभी स्वीकृति दी जानी है उनके विलम्ब के कारण
1	2	3
विद्युत		
1. ब्रारा माइक्रो हाइडल (1X125 कि० वा०)	स्वीकृति नहीं दी गई	अभी राज्य सरकार द्वारा वित्तीय संसाधनों को जुटाया जाना है।
2. फुलसर माइक्रो हाइडल (1X280 कि० वा०)	- वही -	- वही -
सिंचाई		
1. सोम कमला अम्बा परियोजना	- वही -	सलाहकार समिति के प्रेक्षण पर राज्य सरकार की टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।
2. मैजा का आधुनिकीकरण और मैजाफीडर परियोजना का संशोधित अनुमान	- वही -	- वही -
3. सोम कागाडर सिंचाई योजना का संशोधित अनुमान	- वही -	- वहो -
खनन		
1. रामपुरा-अगूचा खान तथा चंदेरिया समेलटर	पहले चरण की पहले ही स्वीकृति देदी गई है	—
जलआपूर्ति और सफाई		
1. बिसलपुर बांध जलआपूर्ति स्कीम	स्वीकृति नहीं दी गई	29-7-87 को ही राज्य सरकार द्वारा संशोधित स्कीम दुवारा प्रस्तुत की गई तकनीकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

सुपर कंडक्टरों संबंधी अनुसंधान

2485. **श्री जी० एस० बसवराजू :**

श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं ने बताया है कि वे सुपर कंडक्टरों के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान के समान है ?

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में किये गये अनुसंधान का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सुपर संवाहक में अनुसंधान करने के लिए एक सुदृढ़ आधार स्थापित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री० के० आर० नारायणन) : (क) जी हां।

(ख) भारत के अग्रणी अनुसंधान संस्थानों में, 106 डिग्री केलविन तक के उच्च क्रांतिक तापमानों पर दुर्लभ भूमि सिरेमिक आक्साइडों में अतिचालकता परिघटना को देखा गया है। कुछ ग्रामों के बैचों में अतिचालकता नमूने तैयार करने तथा साथ ही उनके लक्षण-वर्णन के लिए भी मानकीकृत प्रक्रियाओं का विकास किया गया है। निओबियम-टिटोनियम अतिचालकता पदार्थ की तारों को भी प्रयोगात्मक पैमाने पर रखा गया है।

(ग) अतिचालकता के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास तथा अनुप्रयोग प्रयासों को प्रोत्साहन देने और उनके समन्वय के लिए सरकार ने एक शीर्ष निकाय तथा एक कार्यक्रम प्रबंध बोर्ड की स्थापना की है।

दिल्ली में राजस्थान संवर्ग के प्रतिनियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

2486. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के बहुत से अधिकारी दिल्ली में दिल्ली प्रशासन में और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रतिनियुक्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जो दिल्ली प्रशासन में और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रतिनियुक्त हैं और वे कब से प्रतिनियुक्त हैं : और

(ग) क्या यह सच है कि इनमें से कुछ पिछले एक दशक में प्रतिनियुक्त हैं यदि हां, तो उन्हें कब तक अपने मूल राज्य को वापस भेज दिया जायेगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्थान संवर्ग के 30 अधिकारी दिल्ली प्रशासन तथा राजधानी में केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

(ख) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

विवरण

भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्थान संवर्ग के अधिकारी जो दिल्ली प्रशासन तथा राजधानी में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर हैं :

क्रम सं०	नाम	आबंटन वर्ष	प्रतिनियुक्ति की तारीख
1	2	3	4
1		I-ऐसे अधिकारी जो दिल्ली प्रशासन में अन्त : संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर है	
1.	(श्रीमती संगीता गैरोला	1977	08.10.1986
2	(श्री बी० के० मल्होत्रा	1977	04.08.1986
		II-ऐसे अधिकारी जो राजधानी में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर है।	
	सर्व/श्री		
3.	एम० एम० कोहली	1952	24.09.1982
4.	बी० सी० पाण्डे	1955	12.04.1982
5.	नरेश चन्द्र	1956	25.02.1987
6.	अनिल बोरड़िया	1957	13.09.1984
7.	डी० एन० प्रसाद	1957	25.07.1984
8.	एम० पी० बिशनोई	1957	1[illegible].07.1983
9.	बी० एन० धौंदियाल	1957	18.07.1985
10.	श्रीमती अनेनिमा बौरड़िया	1957	23.04.1984
11.	आर० एल० मिश्रा	1958	17.05.1985
12.	एल० एन० गुप्ता	1958	06.07.1982
13.	ए० बी० गणेशन	1959	20.10.1986
14.	बी० एस० वर्मा	1960	05.12.1983
15.	सतीश कुमार	1961	07.06.1983
16.	बी० के० जुत्शी	1961	17.10.1986
17.	के० के० भटनागर	1962	13.04.1987
18.	अनिल कुमार	1965	22.04.1985
19.	बी० एन० बहादुर	1965	02.06.1986

1	2	3	4
20.	इन्द्रजीत खन्ना	1966	02.05.1984
21.	श्रीमती के० भटनागर	1967	01.05.1986
22.	ए० के० सक्सेना	1969	01.06.1987
23.	डा० एन० आर० भसीन	1969	10.05.1984
24.	कुमारी ए० के० आहुजा	1972	04.10.1982
25.	जी० एन० हल्दीया	1973	31.07.1985
26.	अभिमन्यु सिंह	1974	31.07.1985
27.	श्रीमती आर० आर० हल्दीया	1974	31.07.1985
28.	सलाहुउद्दीन अहमद	1975	10.07.1986
29.	श्रीमती सुखदीप बरार	1979	10.03.1986
30.	कुमारी नीलिमा जौहरी	1979	10.04.1985

आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य

2487. श्री सी. जंगा रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में 1 जनवरी, 1987 को आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के खुदार मूल्य क्या थे ;

(ख) पूर्व वर्ष में इनके स्तर के विपरीत चालू वर्ष के प्रत्येक महीने में इनके तुलनात्मक मूल्य क्या थे ; और

(ग) गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों तथा निश्चित आय वाले गैर और श्रेणी "क" नगरों में रहने वाले मध्यम आय वर्ग के लोगों पर मूल्य वृद्धि के प्रभाव की यदि कोई जानकारी मिली है, तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी. के. गढ़वी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण 1 और 2 में दी गई है।

(ग) विभिन्न सामाजार्थिक समूहों पर मूल्य वृद्धि के प्रभाव को उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक, अर्थात औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (आधार : 1960 = 100), नगरीय गैर-श्रमिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (आधार 1960 = 100) तथा कृषि मजदूरों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (आधार : 1960 = 100) में हुए घटबढ़ द्वारा आंका जा सकता है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के लिए कोई पृथक उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक नहीं है।

उपरोक्त वर्णित तीनों सूचक अंकों में जनवरी 84 से हुई घटबढ़ संलग्न विवरण 3 में दिखाई गयी है।

विवरण-1

दिल्ली में चुनी हुई मदों के खुदरा मूल्य

निम्न सप्ताहों के अन्त में (रुपए में मूल्य)

वस्तु	इकाई	2.1.87	3.1.86	4.1.85	6.1.84
1	2	3	4	5	6
चावल	किलोग्राम	4.50	4.00	3.50	4.00
गेहूं	,,	2.30	2.25	2.00	2.25
ज्वार	,,	2.30	उ०न०	उ०न०	2.00
बाजारा	,,	2.40	2.25	1.50	1.60
चना	,,	5.25	7.00	6.25	4.50
अरहर	,,	7.50	6.00	6.75	8.00
मूंग	,,	7.00	7.00	7.60	6.25
मसूर	,,	7.25	6.75	6.50	6.50
उड़द	,,	8.00	8.20	8.60	7.00
आलू	,,	3.00	2.00	1.00	1.50
प्याज	,,	3.50	2.50	1.50	2.00
दूध	लिटर	5.00	5.00	4.50	4.00
मछली	किलोग्राम	26.00	18.00	18.00	18.00
मांस	,,	28.00	26.00	22.00	21.00
मिर्चें	,,	18.00	24.00	28.00	15.00
चाय	,,	34.00	36.00	34.00	34.00
सोफ्ट कोक	40 किलोग्राम	27.37	26.80	23.70	उ०न०
मिट्टी का तेल	लिटर	2.25	2.11	1.92	1.89
आटा	किलोग्राम	2.60	2.90	2.50	2.40
चीनी	,,	भाव नहीं	6.50	5.70	5.40
गुड़	,,	4.00	5.00	3.00	3.00
वनास्पति	,,	23.00	18.52	16.35	14.20
मूंगफली का तेल	,,	25.00	20.00	22.00	20.00
सरसों का तेल	,,	20.00	14.00	15.00	21.00
नारियल का तेल	,,	37.00	29.00	44.00	34.00
बिनोली का तेल	,,	26.00	21.00	21.00	20.00

1	2	3	4	5	6
नमक	कि० ग्रा०	1.75	0.60	0.60	0.50
माचिसें	डिब्बी	0.30	0.25	0.25	0.25
कपड़े धोने का साबुन बार (निर्द)		9.50	9.50	11.50	8.50
लट्ठा	अद्द	15.65	14.25	14.25	14.00
धोती	,,	भाव नहीं	77.70	76.55	58.80
साड़ी	,,	57.40	57.40	56.70	58.80

.x. जनवरी के प्रथम सप्ताह को मूल्य

स्रोत :- नागरिक पूर्ति विभाग

उ०ल० : उपलब्ध नही

विवरण 2

1987 के दौरान दिल्ली में चुनी हुई वस्तुओं का खुदरा मूल्य x

(रुपयों में मूल्य)

	किस्म	इकाई	निम्नलिखित तारीख को						
			21.1.87	27.2.87	27.3.87	24.4.87	29.5.87	26.6.87	24.7.87
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
चावल	परमल	1 किलो ग्राम	4.50 (4.00)	4.50 (4.00)	4.50 (4.00)	4.50 (4.25)	4.50 (4.50)	4.50 (4.50)	4.50 (4.50)
गेहूं	कल्याण	"	2.30 (2.25)	2.30 (2.30)	2.50 (2.30)	2.50 (2.10)	2.50 (2.20)	2.50 (2.30)	2.50 (230)
ज्वार	पीला या सफेद	"	2.20 (2.25)	2.20 (2.25)	2.20 (2.25)	2.20 (2.50)	2.20 (2.50)	2.40 (2.50)	2.40 (2.50)
बाजरा	कोबर	"	2.50 (2.40)	2.40 (2.40)	2.10 (2.50)	2.10 (2.50)	2.25 (2.60)	2.40 (2.60)	2.40 (2.60)
चना	—	"	5.25 (6.50)	5.25 (6.50)	5.25 (6.60)	5.25 (5.50)	5.25 (5.50)	5.25 (5.70)	5.25 (5.70)
अरहर	देशी	"	7.50 (6·00)	8.00 (6.25)	8.25 (6.25)	8.00 (6.00)	8.00 (6.00)	8.25 (6.00)	10.00 (6.50)
मूंग	देशी धुली हुई	"	7.00 (7.60)	7.00 (7.60)	7.25 (7.50)	7.25 (7.00)	7.50 (7.20)	7.50 (7.50)	8.00 (7.60)
मसूर	देशी	"	7.25 (6.50)	7.50 (6.75)	7.25 (7.00)	6.75 (6.75)	6.50 (6.50)	6.50 (6.30)	7.00 (6.80)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उड़द	देशी धुली हुई	,,	8.00 (7.50)	8.00 (8.00)	8.25 (8.00)	8.25 (7.50)	8.25 (7.50)	8 25 (7.80)	8.50 (8.20)
आलू	एफ.ए.क्यू.	,,	2.50 (2.00)	2.00 (2.00)	2.00 (3.00)	2.00 (3.00)	2.25 (3.00)	2.50 (4.00)	3.50 (4.50)
प्याज	सूखा	,,	3.25 (2.50)	3.00 (2.50)	3.00 (2.50)	2.75 (2.00)	2.25 (1.50)	2.50) (1.20)	4.50 (2.50)
दूध	भैंस का लिटर		5.00 (5.00)	5.00 (5.00)	5.00 (5.00)	5.00 (5.00)	5.25 (500)	5.50 (5.00)	6.00 (5.00)
मछली	—	कि. ग्राम	26.00 (18.00)	26.00 (19.00)	26.00 (18.00)	26.00 (16.00)	26.00 (18.00)	38.00 (22.00)	32.00 (22.00)
मांस	बकरी	,,	28.00 (26.00)	28.00 (26.00)	28.00 (28.00)	28.00 (28.00)	30.00 (28.00)	30.00 (28.00	30.00 (28.00)
मिर्च	—	,,	18.00 (23.00)	17.00 (23.00)	17.00 (24.00)	17.00 (24.00)	17.00 (24.00)	17.00 (22.00)	20.00 (22 00)
चाय	खुली	,,	34.00 (36.00)	36.00 (36.00)	36.00 (36.00)	36.00 (36.00)	36.00 (36.00)	36.00 (36.00)	40.00 (36.00)
सोप्स फ्लैक	—	40 ग्राम	30.26 (26.80)	30.26 (27.37)	30.26 (27.37)	30.26 (27.37)	30.26 (27.37)	30.26 (27.37)	30.26 (27.37)
मिट्टी का तेल	—	लिटर	2.25 (2.11)	2.25 (2.25)	2.25 (2.25)	2.25 (2.25)	2.25 (2.25)	2.25 (2.25)	2.25 (2.25)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आटा	कल्याण	कि. ग्राम	2.60 (2.50)	2.60 (2.60)	उ.न. (2.60)	2.75 (2.40)	2.75 (2.60)	2.75 (2.70)	2.75 (2.70)
चीनी	लोकल	,,	7.00 (6.70)	7.00 (6.75)	6.80 (7.00)	6.80 (7.00)	6.50 (7.00)	6.50 (7.00)	6.75 (7.00)
गुड़	,,	कि. ग्राम	4.00 (4.50)	4.00 (4.00)	4.00 (4.00)	4.00 (4.50)	4.25 (4.50)	4.50 (5.00)	4.75 (5.50)
वनास्पती	खुला	कि. ग्राम	24.00 (18.92)	33.25 (18.50)	22.75 (19.00)	24.00 (19.00)	24.00 (20.00)	24.00 (20.00)	25.00 (20.00)
मूंगफली का तेल	,,	,,	26.00 (21.00)	26.00 (21.00)	26.00 (21.00)	26.00 (22.00)	26.00 (22.00)	27.00 (22.00)	32.00 (23.00)
सरसों का तेल	,,	,,	21.00 (14.00)	20.00 (14.00)	20.00 (14.00)	19.00 (14.00)	22.00 (17.00)	23.50 (16.00)	27.00 (17.00)
नारियल का तेल	,,	,,	37.00 (27.00)	40.00 (27.00)	38.00 (28.00	36.00 (29.00)	36.00 (30.00)	38.00 (31.00)	43.00 (32.00)
बिजली का तेल	,,	,,	26.00 (21.00)	28.00 (21.00)	28.00 (21.00)	28.00 (21.00)	28.00 (21.00)	28.00 (21.00)	32.00 (23.00)
नमक	टाटा	,,	1.75 (0.60)	1.75 (0.60)	2.00 (0.60)	2.00 (0.60)	2.00 (0.60)	2.00 (0.60)	2.00 (0.60)
माचिस	शिप डिब्बी		0.25 (0.25)	0.25 (0.25)	0.25 (0.25)	0.25 (0.30)	0.25 (0.30)	0.30 (0.30)	0.30 (0.30)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कपड़े धोने निरोल बार का साबुन			10.00 (9.50)	10.00 (9.50)	--- (9.50)	10.00 (उ.न.)	10.00 (उ.न.)	11.00 (उ.न.)	12.00 (उ.न.)
लट्ठा	डी. सी. अदद	एम.	15.65 (14.25)	15.65 (14.20)	15.65 (14.20)	15.65 (14.20)	15.65 (14.20)	15.65 (उ.न.)	16.50 (15.65)
धोती	"	"	उ.न. (88.30)	उ.न. (88.30)	उ.न. (88.30)	उ.न. (88.30)	उ.न. (88'30)	उ.न. (उ.न.)	उ.न. (80.90)
साड़ी	"	"	--- (57.40)	57.40 (57.40)	— (57.40)	— (57.40)	57.40 (57.40)	57'40 (उ.न.)	70.00 (57.40)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े 1986 की तदनुरुप अवधि के मूल्य सूचित करते हैं ।

x अंतिम सप्ताह/नवीनतम सप्ताह को उपलब्ध मूल्य

स्रोत : नागरिक पूर्ति विभाग

उ.न. उपलब्ध नहीं ।

विवरण-3

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में घटबढ़

वर्ष	महीना	औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार : (1960 = 100)	शहरी गैर-श्रमिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960-61 = 100)	कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960-61)
1984	जनवरी	563	504	523
1985	जनवरी	588	538	523
1986	जनवरी	629	577	553
1987	जनवरी	688	625	573
	फरवरी	686	624	573
	मार्च	686	625	573
	अप्रैल	691	630	572
	मई	703	638	579
	जून	715	—	588

विदेशी कर्ज

2488. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :**

श्री बी० एन० रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत पर कुल कितना विदेशी कर्ज है ;

(ख) किन-किन देशों और वित्तीय संस्थानों से कर्ज लिया गया है ; और

(ग) क्या विदेशों से लिए गए कर्ज की राशि पाउंड और डालर की तुलना में रुपए के अवमूल्यन के कारण दुगुनी हो गयी है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी. के. गढ़वी) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) विदेशी ऋण की पूरी राशि को संयुक्त राज्य अमरिका डालरों और पौंड स्टर्लिंग में अभिहित नहीं किया जाता है बल्कि यह मिली-जुली करेंसियों में होती है। यद्यपि अन्य करेंसियों के मुकाबले रुपये की विनिमय दर में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप रुपयों में अन्य ऋण देयता

की राशि में समय-समय पर परिवर्तन होते रहेंगे, फिर भी संबद्ध विदेशी करेंसियों में अंकित ऋण की राशि पर विदेशी मुद्रा दरों में होने वाले ऐसे परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

विवरण

31 मार्च 1987 को विदेशी ऋणों (सरकारी खाते में) की बकाया देनदारी को दर्शाने वाला विवरण।

(करोड़ रुपए)
(दाता देशों की करेंसी मिलियन में)

देश का नाम	31-3-87 को शेष बकाया राशि (दाता देशों के सम्बन्ध में)		(करोड़ रुपए)
1. आस्ट्रिया	(आस्ट्रेलियाई शिलिंग)	570.552	57.63
2. बेल्जियम	(बिल्जियम फ्रांक)	3864.191	132.54
3. कनाडा	(कनाडी डालर)	706.392	697.21
4. डेनमार्क	(डेनिश क्रोनर)	834.042	157.63
5. फ्रांस	(फ्रांसिनी फ्रांक)	5136.709	1094.12
6. जर्मनी संघीय गण राज्य	(ड्यूश मार्क)	4320.939	3063.55
7. इटली	(अमेरीकी डालर)	41.739	54.30
	(इटालियन लीरा)	4084.700	4.08
8. जापान	(जापानी येन)	328.925	2828.75
9. नीदरलैण्ड	(डच गिल्डर)	1757.280	1103.57
10. ब्रिटेन	(पौंड)	256.124	530.43
11. संयुक्त राज्य अमेरिका	(डालर)	2861.978	3723.43
12. अन्तर्राष्ट्रीय पुर्न निर्माण और विकास बैंक	(डालर)	2272.169	2956.09
13. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	(डालर)	9763.129	12701.83
14. अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	(डालर)	112.280	146.08
15. यूरोपीय आर्थिक समुदाय	(एम०ए०सी० डालर)	52.641	68.39
16. स्विटजरलैण्ड	(स्विस फ्रांक)	36.583	30.99
17. अबुधाबी	(देहराम)	40.801	14.77
18. आई०एम०ओ०	(डालर)	3.912	5.09
19. ईरान	(डालर)	4.534	5.90
20. कुवैत निधि	(के०डी०)	64.224	302.94

21. ओपेक	(डालर)	92.415	120.23
22. सऊदी कोष	(सऊदी रियाल)	232.441	80.66
23. संयुक्त अरब अमीरात	(डालर)	40.001	52.04
24. चेकोस्लोवाकिया	(रुपए)	61.169	6.12
25. हंगरी	(रुपए)	22.926	2.29
26. पोलैंड	(रुपए)	1.146	0.11
27. सोवियत जनवादी जनतंत्र संघ	(रूबल)	577.691	854.52
28. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्यास निधि	(एस०डी०आर०)	371.311	620.67
29. ईरान	(डालर)	386.413	502.72
		जोड़ :	31918.78

टिप्पणी : दाता देशों की करेंसियों के आंकड़े 31 मार्च 1987 को प्रचलित विदेशी मुद्रा दर के आधार पर परिवर्तित किए गए हैं।

*इसके अलावा; अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विस्तारित कोष सुविधा के अन्तर्गत पुनः क्रय सम्बन्धी बकाया देयताओं की राशि 31 मार्च, 1987 को 333.750 करोड़ एस०डी०आर० (4826.02 करोड़ रुपए) है।

"अन्तर-राज्यीय वन व्यापार का विनियमन"

2489. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वानिकी सलाहकार बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार को चन्दन के एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने, ले जाने को विनियमित करने के लिए एक कानून बनाने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) क्षेत्रीय सलाहकार समूहों में से एक अन्तर राज्य वन उत्पादन आन्दोलन पर विलम्बन का सुझाव दिया है।

(ख) सभी क्षेत्रीय सलाहकार समूहों से रिपोर्ट मिलने के बाद, उठाये जाने वाले कदमों को निश्चित करने के लिए, इस रिपोर्ट के साथ-साथ अन्य सुझावों की जांच होगी।

[हिन्दी]

राज्यों द्वारा आबंटित धन का उपयोग

2490. श्री के०डी० सुल्तानपुरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राज्यों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटित धन का पूरा उपयोग नहीं किया है; और

(ख) गत दो वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी०के० गढवी) : (क) और (ख) राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय महायता राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित संशोधित गाडगिल फार्मूला के अनुसार ब्लाक ऋण और अनुदान के रूप में दी जाती है। ये किन्हीं विशेष परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों से सम्बन्धित नहीं अनेये हैं। उन राज्यों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सहायता में अनुपातिक कटौती की जाती है जिन्होंने योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच हुए विचार-विमर्श के दौरान नियत किए गए अनुमोदित योजना परिव्यय को पूरा नहीं किया है उन राज्यों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की कटौती की जाती है जिन्होंने राज्य योजना के अधीन निर्धारित परिव्यय पूरा नहीं किया गया है।

वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान केन्द्रीय महायता में निम्न प्रकार से कटौतियां की गई :-

(करोड़ रु०)

	राज्य	केन्द्रीय सहायता में कटौती	
		(1985-86)	(1986-87
1.	असम	—	0.12
2.	गुजरात	—	0.21
3.	हरियाणा	—	0.14
4.	हिमाचल प्रदेश	0.05	—
5.	केरल		0.09
6.	मध्य प्रदेश	0.95	.
7.	महाराष्ट्र	—	0.27
8.	मणिपुर	—	0.49
9.	उड़ीसा	1.50	0.09
10.	पंजाब	2.88	0.12
11.	राजस्थान	—	0.46
12.	त्रिपुरा	0.26	1.04
13	पश्चिम बंगाल	4.15	3.71
	कुल जोड़ :	9.79	6.74

[अनुवाद]

उड़ीसा में वनरोपण कार्यक्रम

2491. **श्री राधाकांत डिगाल :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में वनरोपण कार्यक्रम के लिये कौन-कौन सी योजनायें बनाई गई हैं;

(ख) उनमें से कितनी योजनाएं राज्य के आदिवासी जिलों में कार्यान्वित की गई हैं;

(ग) सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार प्रत्येक जिले में कम से कम कितने प्रतिशत भूक्षेत्र में वन होने चाहिए; और

(घ) तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) उड़ीसा राज्य में वनारोपण का काम 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाता है। इसमें वनरोपण क्षेत्र और ग्रामीण विकास विभाग की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं, विदेशों से सहायता प्राप्त उड़ीसा सामाजिक वनरोपण परियोजना सहित राज्य योजना और योजना स्तर योजनाएं तथा राज्य वनसंवर्धन निगमों द्वारा संस्थागत सहायता से कार्यन्वित की जा रही वनरोपण योजनाएं शामिल हैं।

(ख) जनजाति जिलों में भी वनरोपण कार्यक्रमों को कर्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार समस्त देश के एक तिहाई भूमि पर वन होने चाहिए। परन्तु इसमें जिलावार प्रतिशत निर्धारित नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

"सिक्किम में वन लगाने का कार्यक्रम"

2493. **श्रीमती डी० के० भंडारी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री सिक्किम में वन लगाने के लिये कार्यक्रम के बारे में 8 अप्रैल, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5987 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड द्वारा वर्ष 1987-88 के लिए निर्धारित किए गए 150 लाख पौधों को लगाने के लक्ष्य में से 20 जुलाई, 1987 तक सिक्किम में कितने पौधे लगाये गये हैं ;

(ख) इन पौधों की पहचान के लिए उन पर क्या विशेष चिन्ह लगाये गए हैं; और

(ग) सिक्किम में वर्ष 1987-88 के दौरान राज्य क्षेत्र योजनाओं और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कुल प्रस्तावित धनराशि में से 20 जुलाई, 1987 तक कुल कितनी धनराशि दी गई थी ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) रोपे गए वृक्षों का दिन-प्रति-दिन का रिकार्ड नहीं रखा जाता है। तथापि, जून, 1987 के अन्त तक 82.60 लाख वृक्ष रोपे गए हैं।

(ख) रोपे गए पौधों की पहचान के लिए कोई विशेष चिन्ह नहीं दिया जाता है।

(ग) वनरोपण की राज्य क्षेत्र की स्कीमों के अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा निधियां बंटित की जाती हैं। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार द्वारा 20.7.1987 तक निम्नलिखित धनराशि बंटित की गई है :—

स्कीम का नाम		20.7.87 तक दी गई सहायता (लाख रुपये में)
1.	ग्रामीण जलावन की लकड़ी की पौधरोपण और पारि-संवेदनशील गैर-हिमालय क्षेत्रों में वनरोपण	शून्य
2.	हिमालय क्षेत्र में भू-जल और वृक्ष संरक्षण (आपरेशन सायल वाच)	शून्य
3.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	5.00
4.	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	7,25

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के लिए ली गई तलाशियां

2494. **श्री अमल दत्त :** क्या वित्त मंत्री भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशी मुद्रा के भेजे जाने के बारे में 18 मार्च, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3149 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 के दौरान ली गई तलाशियों के मामलों में क्या कार्यवाही की गई तथा कितने मुकदमे चलाये गए ; और

(ख) वर्ष 1987 (30 जून, 1987 तक) के दौरान कितनी तलाशियां की गई और उनका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्रालय में व्यय-विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) प्रवर्तन निदेशालय ने 1986 के दौरान 4186 तलाशियां लीं और इसमें से 27 मामलों में मुकदमें शुरू किए गए।

(ख) वर्ष 1987 के दौरान (30 जून, 1987 तक) 1697 तलाशियां ली गई जिनमें बहुत से आपत्तिजनक दस्तावेजों के अतिरिक्त 261.74 लाख रुपए की भारतीय मुद्रा और 62.83 लाख रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा पकड़ी गई।

सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 1987 में प्रश्नों का गलत तरीके से तैयार किया जाना

2495. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग को ऐसे अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें कहा गया है कि सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 1987 में राजनीति विज्ञान पत्र में चार प्रश्न ऐसे थे जिनके सभी उत्तर गलत तरीके से तैयार किये गये थे जिसके फलस्वरूप उन प्रश्नों को बिल्कुल ही छोड़ दिया गया ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) जिन उम्मीदवारों ने राजनीति विज्ञान को ऐच्छिक विषय के रूप में लिया था, उनके हितों को अन्य उम्मीदवारों की तुलना में संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां। संघ लोक सेवा आयोग को इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें यह आरोप लगाया गया था कि सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 1987 में राजनीति शास्त्र के प्रश्न पत्र के कुछ प्रश्न इस ढंग के थे कि इन्हें हल करना सम्भव नहीं था।

(ख) और (ग) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मामले की पूर्ण रूप से जांच की गई थी तथा ऐसे प्रश्न जिन्हें हल नहीं किया जा सकता था उन्हें आयोग की सामान्य प्रथा के अनुसार प्रश्न पत्र से निकाल दिया गया था। इससे यह सुनिश्चित हो गया कि अन्य उम्मीदवारों की तुलना में वैकल्पिक विषय के रूप में राजनीति शास्त्र लेने वाले उम्मीदवारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

विश्व बैंक द्वारा भारत को दी गई धनराशि

2496. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक द्वारा वर्ष 1986-87 में भारत को सहायता और ऋण के रूप में कितनी धनराशि दी गई है ;

(ख) वर्ष 1987-88 में कितनी धनराशि दिए जाने की संभावना है ;

(ग) विभिन्न राज्यों को यह धनराशि आवंटित करते समय किन मानदंडों और मार्ग-निर्देशों पर विचार किया जाता है ; और

(घ) आन्ध्र प्रदेश को वर्ष 1986-87 और 1987-88 में कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) 30 जून, 1987 को समाप्त होने वाले बैंक के राजकोषीय वर्ष 1987 के दौरान विश्व बैंक समूह द्वारा 280.4 करोड़ अमरीकी डालर की सहायता का वचन दिया गया है जिसमें से 212.80 करोड़ डालर अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के उधारों के रूप में और 67.60 करोड़ डालर अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋणों के रूप में होगी। बैंक के राजकोषीय वर्ष 1988 के दौरान वचनबद्ध सहायता की मात्रा लगभग 2.5 अरब डालर तक की होने की आशा है।

(ग) और (घ) विश्व बैंक समूह द्वारा सहायता के वचन विशिष्ट परियोजना निवेशों के रूप में दिए जाते हैं और ये राज्यों के आधार पर नहीं होते हैं। इसलिए विश्व बैंक समूह द्वारा दी जाने वाली सहायता का आन्ध्र प्रदेश को आबंटन करने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

बैंक के राजकोषीय वर्ष 1986 और 1987 के दौरान विश्व बैंक समूह ने आन्ध्र प्रदेश सिंचाई-II परियोजना के लिए 27.10 करोड़ डालर के वचन दिए हैं।

[हिन्दी]

शेयरों पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा

2497. **श्री कुंवर राम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों ने अपने शेयरों पर ओवरड्राफ्ट की सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे शेयरों के बदले ओवरड्राफ्ट की सीमा बढ़ाने के बारे में पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुभाग अधिकारी के वेतनमान में वेतन का निर्धारण

2498. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(त) क्या सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक अनुभाग अधिकारी का विभागीय परीक्षा के प्रश्न पत्रों को दो भाषाओं में मुद्रित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये श्रेणी "ग" आशुलिपिकों तथा सहायकों का वेतन पुराने वेतनमान 650-1040/1200 रु० में 710/- रुपए निर्धारित किया जाता था तथा इस समय उनका वेतन संशोधित वेतनमान 2000-3500 रुपये में 2000 रुपए निर्धारित किया जाता है;

(घ) क्या सरकार का संशोधित वेतनमान में उनका वेतन 2120/- रुपए निर्धारित करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नही; तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) तथा (ख) जी, हां। यह निर्णय लिया गया है कि जहां पर वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों/अनुभाग अधिकारियों के पद के लिए विभागीय परीक्षा के नियम, उम्मीदवारों को हिन्दी या अंग्रेजी में प्रश्न-पत्र हल करने की अनुमति देते हैं, वहां प्रश्न-पत्र द्विभाषी अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छापे जाएंगे।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) चतुर्थ वेतन आयोग ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "ख" में पदोन्नति होने पर रु० 2000-3500 के संशोधित वेतनमान में न्यूनतम प्रारम्भिक वेतन 2120/- रु0 रखे जाने की कोई विशेष सिफारिश नहीं की है। सरकार द्वारा वेतन आयोग की सिफारिशों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया गया

है। सहायक ग्रेड से अनुभाग अधिकारी ग्रेड में तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में ग्रेड "ग" से ग्रेड "ख" में पदोन्नति होने पर अधिकारियों का वेतन रु० 2000-3500 के संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारण के सामान्य नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

"पर्यावरण की दृष्टि से मंजूरी देना"

2499. **श्री डी.बी. पाटिल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार को पर्यावरण सम्बन्धी मंजूरी के लिए राज्य सरकारों से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनके मंत्रालय में कितने आवेदन एक वर्ष से अधिक की अवधि से लम्बित पड़े हैं;

(ग) इसके क्या करण हैं,

(घ) कितने आवेदन पत्र स्वीकार किए गए हैं तथा कितने अस्वीकार कर दिए गए हैं; और

(ङ) अस्वीकार किए जाने के क्या करण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से पर्यावरणीय मंजूरी के लिए 38 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित पर्यावरणीय आंकड़े प्रस्तुत न करने के कारण एक वर्ष से भी अधिक समय से पर्यावरणीय मंजूरी के लिए 56 आवेदन पत्र लम्बित हैं।

(घ) 347 आवेदन-पत्रों को मंजूरी दी गई है और 192 आवेदन-पत्रों को नामंजूर कर दिया गया है क्योंकि 1978 में पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आरम्भ किया गया था।

(ङ) इन आवेदन-पत्रों को नामंजूर करने के मुख्य कारण ये थे :-

- अपेक्षित पर्यावरणीय आंकड़े प्रस्तुत न करना,
- अपेक्षित पर्यावरणीय कार्यकारी योजना प्रस्तुत न करना;
- पर्यावरणीय असंगति; और
- पर्यावरण पर सम्भावित प्रतिकूल प्रभाव।

"कृतिक बल की स्थापना"

2501. **प्रो. नारायण चन्द्र पराशर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** पर्यावरण संरक्षण के लिए कृषिक बल की स्थापना के बारे में 14 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 924 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए कृतिक बल की स्थापना कर दी गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : जी, हां। दो पारिकृत्यक बल, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा राजस्थान में, क्रमशः दिसम्बर, 1982 और जुलाई, 1983 में स्थापित किए गए हैं।

सामाजिक वानिकी योजना

2502. डा. सुधीर राय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में वनों के अत्यधिक काटे जाने पर पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ अंकुश लगा है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्य-वार कितनी अतिरिक्त भूमि को सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत लाया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वन लगाए गए क्षेत्र का राज्य वार विवरण दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार वन लगाये गये क्षेत्र

क्षेत्र. 000 हे०

	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	उपलब्धियां		
		1984-85	1985-86	1986-87
1.	आन्ध्र प्रदेश	96.067	157.80	143.71
2.	असम	21.126	19.80	31.28
3.	बिहार	68.689	76.15	135.55
4.	गुजरात	145.17	124.85	113.55
5.	हरियाणा	48.375	46.85	37.08
6.	हिमाचल प्रदेश	25.95	33.60	33.56
7.	जम्मू और कश्मीर	14.485	23.35	28.53
8.	कर्नाटक	115.38	127.30	115.84
9.	केरल	38.539	58.30	75.96
10.	मध्य प्रदेश	172.81	175.05	196.00
11.	महाराष्ट्र	96.95	108.25	119.09
12.	मणिपुर	5.32	6.25	7.44
13.	मेघालय	5,135	6.55	7.90
14.	नागालैण्ड	7.79	13.45	27.18
15.	उड़ीसा	53.4	96.50	116.34
16.	पंजाब	26.5	29.50	28.38
17.	राजस्थान	41.578	47.90	67 05

18.	सिक्किम	4.016	4.1	5.75
19.	तमिलनाडु	55.34	60.75	99.06
20.	त्रिपुरा	7.5	10.00	13.15
21.	उत्तर प्रदेश	170.21	177.40	243.25
22.	पश्चिम बंगाल	50.05	55.75	77.80
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	4.45	4.75	6.12
24.	अरुणाचल प्रदेश	6.33	5.15	6.25
25.	चण्डीगढ़	0.225	0.076	0.19
26.	दादर और नगर हवेली	1.065	1.55	1.76
27.	दिल्ली	1.335	1.25	3.15
28.	गोआ, दमन और दीव	1.49	2.25	3.40
29.	लक्ष्य द्वीप	0.0055	0.0125	0.01
30.	मिजोरम	32.5	35.00	23.90
31.	पाण्डिचेरी	0.487	0.55	0.65
	कुल	1318.28	1514.538	1761.87

"दिल्ली में वन लगाने की योजना"

2503. **श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली में कितने पेड़ गिराए गए और उसके क्या कारण हैं;

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की उद्यान शाखा, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली छावनी बोर्ड आदि जैसी सिविल संस्थाओं ने पिछले वर्ष कितने पेड़ लगवाए;

(ग) कितने पौधे पनपे हैं; और

(घ) क्या दिल्ली में एक लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी, हां।

विवरण

संघ शासित क्षेत्र दिल्ली 1986-87 के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनरोपण

क्रम संख्या	एजेंसी का नाम	लगाए गए वृक्षों की संख्या
1.	लोक निर्माण विभाग	6,34,000
2.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	3,18,120
3.	दिल्ली नगर निगम	7,67,000
4.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	13,29,590
5.	दिल्ली कनटोनमेंट बोर्ड	98,598
6.	नई दिल्ली नगर पालिका	91,341
7.	दिल्ली जल प्रदाय एवं मल जल प्रबंध	14,910

कार्यकारी पूंजी

2504. **डा० बी०एल० शैलेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय से कार्यकारी पूंजी की कमी की समस्या पहले से बहुत गंभीर हो गई है;

(ख) क्या कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता के आकलन के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या देश में हाल ही में आए परिवर्तनों, जैसे "लीजिंग कम्पनियों" की भारी संख्या में स्थापना के कारण सरकार का कार्यकारी पूंजी आकलन सम्बन्धी मानदण्डों में परिवर्तन करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि औद्योगिक क्षेत्र के नाम बकाया बैंक ऋणों की राशि में, जो मुख्य रूप से कार्यशील पूंजी वित्त के रूप में होती है, वर्ष 1986-87 में 4304 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने औद्योगिक एककों की कार्यशील पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए मानक निर्धारित किये हैं। इन मानकों का सम्बन्ध मूलत: ऋणकर्ताओं के न्यूनतम मार्जिन और निर्धारित सीमाओं के अनुसार तालिकागत सामान के अनुरक्षण तथा प्राप्य वस्तुओं से है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रणाली की बराबर समीक्षा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने, हाल ही में ऋण प्राधिकार योजना के परिचालन की शर्तों को उदार बनाने की घोषणा की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, मामले के गुण दोषों के आधार पर तालिकागत सामान और प्राप्य वस्तुओं से सम्बन्ध निर्धारित मानकों में 20 प्रतिशत तक फेर बदल करने की व्यवस्था है।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा रुग्ण कंपनियों को पुन: चालू करना

2505. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संस्थाओं की यह नीति कुल मिलाकर असफल रही है कि रुग्ण कम्पनियों के विद्यमान प्रबंध मंडलों की संस्था द्वारा वित्तीय सहायता दिए जाने से पहले कुल वित्तीय आवश्यकता की कम से कम 20 प्रतिशत धनराशि जमा करनी चाहिए ;

(ख) क्या रुग्ण कम्पनियों के प्रबंधक अपने उद्यमों को बंद करने अथवा उन्हें बेचने के इच्छुक नहीं हैं और वे रुग्ण कम्पनियों को सामान्य वित्तीय सहायता कार्यक्रम द्वारा पुनः चालू करने अथवा उनका स्वस्थ कम्पनियों में विलय किए जाने के लिए सहज रूप से उत्तरदायी नहीं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का वित्तीय संस्थाओं को क्या शक्तियां प्रदान करने का विचार है ताकि वे उद्योगों को रुग्ण होने से बचाने और नियमित क्षेत्र में व्यवस्था कायम करने के लिए स्वयं पहल कर सकें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि वित्तीय संस्थाएं, ऋण का भुगतान करने से पूर्व, रुग्ण एककों का पुनरुद्धार करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताओं को कम से कम 20 प्रतिशत प्रवर्तकों द्वारा उपलब्ध कराए जाने पर जोर देती हैं। लेकिन, पात्र मामलों में प्रवर्तकों को यह अंशदान विभिन्न चरणों में देने की अनुमति दे दी जाती है और संस्थाओं द्वारा धनराशियां आनुपातिक आधार पर उपलब्ध कराई जाती हैं। अर्थक्षम रुग्ण एककों के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा पुनरुद्धार के मिलेजुले कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में विभिन्न राहतों और रियायतों की व्यवस्था के अलावा, अन्य बातों के साथ-साथ, रुग्ण एकक के किसी और कम्पनी में समामेलन अथवा विलय अथवा उसकी बिक्री की परिकल्पना की जाती है। ऐसे मिलेजुले कार्यक्रम तैयार करते समय वित्तीय संस्थाएं प्रबंध तंत्र की पर्याप्त पर भी विचार करती हैं। ऋण करारों के अन्तर्गत संस्थाओं को आमतौर पर, प्रबंध में संरचनात्मक परिवर्तन करने के अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन इन अधिकारों का प्रयोग सहायता प्राप्त कम्पनियों के सहयोग से किया जाना होता है। रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में कतिपय शक्तियां निहित हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी योजनाएं तैयार करना शामिल हैं जिनमें रुग्ण औद्योगिक कम्पनी के प्रबंध में परिवर्तन करना अथवा उसे अपने हाथ में लेना, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी का किसी अन्य औद्योगिक कम्पनी में समामेलन करना, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी के किसी औद्योगिक उपक्रम के एक भाग अथवा सम्पूर्ण उपक्रम को बेचना या पट्टे पर देना आदि शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की व्यापार और विकास सम्बन्धी रिपोर्ट

2506. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की 1987 वर्ष की व्यापार और विकास रिपोर्ट देख ली है जिसके अनुसार मंदी का बहुत अधिक खतरा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर गिरावट को रोकने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार है ताकि उपरोक्त रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अपेक्षित विकास हो सके ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) वर्ष 1987 के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (अंकटाड) की व्यापार और विकास रिपोर्ट के

अनुसार, पिछले 18 महीनों के दौरान विकसित बाजार वाली अर्थव्यवस्था के देशों में आर्थिक गतिविधियों की वृद्धि में कमी हुई है और इन्हें खतरनाक ढंग से मंदी के किनारे के निकट खड़ा कर दिया है।

(ख) 1976 में अंकटाड-IV में अपनाए गए वस्तुओं के लिए एकीकृत कार्यक्रम का भारत ने पूर्ण समर्थन दिया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने का प्रयास करना और इनके सामने प्रस्तुत अन्य समस्याओं के साथ अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु करारों के जरिए निपटना शामिल है। 9 जुलाई से 3 अगस्त, 1987 तक जेनेवा में हुए अंकटाड-VII में एकीकृत कार्यक्रम की वैधता की पुन: पुष्टि की गई थी।

भारत-अमरीका संयुक्त दीर्घावधि अनुसंधान परियोजना में प्रगति

2507. **डा० बी० एल० शैलेश : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) भारत में मानसून की सही-सही भविष्यवाणी करने के उद्देश्य से भारत-अमरीका संयुक्त दीर्घावधि अनुसंधान परियोजना में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) अमरीका से सुपर कम्प्यूटर के प्राप्त न होने का इस परियोजना पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) अमरीका द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सुपर कम्प्यूटर के अभाव में इस संयुक्त मानसून अनुसंधान परियोजना के सम्बन्ध में किस प्रकार कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) भारत में निश्चित मानसून पूर्वानुमान पर आधारित कोई भारत-अमरीका संयुक्त दीर्घावधि अनुसंधान परियोजना नहीं है। तथापि दोनों देशों के बीच सहयोग के अल्पकालिक कार्यक्रम हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा नई योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव

2508. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राव वाडियर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट का कुछ नई योजनाएं शुरू करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के नाम क्या हैं, और इन योजनाओं को कब से लागू करने का विचार है ; और

(ग) इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) वर्ष 1987-88 के दौरान भारतीय यूनिट ट्रस्ट कुछ नई स्कीमें शुरू करना चाहता है। इनमें से केवल एक स्कीम को, अर्थात वृद्धिशील आय यूनिट स्कीम, 1987 (III), को अन्तिम रूप दिया गया है जिसे पहली सितम्बर, 1987 से शुरू किया जाएगा।

(ग) उपर्युक्त नई स्कीमों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं : —

(1) स्कीम के अन्तर्गत यूनिटों की बिक्री पहली सितम्बर, 1987 से 31 अक्टूबर, 1987 तक होगी ;

(2) यह एक निश्चित समापन अवधि वाली स्कीम है, जिसकी परिपक्वता अवधि 5 वर्ष की है और यह स्कीम एकल व्यक्तियों तथा पात्र संस्थाओं के लिए खुली है ।

(3) इसके अन्तर्गत दिए जाने वाले लाभांश की वृद्धिशील दर 12.5 प्रतिशत से लेकर 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष के बीच रखी गई है ।

(4) योजना के अन्तर्गत दो विकल्प हैं, अर्थात असमुच्चयिक और सामुच्चयिक पूर्वोक्त विकल्प के अन्तर्गत लाभांश की अदायगी छमाही आधार पर की जाती है और उक्त रोक्त के आधार पर लाभांश का पुन: निवेश अपने आप कर दिया जाता है ताकि 5 वर्ष की समाप्ति के पश्चात निवेशित राशि दुगुनी हो जाए ।

(5) योजना के अन्त में 2 प्रतिशत के न्यूनतम प्रीमियम की व्यवस्था होगी ।

[हिन्दी]

आयकर आयुक्तों का सम्मेलन

2509. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1987 में आयकर आयुक्तों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया ;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया ; और

(ग) इस सम्मेलन से क्या लाभ प्राप्त हुए ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी, हां ।

(ख) जिन मुद्दों पर आयकर आयुक्तों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था वे निम्नलिखित हैं :—

(i) संवीक्षा कर-निर्धारणों की गुणवत्ता में सुधार करना ;

(ii) कर-अपवंचन और धोखेबाजी के नये तरीकों की शिनाख्त करना और उससे निपटने के लिए उपाय करना ;

(iii) प्रशासकीय ढांचे के कम्प्यूटरीकरण और प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर उपबन्धों के साथ पुन-र्व्यवस्थित करना ;

(iv) प्रत्यक्ष कर कानूनों के अन्तर्गत मुकदमेबाजी को कम करने के लिए योजना बनाना ;

(v) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्यक्ष कर विधि-निर्माण ; और

(vi) कर उगाहियों को अधिक से अधिक बढ़ाना (इनमें प्रत्यक्ष कर बढ़ाने के लिए नये क्षेत्रों की शिनाख्त करना भी शामिल है) ।

(ग) इस सम्मेलन का लाभ निम्नलिखित दृष्टि से आयकर आयुक्तों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करना है :

(i) क्षेत्रीय कार्यालयों का नेतृत्व करने वाले आयुक्तों से प्राप्त प्रतिपुष्टि सूचना के आधार पर ठोस निर्णय नीति तैयार करना ; और

(ii) कराधान की समस्याओं के समाधान के लिए एक समान दृष्टिकोण का सुनिश्चिय करना ।

[अनुवाद]

विकलांग व्यक्तियों को रियायतें

2510. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न सरकारी रोजगारों के आवेदन-शुल्क में रियायतें मिलती हैं, जैसा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आवेदनकर्ताओं को मिलती हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विकलांग व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन-शुल्क में रियायतें देने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) सरकार ने विकलांगों के लिए वर्ग "ग" तथा "घ" पदों में 3% रिक्तियों का आरक्षण किया है तथा ऐसे मामलों में कोई फीस नहीं ली जाती ।

जनजातीय जनसंख्या

2511. **श्री मतिलाल हंसदा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जनजातीय लोगों की राज्यवार संख्या कितनी है ; और

(ख) उनमें से गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों की राज्यवार संख्या क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/केन्द्रx शासित प्रदेश	कुल अनुसूचित जाति संख्या (1981 जनगणना) (जनसंख्या लाखों में)	गरीबी रेखा के नीचे रह रहे अनु० जनजातियों की संख्या
1.	2.	3.	4.
1.	आन्ध्र प्रदेश	31.76	गरीबी रेखा से नीचे रह रहे आदि-
2.	असमxx	18.29	वासी परिवारों की राज्यवार संख्या
3.	बिहार	58.11	के सम्बन्ध में कोई विशेष सर्वेक्षण

1	2	3	4
4.	गुजरात	48.49	नहीं किया गया। फिर भी, अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए कार्यदल ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ अनुमानों पर आधारित देश में आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त करने वाले लगभग 85 लाख आदिवासी परिवारों का अनुमान लगाया है।
5.	हिमाचल प्रदेश	1.97	
6.	कर्नाटक	18.25	
7.	केरल	2.61	
8.	मध्य प्रदेश	119 87	
9.	महाराष्ट्र	57.72	
10.	मणिपुर	3.88	
11.	मेघालय	10.76	
12.	नागालैंड	6.51	
13.	उड़ीसा	59.15	
14.	राजस्थान	41.83	
15.	सिक्किम	0.74	
16.	तमिलनाडु	5.20	
17.	त्रिपुरा	5.84	
18.	उत्तर प्रदेश	2 33	
19.	पश्चिम बंगाल	30.71	
20.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.22	
21.	अरूणाचल प्रदेश	4.41	
22.	दादर और नगर हवेली	0.82	
23.	गोवा दमन और द्वीव	0.11	
24.	लक्षदीप	0.38	
25.	मिजोरम	4.62	
	भारत	534.58	

* हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।

** प्रकाशित आंकड़े

त्रिपुरा में ऋण शिविर

2512. **श्री अजय बिस्वास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में ऋण शिविर आयोजित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या केन्द्रीय सरकार ने इस विषय पर राज्य सरकार से बातचीत की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार, समाज के कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले ऋणों के प्रवाह को बढ़ाने के लिए, अपने समग्र कार्यक्रम के एक अंग के रूप में किसी क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऋण शिविर आयोजित करते हैं। अतः इन ऋण शिविरों पर केन्द्र द्वारा नजर रखना न तो व्यवहारिक अथवा न ही आवश्यक समझा गया है।

देश में कम्प्यूटरों का आयात

2513. **श्री अजय विश्वास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान माइक्रो तथा मिनी कुल कितने कम्प्यूटरों का आयात किया गया ;

(ख) इन वर्षों के दौरान कम्प्यूटरों के आयात पर कुल कितनी राशि व्यय की गई; और

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में कम्प्यूटरों के इस्तेमाल के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) वर्ष 1985-86 तथा वर्ष 1986-87 के दौरान सूक्ष्म तथा लघु दोनों ही प्रकार के कम्प्यूटरों के आयात करने की अनुमति प्रदान की गई है, उनकी कुल संख्या क्रमश : 122 तथा 248 हैं तथा उनका मूल्य क्रमश: लगभग 202 लाख रुपये तथा 370 लाख रुपये है।

(ख) इन वर्षों के दौरान कम्प्यूटरों का आयात करने के लिए जितनी राशि की अनुमति प्रदान की गई है, वह क्रमश : 151 करोड़ रुपये तथा 190 करोड़ रु० है।

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में कम्प्टरों का उपयोग करने के संबंध में, सरकार की वर्तमान नीति यह है कि केवल उन क्षेत्रों में जहां प्रत्यक्ष रूप से जनशक्ति में कटौती नहीं की जाती है अपितु वर्तमान कर्मचारियों के पुनर्नियोजन के लिए और सुअवसर मिलते हों, वहां कम्प्यूटरीकरण को प्रोत्साहित करना है। ऐसे कार्यकलापों को प्रोत्साहन दिया जाता है जहां कम्प्यूटीकरण से प्रचालन-कार्यों में अत्यधिक रूप से कार्य-कुशलता में वृद्धि होती है जिसके परिणामस्वरूप आम आदमी को प्रत्यक्ष रूप से समय, धन तथा प्रयास के रूप में लाभ मिलता हो।

"गल्फस्ट्रीम III इग्जेक्यूटिव" जेट विमानों की खरीद

2514. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह विदेश मंत्रालय अथवा इस के अधिन कार्य कर रहे किसी अन्य संगठन ने अभी हाल में "गल्फ स्ट्रीम-III इग्जेक्यूटिव" जेट विमान खरीदे हैं;

(ख) ये विमान किससे और किस मूल्य पर खरीदे गये हैं और यदि इस सौदे में कोई बिक्री एजेंट था उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इन जेट विमानों को खरीदने का औचित्य क्या है; और

(घ) क्या मंत्रालय के पास कोई अन्य विमान है और यह किस कार्य के लिये प्रयोग किये जाते हैं तथा पिछले एक वर्ष में इसने कितने घन्टे उड़ान की;

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) भारत सरकार ने तीन 'गल्फस्ट्रीम III/एस०आर० ए०I विमान खरीदे हैं । गल्फस्ट्रीम के एस०आर० ए० I वर्शन में रिसी प्लेटफार्म की व्यवस्था है ।

(ख) तीनों विमानों को 40.93 मिलियन अमरीकी डालर की कुल कीमत में विनिर्माता मै. गल्फस्ट्रीम एयरोस्पेस कारपोरेशन, यू०एस० ए. से सीधे खरीदा गया था । इसके बीच में कोई बिक्री एजेंट नहीं था ।

(ग) इन, विमानों को वी. वी. आई. पी. कार्य के लिये नहीं खरीदा गया है बल्कि देश की सुरक्षा से सम्बधित कार्यों के लिए खरीदा गया है ।

(घ) रखे गए विमानों और उनके उपयोग के सम्बन्ध में जानकारी देना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं होगा ।

भारतीय वायुसेना के लिये विमानों की खरीद

2515. श्री बी. तुलसीराम :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

श्री शांति धारीवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिये तीन विमान खरीदे हैं;

(ख) यदि हां तो ये विमान किस देश से खरीदे गये हैं और प्रत्येक विमान का मूल्य क्या है;

(ग) उनकी विमान क्षमता क्या है और अमरीका द्वारा पाकिस्तान को दिये गये विमानों से यह किस सीमा तक बेहतर हैं;

(घ) ये विमान कब तक भारत पहुंचने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) भारत सरकार ने तीन गल्फस्ट्रीम III/एस०आर० ए० I विमान प्राप्त किए हैं ।

(ख) ये विमान यू. एस ए. से खरीदे गये थे । तीन विमानों का मूल्य 40.93 मिलियन अमरीकी डालर है ।

(ग) गल्फस्ट्रीम III/एस. आर. ए. I विमान का अधिकतम आपरेटिंग एल्टीट्यूड 45,000 है और अनुमानतः रेंज 4000 नाटिकल मील है । तुलना का प्रश्न युक्ति संगत नहीं है ।

(घ) एक विमान भारत में 1.6. 1987 को पहुंचा है । अन्य दो विमान भारत में लगभग दो वर्ष बाद पहुंचने की आशा है ।

"गल्फ स्ट्रीम-III इक्जेक्यूटिव जेट" विमानों की खरीद

2516. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश मंत्रालय ने तीन "गल्फ स्ट्रीम-III इक्जेक्यूटिव जैट" विमान खरीदे हैं अथवा इनकी सप्लाई के लिये किसी ठेके पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन विमानों की क्षमता, मूल्य एवं रेंज क्या है;

(ग) सप्लाई किये जाने की संभावित तारीख क्या है;

(घ) ये विमान किस प्रयोजन के लिये खरीदे गये हैं;

(ङ) क्या भारतीय वायु सेना ने इन विमानों की जांच की है; और

(च) क्या ये विमान भारतीय वायु सेना के अति विशिष्ट व्यक्तियों के स्क्वैड्रन में शामिल किये जायेंगे ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) भारत सरकार ने तीन एम्ब्रेयर-III/एच० आर० ए० I विमान प्राप्त किये हैं।

(ख) इस विमान की क्षमता 18 यात्रियों की है। तीनों विमानों का मूल्य 40.93 मिलियन अमरीकी डालर है। विमान की रेंज 4000 नाटिकल मील है।

(ग) एक विमान 1.6. 1987 को भारत पहुंचा। अन्य दो विमानों की भारत में लगभग दो वर्ष बाद पहुंचने की संभावना है।

(घ) ये विमान देश की सुरक्षा से जुड़े कार्यों के लिये खरीदे गये हैं।

(ङ) इस विमान का चयन विशेषज्ञों द्वारा सुविचारित मूल्यांकन के बाद किया गया था जिसमें वायुसेना के सेवारत अधिकारी भी थे।

(च) जी नहीं

आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखायें खोलना

2517. **श्री बी०तुलसीराम** : क्या वित्त मंत्री महबूबनगर और रंगा रेड्डी जिलों (आंध्र प्रदेश) में बैंकों की शाखायें खोलने हेतु लाइसेंस के लिये लंबित आवेदन के बारे में 4 मार्च, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1281 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और जानकारी कब तक एकत्र किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे आंध्र प्रदेश राज्य में महबूबनगर और रंगरेड्डी जिलों के पता लगाये गये केन्द्रों की सूची राज्य सरकार से सितम्बर, 1986 में प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार द्वारा महबूबनगर के 20 केन्द्रों और रंगरेड्डी जिले के 42 केन्द्रों की सूची भेजी गयी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन सूचियों की जांच करने के पश्चात् महबूबनगर और रंगरेड्डी जिलों में शाखाएं खोलने के लिये वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को क्रमशः 15 और 13 केन्द्र आवंटित किये थे। इन केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। महबूबनगर जिले में 5 केन्द्र और रंगरेड्डी जिले में सभी 13 केन्द्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आवंटित किये गये हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह कहा है कि वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति अवधि के दौरान आवंटित केन्द्रों में शाखाएं विभिन्न चरणों में खोली जायें।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

महबूबनगर और रंगरेड्डी जिलों में वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आबंटित किये गये केन्द्रों के नाम दर्शाने वाला विवरण

जिला महबूबनगर

केन्द्र का नाम	बैंक का नाम
1. सिद्दापुर	भारतीय स्टेट बैंक
2. हृथोले	तदैव
3. कानुकुर्ती	तदैव
4. हुस्नबाद	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद
5. यापत्ला	तदैव
6. हानवाडा	तदैव
7. लालकिटा	आन्ध्रा बैंक
8. मुगूर	तदैव
9. पेद्दपनूर	तदैव
10. गोरीठा	यूनियन बैंक आफ इंडिया
11. जुन्नाराम	मंगलेश्वर ग्रामीण बैंक
12. बीजावरम	तदैव
13. कल्वीकोल	तदैव
14. धर्मावरस	तदैव
15. करवंगा	तदैव

जिला रंगरेड्डी

1. सरदारनगर	गोलकोण्डा ग्रामीण बैंक
2. मुजाहिदपुर	तदैव
3. दादापुर	तदैव
4. वेलछल	तदैव
5. अजीजनगर	तदैव
6. मंबापुर	तदैव
7. सिद्लूर	तदैव
8. वाखाड़ मोथुकपल्ली	तदैव
9. कोमते द्दियपल्ली	तदैव
10. इन्दूर	तदैव
11. चौडापुर	तदैव
12. घाटासिंहपुर	तदैव
13. बोदकोण्डा	तदैव

राजस्थान में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत ऋण

2518. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में निर्धनता उन्मूलन संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 के दौरान कितनी धनराशि के ऋणों का वितरण किया गया;

(ख) कितने प्रतिशत लाभार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है; और

(ग) वर्ष 1987-88 के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा कितनी धनराशि के ऋणों का वितरण करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)(क) और (ख) : राजस्थान में प्राथमिकता क्षेत्र, कमजोर वर्गों, विभेदी ब्याज दर योजना और 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों की अद्यतन उपलब्ध स्थिति निम्नानुसार है :-

(खातों की संख्या लाखों में-
(रकम करोड़ रुपए में)

	के अंत में	खातों की सं०	बकाया रकम
1. कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	दिसम्बर, 1985	7.44	757.81
2. प्राथमिकता क्षेत्र में कमजोर वर्गों को अग्रिम	तदैव	6.16	207.94
3. कुल विभेदी ब्याज दर अग्रिम	तदैव	0.94	14.53
4. 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अग्रिम	जून, 1985	4.40	260.74

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

(करोड़ रुपये)

वास्तविक लक्ष्य	सहायता, प्राप्त परिवारों की संख्या	वास्तविक लक्ष्य के मुकाबले सहायता प्राप्त परिवारों की प्रतिशतता	संवितरित मावधि ऋण
1,55,900	1,64,472	105.5	34.75

शहरी गरीबों के वास्ते स्वरोजगार कार्यक्रम

अवधि	सूचना देने वाले केन्द्रों की सं०	हिताधिकारियों की संख्या: लक्ष्य	स्वीकृति ऋण	प्रतिशतता
1986-87 (फरवरी 1987 तक)	159	22,117	16,100	73

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और शहरी गरीबों के स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत 1987-88 के वास्ते राजस्थान का वास्तविक लक्ष्य निम्नानुसार है :-

1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम　　　　　　----1,98,162

2. शहरी गरीबों के वास्ते स्वरोजगार कार्यक्रम-पात्र केन्द्रों में 300 व्यक्तियों में से एक हिताधिकारी

बैंको से गत वर्ष के अन्त में अपने कुल बकाया ऋणों के 1 प्रतिशत तक की राशि विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत संवितरित करने के लिए कहा गया है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, शहरी गरीबों के वास्ते स्वरोजगार कार्यक्रम और अन्य गरीबी हटाओ कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1987-88 के दौरान ऋणों का भुगतान प्रायोजित पात्र व्यक्तियों की संख्या परिसंपित्तयों की उपलब्धता, योजनाओं की लाभप्रदता, हिताधिकारियों के ऋण उपयोग क्षमता आदि पर निर्भर करेगा।

मध्य प्रदेश के भरिया आदिवासी लोगों के लिए योजनाएं

2519. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में दुर्गम क्षेत्र पाताल कोट में 252 आदिवासी परिवारों के विकास के लिए गत एक दशक के दौरान लगभग एक करोड़ रुपया व्यय किया है ;

(ख) क्या 98 प्रतिशत से भी अधिक ये भरिया आदिवासी अब भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी गई है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

"भारतीय चन्दन के उत्पादन में गिरावट"

2520. **श्री एच. बी. पाटिल** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व भर में अपनी मोहक सुगंध के लिए प्रसिद्ध भारतीय चन्दन के उत्पादन में उसके वृक्षों पर स्पाईक रोग और तस्करी के कारण भारी गिरावट आयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कर्नाटक अथवा तमिलनाडु की सरकार से कोई रिपोर्ट मांगी है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने इस बारे में कोई अनुसंधान किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) स्पाईक रोग चंदन के वृक्षों के रोगों में से एक आम रोग है जिसका परिणाम यह हुआ कि देश के कुछ हिस्सों में चन्दन के वृक्ष बड़े पैमाने में नष्ट हुए हैं और उत्पादन में महत्वपूर्ण कमी आई है। चन्दन के वृक्षों की गैर-कानूनी कटाई के उदाहरण सरकार के ध्यान में आये हैं।

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्पाईक रोग के निम्नलिखित पहलुओं पर अनुसंधान किया गया है :—

(1) रोग के लिए उत्तरदायी रोगवाहकों (वेक्टर) और जीवों का अभिनिर्धारण ;

(2) चन्दन के वृक्ष की रोग प्रतिरोधक विविधता और इसके परपोषी पौधों का अभिनिर्धारण ; और

(3) रोग नियंत्रक की रासायनिक पद्धति।

इस रोग के कारक के रूप में जीव जैसे एक सूक्ष्मजीव का पता लगाया गया है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का जापानी कम्पनी के जरिए ऋण लेने का प्रस्ताव

2522. **श्री पी० एम० सईद :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का एक जापानी बीमा कम्पनी के जरिये बहुत बड़ी धनराशि का ऋण लेने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त ऋण का ब्यौरा क्या है और ऋण लेने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस वर्ष यूरोप के देशों से ऋण प्राप्त करने की संभावना का पता लगाने की भी योजना बना रही है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसने जापानी बीमा कम्पनियों सहित ऋणदाता कम्पनियों के एक सिंडिकेट से 10 अरब येन (लगभग 87 करोड़ रुपए) का ऋण लिया है। यह ऋण विकास बैंक की सहायता-प्राप्त औद्योगिक परियोजनाओं की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लिया गया है। इस पर 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा और यह 15 वर्षों के बाद चुकाया जाएगा।

(ग) यूरोपीय बाजारों से ऋण लेना उन बाजारों की परिस्थितियों और धनराशियों की आवश्यकता पर निर्भर करता है ;

"देश में चन्दन का उत्पादन"

2523. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान देश में चन्दन की लकड़ी का कुल कितने टन उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या पिछले वर्षों की तुलना में उत्पादन में गिरावट आयी है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) चन्दन की लकड़ी की संकर किस्म के बीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) देश में वर्ष 1986-87 के दौरान चन्दन की लकड़ी का कुल उत्पादन 2806.65 मीट्रिक टन था।

(ख) और (ग) 1986-87 के दौरान पिछले वर्षों की तुलना में उत्पादन में कुछ कमी आयी क्योंकि अब केवल सूखे वृक्षों की लकड़ी ही वनों से बाहर निकाली जा सकती है।

(घ) चन्दन की लकड़ी की कोई संकर जाति नहीं है।

ध्रुव रिएक्टर का कार्यकरण

2524. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ध्रुव रिएक्टर चालू होने के पश्चात के बारह महीनों में से लगभग छः महीने बंद रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो यह रिएक्टर इस समय किस स्थिति में है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष, विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) रिएक्टर को इस समय 40 मेधावाट (थर्मल) के स्तर पर दिन-रात चलाया जा रहा है। आरंभ में सामने आई कम्पनों सम्बन्धी समस्या का समाधान किया जा चुका है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए पश्चिम बंगाल को आवंटित धनराशि

2525. **डा. फूलरेणु गुहा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए पश्चिम बंगाल के लिए वर्ष 1987-88 हेतु क्या लक्ष्य निश्चित किए गए हैं और कितनी धनराशि आवंटित की गई है ;

(ख) इन वर्गों के उत्थान के लिए वर्ष 1987-88 के दौरान राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ;

(ग) वर्ष 1986-87 के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(घ) क्या इन वर्गों के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए जिला स्तर पर कोई संस्था बनाई गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) निर्धारित लक्ष्य अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के क्रमशः 2,00,000 और 54,000 परिवार।

आबंटित धनराशि : अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 1837.86 लाख रु० तथा 760.26 लाख रु० ।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए 7953:05 लाख रु० तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 3266.891 लाख रु० ।

(ग) (लाख रु०)

	विशेष केन्द्रीय सहायता	राज्य योजना
अनुसूचित जातियां	1883.62	7114.705
अनुसूचित जनजातियों	701.29	2975.103

(घ) और (ङ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए सहायता देने, सलाह देने और निरीक्षण करने हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जिला कल्याण समिति है । जिला स्तरीय समिति में निम्नलिखित सम्मिलित है :-

1.	सभाधिपति, जिला परिषद	अध्यक्ष व संयोजक
2.	जिले के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सभी संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य	सदस्य
3.	प्रत्येक ब्लाक में से ब्लाक स्तरीय कल्याण समिति का एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सदस्य	सदस्य
4.	जिला मजिस्ट्रेट	सदस्य
5.	जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण कार्यालय का प्रभारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट	सदस्य
6.	अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण परियोजना अधिकारी, आई. टी. डी. पी.	सदस्य
7.	जिले में तैनात विशेष अधिकारी/अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति कल्याण अधिकारी	सदस्य

बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की बकाया धनराशि

2526. **श्री सी. माधव रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की बकाया धनराशि के सम्बन्ध में केन्द्रीय और राज्य वार वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) 5000 रुपये से कम, 5000 रुपये से 10,000 रुपये तक, 10,000 रुपये से 20,000 रुपये तक, 20,000 रुपये से 50,000 रुपये तक, 50,000 रुपये से, 1,00,000 रुपये तक तथा 1 लाख रुपये से अधिक धनराशि के ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की राज्यवार संख्या क्या है ;

(ग) उक्त श्रेणियों में ऋण वापस न किए जाने के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ; और

(घ) प्राथमिकता वाली विभिन्न मदों के लिए ऋणों के वितरण का राज्यवार ब्यौरा क्या है और क्या ग्रामीण कृषि सम्बन्धी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए मानदण्डों आदि में कोई संशोधन करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिसम्बर 1986 के अन्त की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों की आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती ।

(घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत दिए गए राज्यवार अग्रिमों के आंकड़े दिसम्बर 1985 को समाप्त अवधि के सम्बन्ध में उपलब्ध हैं और ये आंकड़े अनुबन्ध में दिए गए हैं । बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कह दिया गया है कि मार्च 1987 के अन्त तक, उनके कुल अग्रिमों में प्रत्यक्ष कृषि ऋणों का हिस्सा 16 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए ।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल अग्रिमों और प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का राज्यवार

विवरण

(रकम करोड़ रुपये में)

क्षेत्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल अग्रिम	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम
	दिसम्बर 1986	दिसम्बर 1985
1. **उत्तरी क्षेत्र**	**11109**	**4154**
हरियाणा	1181	737
हिमाचल प्रदेश	250	142

1	2	3	4
	जम्मू और कश्मीर	163	101
	पंजाब	2353	1343
	राजस्थान	1445	758
	चंडीगढ़	1235	257
	दिल्ली	4481	816
2.	**पूर्वोत्तर क्षेत्र**	**740**	**362**
	असम	546	253
	मणिपुर	29	15
	मेघालय	39	22
	नागालैण्ड	40	23
	त्रिपुरा	50	33
	अरुणाचल प्रदेश	12	5
	मिजोरम	9	6
	सिक्किम	15	5
3.	**पूर्वी क्षेत्र**	6855	2492
	बिहार	1572	861
	उड़ीसा	933	475
	पश्चिम बंगाल	4340	1152
	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10	4
4.	**मध्य क्षेत्र**	6134	3208
	मध्य प्रदेश	2137	1017
	उत्तर प्रदेश	4015	2191
5.	**पश्चिमी क्षेत्र**	16735	4097
	गुजरात	3425	1350
	महाराष्ट्र	13044	2646
	गोआ, दमन और द्यू	263	98
	दादरा और नगर हवेली	4	3
6.	**दक्षिणी क्षेत्र**	15208	6335

1	2	3	4
	आन्ध्र प्रदेश	4224	1952
	कर्नाटक	3832	1616
	केरल	1892	842
	तमिलनाडु	5179	1890
	पांडिचेरी	79	35
	लक्षद्वीप	1	1
	अखिल भारत	56779	20648

टिप्पणी : पूर्णांकन के कारण सम्भव है कि जोड़ मेल नहीं खाये ।

राज सहायता के प्रभाव

2527. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में भारी राज-सहायता देना उत्पादन वृद्धि विरोधी सिद्ध हो रहा है; और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ;

(ख) खाद्यानों, उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं और बीजों के मामले में कितनी राज-सहायता दी जाती है; और

(ग) ब्याज की विभेदी दरों के सम्बन्ध में कितनी राज-सहायता दी जाती है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) सरकार द्वारा आर्थिक सहायता (सब्सिडी) की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और यदि जरूरत हो तो इस सम्बन्ध में उपचारात्मक कार्रवाई भी की जाती है ।

(ख) और (ग) चालू वर्ष में, जैसा कि वर्ष 1987-88 के बजट प्रलेखों में दर्शाया गया है, खाद्यान्नों और उर्वरकों पर आर्थिक सहायता (सब्सिडी) के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमानित व्यय इस प्रकार है :—

	बजट अनुमान—1987-88/करोड़ रुपए
खाद्यान्न आर्थिक-सहायता	2000
उर्वरक आर्थिक-सहायता	1910
जिसमें से :—	
स्वदेशी उर्वरकों पर	1750
आयातित उर्वरक पर	160

कीटनाशक दवाइयों, बीजों और ब्याज-विभेदकों पर आर्थिक-सहायता (सब्सिडी) के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

बैंक ऋण की वसूली

2528. **श्री सी. माधव रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार ऋण वसूली की स्थिति क्या है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में बैंक ऋण वसूली असंतोषजनक रही है, जैसा कि 8 जुलाई, 1987 के "इकानामिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार का रोजगार के अवसरों और जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु विशिष्ट लाभदायक वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए कमजोर वर्गों के लोगों के लिए ब्याज की दर को अधिक आकर्षक तथा लगभग नाममात्र निर्धारित करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की जून 1985 के अन्त में वसूली सम्बन्धी स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पश्चिम बंगाल राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की मांग की तुलना में वसूली की प्रतिशतता 33.9 थी जबकि अखिल भारत स्तर पर यह प्रतिशतता 54.2 थी। पश्चिम बंगाल में अग्रिमों की कम वसूली आमतौर पर वसूली अनुशासन के खराब होने, बिजली की सप्लाई कम होने और कारगर निगरानी के न होने के कारण है।

(ग) वसूली के कार्य निष्पादन को सुधारने की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाने, योजनागत मूल्यांकन प्रणाली अपनाने, उधार देने के बाद निगरानी रखने और राज्य सरकारों की मदद से वसूली अभियान चलाने आदि जैसे कारगर उपायों को अमल में लाने के लिए कहा है। बैंकों को निरन्तर और प्रभावकारी पर्यवेक्षण रखने के लिए अपनी निकटवर्ती शाखाओं के समूह के वास्ते एक वसूली कक्ष स्थापित करने के लिए कहा गया है। बैंकों के निदेशक मंडलों द्वारा भी वसूली की स्थिति की समय-समय पर जांच की जाती है।

(घ) समाज के कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले ऋणों की ब्याज दरें कम रखी गयी है अर्थात विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले ऋणों पर 4 प्रतिशत, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और शहरी गरीबों के स्वरोजगार कार्यक्रम आदि जैसे विशेष योजनाओं पर 10 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। चूंकि समाज के कमजोर वर्गों से ली जाने वाली ब्याज दरें पहले ही कम हैं, इन दरों को और कम करना व्यावहारिक समझा गया है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली सम्बन्धी राज्यवार स्थिति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मांग के मुकाबले वसूली की प्रतिशतता
	जून 1985
1. **उत्तरी क्षेत्र**	60.9

	हरियाणा	58.9
	हिमाचल प्रदेश	50.6
	जम्मू और कश्मीर	43.1
	पंजाब	70.9
	राजस्थान	48.2
	चंडीगढ़	41.1
	दिल्ली	39.9
2.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	39.3
	असम	35.2
	मणिपुर	21.2
	मेघालय	55.7
	नागालेंड	44.4
	त्रिपुरा	31.7
	अरुणाचल प्रदेश	51.0
	मिजोरम	51.9
	सिक्किम	11.6
3.	पूर्वी क्षेत्र	37.9
	बिहार	37.6
	उड़ीसा	43.4
	पश्चिम बंगाल	33.9
	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	18.4
4.	मध्य क्षेत्र	51.2
	मध्य प्रदेश	44.0
	उत्तर प्रदेश	54.3
5.	पश्चिमी क्षेत्र	47.3
	गुजरात	53.0
	महाराष्ट्र	44.9
	गोवा, दमन और दीव	41.8
	दादरा और नागर हवेली	29.0

6.	दक्षिणी क्षेत्र	58.6
	आंध्र प्रदेश	57.4
	कर्नाटक	50.4
	केरल	69.0
	तमिलनाडु	63.9
	लक्षद्वीप	63.8
	पांडिचेरी	54.0
		54.2

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश की आदिम जनजातियों के लिए योजनाएं

2529. श्री हरीश रावत : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ आदिम जनजातियां रहती हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उनके विकास के लिए कोई पृथक योजना है ;

(घ) वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान उनके विकास के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई ; और

(ङ) क्या सरकार का इन जनजातियों के विकास के लिए निरन्तर धनराशि देने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय की उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) दो आदिम जनजातियों के समूह अर्थात (1) बुक्सा और (11) राजी क्रमश : बिजनौर, देहरादून, नैनीताल, पोढ़ी गढ़वाल तथा पिथोरागढ़ मे रहते हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार उनकी कुल जनसंख्या क्रमश : 34198 और 371 है।

(ग) से (ङ) इन दो समूह के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए हैं तथा राज्य सरकार को इन कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1985-86, 1986-87 एवं 1987-88 के दौरान क्रमश : 10.00 लाख रु०, 11.07 लाख रु० और 11.09 लाख रु० की विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई है। इन जनजातियों के समूहों के विकास के लिए सरकार द्वारा इस समय दी जा रही सहायता को सातवीं योजना के दौरान भी जारी रखा जाएगा।

उत्तर प्रदेश को प्रति व्यक्ति योजना सहायता

2530. श्री हरीश रावत : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन पंचवर्षीय योजनाविधियों के दौरान उत्तर प्रदेश को प्रति व्यक्ति कितनी योजना सहायता दी गई और इसमें से कितनी धनराशि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए खर्च की गई ;

(ख) क्या सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के लिए राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए योजना सहायता में वृद्धि करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य को पांचवीं योजना के दौरान दी गई प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता 145 रु० तथा छठी योजना के दौरान दी गई प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता 296 रु० थी। (सातवीं योजना के लिए) राज्य को आवंटित की गई प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता 471 रु० है।

इस अवधि में राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए व्यय की गई धन राशि नीचे बताई गई है :-

योजना अवधि	व्यय (करोड़ रु०		
	राज्य योजना प्रवाह	विशेष केन्द्रीय सहायता (एस. सी. ए.)	जोड़
पांचवीं योजना (1974-79	118.00	104.00	222.00
छठी योजना	302.13	356.83	658.96
सातवीं योजना (परिव्यय)	521.50	553.50	1075,00

(ख) और (ग) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए कनाडा की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से सहायता

2531. **श्री के० वी० शंकर गौड़ा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने एशियाई और अफ्रीकी देशों में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए 200 करोड़ कैनेडियन डालर देने का निर्णय किया है ;-

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के अन्तर्गत भारत को ऋण की सर्वाधिक राशि दी गई है ;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत भारत को कितनी सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) इस सहायता से किन किन योजनाओं को कार्यान्वित किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी०के० गढ़वी) : (क) से (घ) एशियाई और अफ्रीकी देशों में ग्रामीण विकास के लिए कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा आरम्भ किए गए 200 करोड़ कनेडियन डालर कार्यक्रम के संबंध में भारत सरकार को सूचित नहीं किया गया है।

विश्व बैंक से सहायता

2532. **श्री मानिक रेड्डी** :
श्री सुभाष यादव :
श्री एम० रघुमा रेड्डी :
श्री प्रकाश चन्द्र :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने 1987-88 के लिए भारत को 4 अरब 80 करोड़ डालर की सहायता प्रदान की है ;

(ख) यदि हां, तो यह किस प्रयोजन के लिए उपयोग की जाएगी ; और

(ग) यह सहायता किन शर्तों पर दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी. के. गढ़वी) : (क) से (ग) भारत सहायता संघ की बैठक में, विश्व बैंक समूह ने 30 जून, 1988 को समाप्त होने वाले विश्व बैंक राजकोषीय वर्ष, 1988 के लिए भारत को 2.5 अरब अमरीकी डालर के बराबर सहायता देने का वचन दिया है। यह सहायता राज्य तथा केन्द्रीय क्षेत्रों में विशिष्ट परियोजनाओं के लिए वचनबद्ध होगी। यह सहायता विश्व बैंक समूह सहायता की विद्यमान शर्तों के आधार पर प्रदान की जाएगी। इस समय अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की सहायता विश्व बैंक की ऋण लागत के अनुसार अर्ध-वार्षिक संशोधित ब्याज की परिवर्तनशील दरों पर दी जाती है। इस समय यह दर 7·76 प्रतिशत है। आमतौर पर अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के ऋण 20 वर्षों की अवधि में प्रतिदेय हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण सहायता ब्याज रहित है, परन्तु इस सहायता पर 0.75 प्रतिशत का सेवा प्रभार लगता है। भारत को अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा दिए गए ऋण पहली जुलाई, 1987 से 35 वर्षों की अवधि में प्रतिदेय हैं।

थाल भारी संयंत्र

2533. **श्री मानिक रेड्डी** :
श्री सुभाष यादव :
श्री एम. रघुमा रेड्डी :
श्री प्रकाश चन्द्र :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाल स्थित भारी जल संयंत्र में उत्पादन संतोषजनक है ;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र में प्रति-वर्ष कुल कितना उत्पादन होता है।

(ग) इस संयंत्र पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है ?

(घ) क्या सरकार का देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसका उत्पादन बढ़ाने का विचार है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) इस प्रयोजनार्थ कितनी धन राशि की आवश्यकता होगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) (क) : जी, हां।

(ख) इस संयंत्र की स्थापित वार्षिक क्षमता 110 मीटरी टन है।

(ग) जून, 1987 तक 164.54 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

(घ) सरकार का विचार इस संयंत्र की क्षमता बढ़ाने का नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

आई. आर. एस. 1 ए. उपग्रह का प्रमोचन

2534 **श्री मानिक रेड्डी :**
श्री सुभाष यादव :
श्री एम. रघुमा रेड्डी :
श्री प्रकाश चन्द्र :
श्री धर्मपाल सिंह मालिक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आई. आर. एस. 1 ए. उपग्रह का प्रमोचन करने के संबंध में इस बीच कोई निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका प्रमोचन किस तारीख को होने की संभावना है ; और

(ग) इस उपग्रह के निर्माण में कितनी धनराशि खर्च हुई ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु उर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) (क) : और (ख) जी, हां। भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई. आर. एस. 1 ए.) को 1987 के अंत में अथवा 1988 के प्रारंभ में छोड़ा जायेगा

(ग) भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह परियोजना की स्वीकृत लागत 69.80 करोड़ रुपये है, जिसमें एक प्रमोचन की लागत सहित एक उड़ान मॉडल और एक पूरक प्रोटो उड़ान मॉडल तथा अन्य भू-सुविधानों का विकास और निर्माण की लागत शामिल है। इस पर 31.3.1987 तक लगभग 60.12 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई है।

आदिवासी सहकारी संघ के लिए प्रस्ताव

2535. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बहुराज्य सहकारी समिति के रूप में आदिवासी सहकारी विकास संघ की स्थापना करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

(ग) इसके कब से कार्य आरम्भ करने की संभावना है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी, हां। संघ को पहले ही स्थापित और पंजीकृत किया जा चुका है। इसमें राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगम वन विकास निगम और राज्य स्तर के अन्य निगम/सहकारी संघ, सदस्य होंगे।

(ग) चालू वर्ष 1987-88 से इसके कार्य करने की सम्भावना है।

इन्दिरा विकास पत्रों में किए गए निवेश पर आय-कर से छूट

2536. **श्री वी.एस. कृष्ण अय्यर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाकघरों के माध्यम से आवर्ती जमा खातों और इन्दिरा विकास पत्रों में किए गए निवेश पर आय कर के आकलन में छूट दी जाती है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का कर दाताओं को इन बचत पत्रों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस निवेश पर आय कर के आकलन में छूट देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी०के० गढवी) : (क) डाकघर बचत बैंक (सावधि संचयी जमा) नियम 1959 के अतर्गत 10 वर्षीय खाते या 15 वर्षीय खाते में जमा की गई कर लगने योग्य आय में से पूर्ववर्ती वर्ष में जमा की गई किसी भी राशि पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80ग के अन्तर्गत छूट की अनुमति हैं। इन्दिरा विकास पत्रों में किए गए निवेश में ऐसी छूट नहीं दी जाती है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

स्टेट बैंक आफ मैसूर में नगदी भत्ता

2537. **श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ मैसूर में मुख्य खजांची के अलावा खजांची एवं क्लर्क और खजांचियों को कोई नकदी भत्ता दिया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या मुख्य खजांची के अलावा नकदी का लेन-देन करने की जिम्मेदारी खजांची एवं क्लर्क और खजांची की भी है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें नकदी भत्ता देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अवार्ड स्टाफ के वेतनमान, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें उद्योग स्तरीय अवार्डों/समझौतों तथा बैंक स्तरीय समझौते, यदि कोई हों, द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। स्टेट बैंक आफ मैसूर ने सूचित किया है कि प्रधान खजांची के अलावा टेलरों और सहायक प्रधान खजांचियों को भत्ते दिए जाते हैं तथा खजांची क्लर्क को औद्योगिक स्तर पर भत्ते दिए जाने की व्यवस्था नहीं है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में अधिकारियों के प्रतिनिधि

2538. **श्री बी०एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बन्धित बैंक में अधिकारियों की एसोसिएशन के एक प्रमुख पदाधिकारी को राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में अधिकारियों के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए जाने की प्रथा समाप्त कर दी गई है; और

(ख) यदि हां; तो कब और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार बैंकिंग उद्योग के हित में यह आवश्यक समझती है कि किसी अधिकारी निदेशक की नियुक्ति उसके कतिपय अधिकारी संघ के साथ जुड़े होने के आधार पर नहीं की जानी चाहिए। राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 और 1980 की धारा 3 (ग) में निर्धारित उपबंधों में केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श के पश्चात् राष्ट्रीयकृत बैंकों के उन कर्मचारियों में से जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मकार न हों, राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में एक निदेशक नियुक्त किए जाने की व्यवस्था है। इन स्कीमों में ऐसा प्रावधान नहीं है कि वे व्यक्ति अधिकारियों की संघ/संघों के मुख्य पदाधिकारी हों। अलबत्ता, कुछ बैंक अधिकारी संघों द्वारा यह मामला अदालत में उठाया गया है।

तांबा प्रयोग करने वाले उद्योगों पर अत्यधिक शुल्कों का प्रभाव

2539. **श्री जी०एम० बनातवाला** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यधिक आयात और उत्पाद शुल्क लगाए जाने के कारण तांबे तथा तांबा मिश्रित धातुओं के उत्पादों के मूल्य बढ़ जाने से तांबा प्रयोग करने वाले उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और ये उद्योग 40 प्रतिशत क्षमता उपयोग कर पा रहे हैं;

(ख) क्या तांबे के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में और वृद्धि होने को ध्यान में रखते हुए, सरकार का उपरोक्त उत्पादों पर आयात शुल्क और उत्पाद शुल्क समाप्त करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी०के० गढ़वी) : (क) से (घ) तांबे पर उत्पादन शुल्क में वर्ष 1982 से अब तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों, जो अक्सर घटती-बढ़ती रहती है, और तांबे के स्वदेशी उत्पादकों के हितों की रक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, प्रशासनिक मंत्रालय के साथ परामर्श करके आयात-शुल्क सम्बन्धी परिवर्तन किए जाते हैं। पिछली बार तांबे पर आयात शुल्क में ऐसा परिवर्तन नवम्बर/दिसम्बर, 1986 में किया गया था। इस मंत्रालय को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है कि अधिक आयात तथा उत्पादन शुल्क की वजह से तांबे की खपत करने वाले उद्योग 40 प्रतिशत क्षमता-उपयोग पर उद्योग चलाने पर मजबूर हो गए हैं। अभी तक प्रशासनिक मंत्रालय से आयात शुल्क में कमी करने के लिए कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

सिक्कों का आयात

2540. **प्रो० के०वी० थामस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान कितने सिक्कों का आयात किया गया;

(ख) क्या देश के बाहर और सिक्के ढालने का विचार है;

(ग) देश से बाहर सिक्कों को ढालने में कितनी लागत आती है; और

(घ) देश में ही और अधिक सिक्के ढालने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1985 से 1987 के दौरान आयात किए गए 400 करोड़ अद्द क्यूप्रोनिकल के सिक्कों में से 237.30 करोड़ अद्द सिक्के 1-4-1986 से 31-3-1987 की अवधि में प्राप्त हुए थे।

(ख) उपरोक्त (क) में बताए गए क्यूप्रो-निकल सिक्कों के अतिरिक्त स्टेनलैस स्टी के 125 करोड़ अद्द सिक्के वर्ष 1987-1988 के दौरान कनाडा से आयात किए जा रहे हैं।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) में उल्लिखित सिक्कों के आयात की कुल लागत लगभग 157 करोड़ रुपए होगी।

(घ) इस सम्बन्ध में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार है :-

(i) अधिक उत्पादन के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू करना।

(ii) भारत सरकार की टकसालों में काम के घण्टों को 48 से बढ़ा कर 60 घण्टे प्रति सप्ताह कर दिया गया है।

(iii) कलकत्ता स्थित टकसाल में दूसरी पारी शुरू कर दी गयी है।

(iv) बम्बई, कलकत्ता तथा हैदराबाद स्थित विद्यमान टकसालों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। सिक्का निर्माण की 24 और नई प्रेसें स्थापित की गई हैं। सिक्का निर्माण की 14 और प्रेसें स्थापित की जा रही हैं।

(v) 200 करोड़ अद्द प्रति वर्ष की क्षमता वाली एक नई टकसाल नोएडा, उ०प्र० में स्थापित की जा रही है। इसमें 1988-89 में उत्पादन शुरू हो जाने की आशा है।

"पर्यावरण संरक्षण के लिए केन्द्रीय एजेंसी"

2541. **श्री टी० बशीर** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण संरक्षण के लिए शीर्षस्थ पारिस्थितिकीविदों और प्राकृति विज्ञानियों से युक्त एक केन्द्रीय ऐजेंसी बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) . (क) और (ख) एक पर्यावरण सुरक्षा प्राधिकरण के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देगा।

"हिमालय में वनों का काटा जाना"

2542. **श्री. टी. बशीर** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेड़ों के अन्धाधुन्ध काटे जाने से हिमालय के घने वन तेजी से क्षीण होते जा रहे हैं;

(ख) क्या हिमालय क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन विशेष रूप से निचले भागों में, बिगड़ता जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस रुख को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) जलावन की लकड़ी, चारे और इमारती लकड़ी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने और क्षेत्र में पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

परिवार कल्याण और नियोजन हमारी आर्थिक आयोजना का एक अभिन्न भाग है। पशु धन की कोटि में सुधार किया जा रहा है और खूंटे पर बांध कर पशुओं को खिलाने की प्रथा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। परती भूमि में जलावन की लकड़ी और चारे को उगाया जा रहा है। जलावन की लकड़ी की मांग को कम करने के लिए बायोगैस संयंत्र, सौर कुकरों और सुधरे हुए चूल्हों को प्रयोग में लाया जा रहा है। फलों की पैकिंग के लिए लकड़ी के क्रेट के स्थान पर उसके विकल्पों के विकास को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार ने राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं कि 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर वृक्षों की कटाई बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए।

मन्दिरों में हरिजनों का प्रवेश

2543. **श्री के० कुञ्जुम्बु** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अभी भी कुछ ऐसे मन्दिर हैं जहां हरिजनों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मन्दिरों के राज्यवार नाम क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ?

सरकारी सेवाओं में पदोन्नति के मौकों में निकट समानता लाना

2544. **श्री लक्ष्मण मलिक :**

श्रीमती जयंती पटनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में सभी सरकारी सेवाओं में पदोन्नति के अवसरों में "लगभग समानता" लाने के नए उपायों की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो नीति सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाये गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) और (ख) सरकार ने वरिष्ठ ड्यूटी पदों के 15 प्रतिशत तक चयन ग्रेड पदों के सृजन की घोषणा की है जिनके कारण समूह "क" केन्द्रीय सेवाओं में पदोन्नति के अवसरों में काफी सुधार हुआ है। ऐसा किए जाने से चयन ग्रेड में पदोन्नति के लिए मानदण्ड तथा चयन ग्रेड पदों की संख्या की संगणना का आधार अखिल भारतीय तथा समूह "क" केन्द्रीय सेवाओं में एक समान बना दिए गए हैं।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा बांडों का जारी किया जाना

2545. **श्री ई. अय्यपू रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का 119.74 करोड़ रुपए की अधि-सूचित धन-राशि के 44 सीरीज में बांड जारी करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इन बांडों की शर्तें क्या होंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसने मार्च 1987 में 119.75 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के लिए बांडों की 44वीं सीरीज जारी की थी जिसमें अधिसूचित राशि के अतिरिक्त 11.98 करोड़ रुपए तक (अर्थात् कुल मिलाकर 131.73 करोड़ रुपए) के अंशदान की रकम अपने पास रखने का अधिकार था। इस सीरीज की शर्तें नीचे दी गई हैं :-

1. निर्गम मूल्य	: सम मूल्य पर
2. ब्याज की दर	: छमाही आधार पर देय 11 प्रतिशत वार्षिक
3. अवधि	: 15 वर्ष
4. परिपक्वता की तारीख	: 16.3.2002

"वन भूमि को गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए दिया जाना"

2546. **श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को केरल सरकार से वन भूमि को गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किए जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि केरल में वनों की भारी पैमाने पर हुई कटाई को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्रों को मंजूरी नहीं दी जाएगी क्या यह रिपोर्ट राज्य के उद्देश्यों के विपरीत नहीं है क्योंकि वनों की पहले ही भारी पैमाने पर कटाई हो चुकी है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) जनवरी, 1987 तक मात्र दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये प्रस्ताव (1) पूयमाकुट्टी जल-विद्युत परियोजना चरण-1 और (2) 220 के.वी.डी./मी त्रिचूर-कोझीकोड पारेषण लाईन के लिए वन भूमि के उपयोग के लिए हैं।

केरल राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना के प्राप्त न होने के कारण, पूयमाकुट्टी जल-विद्युत परियोजना चरण-I के प्रस्ताव को बन्द समझा गया है और 220 के.वी.डी/सी त्रिचूर-कोझीकोड पारेषण लाईन के मम्बन्ध में राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) सामान्यत: ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि इस प्रकार के आवेदन पत्र राज्य के उद्देश्यों के विपरीत हैं।

सरकारी कार्यालयों का आधुनिकीकरण

2547. **श्रीमती बसव राजेश्वरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) आधुनिकीकरण योजना के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या आधुनिकीकरण योजना के लिए कोई मार्ग-निर्देश तैयार किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) और (ख) आजकल केन्द्रीय सरकार में आधुनिकीकरण के दो पहलुओं को कार्यान्वित किया जा रहा है:

(i) राष्ट्रीय सूचनात्मक केन्द्र (एन.आई.सी.) के माध्यम से निर्णय-पुष्टि के उद्देश्य से प्रत्येक विभाग के लिए प्रबंध सूचना पद्धति का विकास इसके लिए, एन.आई.सी. कम्प्यूटर नेटवर्क स्थापित कर रहा है।

(ii) कार्यालयी कामकाज में दक्षता तथा उत्पादकता में सुधार लाने के लिए इलैक्ट्रोनिक टाईपराइटर तथा वर्ड प्रोसेसर्स प्लेन पेपर कापियर्स, इलैक्ट्रोनिक प्राईवेट ब्रांच एक्सचेंज (ई पी.ए.बी एक्स) जैसे कुछ उपस्कर तेजी से लगाए जा रहे हैं।

(ग) निर्णय-पुष्टि के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सभी विभागों में कम्प्यूटर लगाए जाने की संभावना है। अन्य कार्यालयी उपकरण, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, पहले से ही तेजी के साथ प्रयोग में लाए जा रहे हैं।

(घ) तथा (ङ) मोटेतौर पर आधुनिक उपकरणों के प्रयोग का उद्देश्य यह है कि सूचना को और अधिक शीघ्रता से तैयार करने, तथ्यों और आंकड़ों का और अधिक सही विश्लेषण किए जाने, अधिकाधिक दक्षता और उत्पादकता लाए जाने और आवृत्तिमूलक कार्यों को हाथों से निपटाने से होने वाली थकान से छुटकारा पाने में सहायता मिल सके।

एशियाई विकास बैंक से सहायता

2548. **श्रीमती बसव राजेश्वरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक का वर्ष 1987 के दौरान भारत को 275 मिलियन डालर और 300 मिलियन डालर के बीच ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी अंतिम निर्णय की सूचना दे दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो ऋण की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी. के. गढ़वी) : (क) जी, हां ।

(ख) उपर्युक्त वचनबद्धता विशिष्ट परियोजनाओं के लिए होगी जो कि एशियाई विकास बंक द्वारा कार्रवाई किए जाने के विभिन्न स्तरों पर है ।

(ग) ऋणों की प्रशासनिक व्यवस्था एशियाई विकास बंक द्वारा लागू की जाने वाली मानक शर्तों के आधार पर की जाती है । ब्याज की दर एशियाई विकास बैंक द्वारा हर छमाही में निर्धारित की जाती है । इस समय एशियाई विकास बैंक द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की दर 7 03 प्रतिशत है । एशियाई विकास बैंक के ऋणों की वापसी अदायगी 15-20 वर्षों में करनी होती है ।

इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

2549. **श्री अनादिचरण दास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विशेषकर श्रेणी-एक और श्रेणी-दो के पदों के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड में 1 जून, 1987 को कर्मचारियों की वर्तमान संख्या कितनी है तथा उसकी तुलना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वर्गवार संख्या कितनी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने आरक्षित पद अनारक्षित किए गए और अनारक्षित करने से पूर्व इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए; और

(घ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए जैसा कि नियमों में निर्धारित है, कोई विशेष सेल बनाया गया है, और संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों मे राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) (क) : और (ख) कम्पनी ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण सम्बन्धी सरकारी निदेशों का अनुपालन जून, 1970 में जारी किए गए आदेशों के अनुसार किया है ।

1-6-87 को इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड में कर्मचारियों की कुल संख्या तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित थी :

श्रेणी	नियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारी	प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी	प्रतिशत	निर्धारित प्रतिशतता अनुसूचित जाति	निर्धारित प्रतिशतता अनुसूचित जनजाति
वर्ग "क"	838	23	2.7	1	0-1	16-2/3%	7-1/2%

वर्ग "ख" 1310	52	4.0	77	0.5)		
वर्ग "ग" 4462	528	11.8	74	1.7)		
वर्ग "घ"						
(क) मेहतरों 889 को छोड़कर अन्य अदक्ष कर्मचारी	241	27.1	15	1.7)	13%	5% (30.5. (85 तक)
(ख) मेहतर 142	31	21.8	1	0.7)	15	6% (1.6. (85 से)

(ग) बोर्ड के अनुमोदन से पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित पद अनारक्षित किए गए हैं :

1. वरिष्ठ लेखा अधिकारी	1	अनुसूचित जाति और
	1	अनुसूचित जनजाति
2. लेखा अधिकारी	1	अनुसूचित जाति और
	1	अनुसूचित जनजाति

ये पद अखिल भारतीय स्तर पर तीन बार विज्ञापित किए गए थे। इनमें से एक बार विज्ञापन केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए दिया गया था। विज्ञापनों की प्रतियां भारत सरकार के निदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के संघों, निदेशक, समाज कल्याण, स्थानीय संसद सदस्यों और विधान सभा के सदस्यों तथा सूची बद्ध अन्य प्राधिकारियों को भी भेजी गई थी।

(घ) इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए एक विशेष कक्ष पिछले 8 वर्ष से काम करता रहा है। यह कक्ष सम्पर्क अधिकारी के सीधे नियंत्रण में है, जिनकी सहायता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों से सम्बन्धित एक कक्ष अधिकारी करते हैं।

भारत सहायता संघ के समक्ष उठाए गए मुद्दे

2550. **डा० दत्ता सामंत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पेरिस में भारत सहायता संघ की 17 जून, 1987 को हुई बैठक में भारत द्वारा उठाए गए मुद्दों का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी.के. गढ़वी) : जून, 1987 में हुई भारत सहायता संघ की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने, हाल ही के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के साथ-साथ, भारत के विकास प्रयत्नों के लिए सहायता संघ के सदस्यों से रियायती दर पर अधिक मात्रा में सहायता देने का भी आग्रह किया था।

भूमध्यवर्ती राकेट प्रमोचन केन्द्र, थुम्बा का विकास

2551. **प्रो० पी.जे. कुरियन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में थुम्बा स्थित भूमध्यवर्ती राकेट प्रमोचन केन्द्र का और विकास करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है: और

(ग) भारत अपने प्रमोचन केन्द्रों से मानव युक्त अंतरिक्ष वाहन का कब तक प्रमोचन करने के लिए समर्थ हो जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी, और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) और (ख) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पास थुम्बा भूमध्यवर्ती केन्द्र, त्रिवेन्द्रम और बालासोर में परिज्ञापी राकेट सुविधाएं विद्यमान है। अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उपयोग के क्षेत्र में परिज्ञापी राकेट परीक्षणों की वर्तमान और प्रायोजित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनका अनुरक्षण किया जाएगा और इनमें उपान्त सुधार किया जाएगा। थुम्बा भूमध्यवर्ती राकेट प्रमोचन केन्द्र (टर्म्स) के बड़े पैमाने के विस्तार की कोई विशेष योजना नहीं है।

(ग) फिलहाल, अपने प्रमोचन केन्द्र से मानवयुक्त अंतरिक्ष वाहन के छोड़ने का कोई प्रस्ताव नही है।

बम्बई कम्प्यूटर चैक समाशोधन प्रणाली का कल्याण काम्प्लैक्स तक विस्तार

2552. **श्री एस.जी. घोलप** : क्या वित्त मंत्री बम्बई कम्प्यूटर चैक समाशोधन प्रणाली के कल्याण काम्प्लैक्स तक विस्तार के बारे में 25 फरवरी, 1987 के तारांकित प्रश्न संख्या 36 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रणाली का कल्याण काम्प्लैक्स तक विस्तार कर दिया गया है; और

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राज्य को केन्द्रीय सहायता देने सम्बन्धी फार्मूले में संशोधन

2553. **श्री टी.बाल गौड** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राज्यों को पेय जल और अन्य कल्याण परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता देने सम्बन्धी फार्मूले में संशोधन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां। केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को केन्द्रीय सहायता के आवंटन में संशोधन के बारे में भारत सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(ख) चूंकि मामला अभी विचाराधीन है, इसलिए इसे अन्तिम रूप देने के बाद ही इसके ब्यौरे उपलब्ध होंगे।

आंध्र प्रदेश में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्यकरण की समीक्षा

2554. **श्री टी. बाल गौड़** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को आन्ध्र प्रदेश में कुछ अधिकारियों के विरुद्ध आरोपों के कारण दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमें का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) सरकार द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को आन्ध्र प्रदेश में विभिन्न वित्तीय एजेंसियों के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए निर्देश देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसे आन्ध्र प्रदेश में कुछ अधिकारियों के खिलाफ आरोपों के सम्बन्ध में दिल्ली उच्च न्यायालय में लम्बित किसी मुकदमें की जानकारी नहीं है।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि वह राज्य वित्तीय निगमों/राज्य औद्योगिक विकास निगमों के कार्यों का समय-समय पर मूल्यांकन करता है ताकि उनके परिचालनों में सुधार के क्षेत्रों का पता लगाया जा सके। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक राज्य वित्तीय निगमों/ राज्य औद्योगिक विकास निगमों के परिचालनों पर उनके बोर्डों में नामित अपने निदेशकों के माध्यम से भी नजर रखता है।

"औद्योगिक प्रदूषण"

2555. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऐसी औद्योगिक इकाइयां हैं जिन्होंने अभी तक प्रदूषण नियंत्रण उपाय नहीं किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें बन्द किए जाने और एक निश्चित समय के भीतर प्रदूषण नियंत्रण उपाय करने के नोटिस जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) (1) संबंधित राज्य बोर्डों द्वारा उद्योगों को समयबद्ध आधार पर निर्धारित बहिस्राव और उत्सर्जन मानकों के अनुपालन के निदेश दिए गए हैं।

(2) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की सहमति के बिना चलाए जा रहे अथवा बोर्डों द्वारा दिए गए निदेशों का उल्लंघन कर रहे 1386 उद्योगों के खिलाफ मुकदमें चलाए हैं।

(3) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत 48 प्रदूषक यूनिटों के खिलाफ केन्द्र सरकार द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया है।

"मगरमच्छ पालन फार्म"

2556. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मगरमच्छ संरक्षण और अनुसंधान केन्द्र का नाम क्या है और यह कहां स्थित है;

(ख) क्या किसी मगरमच्छ के प्रजनन में (केपटिव ब्रीडिंग) सफलता मिली है ;

(ग) क्या उड़ीसा में नदियों में पाए जाने वाले घड़ियाल (मगरमच्छ) लुप्त हो रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका संरक्षण करने और उनकी संख्या बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) केन्द्रीय मगरमच्छ प्रजनन और प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नही।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पुणे नगर निगम द्वारा विश्व बैंक ऋण में से सहायता का अनुरोध

2557. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पुणे नगर निगम द्वारा अपनी जल निकासी सुधार योजना के लिए विश्व बैंक ऋण में से 102 करोड़ रुपए की धनराशि देने के अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया है, जैसा कि दिनांक 29 जून, 1987 के "इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी. के. गढ़वी) : (क) और (ख) मार्च, 1987 में पुणे नगर निगम ने शहरी विकास मंत्रालय को बहुत सी परियोजनाएं/योजनाएं प्रस्तुत की थी, जिनमें भारत सरकार और/अथवा विश्व बैंक समूह से विकास सहायता मांगी गई थी इनमें से पुणे नगर के लिए जल मल निकासी की व्यवस्था में सुधार करने और एक भूमिगत जल मल निकासी की व्यवस्था करने से संबंधित प्रस्ताव पर 102 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान था। महाराष्ट्र सरकार ने 375 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की प्रस्तावित महाराष्ट्र नगर विकास योजना को शहरी विकास मंत्रालय को अलग से इस प्रयोजन से प्रस्तुत किया था कि उसके लिए विश्व बैंक समूह से सहायता मांगी जाए। चूंकि उत्तरोक्त परियोजना के अन्तर्गत पुणे के महानगरीय क्षेत्र को भी सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव था इसलिए शहरी विकास मंत्रालय ने पुणे नगर निगम के म्युनिसपल कमिश्नर को सलाह दी है कि वह प्रस्तावित योजना को महाराष्ट्र नगरीय विकास परियोजना में सम्मिलित करवाने के लिए इस मामले को महाराष्ट्र सरकार के साथ उठाएं।

"उत्तर प्रदेश को दिया गया धन"

2558. **श्री सलीम आई. शेरवानी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1985-86 के दौरान सामाजिक वानिकी योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को कितना धन दिया ;

(ख) क्या राज्य सरकार को उपर्युक्त प्रयोजन के लिए किन अन्य राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्त्रोतों से धन उपलब्ध कराया गया है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त धन का उपयोग किए जाने के बारे में रिपोर्ट देने को कहा है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) वर्ष 1985-86 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने सामाजिक वानिकी (राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड तथा ग्रामीण विकास योजना) के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को 2536.65 लाख रुपए आबंटित किये थे।

(ख) जी हां। विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास की संयुक्त राज्य एजेंसी की सहायता से उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मासिक तथा त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टें भेजी जाती हैं जिसमें सहायता के उपयोग में हुई प्रगति बताई जाती है।

प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गये अधिकारी

2560. **श्री सीताराम जे. गावली :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान कार्मिक मंत्रालय द्वारा तकनीकी विचार गोष्ठियों में भाग लेने तथा आगे अध्ययन/प्रशिक्षण कार्य करने के लिए वर्गवार मंत्रालय-वार तथा वर्ष-वार 50 वर्ष से कम आयु के 50 और 55 वर्ष की आयु के अन्तर्गत आयु वाले 55 और 57 वर्ष की आयु के अन्तर्गत आयु वाले तथा 57 वर्ष से अधिक आयु के कुल कितने अधिकारियों को विदेश भेजा गया ;

(ख) क्या विदेशों में उक्त विशेष उन्नत अध्ययन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इन अधिकारियों की सेवाओं का उनके प्रशिक्षण के अपने-अपने क्षेत्र में उपयोग किया गया है या नहीं; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और उन्नत अध्ययन प्रशिक्षण देने में कुल कितना व्यय हुआ।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से विदेशी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए क्रमश: 47, 54 और 53 अधिकारी भेजे गए थे। इन अधिकारियों का समूह, वर्ष, मंत्रालय तथा आयु-वार विभाजन संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। इस मंत्रालय द्वारा तकनीकी संगोष्ठियों के लिए अधिकारी नहीं भेजे जाते।

(ख) जी, हां, मोटे तौर पर उपयोग में लाई जाती है।

ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान विदेशी प्रशिक्षण पर भेजे गए अधिकारी ।

समूह "क" अधिकारी :

वर्ष 1984-85 मंत्रालय/विभाग का नाम	अधिकारियों की संख्या	50 वर्ष से कम आयु	50-55 वर्ष	55-57 वर्ष	57 वर्ष और उससे ऊपर
1	2	3	4	5	6
शहरी विकास मंत्रालय	1	1	—	—	—
विदेश मंत्रालय	1	1	—	—	—
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	2	2	—	—	—
गृह मंत्रालय	7	6	1	—	—
कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय	2	2	—	—	—
वाणिज्य मंत्रालय	2	2	—	—	—
भूतल परिवहन मंत्रालय	1	1	—	—	—
इस्पात तथा खान मंत्रालय	1	1	—	—	—
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय	3	1	2	—	—
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	1	1	—	—	—
रक्षा मंत्रालय	2	2	—	—	—
वित्त मंत्रालय	13	13	—	—	—
डाक विभाग	4	4	—	—	—
संघ लोक सेवा आयोग	1	1	—	—	—
नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का कार्यालय	1	1	—	—	—
योजना आयोग	1	1	—	—	—
मंत्रिमंडल सचिवालय	1	1	—	—	—
संसदीय कार्य विभाग	1	1	—	—	—
कुल	45	42	3	—	—

1	2	3	4	5		
	समूह "ख" अधिकारी :	2	2	—	—	—
	जोड़ : (1984-85)	47	44	3	—	—
	समूह "क" अधिकारी :					
	वर्ष 1985-86					
	वित्त मंत्रालय	15	15	—	—	—
	गृह मंत्रालय	6	6	—	—	—
	कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय	9	9	—	—	—
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1	1	—	—	—
	वाणिज्य मंत्रालय	2	2	—	—	—
	श्रम मंत्रालय	1	1	—	—	—
	रक्षा मंत्रालय	2	2	—	—	—
	कृषि मंत्रालय	3	3	—	—	—
	संघ लोक सेवा आयोग	1	1	—	—	—
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	3	3	—	—	—
	डाक विभाग	1	1	—	—	—
	तल परिवहन मंत्रालय	2	2	—	—	—
	उद्योग मंत्रालय	1	1	—	—	—
	परमाणु ऊर्जा विभाग	1	1	—	—	—
	राजभाषा विभाग	2	2	—	—	—
	सांख्यिकी विभाग	1	1	—	—	—
	विद्युत विभाग	1	1	—	—	—
	केन्द्रीय सतर्कता आयोग	1	1	—	—	—
	नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का कार्यालय	1	1	—	—	—
		54	54	—	-	—
	समूह "ख" अधिकारी :					
	कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय	—	—	—	—	—
	जोड़ (1985-86)	54	54	—	—	—

समूह "क" अधिकारी वर्ष 1986-87					
रक्षा मंत्रालय	8	7	1	—	—
कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय	3	2	1	—	—
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय	11	7	3	1	—
वित्त मंत्रालय	11	11	—	—	—
संचार मंत्रालय	2	2	—	—	—
इस्पात और खान मंत्रालय	1	1	—	—	—
कल्याण मंत्रालय	1	1	—	—	—
गृह मंत्रालय	6	6	—	—	—
श्रम मंत्रालय	1	1	—	—	—
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	2	2	—	—	—
भूतल परिवहन मंत्रालय	1	1	—	—	—
विद्युत विभाग	1	1	—	—	—
योजना आयोग	1	1	—	—	—
संघ लोक सेवा आयोग	3	3	—	—	—
डाक विभाग	1	1	—	—	—
	53	47	5	1	—
समूह "ख" अधिकारी :	—	—	—	—	—
जोड़ (1986-87)	53	47	5	1	—

कमजोर वर्गों के लोगों को दिए गए ऋण पर चक्रवृद्धि ब्याज वसूलना

2561. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिहीन श्रमिकों, छोटे किसानों, शिल्पकारों, आदिवासियों और अनुसूचित जातियों को ऋण देने वाले बैंक दिए गए ऋण पर चक्रवृद्धि ब्याज वसूल कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त वर्ग के लोगों, जिन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिए जाते हैं, को दिए गए ऋण पर चक्रवृद्धि ब्याज की प्रणाली समाप्त करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक तिमाही आधार पर अथवा लम्बे अंतरालों पर ब्याज लगा सकते हैं और जब कभी किसी खाते पर लगाया गया ब्याज ऋणकर्ता द्वारा नहीं चुकाया जाता तो ऐसी स्थिति में, अगली बार ब्याज लगने पर यह चक्रवृद्धि ब्याज बन जाता है। फिलहाल, ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज में बदलने की प्रणाली को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अलबत्ता, कृषि अग्रिमों के मामले में बैंकों को चालू देय रकमों पर ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज में न बदलने के लिए कहा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देशों में यह व्यवस्था भी की गई है कि बैंकों को 25,000/ रुपए तक के ऋणों पर कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लगाना चाहिए।

प्रशासनिक कार्यालयों में कम्प्यूटर प्रणाली को अपनाना

2562. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अपने सभी प्रशासनिक कार्यालयों में कम्प्यूटर प्रणाली अपना ली है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से अपने-अपने प्रशासनिक कार्यालयों में भी कम्प्यूटर प्रणाली अपनाने के लिये जोरदार सिफारिश की है;

(ग) क्या यह कम्प्यूटर देश में ही उपलब्ध हैं अथवा उन्हें आयात किया गया है; और

(घ) यदि उन्हें आयात किया गया है तो किस देश से ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार अपने बहुत से विभागों तथा प्रशासनिक कार्यालयों में कम्प्यूटर पर आधारित सूचना प्रणाली चालू कर रही है। सभी विभागों तथा प्रशासनिक कार्यालयों को अभी तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरी तरह से नहीं लाया जा सका है।

(ख) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों से जोरदार सिफारिश नहीं की है। किन्तु, राज्य सरकारों को इलेक्टॉनिकी विभाग के "निकनेट" नामक कार्यक्रम के जरिए कम्प्यूटर-सेवाएं उपलब्ध हैं।

(ग) ये कम्प्यूटर स्वदेश में ही उपलब्ध हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्व विकास रिपोर्ट

2563. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** :
श्री जगन्नाथ पटनायक :
श्री एच. बी. पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित विश्व विकास रिपोर्ट, 1987 में भारत की लघु उद्योगों के लिए क्षमता लाइसेंस प्रणाली और संरक्षण नीति पर आलोचना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाये गए मुख्य मुद्दे क्या हैं; और

(ग) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी. के. गढ़वी) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

विश्व विकास रिपोर्ट 1987 का संबंध औद्योगीकरण और विदेश व्यापार के विषय से है। विभिन्न देशों में औद्योगिक विकास की नीतियों की जांच के संदर्भ में इस रिपोर्ट में भारत में क्षमता लाइसेंसिंग संबंधी मद भी सम्मिलित है ।

रिपोर्ट में यह स्वीकार किया है कि क्षमता लाइसेंसिंग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि औद्योगिक कार्यकलाप औद्योगिक और समाजिक नीति उद्देश्यों के अनुरूप हों जैसे कि प्राथमिकता वाले उद्योगों को प्रोत्साहन देना, संयंत्रों का विकेन्द्रीकरण करके उन्हें पिछड़े क्षेत्रों में लगाना और घरेलू पूर्ति तथा मांग के बीच भौतिक सन्तुलन बनाए रखकर अपर्याप्त स्रोतों का संरक्षण विसम रिपोर्ट के लेखकों का मत है कि इस लाइसेंसिंग प्रणाली के कारण स्वदेशी फर्मों के बीच ऐसी प्रतियोगिता पर नियंत्रण लगा है, जिनका भारतीय उद्योग, उप इष्टतम उत्पादन की मात्रा तथा धीमी तकनीकी प्रगति में अत्यधिक योगदान है । रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चूंकि भारत के बाजार के व्याप्ति क्षेत्र में वृद्धि हुई है और क्षमता लाइसेंसिंग के प्रतिकूल प्रभाव और स्पष्ट हो गए हैं, अतः सरकार ने कुछ उद्योगों में प्रगति तथा उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए अपनी कुछ लाइसेंसिंग अपेक्षाओं को महसूस किया है या उनमें संशोधन किया है ।

सरकार, संसद द्वारा अनुमोदित 7 वीं योजना के दस्तावेज में विनिर्दिष्ट प्राथमिकताओं और उद्योगों के अनुसार ही नीतियों का अनुसरण करेगी ।

विद्यालयों में कम्प्यूटर द्वारा शिक्षा

2564. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यालयों में कम्प्यूटर द्वारा साक्षरता एवं शिक्षा देने का कार्य आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक जिले में अब तक कितने विद्यालयों को इसके अन्तर्गत लाया गया है;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इसके विस्तार का तथा बड़ी संख्या में विद्यालयों को इसमें शामिल करने का कोई प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के.आर. नारायणन) : (क) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के घनिष्ठ सहयोग से विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन (क्लास) कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर शुरू किया गया था।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक शामिल किए गए विद्यालयों की संख्या नीचे दिए अनुसार है :-

1984-85	-	248
1985-86	-	501
1986-87	=	500

विद्यालयों का चयन राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है और आम-तौर पर इस बात का सुनिश्चय किया जाता है कि इसमें सभी जिले शामिल हो जाएं। अब तक (अर्थात 1986-87 तक) आबंटित किए गए विद्यालयों की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) प्रायोगिक परियोजना से हासिल किए गए अनुभवों के आधार पर सरकार अब "क्लास" कार्यक्रम को सातवीं योजना की शेष अवधि में व्यापक स्तर पर क्रियान्वित करने की योजना बना रही है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, संगठन तथा प्रबंधन और साथ ही इसके लिए आवश्यक वित्तीय परिव्यय से संबंधित विभिन्न ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण

क्लास परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1984-85, 1985-86 एवं 1986-87 के दौरान जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विद्यालयों का आवंटन किया गया है उनके नाम तथा विद्यालयों की संख्या दर्शाने वाली सूची

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	74
2.	अरूणाचल प्रदेश	7
3.	असम	49
4.	बिहार	73
5.	गुजरात	71
6.	हरियाणा	33
7.	हिमाचल प्रदेश	21
8.	जम्मू और कश्मीर	22
9.	कर्नाटक	58
10.	केरल	45
11.	मध्य प्रदेश	82
12.	महाराष्ट्र	108

13.	मणिपुर	9
14	मेघालय	9
15.	मिजोरम	5
16.	नागालैण्ड	9
17.	उड़ीसा	54
18.	पंजाब	5
19.	राजस्थान	59
20.	सिक्किम	9
21.	तमिलनाडु	73
22.	त्रिपुरा	6
23.	उत्तर प्रदेश	141
24.	पश्चिम बंगाल	101
25.	अण्डमान एवं नीकोबार द्वीप समूह	5
26.	चण्डीगढ़ प्रशासन	8
27.	दादरा एवं नागर हवेली	4
28.	दिल्ली प्रशासन	44
29.	गोवा, दमन एवं दिव	6
30	लक्षद्वीप	4
31	पाण्डिचेरी	5
	योग :	1249

"ईंधन की लकड़ी के वृक्ष लगाना"

2565. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों की अधिकांश जनता ईंधन की लकड़ी पर निर्भर रहती है ;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन की लकड़ी के वृक्ष लगाने के लिए कौन से कदम उठाये गए हैं ;

(ग) क्या सातवीं योजनावधि के दौरान ईंधन की लकड़ी के वृक्ष लगाने के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक क्या उपलब्धि हासिल हुई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां।

(ख) बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जलाऊ प्रजाति का रोपण, वृक्षारोपण द्वारा वन संवर्धन करने का एक भाग है। एक विशेष केन्द्रीय प्रायोजित योजना "ग्रामीण जलाऊ प्रजाति रोपणों का निर्माण एवं इको सेंसिटिव हिमालययेत्तर क्षेत्रों में" नाम से है, जिसके अन्तर्गत सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के 157 चुने हुए जलाऊ लकड़ी की कमी वाले क्षेत्रों में जलाऊ लकड़ी का पौधारोपण किया जा रहा है।

(ग) जी हां, उक्त केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत सातवीं योजना अवधि में जलाऊ प्रजाति को सुधारने के लिए 3.65 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है।

(घ) सातवीं योजना के प्रथम 3 वर्षों के दौरान भौतिक लक्ष्य/उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

वर्ष	लगाई गई जलाऊ प्रजाति (हैक्टेयर)	
	लक्ष्य	उपलब्धियां
1985-86	100666	94094
1986-87	88650	89834 (संभावित)
1987-88	90000	कार्य अभी शुरू किया जाना है।

सिक्युरिटी बोर्ड स्थापित करना

2566. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शेयर बाजारों में शेयर धारियों के वैध हितों की रक्षा हेतु एक सिक्युरिटी बोर्ड स्थापित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) शेयर बाजार की स्थिति सुधारने के लिए कौन से कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) स्टाक एक्सचेंजों और प्रतिभूति उद्योग के विनियमन और उनके सम्यक संचालन के लिए सरकार ने एक अलग बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में पूरा ब्यौरा अभी अन्तिम रूप से तैयार किया जा रहा है।

(ग) पूंजी बाजार का विकास करने के लिए और इसकी समस्याओं का निराकरण करने के प्रायोजन से जो उपाय प्रारंभ किए गए हैं वे एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया के रूप में है और इसको स्थिरता प्रदान करने तथा वास्तविक निवेशकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए समय-समय पर समुचित कदम उठाए जाते रहे हैं और आगे भी उठाए जाते रहेंगे।

कर-अपवंचन के लिए किये गये कम मूल्यांकन का पता लगाने के लिए भव्य आवासों का सर्वेक्षण

2567. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भवनों के कम मूल्यांकन द्वारा एकत्रित काले धन का पता लगाने के लिए भव्य कालोनियों के आवासों में विगत में सर्वेक्षण किया जाता था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण कार्य को समाप्त करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) भव्य कालोनियों में स्थित भवनों में निवेश के संबंध में आयकर विभाग द्वारा जांच की जाती है। तथापि आयकर प्राधिकारी सर्वेक्षण के दौरान रिहाइशी परिसरों में दाखिल नहीं हो सकते हैं।

"सिंचाई परियोजनाओं को पर्यावरण दृष्टि से मंजूरी"

2568. **श्री शान्ता राम पोतदुखे :**

श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह **बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) महाराष्ट्र सरकार ने पर्यावरण संबंधी मंजूरी के लिये कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं भेजी हैं ;

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दे दिये जाने की संभावना है ; और

(ग) महाराष्ट्र सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के कितने मामलों की केन्द्रीय सरकार को सूचना दी गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा निम्नलिखित 30 सिंचाई परियोजनाएं पर्यावरणीय मंजूरी हेतु भेजी गई है :—

1. निचली वारधा
2. निचली वेन्ना
3. अरुणावती परियोजना
4. बुदगंगा परियोजना
5. तालम्बा परियोजना
6. वारना सिंचाई परियोजना
7. निचली तिरना परियोजना
8. तुलतुली परियोजना
9. गोसीखुर्द
10. निचली दुधना
11. पुनड सिंचाई स्कीम
12. उज्जनी परियोजना
13. निचली गोदावरी (विष्णुपरी) परियोजना
14. निचली पेनगंगा
15. पिंजल परियोजना
16. हुमन नदी परियोजना

17. सत्ती परियोजना
18. लेन्डी सिंचाई परियोजना
19. अंधेरी नदी परियोजना
20. धाटघर पम्प्ड स्कीम
21. बांम्बला नदी परियोजना
22. उपरी तापी चरण-II
23. मुन परियोजना
24. महाराष्ट्र कम्पोजिट सिंचाई (जायकवाडी) परियोजना
25. कारवा परियोजना
26 नन्दर मधमेश्वर
27. सिना कोरेगांव परियोजना
28. वान परियोजना
29. बवानथाडी परियोजना
30. तिलारी परियोजना

वान, बवानथाडी और तिलारी नामक केवल तीन परियोजनाएं विचारार्थ और मंजूरी हेतु अभी भी लम्बित हैं। अनिवार्य ब्यौरों के प्राप्त होने के पश्चात् ही इन पर निर्णय लेना सम्भव होगा।

(ग) वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन के 9 मामले नोट किए गए हैं।

20-सूत्री कार्यक्रम के लाभ

2569. **डा० प्रभात कुमार मिश्र :** क्या कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वियन के परिणामस्वरूप निर्धनों को वास्तव में पहुंचे लाभों के बारे में कोई मूल्यांकन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कार्यक्रम कार्यान्वियन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय, कार्यक्रम की कतिपय मदों के संदर्भ में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन का प्रभावशाली ढंग से प्रबोधन करता है, जिनका प्रबोधन मासिक आधार पर किया जाना होता है। ऐसा, मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित करने के माध्यम से किया जाता है, जिसमें लक्ष्यों के मुकाबले विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों के निष्पादन का मूल्यांकन इस मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के सन्दर्भ में किया जाता है। मासिक आधार पर राज्यों को दर्जा भी दिया जाता है, ताकि राज्यों में मुकाबले की भावना आए और उन्हें बेहतर निष्पादन की प्रेरणा मिल सके।

यह मंत्रालय प्रत्येक तिमाही में विशेष रूप से प्रगति का प्रबोधन भी करता है और बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी मदों के सम्बन्ध में त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट निकालता है और यह त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट केन्द्रक मंत्रालयों से प्राप्त पूरक सूचना पर आधारित होती है। जहां तक, कार्यक्रम के लाभों के विस्तृत मूल्यांकन का सम्बन्ध है, ऐसा सम्बन्धित राज्य सरकारों और सम्बन्धित कार्यक्रम के प्रभारी केन्द्रक मंत्रालयों द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग ने भी बीस सूत्री कार्यक्रम की दो मुख्य मदों, अर्थात एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के सम्बन्ध में समवर्ती मूल्यांकन शुरू किया है, ताकि स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से कार्यक्रम के वास्तविक प्रभाव का पता लगाया जा सके। यह मंत्रालय, अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा समवर्ती मूल्यांकन को अपनाने पर भी जोर दे रहा है और उनके नियन्त्रणाधीन मदों के लिए समवर्ती मूल्यांकन को अपनाने की जरूरत के लिए उन पर लगातार दबाव डाल रहा है।

[हिन्दी]

"सफेद भालू"

2570. **डा० प्रभात कुमार मिश्र** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में सफेद भालू के शावक पाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें संरक्षित करने और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में फरवरी 1987 में सामान्य काले रंग के रीछ का एक सफेद शावक पाया गया था।

(ख) शावक को पशुचिकित्सक और वन्यजीव कर्मचारियों की देख-रेख में बिलासपुर के इंदिरा पार्क में रखा गया है। शावक के परिपक्व होने पर ही प्रजनन का प्रयास किया जा सकता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना

2571. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987 में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा राज्यों में, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा चण्डीगढ़ में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नए लाइसेंस जारी किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों का जिलावार ब्यौरा क्या है जिनके लिए लाइसेंस दिए गए हैं तथा वे लाइसेंस किन किन राष्ट्रीयकृत बैंकों को आवंटित किए गए हैं ; और

(ग) इन शाखाओं के किस तारीख तक खोलने जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव सूचना सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह के लाभ

2572. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सुदूर संवेदन प्रणाली ने छठी पंचवर्षीय योजना और सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान कृषि, खनिज विकास, वानिकी भू-उपयोग योजना और जल प्रबंध आदि के क्षेत्र में भारतीय संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबंध के लिए कोई मूल्यवान आंकड़े उपलब्ध कराये हैं ;

(ख) यदि हां, तो विशिष्ट क्षेत्रों में से प्रत्येक के तत्संबंधी मुख्य निष्कर्ष क्या है;

(ग) क्या सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली (नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम) स्थापित कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब की गई थी और उसका अन्य ब्यौरा क्या है तथा इसके कार्यकरण की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह किस तारीख तक स्थापित कर दिए जाने की सम्भावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) और (ख) इस समय कोई भी भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह कक्षा में नहीं है। लेकिन, भारत के पास भास्कर जैसे कुछ सुदूर संवेदन उपग्रह थे। इनके अलावा, भारत लैण्डसैट, स्पॉट इत्यादि जैसे कुछ विदेशी उपग्रहों से भी आंकड़े प्राप्त करता है। देश में अनेक प्रयोक्ताओं द्वारा विविध महत्वपूर्ण उपयोगों जैसे वन मानीटरन, भूमि जल सर्वेक्षण, परती भूमि संरेखण, कृषि फसल मानीटरन, मृदा सर्वेक्षण तथा खनिज खोज, के लिए इन आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) देश में प्रचालनात्मक उपयोगों के क्षेत्र में प्राप्त अनुभव के आधार पर तथा कई अन्य संभावित उपयोगों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 1985 में राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध प्रणाली (एन. एन, आर. एम. एस,) की स्थापना को मन्जूरी प्रदान की थी, जो कि सुदूर संवेदन के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों को उपयुक्त तकनीकी, प्रबन्धकीय और संगठनात्मक संयोजनों सहित विद्यमान प्रणालियों में समाकलित करेगी। पर्यावरण पर उचित ध्यान देते हुए देश के प्राकृतिक संसाधनों का न्यायोचित और योजनाबद्ध उपयोग संभव बनाते हुए कुशल, समाकलित, लागत—प्रभावी और सामयिक सूचना प्रणाली प्रदान करना ही एन. एन. आर. एम. एस. का कार्यक्षेत्र है। एन. एन. आर. एम. एस की आयोजना समिति (पी. सी.-एन. एन. आर. एम. एस.), जिसमें कई सचिव शामिल हैं, इसके क्रियान्वयन पक्ष को देखरेख करती है।

केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों के विविध सेक्टरों में प्रयोक्ता एजेंसियों जैसे कृषि और वानिकी, भूमि जल संसाधन, खनिज खोज, महासागर विकास, परती भूमि विकास सहित पर्यावरण इत्यादि को संसाधनों के प्रबंध के लिए एक मुख्य नये साधन के रूप में इसके बहुमुखी उपयोगों सहित सुदूर संवेदन के उपयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इन प्रौद्योगिकियों के विकास और परिष्करण के

लिए तथा इनका व्यापक उपयोग करने के लिए जिला, राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर सुदूर संवेदन उपयोगों में परीक्षणों की योजना बनाई गई है। अन्तरिक्ष विभाग (डी. ओ. एस.) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों के अलावा लगभग 100 केन्द्रीय और राज्य स्तर के संगठन इन परीक्षणों में सक्रिय रूप में भाग ले रहे हैं। भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह उपयोग कार्यक्रम (आई. आर. एस. उ. का.) इस प्रयास का एक भाग है। कई उपयोग परियोजनाओं का भी क्रियान्वयन के लिए निर्धारण किया गया है।

चूंकि कम्प्यूटर आधारित अन्योन्यक्रियाशील प्रणालियों से सुदूर संवेदन आंकड़ों का बेहतर और तीव्र अर्थनिर्वचन संभव होता है, अन्तरिक्ष विभाग के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत, प्रतिबिम्ब विश्लेषण और अर्थनिर्वचन के लिए परिष्कृत कम्प्यूटर प्रणाली से सुसज्जित पांच क्षेत्रीय सुदूर संवेदन सेवा केन्द्र (आर. आर. एस. एस. सी.) अन्तरिक्ष विभाग, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, खान विभाग/भारतीय भू-विज्ञानीय सर्वेक्षण और कृषि मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रदत्त संयुक्त निधि से स्थापित किए जा रहे हैं। कई राज्यों ने पहले ही राज्य-स्तर के सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र यूनिटें/सेल स्थापित किए हैं, जबकि अन्य राज्यों की इन्हें शीघ्र ही स्थापित करने की योजना है। एन. एन. आर. एम. एस. एक सतत प्रक्रिया है। विविध प्रयोक्ता एजेंसियों के समन्वय से विविध योजनाओं और परियोजनाओं को समय-समय पर प्रारम्भ करते हुए विकासात्मक उद्देश्यों के लिए इस प्रणाली का प्रभावी रूप में उपयोग किया जायेगा।

(ग) उपर्युक्त (ख) की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठता।

"पोलार सेटेलाइट लॉंच व्हीकल" का विकास

2573. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या प्रधान मंत्री "रिमोट सेंसिंग" उपग्रह छोड़े जाने के बारे में 9 अप्रैल, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6011 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "पोलर सेटेलाइट लांच व्हील" के विकास सहित विभिन्न उपग्रहों को छोड़े जाने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष तक "पोलर सेटेलाइट लांच व्हीकल" के विकास के लिए कार्यक्रम में यथा-निर्धारित प्रगति हो रही है; और

(ग) क्या मार्च, 1987 में "ए. एस. एल. वी. सेटेलाइट" को छोड़ने में हुई असफलता के कारणों को दूर कर लिया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) सुदूर संवेदन उपग्रह (आई. आर. एस. 1 ए. और बी.) की श्रृंखला में प्रथम और द्वितीय उपग्रह विदेश से छोड़े जायेंगे। 1000 कि. ग्रा. भार की श्रेणी के सुदूर संवेदन उपग्रहों को छोड़ने में सक्षम विकासशील स्वदेशी उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी. एस. एल. वी.) की प्रथम विकासात्मक उड़ान के 1989-90 में होने की सम्भावना है।

(ख) जी, हां।

(ग) यद्यपि 24 मार्च 1987 को हुई ए. एस. एल. वी. डी-1 की प्रथम विकासात्मक उड़ान सफल नहीं रही थी, प्राप्त आंकड़ों से पता चला है कि मिशन की अधिकांश क्रान्तिक मदों का कार्य-निष्पादन अच्छा रहा था। असफलता के कारणों का क्रान्तिक रूप में विश्लेषण किया गया है तथा निर्धारित द्वितीय उड़ान, ए. एस. एल. वी. डी. 2. जिसके एक वर्ष में किए जाने की सम्भावना है. में आवश्यक सुधार किया गया है।

जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

2574. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के लिए जनजाति उप योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि इस योजना में केवल जनजाति कल्याण के लिए ही व्यवस्था की गई है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) वर्ष 1986-87 में प्रदान की गई 155.00 करोड़ रुपये की धनराशि की तुलना में चालू वर्ष में, आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 168.50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं कि विशेष केन्द्रीय सहायता को किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता और आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत बनाई गई योजनाओं के लिए ही उपयोग में लाया जा सकता है।

"गंगा की सफाई"

2575. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन स्थानों पर गंगा सफाई कार्य शुरू किया गया है उन विभिन्न स्थानों पर गंगा जल के नमूने के बारे में नवीनतम रिपोर्ट क्या है ; और

(ख) गंगा सफाई के अगले चरण का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत 27 स्थानों पर पानी के नमूने एकत्र किए जा रहे हैं और उनका विश्लेषण भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हरिद्वार-ऋषिकेश, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी में जल गुणवत्ता की व्यापक निगरानी की जा रही है। नमूने को समय-समय पर एकत्र किया जा रहा है और आंकड़ों का मूल्यांकन तथा विश्लेषण किया जाता है। एक सम्मिश्र सूचनांक (इन्डेक्स) विकसित किया गया है जिसमें द्रवीभूत आक्सीजन और बायोकेमिकल आक्सीजन डिमांड स्तर जैसे महत्वपूर्ण जल गुणवत्ता पैरामीटर सम्मिलित हैं। एकत्रित किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि नदी के मुख्य भागों के लिए द्रवीभूत आक्सीजन की स्थिति संतोषजनक है जबकि बायोकेमिकल आक्सीजन डिमांड की स्थिति विविध स्थानों पर अलग-अलग है। गंगा कार्य योजना के तहत जल गुणवत्ता के सम्बन्ध में हाथ में ली जाने वाली प्रदूषण कम करने वाली विभिन्न स्कीमों के प्रभाव का पूर्वानुमान लगाने के

लिए एक जल गुणवत्ता मॉडल विकसित करने का कार्य शुरू किया जा चुका है और वाराणसी में इस मॉडल की जांच कर ली गई है।

(ख) सातवी पंचवर्षीय योजना के दौरान गंगा कार्य योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के 27 स्थानों पर कार्य किया जाता है।

31 जुलाई, 1987 तक गंगा कार्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में शुरू की जाने वाली कुल 259 स्कीमों का राज्य सरकारों के परामर्श से पता लगा लिया गया है।

इनमें से 177 स्कीमों को 175 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मंजूर किया जा चुका है और उनका कार्यान्वयन शुरू हो चुका है।

हरिद्वार-ऋषिकेश, वाराणसी के पास रामनगर और पटना में 3.23 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 7 स्कीमें पहले ही पूरी हो चुकी हैं। 1987-88 के अन्त तक, 19.38 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 42 स्कीमों के पूरा हो जाने की उम्मीद है। स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रगति पर निगरानी रखी जा रही है।

27 स्थानों पर विशिष्ट पैरामीटरों के अनुसार जल गुणवत्ता की निगरानी के लिए व्यापक प्रबन्ध किए गए हैं।

गंगा कार्य योजना में जनता का सहयोग हासिल करने के लिए प्रदूषण की समस्याओं और इनके निवारण के तरीकों के बारे में जनजागरूकता कार्यक्रम और प्रत्यक्ष जन भागीदारी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

30 जून, 1987 तक स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों में कार्यान्वयन एजेंसियों को 36.98 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है जिसमें से एजेंसियों ने 34.96 करोड़ रुपए की राशि खर्च किए जाने की सूचना दी है।

गोवा को केन्द्रीय सहायता

2576. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा को राज्य का दर्जा मिल जाने से गोवा आर्थिक रूप से सम्पन्न है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस राज्य को इसके विकास के लिए कोई विशेष केन्द्रीय सहायता देने का विचार है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी०के० गढ़वी) : (क) से (ग) गोवा द्वारा (30.5.1987 से) राज्य का दर्जा प्राप्त किए जाने पर, केन्द्रीय करों में 27 करोड़ रुपए के हिस्से की व्यवस्था करने और संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अधीन 1987-88 के लिए 5.98 करोड़ रुपये के सहायता अनुदानों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। केन्द्रीय करो में 8.61 करोड़ रुपए के हिस्से और अनुच्छेद 275 (1) के अधीन 2.99 करोड़ रुपए के अनुदान राज्य सरकार को पहले ही दिए जा चुके हैं। राज्य सरकार को राज्य आयोजनाओं के लिए 28.88 करोड़ रुपए की राशि की केन्द्रीय सहायता भी दी गई है। राज्य सरकार अपना वित्तीय

प्रबंध सुचारू रूप से चला रही है। राज्य सरकार ने अब तक भारतीय रिजर्व बैंक से कोई अर्थोपाय अग्रिम नहीं लिया है और 1.8.1987 की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के पास उसके 30.07 करोड़ रुपये के ट्रेजरी बिल हैं।

"परियोजना को पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति"

2577. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिचुर में राज्य संग्रहालय और चिड़ियाघर को पीची में आरक्षित वन क्षेत्र में स्थानांतरित करने के बारे में केरल राज्य सरकार से प्राप्त कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय लिया है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

"कस्तूरी मृग अभ्यारण्य"

2578. **श्री बी. तुलसीराम :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के महबूब नगर में "कस्तूरी मृग" अभ्यारण्य स्थापना करने को कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इस अभ्यारण्य को किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा ;

(ग) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से एक विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अभ्यारण्य की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी; नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि से आन्ध्र प्रदेश को सहायता

2579. **श्री बी० तुलसीराम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि से आन्ध्र प्रदेश में जिन परियोजनाओं का विकास करने का प्रस्ताव है, उनके नाम क्या हैं और उनसे सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ;

(ग) यह धनराशि राज्य सरकारों को कब तक जारी किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) इससे राज्य में कृषि के विकास में कितनी सहायता मिलेगी ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी. के. गढ़वी) : (क) भारत सरकार ने अभी तक आन्ध्र प्रदेश की किसी भी परियोजना के वित्तपोषण पर विचार करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

"परती भूमि विकास"

2580. **श्री शांति धारीवाल** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में विशेषकर कोटा जिले में कुल कितनी परती भूमि का सुधार किया गया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में इस प्रयोन के लिए कौन-कौन सी परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं तथा प्रत्येक योजना की लागत कितनी है और अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ग) परती भूमि सुधार के परिणामस्वरूप राजस्थान को कितना लाभ होगा ;

(घ) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान इस प्रकार की योजनाएं आरम्भ की जाएंगी ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) राजस्थान राज्य में पिछले तीन वर्षों (1984-85 से 1986-87) के दौरान बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 1,56,528 हैक्टेयर के क्षेत्र को वन-रोपण द्वारा कृषि योग्य बनाया गया था । सुधारी गई परती भूमि का राज्यवार विवरण राष्ट्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है ।

(ख) और (ग) परती भूमि को, केन्द्रीय वानिकी सैक्टर, ग्रामीण विकास विभाग, राज्य वानिकी सैक्टर जिसमें विदेशों से सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी परियोजनाएं शामिल हैं, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वनरोपण द्वारा सुधारा गया है । पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय तथा भौतिक स्थिति इस प्रकार है :—

वर्ष	वित्तीय (रु० लाखों में)	भौतिक वनरोपण क्षेत्र (हैक्टेयर)
1984-85	1880	41578
1985-86	870	47900
1986-87	1574	67050

पेड़ों से प्रत्यक्ष लाभ होने के अलावा परती भूमि पर वनरोपण करने से भूमि कटाव रोकने, नमी बनाये रखने, भूमि सुधार तथा पारिस्थितिकी की स्थिति में समस्त सुधार लाने में सहायता मिलेगी ।

(घ) जी, हां ।

कोटा, राजस्थान में बेरोजगार युवकों को ऋण

2581. **श्री शांति धारीवाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के कोटा जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं द्वारा स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत बेरोजगार युवकों को ऋण देते समय की गई अनियमिततायें सरकार की जानकारी में लाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बेरोजगार युवकों की सहायता करने की दृष्टि से अनियमितताओं को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कोटा जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण दिए जाने में किसी अनियमितता की सूचना उसे नहीं मिली है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

"कस्तूरी मृग अभ्यारण्य"

2582. **श्री शांति धारीवाल :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान को कोटा जिले में एक कस्तूरी मृग अभ्यारण्य स्थापित करने को कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अभ्यारण्य स्थापित करने के लिए सरकार को राजस्थान सरकार से कोई विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(घ) यदि हां, तो अभ्यारण्य स्थापित करने के लिए निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है और इसके लिए कौन सा स्थान चुना गया है ;

(ङ) इस पर कार्य कब तक शुरू किए जाने की आशा है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

पश्चिमी क्षेत्र में बैंकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की भर्ती

2583. **श्री छीतूभाई गामित :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकिंग सेवा आयोग, पश्चिमी क्षेत्र द्वारा वर्ष 1982 से 1986 के दौरान वर्ष-वार श्रेणी I, II, III और IV के कितने कर्मचारियों की भर्ती की गई और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने उम्मीदवार थे और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए आवेदन किया था और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उनके लिए आरक्षित पूरे कोटे को न भरने के विस्तृत कारण क्या हैं; और

(ङ) आरक्षण कोटे के शेष पदों को कब तक भरे जाने की सम्भावना है और क्या केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्ध मण्डल को उनका पूरा कोटा भरने के बारे में कोई विशेष मार्गनिर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों का वर्गीकरण श्रेणी I, II, III और IV के रूप में नहीं किया जाता बल्कि इन बैंकों में तीन श्रेणियों के पद होते हैं अर्थात अधिकारी, लिपिक और अधीनस्थ कर्मचारी । पश्चिम क्षेत्र में दो बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड हैं अर्थात बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, बम्बई और बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, बड़ौदा । बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन सरकारी क्षेत्र के बैंकों के वास्ते लिपिकीय कर्मचारियों के लिए और प्रतिभागी राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए अधिकारी संवर्ग के लिए भर्ती करते हैं । इन बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है ।

बैंक और बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड बकाया रिक्तियां भरने के प्रयास/उपाय कर रहे हैं और इस संबंध में सरकार ने भी समय-समय पर अनुदेश जारी किए हैं । इन अनुदेशों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष भर्ती परीक्षाएं आयोजित करना, भर्ती-पूर्व तथा पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण देना, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के वर्तमान आरक्षण के अलावा इन जातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को हिसाब में लेने के बाद मांग-पत्र भेजना आदि शामिल हैं । बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, बम्बई ने सूचित किया है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सभी रिक्त स्थान बोर्ड द्वारा भर लिए गए हैं ।

विवरण

बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, बड़ौदा और बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, बम्बई के सम्बन्ध में वर्ष 1983 से 1985 तक के दौरान पदों की श्रेणी, प्राप्त आवेदनों की संख्या और आवंटित/चयनित उम्मीदवारों की संख्या की सूचना देने वाला विवरण

वर्ष	पद	प्राप्त आवेदन		आवंटित/चयनित उम्मीदवारों की संख्या	
		अनुसूचित जाति	अनु०जनजाति	अनु०जाति	अनु०जनजाति
1.	**बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, बड़ौदा**				
1982	अधिकारी	4399	2699	81	18
	लिपिक	8209	3390	134	188

1983	अधिकारी	2855	834	82	37
	लिपिक	9583	3828	193	197
1984	अधिकारी	1118	393	27	3
	लिपिक	9958	5914	117	196
1985	अधिकारी	3463	1431	58	30
	लिपिक	11216	7965	103	217
II.	बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, बम्बई				
1982	अधिकारी	4110	1123	173	104
	लिपिक	15751	3298	304	348
1983	अधिकारी	4711	1218	162	74
	लिपिक	16231	3401	259	335
1984	अधिकारी	304	76	20	8
	लिपिक	14407	4282	214	106
1985	अधिकारी	16224	2708	172	81
	लिपिक	11451	3099	133	141

[अनुवाद]

सुपर संवाहकता (कंडकटिविटी) अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष संस्था की स्थापना

2584. **श्री विजय एन. पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुपर संवाहकता (कंडकटिविटी) अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष संस्था की स्थापना की है और देश में उसका किस प्रकार उपयोग किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो उक्त शीर्ष संस्था को क्या कार्य सौंपे गए हैं;

(ग) क्या सरकार देश में संस्थाओं को सुपर संवाहकता (कंडकटिविटी) में अनुसंधान परियोजनाओं के लिए व्यापक वित्तीय अधिकारी सौंपने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो सुपर संवाहकता (कंडकटिविटी) पर आधारित अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार की क्या नीति है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के॰आर॰ नारायणन) : (क) जी हां।

(ख) शीर्ष निकाय के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :

(1) आवश्यक बजट व्यवस्था करना;

(2) देश के भीतर और बाहर दोनों से कार्मिकों की परामर्शदाताओं, अतिथि वैज्ञानिकों के रूप में सेवाएं प्राप्त करने के लिए तथा देश में वे सुविधापूर्वक कार्य कर सकें इसके लिए सभी कदम उठाना;

(3) सभी प्रकार की वस्तुएं तथा सेवाएं प्राप्त करना विस्तृत कागजी कार्यवाही, परमिट और लाइसेंसों के बिना आयात सहित;

(4) सिविल कार्य, वास्तुशिल्पीय, आदि सहित करवाना।

(ग) जी हां।

(घ) उच्च प्रचालकता के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी जो की उनके गुण-दोष और प्रत्येक प्रस्ताव से उनकी संबद्धता निर्भर करेगी।

प्रशासन को कुशल बनाने सम्बन्धी उपायों की समीक्षा

2585. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या प्रधान मंत्री प्रशासन को कुशल बनाने सम्बन्धी उपायों के बारे में 5 नवम्बर, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 263 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशासन को कुशल बनाने के लिए उठाए गए कदमों से प्राप्त उपलब्धियों का मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में स्थिति की समय समय पर पुनरीक्षा की जाती है। किए गए सुधारों के कुछ उदाहरण हैं : आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन, कम्पनी कार्य विभाग तथा औद्योगिक विकास विभाग में आवेदन पत्रों के निपटान में तेजी आई है; योजनाओं के आर्थिक अनुमोदन में लगने वाले समय में कमी आई है; दावों के निपटान के बारे में रेलवे में काफी सुधार हुआ है तथा कुल मिलाकर मंत्रालयों द्वारा कार्य के निपटान को और अधिक युक्तिसंगत बना दिया गया है।

"अवैध वन्य जीव व्यापार"

2586. **श्री राधाकांत डिगाल :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में नन्दन कानन चिड़ियाघर और सिमिलीपाल वन में अवैध वन्य जीव व्यापार और पशुओं की दुर्लभ जातियों की हत्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान कितने मामले सरकार के ध्यान में लाये गये; और

(ग) इसके बाद सरकार द्वारा क्या कार्यवाही शुरू की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी मुद्रा का प्रत्यावर्तन

2587. **श्री अमल दत्त :** क्या वित्त मंत्री भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा विदेशी मुद्रा का स्वदेश प्रत्यावर्तन के बारे में 18 मार्च, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3149 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को प्रत्यावर्तित की गई विदेशी मुद्रा की 20 करोड़ रुपए की राशि, किस आधार पर निकाली गई है;

(ख) उपरोक्त आंकड़ों का विस्तृत ब्यौरा क्या है और यह किस अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित की गई थी; और

(ग) इससे पहले और बाद की अवधि के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी.के. गढ़वी) : (क) वर्ष 1986 में भारत में प्रत्यावर्तित 20 करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा के आंकड़े निम्नलिखित आधार पर संकलित किए गए थे :-

(i) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कार्रवाई आरंभ करने के पश्चात् निर्यात से प्राप्त हुई धन-राशियां;

(ii) विदेशी बैंक खातों से प्रत्यावर्तित राशियां;

(iii) कमीशन/रायल्टी की प्रत्यावर्तित राशियां;

(iv) विदेशों में बेची गई संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि का प्रत्यावर्तन;

(v) परामर्शदात्री/तकनीकी शुल्कों आदि का प्रत्यावर्तन;

(vi) अन्य विविध मदें जिनके सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध थीं ।

(ख) 20 करोड़ रुपए की पूरी राशि 1986 में ही प्रत्यावर्तित हो गई थी ।

(ग) वर्ष 1986 से पहले की अवधियों के सम्बन्ध में ऐसे आंकड़ों का संकलन नहीं किया गया था । वर्ष 1987 में 30 जून, तक 2.85 करोड़ रुपए की राशि प्रत्यावर्तित की जा चुकी है ।

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय

2588. **श्री अमल दत्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 से 1986-87 की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कुल कितना व्यय किया गया और वर्ष 1987-88 के लिए बजट में कितनी धनराशि का प्रावधान किआ गया है;

(ख) योजनागत और योजनेत्तर व्यय का राज्य संघ/राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने संसाधनों से कितनी राशि जुटाई और उन्होंने केन्द्रीय सरकार से कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.के. गढ़वी) : (क) और (ख) 16 राज्यों के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना विवरण-1 के रूप में संलग्न है । शेष राज्यों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों से सम्बन्धित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) 9 राज्यों के संबंध में उपलब्ध सूचना विवरण-2 के रूप में संलग्न है । शेष राज्यों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों से सम्बन्धित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण—1

राज्यों के योजनागत तथा योजना-भिन्न व्ययों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र (आंकड़े करोड़ रुपयों में)

राज्य	व्यय की मद	1984-85 (लेखा)	1985-86 (लेखा)	1986-87 संशोधित अनुमान	1987-88 बजट अनुमान
1.	2.	3.	4.	5.	6
1. आन्ध्र प्रदेश	कुल	4007.41 x	4130.14	4802.92	5246.28
	योजनागत	1009.38 x	1040.98	1543.32	1649.63
	योजना-भिन्न	2998.03 x	3089.16	3259.60	3596.63
2. असम	कुल	1385.58	1633.84	2236.81	2312.44
	योजनागत	360 00	361.12	676.29	710.91
	योजना-भिन्न	1025.58	1272.72	1560.52	1601.53
3. बिहार	कुल	2986.18	2978 48	3459.90	3829.67
	योजनागत	751.00	1097.54	1359.57	1652.38
	योजना-भिन्न	2235.18	1880.94	2100.33	2177.29
4. गुजरात	कुल	2367.36 x	2814 44	3732.78	3652.84
	योजनागत	912.06 x	707.14	1071.46	1007.93
	योजना-भिन्न	1455.30 x	2107.30	2661.32	2644.91
5. हरियाणा	कुल	1584.18 x	1857.90	1941.48	1970.74
	योजनागत	399.03 x	486.90	651.50	639.21
	योजना-भिन्न	1185.15 x	1371 00	1289.98	1331.83

1	2	3	4	5	6
6. हिमाचल प्रदेश	कुल	623.14 x	634.46	979.78	720.92
	योजनागत	223.45 x	257.90	274.74	276.37
	योजना-भिन्न	399.69 x	376.56	405.04	444.55
7. कर्नाटक	कुल	3501.29 x	3597.68	3798.30	4289.44
	योजनागत	796.05 x	872.98	1023.80	1141.6
	योजना-भिन्न	2705.24	2724.70	2774.50	3147.81
8. केरल	कुल	1572.77	2654.69	2202.88	2333.24
	योजनागत	442.08	453.82	509.71	537.01
	योजना-भिन्न	1130.69	2200.87	1693.17	1796.23
9. मध्य प्रदेश	कुल	2975.20 x	3239.10	4105.36	4719.85
	योजनागत	1025.00 x	1128.31	1355.62	1536.64
	योजना-भिन्न	1950.20 x	2110.79	2749.74	3183.51
10. मेघालय	कुल	188.31	191.92	266.11	295.09
	योजनागत	65.00	73.43	101.76	115.87
	योजना-भिन्न	123.31	118.49	164.35	179.22
11. नागालैण्ड	कुल	201.56	320.31	344.34	353.86
	योजनागत	56.85	86.66	112.72	126.01
	योजना-भिन्न	144.71	233.65	231.62	227.05

1	2	3	4	5	6
12. उड़ीसा	कुल	1289.85 x	1682.23	2147.12	2333.00
	योजनागत	532.60 x	564.90	774.62	896.83
	योजना-भिन्न	757.25 x	1117.33	1372.50	1436.25
1 . पंजाब	कुल	2231.81	3101.72	2594.87	3301.73
	योजनागत	440.00	556.89	617.91	763.69
	योजना-भिन्न	1791.81	2544.83	1976.96	2538.04
14. राजस्थान	कुल	2254.71	2220.69	2883.16	2905.24
	योजनागत	532.26 x	640.59	943.40	842.36
	योजना-भिन्न	1722.45 x	1580.10	1939.76	2062.88
15. सिक्किम	कुल	61.58	103.98	120.44	125.20
	योजनागत	35.00	60.03	68.95	74.48
	योजना-भिन्न	26.58	43.95	51.49	50.72
16. त्रिपुरा	कुल	208.88	259.31	311.61	354.49
	योजनागत	68.00	122.20	146.65	163.41
	योजना-भिन्न	140.88	137.11	164.96	191.08

स्रोत : (1) राज्य बजट

(2) x वित्त लेखे

विवरण-2

राज्यों द्वारा जुटाए गए संसाधनों और केन्द्र से प्राप्त धन को दर्शाने वाला विवरण पत्र (आंकड़े करोड़ रुपयों में)

	राज्य	प्राप्ति का स्त्रोत	1984-85 x लेखा	1985-86 x x लेखा	1986-87 x x संशोधित अनुमाम	1987-88 x x संशोधित अनुमान
1.	आन्ध्र प्रदेश	(1) राज्यों द्वारा जुटाये गये ससाधन	2920.40	2671.21	3082.57	4119.75
		(2) केन्द्र से प्राप्त धन	1058.36	1563.49	1549.28	863.50
		(3) कुल प्राप्तियां (1/2)	3978.76	4234.70	4641.85	4983.23
2.	बिहार	(1) राज्यों द्वारा जुटाये गये संसाधन	354.00	774.23	1597.75	1692.32
		(2) केन्द्र से प्राप्त धन	1467.41	1992.94	1960.20	2128.06
		(3) कुल प्राप्तियां (1/2)	1821.41	2767.17	3557.95	3820.38
3.	गुजरात	(1) राज्यों द्वारा जुटाये गये संसाधन	1442.57	1868.88	2527.23	2311.60
		(2) केन्द्र से प्राप्त धन	777.47	980.09	1205.55	1192.99
		(3) कुल प्राप्तियां (1/2)	2220.04	2848.94	3732.78	3504.59

1			2	3	4	5	6
4.	हरियाणा	(1)	राज्यों द्वारा जुटाते गये संसाधन	1256.27	1488.48	1392.45	1474.22
		(2)	केन्द्र से प्राप्त धन	290.69	390.84	498.97	507.09
		(3)	कुल प्राप्तियां (1/2).	1546.96	1879.32	1891.42	1981.31
5.	हिमाचल प्रदेश	(1)	राज्यों द्वारा जुटाये गये संसाधन	280.00	219.73	228.43	258.79
		(2)	केन्द्र से प्राप्त धन	320.99	449.20	454.38	457.47
		(3)	कुल प्राप्तियां (1/2)	600.99	668.93	682.81	716.26
6.	कर्नाटक	(1)	राज्यों द्वारा जुटाये गये संसाधन	2579.41	2341.15	2398.72	2951.33
		(2)	केन्द्र से प्राप्त	735.33	1559.28	1019.28	1080.02
		(3)	कुल प्राप्तियां (1/2)	3314.74	3900.43	3418.00	4031.35
7.	केरल	(1)	राज्यों द्वारा जुटाये गये ससाधन	1580.70	1692.75	1251.54	1445.97
		(2)	केन्द्र से प्राप्त धन	472.89	993.01	789.64	769.54

1	2	3	4	5	6
	(3) कुल प्राप्तियां (1/2)	2053.59	2682.75	2041.18	2215.51
8. उड़ीसा	(1) राज्यों द्वारा जुटाये गये संसाधन	521.81	938.51	1089.35	1169.64
	(2) केन्द्र से प्राप्त धन	631.77	735.95	1003.16	1155.20
	(3) कुल प्राप्तियां (1/2)	1153.58	1674.46	2092.51	2324.84
9. राजस्थान	(1) राज्यों द्वारा जुटाये गये संसाधन	1512.85	1260.66	1556.16	1631.22
	(2) केन्द्र से प्राप्त धन	740.43	1005.74	1237.64	1139.90
	(3) कुल प्राप्तियां	2253.20	2266.44	2793.80	2771.22
10 स्त्रोत	(1/2)				

x. वित्त लेखे

x.x. राज्य बजट

जीवन बीमा निगम द्वारा वसूल की गई प्रीमियम राशि

2589. **श्री अमल दत्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान सामाजिक योजनाओं के लिए राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्रवार कितनी प्रीमियम राशि वसूली की गई; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा दिए गए ऋणों का राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एकत्रित प्रीमियम की राशि विवरण "क" में दी गई है। समाजोन्मुखी योजनाओं के सम्बन्ध में प्रीमियम के रूप में अलग से कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में दिए गए ऋणों की राशि विवरण "ख" में दर्शाई गई है।

विवरण-क

जीवन बीमा निगम द्वारा वसूल किए गए प्रीमियम

(करोड़ रुपए)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष के दौरान वसूल किया गया प्रीमियम		
	1984-85	1985-86	1986-87 (अनन्तिम)
1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	0.15	0.23	—
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	0.20	—
आंध्र प्रदेश	115.57	139.44	168.40
असम	23.15	25.16	39.07
बिहार	55.21	63·70	74.66
चंडीगढ़	7.33	8.21	—
दिल्ली	93.68	105.45	151.80
गोवा	4.14	5.32	8.97
गुजरात	125.41	143.81	167.00
हरियाणा	22.23	26.70	63.62
हिमाचल प्रदेश	4.53	5.45	—
जम्मू और कश्मीर	6.68	8.22	10.06
कर्नाटक	106.89	123.96	139.52

1	2	3	4
केरल	58.14	66.39	80.12
मध्य प्रदेश	57.61	67.57	81.99
महाराष्ट्र	316.74	344.95	384.85
मणिपुर	1.15	1.40	—
मेघालय	1.71	2.59	—
मिजोरम	0.16	0.17	—
नागालैंड	1.03	1.43	—
उड़ीसा	17.73	21.80	27.54
पांडीचेरी	1.24	1.19	—
पंजाब	50.97	57.05	44.26
राजस्थान	54.57	62.85	76.19
सिक्कम	—	—	-
तामिलनाडु	122.78	140.79	163.02
त्रिपुरा	1.40	1.67	—
उत्तर प्रदेश	215.96	176.62	204.85
पश्चिम बंगाल	153.13	172.87	199.44
जोड़	1619.29	1775.19	2085.36

विवरण-ख

जीवन बीमा निगम द्वारा दिए गए ऋण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र			(करोड़ रुपए)
	वर्ष के दौरान दिए गए ऋण		
	1984-85	1985-86	1986-87 (अनन्तिम)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	30.35	39.17	32.27
असम	5.33	7.52	4.99
बिहार	17.11	8.81	14.19
दिल्ली	8.63	36.26	10.37
गोवा	0.80	0.50	—
गुजरात	49.03	60.20	78.14
हरियाणा	16.88	29.98	17.20
हिमाचल प्रदेश	1.81	1.85	2.10

1	2	3	4
जम्मू और कश्मीर	5.52	5.30	4.24
कर्नाटक	26.77	27·61	19.79
केरल	30.90	28.60	32.84
मध्य प्रदेश	25.99	31.17	25.15
महाराष्ट्र	67.83	68.97	71.46
मणिपुर	0.67	1.19	0.48
मेघालय	4.17	4.07	4.80
नागालैंड	1.75	0.70	1.27
उड़ीसा	11.90	18.42	19.12
पांडीचेरी	==	—	0.25
पंजाब	19.82	24.43	21.21
राजस्थान	18.92	20.80	29.15
तामिलनाडू	51.25	59.70	64.81
त्रिपुरा	2.07	1.67	2.19
उत्तर प्रदेश	55.56	60.06	67.70
पश्चिम बंगाल	27.34	26.25	26.83
जोड़	480.40	563.23	550.55

आंन्ध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में तम्बाकू और कपास के गोदामों में आग की दुर्घटनाएं

2590. **श्री अमल दत्ता :** क्या वित्त मंत्री आन्ध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में तम्बाकू और कपास के गोदामों में आग दुर्घटनाओं के बारे में 18 मार्च, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3178 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुगतान के लिए बकाया दावों की स्थिति क्या है ; और

(ख) क्या किसी भी दावे के संबंध में जांच कार्य पूरा हो गया है तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

"केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं"

2591. **श्री शान्ताराम नायक :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा राज्य में उनके मंत्रालय की केन्द्र द्वारा प्रायोजित कौन-कौन सी योजनायें कार्यान्वित की जा रही है ;

(ख) प्रत्येक योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इन योजना के अन्तर्गत क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक योजना पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) गोवा राज्य में निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं :-

(1) ग्रामीणजलावन की लकड़ी की पौधरोपण और पारि-संवेदनशील गैरहिमालय क्षेत्रों में वनरोपण।

(2) राष्ट्रीय उद्यानों के विकास के लिए सहायता।

(3) अभयारण्यों के विकास के लिए सहायता।

(4) पर्यावरण के सम्बन्ध में केन्द्र-राज्य समन्वित कार्यक्रम।

(ख) इनमें से प्रत्येक स्कीम की मुख्य विशेषताएं विवरण-1 में दर्शायी गई हैं।

(ग) इन स्कीमों के तहत हासिल की गई उपलब्धियां विवरण-2 में दर्शायी गई हैं।

(घ) पिछले 3 सालों के दौरान इनमें से प्रत्येक स्कीम को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता विवरण-3 में दी गई है।

विवरण-1

गोवा राज्य में कार्यान्वित की गई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की मुख्य विशेषताएं :

(1) ग्रामीण जलावन की लकड़ी की पौधरोपण और पारि-संवेदनशील गैर-हिमालय क्षेत्रों में वनरोपण।

इस स्कीम का उद्देश्य अपने गांवों में और उनके आस-पास ग्रामीण लोगों की जलावन की लकड़ी, चारा और छोटी-मोटी इमारती लकड़ी की जरूरतों को पूरा करना है। केन्द्रीय सहायता की पद्धति 50:50 के आधार पर है।

(2) राष्ट्रीय उद्यानों के विकास के लिए सहायता

राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में और उनके आस-पास पशु/वन्यजीव प्रजातियों की प्रभावी सुरक्षा और उपयुक्त प्राकृतिक वास-स्थलों के विकास में सहायता करना। व्यय की अनुमोदित मदों पर शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

(3) अभयारण्यों के विकास के लिए सहायता

अभयारण्यों के भीतर या उनके आस-पास अभयारण्यों के लिए प्रभावी सुरक्षा और प्राकृतिक वास-स्थलों के उचित विकास में सहायता करना। व्यय की अनुमोदित मदों पर शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

(4) पर्यावरण के सम्बन्ध में केन्द्र-राज्य समन्वित कार्यक्रम

इस स्कीम में गोवा में पर्यावरण के लिए एक तकनीकी सैल स्थापित करने की संकल्पना की गई है। तकनीकी कर्मचारियों और न्यूनतम सहायक कर्मचारियों के वेतन के लिए सहायता दी गई है।

विवरण—2

गोवा राज्य में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत हासिल की गई उपलब्धियां :

(1) ग्रामीण जलावन की लकड़ी की पौधरोपण और पारि-संवेदनशील गैर-हिमालय क्षेत्रों में वन रोपण :-

वर्ष	उगाए गए पौधे (हे०)
1984-85	150
1985-86	210
1986-87	600

(2) राष्ट्रीय उद्यानों के विकास के लिए सहायता

एक राष्ट्रीय उद्यान को केन्द्रीय सहायता दी गई ।

(3) अभयारण्यों के विकास के लिए सहायता

एक अभयारण्य को केन्द्रीय सहायता दी गई ।

(4) पर्यावरण के सम्बन्ध में केन्द्र-राज्य समन्वित कार्यक्रम

स्कीम को 31.3.1987 को ही स्वीकृत किया गया था ।

विवरण—3

गोवा राज्य में कार्यान्वित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता :

स्कीम	वर्ष	बंटित केन्द्रीय अनुदान (लाख रुपयों में)
1. ग्रामीण जलावने की लकड़ी की पौधरोपण और पारि-संवेदनशील गैर-हिमालय क्षेत्रों में वनरोपण	1984-85	शून्य
	1985-86	12.50
	1986-87	15.00
2. और 3. राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए सहायता	1984-85	शून्य
	1985-86	शून्य
	1986-87	4.70
4. पर्यावरण के सम्बन्ध में केन्द्र-राज्य समन्वित कार्यक्रम	1984-85	शून्य
	1985-86	शून्य
	1986-87	2.09

सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 1987 का सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र का विशिष्ट स्वरूप

2592. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 1987 के सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र में अनेक ऐसे प्रश्न थे जिसके लिए कृषि विज्ञान का विशिष्ट ज्ञान अपेक्षित था तथा इस अनुबंध के अनुरूप नहीं था कि सामान्य अध्ययन में उम्मीदवारों से ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिसकी सामान्य शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है ;

(ख) क्या इस संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) इन पर क्या कार्यवाही की गई ; और

(ङ) क्या परीक्षा में गैर-कृषि उम्मीदवारों के हितों को संरक्षण देने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं। सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 1987 में सामान्य अध्ययन संबंधी प्रश्न पत्र में ऐसे कोई प्रश्न नहीं थे जिनके लिए कृषि विज्ञान सहित किसी भी विषय का विशिष्ट ज्ञान अपेक्षित हो। यह प्रश्न पत्र उन उपबन्धों के अनुरूप था जिनके अनुसार प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों के लिए उसी प्रकार के ज्ञान की जरूरत होती है जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है।

(ख) और (ग) इस संबंध में संघ लोक सेवा आयोग को, सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में बैठने वाले कुल 82,842 उम्मीदवारों में से 2 उम्मीदवारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) और (ङ) इन अभ्यावेदनों पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विधिवत विचार किया गया था। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न थे और इसे अलग-अलग विषयों के शैक्षिक विशेषज्ञों के एक दल द्वारा इस ढंग से प्रस्तुत और तैयार किया गया था कि किसी विशिष्ट विषय के किसी भी उम्मीदवार पर इसका न तो कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े, न किसी को कोई अनुचित लाभ मिले।

गोआ में जनजाति उप योजना के अन्तर्गत उपलब्धियां

2593. **श्री शांताराम नायक** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनजाति उपयोजना के प्रारंभ से गोआ को कुल कितनी विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई ; और

(ख) गोआ दमण और दीव में जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत इस अवधि के दौरान प्राप्त उपलब्धियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) केन्द्र सरकार ने, गोआ, दमण, तथा दीव शासन को दमण की आदिवासी उपयोजना की अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में वर्ष 1976-77 से जून, 1987 के दौरान 103.21 लाख रुपये की राशि जारी है।

(ख) आदिवासी उपयोजना, कृषि, हणुपालन, लघु सिंचाई, सहकारिता, समाज सेवाएं, वानिकी, कुटीर तथा लघु उद्योग, शिक्षा तथा स्वास्थ्य आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के परिवारानुसारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के ज़रिए आदिवासी परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में विशेष ध्यान तथा बल देने वाला क्षेत्र विकास कार्यक्रम है । छठी योजना से लेकर अब तक के वर्षों में इन कार्यक्रमों के जरिए आर्थिक सहायता प्राप्त आदिवासी परिवारों की संख्या इस प्रकार है :-

अवधि	परिवारों की संख्या
1980-85	3226
1985-86	741
1986-87	598
1987-88 (मई, 1987 तक)	62

[हिन्दी]

रुपये के मूल्य में गिरावट

2594. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुपये के मूल्य में अन्य देशों की तुलना में काफी गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विशेषकर आयात और निर्यात पर इसके प्रभाव का ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) गत दो वर्षों में भारतीय रुपये के मूल्य में हुई गिरावट के बारे में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी. के. गढ़वी) : (क) से (ग) वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान मुख्य-मुख्य अंतर्राष्ट्रीय करेंसियों के मुकाबले रुपए का औसत मूल्य इस प्रकार था :-

विदेशी मुद्रा की प्रति इकाई के मुकाबले रुपए का मूल्य

	1984-85	1985-86	1986-87
संयुक्त राज्य अमरीकी डालर	11.8886	12.2349	12.7782
पौंड स्टर्लिंग	14.8668	16.8467	19.0722
ड्यूश मार्क	3.9877	4.5553	6.2970
जापानी येन	0.0487	0.0562	0.0802
फ्रांसीसी फ्रांक	1.3006	1.4908	1.9290

कनाडी डालर	9.0065	8.8892	9.3095
आस्ट्रेलियाई डालर	9.8944	8.4364	8.4913
स्विस फ्रांक	4.7797	5.4688	7.6068

रुपए को विदेशी मुद्रा दर उन करेंसियों की भारित डाली के मूल्य के संदर्भ में निर्धारित की जाती है जो भारत के साथ प्रमुख रूप से व्यापार में भागीदार देश हैं। अन्य करेंसियों के मुकाबले रुपए की विनिमय दर में ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर होने वाले परिवर्तन उन करेंसियों के मूल्य में होने वाली घट-बढ़ पर निर्भर करते हैं जो कि डाली के अंग होते हैं। परिवर्तनशील विदेशी मुद्रा दरों के युग में, विदेशी मुद्रा समता दरों में बार-बार परिवर्तन होना एक सामान्य बात है।

देश के व्यापार तथा अन्य वित्तीय लेन देनों पर, खास करके तब जब ऐसे लेन-देनों का स्तर बहुत से अन्य सहयोगी कारणों से प्रभावित होता है, विदेशी मुद्रा दर में होने वाली घट-बढ़ से पड़ने वाले प्रभाव का अलग से उल्लेख करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

विदेशों को प्रतिभा पलायन

2595. **श्री डी०बी० पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने कार्य-चिकित्सक, शल्य-चिकित्सा चिकित्सा विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और तकनीकी तथा अन्य कुशलता प्राप्त व्यक्ति प्रति वर्ष भारत से दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं; और

(ख) इस तरह के प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर. नारायणन) : (क) हर साल जो भारतीय चिकित्सक, सर्जन, चिकित्सा विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और अन्य तकनीकी कार्मिक अन्य देशों में जाकर बस जाते हैं उनकी सूची रखना संभव नहीं हुआ है। अतः उनकी सही संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ख) भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को इस बात के लिए प्रेरित करने हेतु अनेक कदम उठाये गए हैं कि वे देश में ही रहकर अपने क्षेत्र में कार्य करें। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं;

— सभी वैज्ञानिक विभागों/संगठनों में एक लचीली पूरक योग्यता पदोन्नति योजना प्रारंभ की जा रही है।

— ऐसे कार्यक्रम शुरू किये गये हैं जिनके जरिए देश में वैज्ञानिको के कोड़ समूह बनाए जाते हैं जिनके पास विज्ञान के नये और अग्रिम क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करने के लिए अपेक्षित सभी आवश्यक आधुनिक सुविधाएं होती हैं।

— युवा वैज्ञानिक भारत से बाहर विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले सकें इनके अतिक्ति अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने हेतु वैज्ञानिकों को सहायता प्रदान करने के लिये विशेष योजनाएं लागू की जा रही हैं।

— वैज्ञानिकों के पूल की स्कीम के अंतर्गत वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की अस्थायी नियुक्ति का प्रावधान है। अधिसंख्यक पदों के सृजन का प्रावधान भी किया गया है।

— जैव प्रौद्योगिकी, महासागर विकास, पर्यावरण गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत, टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र, विभागों आदि जैसे नये वैज्ञानिक विभाग/संगठन स्थापित किये गये हैं और इनमें से कुछ उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में हैं। इनके द्वारा वैज्ञानिकों प्रौद्योगिकी-विदों और डाक्टरों/को कार्य के संतोषजनक अवसर प्रदान किए जाने की संभावना है।

— पंचवर्षीय योजनाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यों के लिए वित्तीय आवंटन में निरंतर काफी वृद्धि की गयी है।

संगठनात्मक कार्यक्षमता और वैज्ञानिकों की कार्य की दशा में सुधार करने के लिए वैज्ञानिक संस्थाओं को अधिक प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मारे गये छापे

2596. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 28 जुलाई, 1987 को सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों के कई उच्चाधिकारियों कार्यालयों/प्रतिष्ठानों और मकानों पर छापे मारे;

(ख) यदि हां, तो जब्ती के माल की अनुमानित कीमत संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन छापों के आधार पर कितने लोगों और फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी नहीं।

(ख) इन तलाशियों के दौरान बरामद चल/अचल दोनों ही प्रकार की मदों के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :-

नकदी बैंकों में जमा राशियां, सावधि जमा रसीदें, राष्ट्रीय बचत पत्र शेयर आदि	— रु० 9.49 लाख
टेलीवीजन, वीडीयो कैसट रिकार्डर, जेवरात तथा घरेलू सामान आदि जैसी चल परिसम्पत्तियां	— रु० 22.65 लाख
मकान, फ्लैट तथा भूमि जैसी अचल परिसम्पत्तियां	— रु० 33.28 लाख

इसके अतिरिक्त चल/अचल परिसम्पत्तियों आदि के लेन-देन से सम्बन्धित काफी संख्या में अभिशंसी दस्तावेज भी बरामद किए गए थे जिनकी छानबीन की जा रही है।

(ग) सभी मामलों की जांच चल रही है तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निष्कर्षों के आधार पर उपुक्त कारंवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमो को फिर से बनाना

2597. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमों को पुनः तैयार किया है;

(ख) यदि नहीं, तो नियम बनाने में विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) ये कब तक बनाए जायेंगे और क्या इनकी प्रतियां सभा पटल पर रखी जायेंगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) से (ग) जी, नहीं । केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के सेवा नियमों को पुनः तैयार करने से संबंधित चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का कार्य प्रगति पर है । संशोधित नियमों के अधिसूचित होते ही उनकी प्रतियां, संसद सचिवालय को उपलब्ध करा दी जाएंगी ।

दिल्ली में आयकर की बकाया धनराशि

2598. **श्री गुरुदास कामत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे करदाताओं की वर्ष वार संख्या कितनी है जिन पर आयकर विभाग दिल्ली में पिछले दो वर्षों से एक लाख रुपये से अधिक आयकर बकाया है और उनसे वस्तुतः कितनी धनराशि मांगी गई है; और

(ख) बकाया मांग की राशि वसूल करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी.के. गढवी) : (क) दिल्ली प्रभार के जिन आयकर निर्धारितियों के मामलों में 1 लाख रुपए से अधिक की मांग बकाया है उनके सम्बन्ध में वर्ष-वार और वास्तविक मांग संबंधी सूचना क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्र करनी होगी, जिसमें बहुत श्रम और समय लगेगा । यदि ऐसी सूचना किसी कर-निर्धारिती विशेष के बारे में अपेक्षित हो, तो वह एकत्र करके माननीय सदस्य को उपलब्ध कराई जा सकती है । तथापि, दिल्ली प्रभार के जिन कर-निर्धारितियों को आयकर के रूप में विभाग को 10 लाख रुपए से अधिक देना है उनके संबंध में नीचे सूचना दी गई है : –

वर्ष	कर-निर्धारितियों की संख्या	बकाया मांग (करोड़ रुपयों में)
1986 (31-3-1986 की स्थिति के अनुसार)	320	314·83
1987 (31-3-1987 की स्थिति के अनुसार)	459	471·03

(ख) प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर रहते हुए, बकाया मांग की वसूली/घटौती के लिए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा विधि के अनुसार समय-समय पर समुचित उपाय किये जाते हैं । इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकारियों से अनिर्णीत अपीलों को शीघ्र निपटाने के लिए अनुरोध करना शामिल है । इन उपायों में आयकर अधिनियम की धारा 226 (3) के अन्तर्गत कार्रवाई करना और आयकर अधिनियम की धारा 222 के अन्तर्गत कर

वसूली अधिकारी को वसूली-प्रमाणपत्र जारी करके चल और अचल सम्पत्तियों की कुर्की करना भी शामिल है।

महाराष्ट्र में बैंक शाखाएं खोलना

2599. **श्री गुरुदास कामत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को नई शाखाएं न खोलने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रतिबंध को कितनी अवधि तक लागू रखा जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क)—जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

"कृषि वानिकी का विकास करना"

2600. **श्री मुरलीधर माने** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि वानिकी योजना का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत किसानों और ग्रामीण भूमिहीनों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या "वृक्ष पट्टा" योजना के अन्तर्गत कुछ राज्य सरकारों द्वारा पेड़ लगाने के लिये भूमि आवंटन को बढ़ावा दिया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मुख्यतः सीमान्त/उपसीमान्त भूमि वाले किसानों को पेड़वाली फसलों और खाद्य/वाणिज्यिक फसलों की मिश्रित फसलें उगाने में प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रयत्न किये जा रहे हैं। इसके साथ-साथ राज्य सरकारों से यह भी कहा गया है कि वे परती भूमि को भूमिहीन और ग्रामीण गरीब लोगों को पेड़ उगाने के लिए पट्टे पर दी जाये और उनके द्वारा उगाये गये पेड़ों का उन्हें उपभोग का पूरा अधिकार दिया जाए। कृषि वनरोपण और फार्म वनरोपण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड योजनाएं और ग्रामीण विकास योजनाएं देश भर में विकेन्द्रीकृत जन पौधशालाओं का एक व्यापक नेटवर्क को प्रोत्साहित कर रही है।

(घ) और (ङ) जी हां। पेड़ पट्टे या इसी प्रकार पट्टे पर देने की योजनाएं आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक ने भी शुरू कर दी हैं। इस योजना के अन्तर्गत भूमिहीन और ग्रामीण गरीबों को केवल पेड़ उगाने के लिए परती भूमि दी जा रही है। आवंटित भूमि पर उगाये गये पेड़ों का पूरा उपभोग करने का अधिकार लाभानुभोगियों को दिया जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन उपकरण संयंत्र की स्थापना

2601. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अनिवासी भारतीयों ने पश्चिमी जर्मनी के तकनीकी सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन उपकरण संयंत्र की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो यह किस स्थान पर स्थापित किया गया है तथा इस परियोजना पर कितनी लागत आई है ;

(ग) इस संयंत्र की क्षमता कितनी है तथा इसमें कितने समय में उत्पादन शुरू हो जाने की सम्भावना है ;

(घ) इस संयंत्र की स्थापना के द्वारा रोजगार के कितने अवसर पैदा हुए हैं ; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) पश्चिम जर्मनी (मेसर्स सीमेंस ए. जी.) के साथ तकनीकी-सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन उपकरणों का विनिर्माण करने के लिए एक अनिवासी भारतीय को एक आशय-पत्र जारी किया गया है। संयंत्र की अभी स्थापना नहीं की गई है।

(ख) हरियाणा के अनुमति प्रदान किए जाने योग्य क्षेत्र में परियोजना की स्थापना करने का प्रस्ताव है। पूंजीगत माल में 33 लाख रुपये की राशि का पूंजीनिवेश करने का प्रस्ताव है।

(ग) परियोजना की लाइसेंसशुदा उत्पादन-क्षमता 2.0 लाख है तथा वर्ष 1988 के मध्य तक उत्पादन आरम्भ होने की संभावना है।

(घ) और (ङ) संयंत्र के स्थापित हो जाने पर लगभग 100 व्यक्तियों के लिए रोजगार के सुअवसर उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

राज्यों की प्रति व्यक्ति आय

2602. **श्री मुरलीधर माने :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पांच राज्यों के क्या नाम हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है ;

(ख) किन-किन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय पिछले तीन वर्षों के दौरान कम हुई है ;

(ग) उनमें प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) प्रचलित तथा स्थिर (1970-71) दोनों मूल्यों पर पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1983-84 से 1985-86 के लिए अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए प्रति व्यक्ति आय के सरकारी अनुमान संलग्न विवरण में दिए गए हैं। विवरण से पता चलता है कि 1983-84 वर्षों के लिए प्रति व्यक्ति आय के अनुमान त्रिपुरा तथा मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों के लिए उपलब्ध हैं तथा प्रचलित मूल्यों पर सबसे कम प्रति व्यक्ति आय रखने वाले पांच राज्य हैं बिहार, उड़ीसा, मेघालय, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश। वर्ष 1984-85 के लिए, नागालैंड, मिजोरम तथा त्रिपुरा के लिए प्रचलित मूल्यों पर अनुमान तथा 1985-86 के लिए अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा और त्रिपुरा के अनुमान उपलब्ध नहीं है। अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि क्या उपर्युक्त पांच राज्यों की स्थिति में बाद में कोई परिवर्तन हुआ है।

(ख) विवरण से यह भी पता चलता है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान सतत् मूल्यों पर आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा राजस्थान राज्यों के सम्बन्ध में प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई है ।

(ग) केन्द्र सरकार ने ऐसे राज्यों की स्थिति सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से महत्वपूर्ण उपाय हैं (i) अपना योजनागत व्यय पूरा करने के लिए, एक फार्मूले के अनुसार जो पिछड़े राज्यों के पक्ष में हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है, केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों को संसाधनों का स्थानान्तरण; (ii) आठवें वित्त आयोग के अधिनिर्णय के अनुसार गैर-योजना संसाधनों की सुपुर्दगी जो पिछड़े राज्यों के पक्ष में है तथा जो राजस्व अन्तराल को शामिल करने के साथ-साथ राज्यों के बीच विषमताओं को कम करने का प्रयत्न करता है; (iii) राज्यों में औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए निवेश इमदाद तथा रियायती वित्त-व्यवस्था के रूप में विशेष प्रोत्साहन देना; तथा (iv) गरीबी उपशमन कार्यक्रम के अन्तर्गत संसाधनों का राज्यवार आवंटन करते समय, छठी योजना की अपेक्षा सातवीं योजना के दौरान गरीबी की घटना पर अधिक बल दिया गया है । निस्सन्देह, उच्च गरीबी अनुपात वाले राज्यों को इन कार्यक्रमों के लिए निधियों का अधिक आवंटन प्राप्त होगा ।

विवरण

विवरण : प्रति व्यक्ति आय, 1983-84 से 1985-86

राज्य	प्रचलित मूल्यों पर			स्थिर (1970-71) मूल्यों पर		
	1983-84 (पी)	1984-85 (पी)	1985-86 (क्यू)	1983-84 (पी)	1984-85 (पी)	1985-86 (क्यू)
1. आंध्र प्रदेश	1965	1996	2184	746	705	743
2. अरुणाचल प्रदेश	2036	2160	उ. न.	745	785	उ. न.
3. असम	1862	1821	2017	586	584	604
4. बिहार	1284	1418	1548	458	476	488
5. गोआx	4062	4492	4782	1522	1600	1754
6. गुजरात	2768	2901	2772	968	970	862
7. हरियाणा	3037	3259	3669	1083	1110	1217
8. हिमाचल प्रदेश	2226	2217	2542	768	716	788
9. जम्मू तथा कश्मीर	1976	2079	2173	663	664	673
10. कर्नाटक	1970	2189	2136	731	772	698
11. केरल	1901	2076	2287	590	607	614
12. मध्य प्रदेश	1712	1693	1988	602	574	623
13. महाराष्ट्र	2990	3203	3430	1033	1017	1029
14. मणिपुर	1967	2202	2350	565	574	600

15. मेघालय	1639	1727	उ. न.	सं. न.	सं. न.	सं. न.
16. मिजोरम	सं.न.	सं. न.	सं. न.	सं. न.	सं. न.	सं. न.
17. नागालैंड	2931	उ. न.	उ. न.	सं. न.	सं. न.	सं. न.
18. उड़ीसा	1636	1534	उ. न.	559	512	उ. न.
19. पंजाब	3732	4103	4416	1497	1566	1621
20. राजस्थान	2011	1990	2043	729	679	663
21. सिक्कम	2072	2559	उ. न.	1692ए	1844ए	उ. न.
22. तमिलनाडु	1859	2128	2353	671	745	779
23. त्रिपुरा	उ. न.	उ. न.	उ. न.	619	उ. न.	उ. न.
24. उत्तर प्रदेश	1659	1782	1988	575	580	587
25. पश्चिम बंगाल	2232	2594	2813	816	833	858

क्यू : शीघ्र अनुमान　　पी: प्रारम्भिक

उपलब्ध नहीं : (उ. न.)　　आंकड़े सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नहीं भेजे गए हैं।

संकलित नहीं : (सं. न.)　　अनुमान सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए भी संकलित नहीं किए गए हैं।

ए　　1980-81 मूल्यों पर

x　　गोआ के सम्बन्ध में आंकड़े पूर्व संघ शासित क्षेत्र से सम्बन्धित हैं

स्त्रोत :　　राज्य सरकारों के अर्थ तथा सांख्यिकी निदेशालय।

टिप्पणी :　　विभिन्न राज्यों द्वारा प्रयोग की गई प्रणाली-विज्ञान तथा स्त्रोत सामग्री में भिन्नताओं के कारण आंकड़े पूर्णतया तुलनीय नहीं है।

खुली छूट योजना

2603. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने खुली छूट योजना आरम्भ करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो खुली छूट योजना आरम्भ करने का मुख्य प्रयोजन क्या है; और

(ग) निर्यात पर अधिक जोर देने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक और आई०टी०सी० की तत्कालीन मौजूदा खुली छूट योजनाओं (ब्लैंकिट परमिट स्कीम) के स्थान पर 8 जून, 1987 से एक नई ब्लैंकिट एक्सचेंज परमिट स्कीम आरम्भ की गई है। जहां तक निर्यातकों की पात्रता का और उस प्रयोजन का सम्बन्ध है जिसके लिए ब्लैंकिट परमिटों के विरुद्ध धारकों द्वारा विदेशी मुद्रा ली जा सकती है, यह योजना दोनों ही दृष्टि से व्यापक और लचीली है। नई योजना के अन्तर्गत बहुत सी अतिरिक्त मदों के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा की निकासी के लिए ब्लैंकिट

परमिटधारकों को काफी स्वतंत्रता दी गई है इसमें कतिपय विशिष्ट मदों पर किए जाने वाले व्यय पर लगाई गई उच्चतम मौद्रिक सीमा को समाप्त कर दिया गया है नई योजना के अधीन, अधिकतम विदेशी मुद्रा राशि जिसके लिए निर्यातक पात्र हैं, वह भी भारतीय रिजर्व बैंक और आई०टी०सी० की पुरानी ब्लैंकिट परमिट स्कीमों, दोनों के अंतर्गत कुल मिलाकर उनकी विदेशी मुद्रा पात्रता की राशि की तुलआ में काफी अधिक है।

नई योजना आरम्भ करने का मूल उद्देश्य निर्यातों को प्रोत्साहन देना है। यह सुविधा निर्यातकों को इसलिए दी गई है ताकि वे हर बार भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति लिए बिना अल्प नोटिस पर विदेश यात्रा करने के अलावा विदेशों में विभिन्न निर्यात संवर्धन तथा कारबार सम्बन्धी अन्य गतिविधियां आरम्भ कर सकें।

भारतीय स्टेट बैंक में निदेशकों का कार्य काल

2604. **श्री सी०के० कुप्पुस्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि निदेशक के लिए अधिकतम अवधि (8 वर्ष) के बारे में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा लगाई गई रोक को भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके सहयोगी बैंकों में लागू नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या करण हैं;

(ग) क्या भारतीय स्टेट बैंक के उन निदेशकों का, जो लगातार 8 से अधिक वर्षों से पद पर बने हुए हैं; स्थानान्तरण किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन निदेशकों के सम्बन्ध में उपयुक्त उत्तराधिकारी का पता लगाने की क्रिया को तीव्र करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है.?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निदेशकों का कार्यकाल भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के सम्बद्ध उपबंधों द्वारा नियंत्रित होता है और न कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधों द्वारा। इस समय भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में दो निदेशक ऐसे हैं जो भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के उपबंधों में अपेक्षित, अपने उत्ताराधिकारियों की नियुक्ति तक, 8 वर्ष से अधिक समय से लगातार इस पद पर कार्य कर रहे हैं। उपयुक्त दो निदेशकों में से एक के मामले में, जो भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में अधिकारी निदेशक है; उत्तराधिकारी की नियुक्ति के विषय में अदालत में मुकदमा चल रहा है और मामला विचाराधीन है। सरकार ने दूसरे निदेशक के, जो भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में 8 वर्ष से अधिक से लगातार अपने पद पर है, उपयुक्त उत्तराधिकारी का पता लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

बैंक कर्मचारियों का एक बैंक से दूसरे बैंक में स्थानांतरण

2605. **श्री सी०के० कुप्पुस्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में स्थित बैंकिंग विभाग ने निहित स्वार्थ को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों में वेतनमान पांच से ऊपर के अधिकारियों का एक बैंक से दूसरे बैंक में स्थानान्तरण किए जाने के बारे में सरकार के पूर्व निर्णय को कार्यान्वित किया है;

(ख) क्या वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को राष्ट्रीकृत बैंकों से भारतीय स्टेट बैंक में नियुक्त किया जाता है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या भारतीय स्टेट बैंक में वेतनमान छः वेतनमान - सात तथा वेतनमान आठ (विशेष) अधिकारियों को उनके निवास के निकटवर्ती स्थानों पर नियुक्त किया गया है; यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार ने, सरकारी क्षेत्र के बैंकों से, वरिष्ठ प्रबन्धकों के ऐसे पदों पर जिनके लिए बैंकों में उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध नहीं है, अन्य बैंकों से अधिकारी लेकर वरिष्ठ प्रबन्धन को मजबूत बनाने की प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए कहा है। वास्तविक नियुक्तियां, आवश्यकतानुसार, संबंधित संगठनों के परामर्श से की जाती हैं।

(ग) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उच्चतम कार्यपालक ग्रेड स्केल-छः के आठ अधिकारियों उच्चतम कार्यपालक ग्रेड स्केल-सात के छः अधिकारियों और उच्चतम कार्यपालक ग्रेड (विशेष स्केल-1) के एक अधिकारी को उनके अपने-अपने अधिवास के स्थानों पर नियुक्त किया गया है।

केरल में वक्फों के विकास के लिए वित्तीय सहायता

2606. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय वक्फ परिषद की वित्तीय सहायता से केरल राज्य में किन वक्फों का विकास किया गया है;

(ख) इनमें से प्रत्येक वक्फ को केन्द्रीय वक्फ परिषद द्वारा कितनी धनराशि दी गई;

(ग) क्या सरकार का केरल राज्य में और वक्फों का विकास करने के लिए कोई वित्तीय सहायता देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) केन्द्रीय वक्फ परिषद की ऋण सहायता से केरल राज्य में निम्नलिखित दो वक्फों का विकास किया गया है :-

वक्फ का नाम	परिषद द्वारा दी गई सहायता धनराशि
1. हशिमिया मदरसा वक्फ एलेपी, केरल	2.00 लाख रुपए
2. मदरसा दारूसल्लम यतीमखाना, चेलचेरी (केरल)	11.90 लाख रुपए

(ग) और (घ) वक्फ बोर्डों/वक्फों को उनके शहरी वक्फ सम्पत्तियों के विकास के लिए व्यवहारिक योजनाओं में ऋण सहायता केन्द्रीय वक्फ परिषद द्वारा दी जाती है न कि केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल से भी जब कभी ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होंगे, तो परिषद ऐसी सहायता देने के लिए विधिवत विचार और निर्णय करेगी। इस समय केन्द्रीय वक्फ परिषद के पास केरल का कोई प्रस्ताव नहीं है।

"शेर की पूंछ वाला बन्दर"

2607. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के "सायलेंट वैली' वनों में पाए जाने वाले शेर की पूंछ वाले बन्दरों की खतरनाक प्रजातियों के बारे में मंत्रालय द्वारा कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रजातियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों में उनकी संख्या में वृद्धि हुई है/ह्रास हुआ है;

(घ) इन प्रजातियों का बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने 1980 से 1983 तक देश में सिंह पुच्छी बन्दरों का सर्वेक्षण किया जिसके अनुसार केरल के शान्त घाटी वनों में इस प्रजाति की संख्या लगभग 300 है।

(ग) इस गणना के अनुसार देश में सिंह पुच्छी बन्दरों की संख्या लगभग 1760 है जबकि 1975 में इनकी संख्या लगभग 800 थी जिनमें 150 शान्तघाटी के भी शामिल थे।

(घ) इस प्रजाति की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) इस प्रजाति को वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की अनुसूची-1 में शामिल करना ताकि वाणिज्यिक शोषण और शिकार से इसकी पूरी तरह से सुरक्षा की जा सके।

(2) तीन राष्ट्रीय उद्यानों और ग्यारह अभयारण्यों में सिंह पुच्छी बन्दरों और इसके वास-स्थलों की सुरक्षा की व्यवस्था।

लीजिंग कम्पनियों के कार्यकरण को विनियमित करना

2608. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या सरकार का लीजिंग कम्पनियों के कार्यकरण को विनियमित करने के लिए कानून बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी०के० गढ़वी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

"नम भूमि और तटवर्ती पारिस्थितिकीय प्रणाली (इकोलॉजिकल सिस्टम)" केन्द्र की स्थापना

2609. **श्री सी. सम्भु :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटवर्ती और तटदूर अनुसंधान संस्थान, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में नम भूमि और तटवर्ती पारिस्थितिकीय प्रणाली केन्द्र स्थापित करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खिलाड़ियों को ऋण

2610. **श्री सी० सम्बु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खिलाड़ियों को अपना कारोबार अथवा उद्योग आरम्भ करने के लिए ऋण देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि केवल खिलाड़ियों के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत उन्हें व्यापार या उद्योग शुरू करने के लिए ऋण दिए जाते हों। अलबत्ता, वर्तमान योजनाओं के अन्तर्गत, अन्य लोगों के साथ-साथ खिलाड़ियों के ऋण अनुरोधों पर गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक एकक

2612. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र में वर्तमान इलेक्ट्रोनिक एककों के स्थानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या अन्य राज्यों में प्राथमिकता के आधार पर नए इलेक्ट्रानिक एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष, विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों की सूची तथा उनके स्थापना-स्थल संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) इस समय सार्वजनिक क्षेत्र की नई इलेक्ट्रॉनिक इकाइयां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली इलैक्ट्रॉनिक इकाइयों और उनके स्थापना स्थल

क्र. सं०	इकाई का नाम	स्थापना-स्थल
1.	भारत डाईनामिक्स लिमिटेड	हैदराबाद

2.	भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	बंगलौर मछलीपट्टनम, मद्रास, पंचकुला पुणे एवं सहिबाबाद
3.	भारत हैवी इलैक्ट्रिक्लस लिमिटेड	बंगलौर एवं भोपाल
4.	सेंट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	साहिबाबाद
5.	सी०एम०सी० लिमिटेड	सिकंदराबाद
6.	इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	हैदराबाद
7.	ई०टी०एण्ड टी०	नई दिल्ली
8.	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	हैदराबाद और लखनऊ
9.	हिन्दुस्तान मशीन टुल्स लिमिटेड	बंगलौर
10.	हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड	मद्रास
11.	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	बंगलौर मानकपुर नैनी, पालघाट, रायबरेली और श्रीनगर
12.	इंस्ट्रमेंटेशन लिमिटेड	कोटा
13.	सेमीकन्डक्टर कांम्प्लेक्स लिमिटेड	मोहाली

अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्यों सम्बन्धी यशपाल समिति की रिपोर्ट

2613. **प्रो० नारायण चंद पराशर :** क्या प्रधान मंत्री अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्यों सम्बन्धी यशपाल समिति की रिपोर्ट के बारे में 9 अप्रैल, 1986 के अतारांकित प्रश्न सं० 5980 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक ऊंचाई वाले, विशेष रूप से हिमालय के निकटवर्ती क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्यों के सम्बन्ध में प्रो० यशपाल की अध्यक्षता में गठित 13 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही शुरू की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और उक्त कार्यवाही कब तक शुरू किए जाने की संभावना है तथा उसका स्वरूप क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) और (ख) जी हां। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने एक स्वायत्तशासी संस्थान "गोविन्द वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण

एवं विकास संस्थान" की स्थापना के लिए कदम उठाए हैं जो कि उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा जिले में स्थित होगा। इस संस्थान को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत 14 जुलाई 1987 को पंजीकृत किया गया है।

इस संस्थान के मुख्य उद्देश्य ये हैं : (1) हिमालयीय क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत विकास के लिए एकीकृत प्रबंध नीति तैयार करना और उनकी क्षमता का प्रदर्शन करना; तथा (2) दुर्बल पारिस्थितिक यंत्र में अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण और शिक्षा, जन जागरूकता के क्षेत्र में और क्षेत्रीय कार्य परियोजनाओं को शुरू करने के लिए एकीकृत नीति आयोजना के लिए एक केन्द्रीय बिन्दु के रूप में कार्य करना।

एशियाई विकास बैंक से सहायता

2614. **डा० बी० एल० शैलेश :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने 21 मिलियन डालर (लगभग 25 करोड़ रुपए) की कुल राशि दो ऋणों के रूप में भारत को प्रदान की है ताकि पोलिएस्टर यार्न परियोजना के लिए वित्त जुटाने में भारत की मदद की जा सके, यदि हां, तो संबंधित परियोजना कौन सी है;

(ख) क्या इस बैंक ने एक फार्म के लिए 3.5 करोड़ रुपए के साम्य पूंजी निवेश की भी अनुमति दी है; और

(ग) यदि हां, तो वह फर्म कौन सी है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) जी, हां। एशियाई विकास बैंक के निदेशक बोर्ड ने मैसर्स डी०सी०एल० पालिएस्टर लिमिटेड को उनकी पालिएस्टर यार्न परियोजना के लिए बैंक से वित्तीय सहायता लेने की अनुमति दे दी है। इस सहायता के अन्तर्गत, 210 लाख डालर की ऋण सहायता के अलावा फर्म में 30 लाख डालर की राशि का इक्विटी निवेश शामिल है।

गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र में जब्त की गई निषिद्ध वस्तुएं

2615. **श्री मोहन भाई पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के तट पर जनवरी-जून, 1987 के दौरान जब्त की गई निषिद्ध वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) जब्त वस्तुओं का मूल्य कितना है;

(ग) इस समय गुजरात के तट पर सीमाशुल्क विभाग की कितनी नौकाएं लगी हुई हैं ; और

(घ) क्या [सरकार का विचार गुजरात तट को मजबूत बनाने का है ताकि पाकिस्तान से भारत को और भारत से पाकिस्तान को की जाने वाली तस्करी पर रोक लगाई जा सके ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी०के० गढ़वी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

नशीले पदार्थों का पकड़ा जाना

2616. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :

श्री कमला प्रसाद रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो महीनों के दौरान देश के भिन्न भागों में नशीले पदार्थों की भारी मात्रा पकड़ी गई ;

(ख) यदि हां, तो ये नशीले पदार्थ किन-किन स्थानों से पकड़े गए तथा कितनी मात्रा में पकड़े गए ;

(ग) क्या सरकार ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (घ) नशीले औषध द्रव्यों के अवैध व्यापार पर प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा लगातार नजर रखने के परिणामस्वरूप, पिछले दो महीनों के दौरान देश के विभिन्न भागों में कई प्रकार के नशीले औषध द्रव्य प्रचुर मात्रा में पकड़े गए थे। जून और जुलाई, 1987 में अभिग्रहण के महत्वपूर्ण मामले संलग्न विवरण में दिए गए हैं जिसमें अभिगृहीत मात्रा और उन स्थानों के नाम, जहां अभिग्रहण किया गया है, दिए गए हैं।

इन मामलों में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के तहत उचित कार्रवाई की गई है।

विवरण

क्रम सं०	अभिग्रहण की तारीख	नशीले औषध द्रव्य की किस्म	मात्रा (कि.ग्रा. में)	स्थान का नाम जहां अभिग्रहण किया गया
1.	4.6.1987	चरस	445.000	भारत-पाक-सीमा
2.	4.6.1987	हेरोइन	5.620	बम्बई हवाई अड्डा
3.	10-11/6/87	हेरोइन	198.975	जोधपुर
			91.270	बीकानेर
4.	12.6.1987	हेरोइन	3.375	बम्बई
5.	16.6.1987	हेरोइन	3.000	बम्बई हवाई अड्डा
6.	17.6.1987	गांजा	260.000	पश्चिमी दीनाजपुर (पश्चिम बंगाल)
7.	18.6.1987	गांजा	110.000	निरप्पाकर (केरल)

8.	22.6.1987	हेरोइन	5.000	बम्बई
9.	30.6.1987	गांजा	310.000	पूर्वी चम्पारन (बिहार)
10.	2.7.1987	हशीश	4365.000	बम्बई
11.	6.7.1987	हेरोइन	9.200	दिल्ली
12.	7.7.1987	हेरोइन	11.980	बम्बई हवाई अड्डा
13.	8.7.1987	गांजा	217.000	पश्चिमी चम्पारन (बिहार)
14.	14.7.1987	अफीम	60.300	भीलवाड़ा (राजस्थान
15.	20.7.1987	मैंडरेक्स की		
		गोलियां	40.000	बम्बई
		हेरोइन	0.800	बम्बई
16.	20.7.1987	हेरोइन	8.200	बम्बई हवाई अड्डा
17.	20.7.1987	हेरोइन	4.400	बम्बई हवाई अड्डा
18.	21.7.1987	गांजा	210.000	पूर्वी चम्पारन (बिहार)

सोने के मूल्य में वृद्धि

2617. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

डा० चिन्ता मोहन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में हाल के वर्षों में सोने के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पहले तीन वर्ष के दौरान खुले बाजार में सोने का वर्षवार अधिकतम और न्यूनतम मूल्य कितना था ;

(ग) जून, 1987 के पिछले सप्ताह में सोने के भाव क्या थे; और

(घ) क्या सरकार ने सोने के वर्तमान मूल्य पर नियंत्रण रखने और उसमें कमी के लिए कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी०के० गढ़वी) : (क) जी, हां ।

(ख) बम्बई बाजार में पिछले तीन वर्षों के दौरान सोने का न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्य निम्नानुसार था :-

	(प्रति 10 ग्राम मानक सोने का मूल्य)	
	न्यूनतम	अधिकतम
1984	1860/-रु०	2035/-रु०
1985	1945/-रु०	2235/-रु०
1986	2070/-रु०	2430/-रु०

(ग) बम्बई बाजार में जून, 1987 के प्रथम सप्ताह के दौरान सोने का मूल्य निम्नानुसार था :-

1-6-87	2795/-रु०	(प्रति 10 ग्राम मानक सोना)
2-6-87	2805/-रु०	
3-6-87	2805/-रु०	
4-6-87	2790/-रु०	
5-6-87	2775/-रु०	
6-6-87	2770/-रु०	

(घ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पास लम्बित पड़े संसद सदस्यों के पत्र

2618. **श्री सोमजी भाई डामर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पास संसद सदस्यों, अति विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त कितने पत्र (एक) छः महीने से (दो) छः से बारह महीने से और (तीन) एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित पड़े हैं; और

(ख) ये पत्र कब तक निपटाए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी. के. गढ़वी) : (क) 15 जुलाई, 1986 की स्थिति के अनुसार, अति विशिष्ट व्यक्तियों/संसद सदस्यों से प्राप्त 90 पत्र केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पास लम्बित थे। 15.7.1986 से 15.7.1987 की अवधि के दौरान 562 पत्र प्राप्त हुए थे। इसी अवधि में 572 पत्र निपटा दिए गये थे और इनमें से 15.7.87 की स्थिति के अनुसार 80 पत्र लम्बित रह गए थे। इन 80 पत्रों में से ;

(i) 72 पत्र 6 मास से कम के लिए लम्बित रहे थे ;

(ii) 8 पत्र 6 से 12 मास तक लम्बित रहे थे; और

(iii) कोई भी पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि तक लम्बित नहीं रहा था।

(ख) ऐसे प्रत्येक मामले में अंतर्निहित जटिलताओं को देखते हुए, इनके निपटान के लिए कोई नियत तिथियां निर्धारित करना कठिन है। तथापि, ऐसे पत्रों को निपटाने के लिए सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है।

राजस्व गुप्तचर निदेशालय द्वारा सांप की खालों का पकड़ा जाना

2619. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व गुप्तचर निदेशालय, बम्बई के अधिकारियों ने हाल ही में 20 लाख रुपए मूल्य की सांप की खालें पकड़ी हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी०के० गढ़वी) : (क) से (घ) 18 जुलाई, 1987 को राजस्व आसूचना निदेशालय, बम्बई के अधिकारियों ने विक्टोरिया डॉक्स, बम्बई में लगभग 20.86 लाख रुपये के मूल्य की सांप की 41725 खालें पकड़ी थी। सांप की खालें मैसर्ज पूनम टैक्सटाइल्ज, बम्बई द्वारा दुबई को निर्यात की जाने वाली बिस्तर की सूती चादरों की 28 गांठों की एक खेप से पकड़ी गई थीं। परेषिती, मैसर्ज मोमजी एण्ड कम्पनी, दुबई है। और आगे जांच-पड़ताल चल रही है।

कारगर जांच के हित में इस स्तर पर और ब्यौरा देना समयोचित नहीं होगा।

यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा भविष्य निधि से जुड़ी बीमा योजना प्रारंभ करना

2621. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा भविष्य निधि से जुड़ी बीमा योजना का प्रारम्भ किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

नशीली औषधियों की बिक्री

2622. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्राउन शुगर जैसी नशीली औषधियों की बिक्री अजमानतीय अपराध है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी बिक्री करने के अपराध में गिरफ्तार किये गये लोगों को जमानत पर छोड़ दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर नियंत्रण हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी. के. गढ़वी) : (क) से (ग) ब्राउन शुगर सहित स्वापक औषध-द्रव्यों की अवैध बिक्री एक अजमानतीय अपराध है। नशीले औषध-द्रव्य सम्बन्धी भिन्न-भिन्न प्रकार के अपराधों के लिए अनेक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। नशीले औषध-द्रव्यों की अवैध बिक्री के सम्बन्ध में गिरफ्तार किए गए तथा जमानत पर रिहा किये गये व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की उन विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों से एकत्र की जाती है जिन्हें स्वापक औषध द्रव्य तथा मन:प्रभावी अधिनियम, 1985 को लागू करने का अधिकार दिया गया है। पूरे देश से ऐसी सूचना एकत्र करने में समय लगेगा तथा सम्भवतः यह परिणामों के अनुरूप नहीं हो। तथापि, स्वापक औषध द्रव्य नियंत्रण ब्यूरो द्वारा वर्ष 1987 में दिल्ली में अब तक की गई 24 गिरफ्तारियों में से केवल तीन व्यक्तियों को ही जमानत पर रिहा किया गया बताया गया है। प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा, अजमानतीय अपराधों सम्बन्धी मामलों में

जमानत के लिए आवेदनों का विरोध करने तथा ऐसे मामलों में उच्च न्यायालयों में अपीलें दायर करने की आशा है जिनमें ऐसे व्यक्तियों को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है।

सोने और सिन्थेटिक फाइबर की तस्करी

2623. प्रो० **मधु दंडवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सोने और सिन्थेटिक फाइबर की बड़े पैमाने पर तस्करी की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इनकी कितनी तस्करी की गई; और

(ग) विदेशी मुद्रा के देश से बाहर जाने को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढवी) : (क) सरकार को प्राप्त रिपोर्टों और किए गए अभिग्रहणों से पता चलता है कि सोना और संश्लिष्ट फैब्रिक्स देश में तस्करी के लिए आकर्षण की वस्तुएं बनी हुई हैं।

(ख) तस्करी एक गुप्त कार्य-कलाप होने के कारण, तस्करी द्वारा लाए गए सोने और संश्लिष्ट फैब्रिक्स के मूल्य का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(ग) तस्करी रोधी अभियान को सामान्य रूप से समग्र देश में तेज कर दिया गया है, तथापि हमारे भू-सीमा क्षेत्रों और समुद्र तटों में इस पर विशेष जोर दिया गया है। उपयुक्त उपचारी उपाय करने के लिए तस्करी की प्रवृत्तियों और किए गए अभिग्रहणों की केन्द्रीय और राज्य सरकारों के संबंधित प्राधिकारियों के साथ घनिष्ठ तालमेल बनाए रखकर सूक्ष्म समीक्षा की जाती है।

अपराधियों के विरुद्ध विभागीय तौर पर और न्यायालयों में मुकदमे चलाकर सजा दी जाती है। उपयुक्त मामलों में, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के तहत भी उन पर कारंवाई की जा सकती है।

इलेक्ट्रानिक मदों के आयात का प्रभाव

2624. प्रो० **मधु दंडवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान आयात निर्यात नीति के अन्तर्गत निजी सामान के अलावा, 1250 रु. मूल्य के उपहार, जिसमें 500 रु. तक की इलैक्ट्रानिक मदें शामिल हैं, आयात करने की अनुमति है ;

(ख) यदि हां, तो क्या खाड़ी के देशों से इस प्रकार के उपहार पार्सल इतने अधिक हैं कि इससे देश के इलैक्ट्रानिकी उद्योग पर असर पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी): (क) आयात नियंत्रण आदेश, 1955 के तहत, 500/- रुपए तक की उपभोक्ता इलैक्ट्रॉनिकी मदों सहित 1250/- रुपए तक के वैयक्तिक इस्तेमाल के माल को किसी आयात लाइसेंस को प्रस्तुत करने की अपेक्षा के बिना लाने की अनुमति है। 200/- रुपए तक मूल्य के वास्तविक उपहारों को छोड़कर, इस श्रेणी के अन्तर्गत अन्य सभी माल पर शुल्क उद्ग्रहणीय होता है।

(ख) और (ग) खाड़ी के देशों से आयातित इलैक्ट्रॉनिकी मदों के उपहार-पार्सलों के बारे में अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। तथापि, इलैक्ट्रॉनिकी मदों के आयात हेतु अनुज्ञेय सीमा को इतना अधिक नहीं समझा जाता है कि उससे घरेलू इलैक्ट्रॉनिकी उद्योग पर बुरा असर पड़े।

"वन्य जीव अभ्यारण्य"

2625. श्री वल्लभ पाणिग्रही : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वन्य जीव अभ्यारण्यों के राज्य वार नाम क्या हैं ;

(ख) वहां कौन-कौन से दुर्लभ पशु हैं और उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) क्या उड़ीसा में ऊषाकोठी अभ्यारण्य इस सूची में शामिल है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) वन्य जीव अभ्यारण्यों की राज्यवार सूची विवरण-1 में है।

(ख) दुर्लभ पशुओं की एक सूची और उन प्रजातियों की लगभग संख्या जिनकी सूचना उपलब्ध है, विवरण-2 में है। अन्य पशुओं के सम्बन्ध में कोई गणना नहीं की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण 1

भारत में वन्यजीव अभयारण्य

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह

क्रम सं.	अभयारण्य के नाम	जिला (ले)
1.	बैरन आइलैण्ड	अण्डमानस
2.	क्रोकोडायल	अण्डमानस
3.	नार्कोंडम	अण्डमानस
4.	नार्थ रीफ	अण्डमानस
5.	साउथ सन्टिनेल	अण्डमानस
आन्ध्र प्रदेश		
1.	कोरिंगा	पूर्वी गोदावरी
2.	एटरनगरम	वारंगल
3.	कवाल	अदिलाबाद
4.	किन्नरसानी	खम्माम
5.	केलेरू	पश्चिमी गोदावरी
6.	लांजमडुगु	अदिलाबाद और करीमनगर
7.	मंजिरा	मेडक

8.	नागार्जुनसागर	गुंटूर प्रकाशम, कुरनूल महबूब नगर, नालकोंडा
9.	नीलापाट्टु	नेल्लोर
10.	पाखल	वारंगल
11.	पापीकोण्डा	पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, खम्माम
12.	पोचरम्	मेडक
13.	प्राणाहिता	अदिलाबाद
14.	पुलिकट	नेल्लोर
15.	श्री वेंकटेश्वर	तिरुपति

अरुणाचल प्रदेश

1.	इटानगर	नीचला सुबनसिरि
2.	लालि	पूर्वी सियांग
3.	महाओं	दिबांग घाटी
4.	पाखुल	पूर्वी कमांग

असम

1.	बरनाडी	कामरूप
2.	गरमपानी	सिबसागर
3.	लाओखावा	नवगांव
4.	मानस	कामरूप और ग्वालपाड़ा
5.	नामेरी	सोनितपुर
6.	ओरांग	दारंग
7.	पाभा	लखिमपुर
8.	पबितोरा	नवगांव
9.	सोनाई रूपाई	दरांग

बिहार

1.	भिमबन्ध	मुंगेर
2.	दालमा	सिंहभूम
3.	गौतम बुद्ध	गया
4.	हजारी बाग	हजारीबाग

5.	कैमुर	रोहतास
6.	लवालोंग	हजारीबाग
7.	महुआदौर	पलामाऊ
8.	पलमाऊ	पलामाऊ
9.	राजगिर	नालंदा
10.	तोपचांची	धनबाद
11.	उदयपुर	चम्पारन
12.	वाल्मिकीनगर	चम्पारन
दिल्ली		
1.	इंदिरा प्रियदर्शिनी	दिल्ली
गोवा		
1.	भगवान महावीर	गोवा
2.	बोन्डला	गोवा
3.	कोटीगोवा	गोवा
गुजरात		
1.	बारदा	जामनगर
2.	धुमखल	राजपीपला, भड़ोच
3.	गिर	जूनागढ़
4.	हिंगोल्डधन	राजकोट
5.	जेसोर	बनस्कंठा
6	कच्छ मरूभूमि	कच्छ
7.	खिजाडिया	जामनगर
8.	मरीन	जामनगर
9.	नलसरोवर	अहमदाबाद और सुरेन्द्रनगर
10.	नारायण सरोवर	कच्छ
11.	रतन महल	पंच महल
12.	वाइल्ड ऐस	सुरेन्द्रनगर
हरियाणा		
1.	भिण्डवास	रोहतक
2.	बिसबला	कुरुक्षेत्र
3.	नाहर	रोहतक

4.	मुलतानपुर	गुड़गांव

हिमाचल प्रदेश

1.	बांडली	मण्डी
2.	चैल	सोलन
3.	दरनघाटी I और II	शिमला
4.	दरलाघाट	सोलन
5.	गमगुल सिया-बेही	चम्बा
6.	गोबिन्दसागर	बिलासपुर
7.	काला सौर और खाजियर	चम्बा
8.	कनावर	कुलु
9.	म्होखन	कुलु
10	कियास	कुलु
11.	कुगती	चम्बा
12.	लिप्पा असरंग	किन्नौर
13.	मजाथल खमरंग	सोलन
14.	मनाली	कुलु
15.	नाग्गु	मण्डी
16.	नैनादेवी	बिलासपुर
17.	पोंडेम	कांगड़ा
18.	रक्षम चित्तकुल	किन्नौर
19.	रेनूका	सिमौर
20.	रूपी भाबा	किन्नौर
21.	सेचू तुन नाला	चम्बा
22.	शिकारी देवी	मण्डी
23.	शिल्ली	सोलन
24.	सिम्बलबारा	सिरमौर
25.	शिमला जलग्रहण क्षेत्र	शिमला
26.	तालरा	शिमला
27.	तिर्थन	कुलु
28.	तुन्दा	चम्बा

जम्मू और कश्मीर

1.	बलतल	श्रीनगर
2.	चांगथांग	लेह
3.	गुलमर्ग	बारामुला
4.	हिरापोड़ा	श्रीनगर
5.	होकेरसर	श्रीनगर
6.	जस्रोता	जम्मू
7.	लाचीपाड़ा	बारामुला
8.	लिम्बर	बारामुला
9.	नन्दानी	जम्मू
10.	ओवेरा	श्री नगर
11.	रामनगर रख	जम्मू
12.	सुरिनसर मंसर पतवार	जम्मू

कर्नाटक

1.	अदिचंचा नागिरि	मंड्या
2.	अराबियिट्टू	मैसूर
3.	भद्रा	शिमोगा और चिकमगलूर
4.	बिलिगिरी रंगास्वामी	मैसूर
5.	ब्रह्मगिरी	कूरग
6.	डांडेलीगेम	धड़वाड़
7.	घटाप्रभा	बेलगाम
8.	मेलकोटा टेम्पल	मंड्या
9.	मोकाम्बिका	शिमोगा
10.	नागु	मैसूर
11.	रंगनथिट्टू	मैसूर
12.	रैनेबेनुर ब्लैक बक	धरवाड़
13.	स्तिहाली	शिमोगा
14.	शारावथी घाटी	शिमोगा
15.	सोमेश्वर	शिमोगा
16.	तुंगभद्र	शिमोगा

केरल

1.	अरामल	कन्नानूर
2.	चिमोनी	क्विलोन
3.	चिन्नार	इडुक्की
4.	इदुक्की	इदुक्की
5.	नैयार	त्रिवेन्द्रम
6.	परमभिकुलम	पालघाट
7.	पीची वजानी	त्रिचूर
8.	पेपारा	कोट्टायाम
9.	शेण्दुरनी	क्विलोन
10.	थाट्टीकाड	इदुक्की
11.	वायनाड	कालिकट और वायनाड

महाराष्ट्र

1.	बोर	वारधा
2.	देओलगांव देहकुरी (ब्लेक बक)	अहमदनगर
3.	धकना कोलकज	अमरावती
4.	ग्रेट भारतीय मोहन चिड़िया	शोलापुर
5.	करनाल बर्ड	रायगढ़
6.	किनवात	यावतमल और नान्देड
7.	मेलघाट	अमरावती
8.	नागझिरा	भान्डा
9.	राधानगरी	कोल्हापुर
10.	तान्सा	थाने
11.	यवाल	जलगांव

मध्य प्रदेश

1.	अचानक मार	बिलासपुर
2.	बादलखोल	रायगढ़
3.	बागधारा	सिधि
4.	बरनबापाड़ा	रायपुर
5.	भैरमगढ़	बस्तर

6.	बोरी	होशंगाबाद
7.	गांधी सागर	मंदासौर
8.	घाटिगांव महान भारतीय सोहन चिड़िया	ग्वालियर
9.	गांमरडा	रायगढ़
10.	करेरिआ महान भारतीय सोपन चिड़िया	शिवपुरी
11.	केन घड़ियाल	पन्ना, छत्तरपुर
12.	खरमोर	धार
13.	खिओनी	देवास
14.	नरसिंहगढ़	रायगढ़
15.	राष्ट्रिय चम्बल	मुरैना
16.	नुरादेही	सागर, दमोह, नरसिंहपुर
17.	पंचमढ़ी	होशंगाबाद
18.	पमेद	बस्तर
19.	पनपथा	शहडोल
20.	पालपुर (कुन्द)	मुरैना
21.	पेंच	सिओनी/छिन्दवाडा
22.	फेना	मांडला
23.	रातापानी	रायसेन
24.	सैलाना	रतलाम
25.	संजय (दुब्री)	सिधि
26.	समरसोत	सरगुजा
27.	सिंघोरी	रायसेन
28.	सीतानदी	रायपुर
29.	सोन घड़ियाल	सिधि, शहडोल, सतना
30.	तमोर पिंगला	सरगुजा
31.	उदान्ती वाइल्ड बुफैलो	रायपुर

मेघालय

1.	बाघमारा	पश्चिमी गारो पहाड़ियां
2.	नौंख्यालेम	पूर्वी खासी पहाड़ियां
3.	सिजु	पश्चिमी गारो पहाड़ियां

मिजोरम

1.	दम्पा	आइजल

नागालैण्ड

1.	फाकिम	तुएनसांग
2.	इंटांकी	कोहिमा
3.	पुल्किबाजे	कोहिमा
4.	रंगपहाड़	कोहिमा

उड़ीसा

1.	बालुखण्ड	पुरी
2.	भित्तरकोनिका	कटक
3.	चन्दका	पुरी
4.	चिल्का	पुरी और गंजम
5.	देब्रीगढ़	सम्बलपुर
6.	हदगढ़	क्योझर, मयूरभंज
7.	खालासुनी	सम्बलपुर
8.	कोथागढ़	फुलबानी
9.	कुलदिहा	बालासोर
10.	लाखरी	गंजम
11.	महानदी बैसीपाली	पुरी
12.	नन्दनकानन	पुरी
13.	सित्कोशिया गोर्ज	ढेंकनाल, पुरी, कटक और फुलबानी
14.	सिमलीपाल	मयूरभंज
15.	सुनाबेदा	कालाहाण्डी
16.	ऊषाकोठी	सम्बलपुर

पंजाब

1.	अबोहर क्षेत्र	फिरोजपुर
2.	बीर बुनेहरी	पटियाला
3.	बीर गुरदियाल पुरी	पटियाला
4.	बीर मोतीबाग पटियाला	पटियाला

5.	हरिक लेक	अमृतसर

राजस्थान

1.	भैंसरोड गढ़	चित्तौरगढ़
2.	दराह गेम	कोटा
3.	जैसमंद	उदयपुर
3.	जमवा रामगढ़	जयपुर
5.	जवाहर सागर	कोटा
6.	कैलादेवी	स. माधोपुर
7.	कुम्भलगढ़	उदयपुर
8.	माउण्ट आबु	सिरोही
9.	नाहरगढ़	जयपुर
10.	राष्ट्रीय चम्बल	कोटा
11.	फुलवारी	उदयपुर
12.	रामगढ़ विषधारी	बुन्दी
13.	सरिस्का	अलवर
14.	साजनगढ़	अजमेर
15.	शेरगढ़	कोटा
16.	सीतामाता	चित्तौरगढ़
17.	ताल चप्पर	चूरू
18.	टोडगढ़ रावली	अजमेर
19.	वन विहार	धौलापुर

सिक्किम

1.	फामबंग एल. एच. ओ.	पूर्वी
2.	क्योंगोसला	रंगचींग
3.	सिहभा	मुनुथांग

तमिलनाडु

1.	अन्नामलाई	कोयम्बटूर
2.	कालकड	तिरुनेलवली

3.	कारीकिली	चेंगलपाट्टू
4.	मुदुमलाई	नीलगिरि
5.	मुण्डनथुराई	तिरूनेलवली
6.	नीलगिरि ताहर	नीलगिरि
7.	पायंट कालीमेर	थंजावुर
8.	पुलिकेट	चेंगलपट्टू
9.	वेदानंथगल	चेंगलपट्टू
10	वेतंगगुड्डी	रामनाथपुरम

त्रिपुरा

1.	त्रिश्ना	दक्षिणी त्रिपुरा
2.	तेहरीजाला	पश्चिमी त्रिपुरा

उत्तर प्रदेश

1.	चन्द्र प्रभा	वाराणसी
2.	चिला	गढ़वाल
3.	गोविन्द पशु विहार	उत्तरकाशी
4.	हस्तिनापुर	मेरठ
5.	कैमुर	मिर्जापुर
6.	कटेरनियाघाट	बहराइच
7.	केदारनाथ	चमोली
8.	किशनपुर	लखमीपुर खेरी
9.	महावीर स्वामी	ललित पुर
10.	मोतीचूर	देहरादून
11.	राष्ट्रीय चम्बल	लखनऊ
12.	नवाबगंज	उन्नाव
13.	रोजाजी	सहारनपुर
14.	रानीपुर	बांदा

पश्चिम बंगाल

1.	बैल्लभपुर	बीरभूमि
2.	बेथुवढ़ारी	नदिया

3.	बक्सा	जलपायगुड़ी
4.	चप्रामारी	जलपायगुड़ी
5.	गोरुमारा	जलपायगुड़ी
6.	हलिदे	24 परगना
7.	जल्दापाड़ा	जलपायगुड़ी
8.	लेथियन द्वीप	24 परगना
9.	महानन्दा	दार्जिलिंग
10.	नरेन्द्रपुर	24 परगना
11.	परमदान	नदिया
12.	रायगंज	पश्चिम दिनाजपुर
13.	रमनाबगान	बर्दवान
14.	सजनाखाली	24 परगना
15.	सिंचल	दार्जिलिंग

विवरण 2

(क) दुर्लभ पशुओं की सूची (वन्यप्राणी (सुरक्षा) अधिनियम की अनुसूची-1 के अनुसार)

1. अण्डमान वन्य सूअर
2. भराल
3. बिन्दुरांग
4. कालामृग (ब्लैक बक)
5. ब्रो—एन्टलर्ड डियर अथवा थामिन
6. हिमालयी भूरा-भालू
7. कैप्ड लंगूर
8. स्याहगोश
9. चीनी पंगोलिन
10. चिंकारा अथवा भारतीय गजेल
11. लमचित्ता (क्लाउडिड ल्योपार्ड)
12. केकड़ा भक्षक लघु पुच्छ वानर (क्रेब-इटिंग मकाक़)
13. मरुस्थली बिल्ली
14. मरुस्थली लोमड़ी
15. समुद्री गाय (डुगांग)

16. अमाइन
17. फिशिंग कैट
18. चौसिंगा हरिण
19. गंगा का सूंस (डोलाफन)
20. बिसनो या गौर
21. सुनहरी बिल्ली
22. सुनहरा लंगूर
23. बड़ी गिलहरी
24. हिमालयी आईबेक्स
25. हिमालयी थार
26. दृढ़ लोमी खरगोश (हिसपिड हेयर)
27. हांग बागर
28. हुलॉक
29. भारतीय हाथी
30. भारतीय सिंह
31. भारतीय जंगली गधा
32. भारतीय भेड़िया
32. कश्मीरी मृग
34. लीफ मंकी
35. तेंदुआ
36. ल्योंपार्ड कैट
37. लेजर अथवा रेड पंडा
38. सिंह पुच्छी बानर
39. लोरिस
40. लिटिल इंडियन पोरपांयज
41. लिनक्स
42. मालाबार गंध बिलाव
43. मलाय अथवा सन बियर
44. मारबल्ड कैट
45. मारखोर

46. माउस डियर
47. कस्तूरी मृग
48. नीलगिरि थार
49. ओविस अमान अथवा नयान
50. नीलगिरि लंगूर
51. पालास की बिल्ली
52. साल (पैंगोलिन)
53. पिग्मी सूअर
54. बिज्जू (रेटल)
55. गैंडा
56. रस्टी स्पॉटेड कैट
57. सिरॉउ
58. ऊदबिलाव
59. रीछ (स्लोथ बियर)
60. लजीला वानर (स्लो लोरिस)
61. स्मॉल ट्रावंकोर उड़ने वाली गिलहरी
62. हिम तेंदुआ
63. स्नबफिन डोलफिन
64. स्पाटेड लिनसांग
65. स्वाम्प डियर
66. टाकिन अथवा मिशमी टाकिन
67. तिब्बती हरिण अथवा चीरू
68. तिब्बती लोमड़ी
69. तिब्बती गजेल
70. तिब्बती जंगली गधा
71. बाघ
72. उरियल अथवा शापू
73. जंगली भैंसा
74. जंगली याक
75. तिब्बती भेड़िया

(ख) उन पशुओं और पक्षियों की प्रजातियां जिनकी निकटतम संख्या का अनुमान उपलब्ध है।

1. एशियाई सिंह		239
2. कश्मीरी मृग	—	554

3.	मणिपुर ब्रो-एन्टीलर्ड हिरन	—	35
4.	भारतीय गैंडा	—	1200
5.	जंगली गधा	—	1989
6.	नीलगिरि ताहर	—	2200
7.	बाघ	—	4005
8.	काला मृग (ब्लैक बक)		24000

[हिन्दी]

सिक्किम में आयकर कानून

2626. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम के आयकर कानून शेष देश के आयकर कानूनों से भिन्न हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सिक्किम के कानून में इस त्रुटि का काले धन को वैध आय में परिवर्तित करने के लिए खुले-आम दुरुपयोग किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में कौन सी सुधारात्मक कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी०के० गढ़वी) : (क) और (ख) जी हां । आयकर अधिनियम, 1961, सिक्किम राज्य पर लागू नहीं होता है । तथापि, सिक्किम राज्य में पहले से चल रहे राज्य-आयकर नियम अब भी लागू हैं ।

(ग) ऐसे कुछ प्रयास ध्यान में आए हैं और इन मामलों में उपयुक्त कार्रवाई की गई है ।

(घ) भारत के प्रत्यक्ष कर कानून सिक्किम राज्य में लागू करने के लिए कार्रवाई आरम्भ की गई है ।

[अनुवाद]

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मारे गए छापे

2627. श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 28 अप्रैल, 1987 को 33 स्थानों पर छापे मारे और 16 सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बेहिसाब परिसंपत्तियों और सरकारी पद के दुरुपयोग के कितने मामलों का पता लगाया गया है; और

(ग) इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 28 अप्रैल, 1987 को 43 स्थानों की तलाशियां ली तथा 16 लोक सेवकों के विरुद्ध मामले दर्ज किए ।

(ख) तलाशियों के दौरान बरामद हुई चल/अचल दोनों ही प्रकार की कुल मदों के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार है :

नकदी, बैंकों में जमा राशि, सावधि जमा रसीदें, राष्ट्रीय बचत पत्र तथा शेयर आदि ।	रु. 4.18 लाख
टेलीवीजन, वीडिओ कैसट रिकार्डर, जेवरात तथा घरेलू सामान आदि जैसी चल परिसम्पत्तियां ।	रु. 22.10 लाख
मकान, फ्लेट तथा भूमि जैसी अचल परिसम्पत्तियां	रु. 21.44 लाख

इसके अतिरिक्त चल/अचल परिसम्पत्तियों आदि के लेन-देन से सम्बन्धित काफी संख्या में अभिशंसी दस्तावेज भी बरामद किए गए थे, जिनकी छान-बीन की जा रही है।

(ग) सभी मामलों की जांच चल रही है तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों के निष्कर्षों के आधार पर उपयुक्त कारंवाई की जाएगी।

आयकर और धन कर की बकाया राशि की वसूली

2628. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आयकर और धनकर के रूप में अलग-अलग कितनी धनराशि वसूल की गई और अभी कितनी बकाया राशि वसूल की जानी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी तलाशियां ली गई और धनकर की चोरी के कितने मामले दर्ज किए गए;

(ग) क्या सरकार आयकर दाताओं तथा धनकर दाताओं द्वारा कर-विवरणियां प्रस्तुत किए जाने के कार्य को आसान बनाने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी०के० गढ़वी) :

(क) वर्ष	एकत्र की गई धनराशि	
	आयकर (निगम-कर सहित)	धनकर
	(करोड़ रुपयों में)	
1984-85	4483.66	107.58
1985-86	5375.45	153.44
1986-87	6028.37 (अनन्तिम)	159.76

31.3.1987 की स्थिति के अनुसार, वसूली के लिए लम्बित आयकर माग की कुल बकाया राशि (जो मांग देय नहीं हुई है उसके सहित) 3424.49 करोड़ रुपए थी (अनन्तिम)/30 जून,

1986 की स्थिति के अनुसार, जो धनकर वसूल करना बाकी था उसकी बकाया राशि 237 करोड़ रुपए थी।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन ली गई तलाशियों की संख्या इस प्रकार है :—

1984-85	4345
1985-86	6431
1986-87	7054

विभाग को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकृत तलाशी के परिणामस्वरूप धनकर अधिनियम के तहत कोई भी कार्रवाई करने की मनाही नहीं है। गत तीन वर्षों में धनकर अधिनियम, 1957 के तहत चलाए गए अभियोजनों की संख्या इस प्रकार है :—

1984-85	51
1985-86	96
1986-87	110

संख्या अधिक होने के कारण, राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा प्रस्तुत करना संभव नहीं होगा।

(ग) और (घ) विवरणी-प्रपत्रों सहित सभी सांविधिक प्रपत्रों की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा तस्करी विरोधी कार्यवाही में तेजी लाना

2629. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा तस्करों का पता लगाने के लिए गत दो वर्षों के दौरान कितने छापे मारे गये तथा तलाशियां ली गई ; और उनके क्या परिणाम निकले ; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा कितने मूल्य की सामग्री पकड़ी गई, कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

"पशु चराने के लिए भूमि"

2630. **श्री सीताराम जे० गावली** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल पशु चराने के लिए निर्धारित किए गए कुछ क्षेत्र, जो गोचारण भूमि के नाम से जाने जाते हैं, संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली के ग्रामीण लोगों को पुर्तगालियों के शासन काल से उपलब्ध कराए जा रहे हैं;

(ख) क्या अब वन विभाग ने गांव के लोगों को गोचारण भूमि उपलब्ध कराने की यह सुविधा बन्द कर दी है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या दादरा और नागर हवेली प्रशासन ने पशु चराने के लिए कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या प्रशासन का यह सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है ; और

(च) यदि हां, तो कब तक ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जाएगी और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

सूरत में आय-कर के छापे

2631. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सूरत शहर में कितनी कम्पनियों और भवन-निर्माण ठेकेदारों पर 1985 से मई, 1987 तक आयकर के छापे मारे गए ;

(ख) इससे कितना काला धन पकड़ा गया; और

(ग) आयकर की चोरी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी०के० गढ़वी) : (क) से (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

क्षयरोग के अस्पतालों को दिए गए चन्दे की धनराशि पर आयकर से छूट

2632. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे क्षय रोग के अस्पतालों को दिए गए चन्दे की पूरी धनराशि पर आय कर से छूट देने का अनुरोध किया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी. के. गढ़वी) : (क) जी हां । तपेदिक अस्पताल खोल करके और उनका संचालन करके राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम में भाग लेने वाले स्वयंसेवी संगठनों को दिए जाने वाले दान पर आयकर की अदायगी से शतप्रतिशत छूट प्रदान करने और इस संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 गगक के उपबंधों को संशोधित करने का गुजरात के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से, अनुरोध किया था ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने गुजरात सरकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया था क्योंकि यह प्रस्ताव उन उद्देश्यों के अनुरूप नहीं था जिनके लिए धारा 35 गगक के उपबंधों का अधिनियमन

किया गया था। शतप्रतिशत छूट की अनुमति केवल तपेदिक अनुसंधान संस्थानों को दिए गए दान के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 35 के एक अन्य उपबंध में निर्धारित कुछ शर्तों को पूरा करने पर दी जाती है। पूर्ण रूप से लोकोपकारी प्रयोजनों के लिए चलाए जा रहे अस्पतालों को दिए गए दान पर यह छूट दान के 50 प्रतिशत की सीमा तक ही दी जाती है। परन्तु लाभ के प्रयोजन के लिए चलाये जा रहे अस्पतालों को यह छूट नहीं दी जाती है। गुजरात सरकार को उपर्युक्त तथ्य की जानकारी दे दी गई थी।

[अनुवाद]

जुलाई, 1987 में आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध अभियान

2633. श्री के० वी० शंकरगौडा :

श्री जी. एस. बसवराजू :

श्री एच. एन. नन्जे गौडा :

श्री प्रकाश वी. पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, से जुलाई, 1987 की अवधि के दौरान आर्थिक अपराधियों का पता लगाने के लिए मारे गये छापों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) लेखा-बाह्य कितने मूल्य की सम्पत्ति पकड़ी गई; और

(ग) वर्ष 1986 की इसी अवधि के दौरान कितने छापे मारे गये ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी. के. गढ़वी) : (क) और (ख) आयकर विभाग ने 1987 में निम्नलिखित तलाशियां ली थीं जिनके परिणामस्वरूप निम्नलिखित अनुसार प्रथम दृष्ट्या लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियां जैसे नकदी, जवाहरात और अन्य पकड़ी गई थीं :—

अवधि	तलाशियों की संख्या	पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का मूल्य (लाख रुपयों में)
मई, 1987	547	766.26
जून, 1987	472	429.11
जुलाई, 1987	1135	1832.62

(ग) 1986 की इसी अवधि में निम्नलिखित अनुसार तलाशियां ली गई थी :—

अवधि	तलाशियों की संख्या	पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का मूल्य (लाख रुपयों में)
मई, 1986	304	379.80
जून, 1986	208	269.43
जुलाई, 1986	450	420.34

दिल्ली और बम्बई हवाई अड्डों पर पकड़ा गया तस्करी का सोना

2634. **श्री डी० एन० रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई और दिल्ली हवाई अड्डों पर वर्ष 1987 में अब तक कितना और कितने मूल्य का तस्करी का सोना पकड़ा गया है ;

(ख) इसका किस प्रकार निपटान किया गया ;

(ग) क्या इसका सार्वजनिक नीलामी द्वारा अथवा अन्यथा निपटान किया गया ; और

(घ) इसके निपटान से कितनी धन-राशि प्राप्त हुई ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी. के. गढ़वी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

2635. **श्री के. डी. सुलतानपुरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों के दौरान देश के प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये कितने पद आरक्षित किए गए थे ; और

(ख) प्रत्येक बैंक द्वारा इन जातियों के लिये आरक्षित निम्न और उच्च पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वर्ष 1985 और 1986 के दौरान अधिकारी, लिपिक और अधीनस्थ संवर्ग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वास्ते आरक्षित पदों की बैंक-वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

बैंकों ने सूचित किया है कि इन संवर्गों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के वास्ते आरक्षित सभी पद, इन समुदायों से संबंधित पात्र व्यक्तियों के उपलब्ध न होने की वजह से नहीं भरे जा सके।

विवरण

1985 और 1986 के वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वास्ते आरक्षित रिक्त पदों की संख्या

	बैंक का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान आरक्षिके खाली स्थान											
		1985						1986					
		अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ कर्मचारी	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ कर्मचारी	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ कर्मचारी	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ कर्मचारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आरियन्टल बैंक आफ कामर्स	6	101	47	4	34	19	1	184	65	शू.	36	15
2.	पंजाब नेशनल बैंक	82	460	237	42	175	90	36	466	214	17	143	66
3.	न्यू बैंक आफ इंडिया	6	37	4	4	13	2	3	18	3	1	6	2
4.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	10	122	17	5	61	10	5	71	13	2	31	4
5.	इलाहाबाद बैंक	23	278	172	47	140	123	75	126	106	71	144	107
6.	सिंडिकेट बैंक	79	256	54	40	121	21	8	135	81	4	35	34
7.	इंडियन बैंक	11	169	54	6	63	20	3	135	30	1	38	9
8.	पंजाब एंड सिंध बैंक	शू.	44	22	शू.	22	11	शू.	14	21	—	8	7
9.	देना बैंक	33	29	8	16	42	9	3	15	20	2	14	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	विजया बैंक	3	24	16	1	14	5	1	28	29	2	16	10
11.	कारपोरेशन बैंक	23	88	27	11	33	12	9	67	23	4	24	9
12.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	8	208	127	8	125	51	38	158	1	19	79	5
13.	केनरा बैंक	22	141	33	11	62	16	14	162	121	7	37	27
14.	इंडियन ओवरसीज बैंक	27	153	63	21	153	79	5	139	74	10	124	61
15.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	78	191	79	46	189	148	33	171	93	26	190	151
16.	यूको बैंक	—	299	31	—	236	138	37	257	18	28	268	96
17.	बैंक आफ इंडिया	53	248	139	26	169	93	6	90	115	3	63	68
18.	बैंक आफ बड़ोदा	11	126	91	5	100	45	16	45	33	8	13	13
19.	बैंक आफ महाराष्ट्र	14	36	28	7	17	14	1	20	39	1	9	17
20.	आन्ध्रा बैंक	21	149	51	10	74	26	4	224	14	1	113	7
		510	3159	1300	310	1845	932	298	2519	1113	207	1391	730

(आंकड़े अनन्तिम)

[अनुवाद]

विभिन्न योजनाओं के लिए निगरानी प्राधिकरण

2636. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए सरकार ने कोई निगरानी प्राधिकरण बनाया है ;

(ख) क्या प्रत्येक मंत्रालय में ऐसा स्वतन्त्र निगरानी प्राधिकरण है जो संबंधित मंत्रालय के अधीन सीधे काम करता है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार के प्राधिकरण का कार्य करने का तरीका क्या है ; और

(घ) यदि हां ; तो इसकी कार्य पद्धति क्या है ;

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) यद्यपि, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों द्वारा चलाई जा रही सभी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रबोधन और पर्यवेक्षण करने के लिए कोई एक प्राधिकरण स्थापित नहीं किया गया है, परन्तु कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को निम्नलिखित काम सौंपे गए हैं –(1) 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 20-सूत्री कार्यक्रम का प्रबोधन (2) बिजली, कोयला, इस्पात, रेलवे, नौवहन और पत्तन, दूरसंचार, उर्वरक, पैट्रोलियम और सीमेंट, जैसे कुछ महत्वपूर्ण आधारी संरचना क्षेत्रों के निष्पादन का प्रबोधन ; और

(3) प्रत्येक 20 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली सभी केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्यान्वयन का प्रबोधन ।

(ख) से (घ) जबकि कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में लगे हुए संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों ने भी अपने-अपने नियन्त्रणाधीन मद का प्रबोधन करने के लिए अपनी-अपनी व्यवस्था भी की हुई है । कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इन कार्यक्रमों, परियोजनाओं और आधारी संरचना क्षेत्रों के निष्पादन का समग्र प्रबोधन करता है । यह एक ऐसी प्रणाली द्वारा किया जाता है जिसमें संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों को मंत्रालय में संसाधित किया जाता है और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय और अन्य सरकारी एजेंसियों को रिपोर्टें भेजी जाती हैं ।

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की विधवाओं को पारिवारिक पेंशन के भुगतान के आदेश

2637. **श्री एन डेनिस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व भारतीय इंजीनियरिंग सेवा सहित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की विधवाओं को पारिवारिक पेंशन का भुगतान करने के संबंध में आदेश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे जारी करने में कितना समय लगेगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) भूतपूर्व भारतीय इंजीनियरी सेवा सहित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के परिवारों को जो अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं) नियमावली,

1958 के नियम 22-बी के अधीन परिवार पेंशन पाने के पात्र नहीं थे, उन्हें कामिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23-7-1985 के पत्र संख्या 25011/19/85-अ०भा०से०-11 द्वारा जिसकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है, 22-9-1977 से परिवार पेंशन मंजूर कर दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 4640/87]

चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसरण में पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 16 अप्रैल, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/1/87-पी.आई.सी.-1 द्वारा जिसकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी गयी है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 4640/87]

1-1-1986 से परिवार पेंशन की मात्रा संशोधित कर दी गई है।

पेंशन के दावों को शीघ्र निपटान करने पर निगरानी रखने हेतु सेल

2638. **श्री एन. डेनिस :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशन के दावों को अंतिम रूप से निपटाने के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा की गई प्रगति पर निगरानी रखने हेतु कामिक मंत्रालय में कोई तंत्र अथवा सेल स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों से संबंधित सरकारी आदेशों का शीघ्र कार्यान्वयन किस प्रकार सुनिश्चित करने का विचार है ;

(घ) क्या स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने अब तक अपने अधिकारियों की पेंशन में संशोधन नहीं किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो कितने मामले लम्बित हैं और पेंशन के सभी लम्बित मामलों का तेजी से निपटान करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती): (क) से (ग) पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग सामान्यतः मंत्रालयों/विभागों द्वारा जो पेंशन की व्यवस्था करते हैं, अन्तिम पेंशन मामलों के निपटान में हुई प्रगति पर दृष्टि रखता है। 1-4-1987 से विभागों/कार्यालयों के अध्यक्षों को यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार बना दिया गया है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की तारीख को ही पेंशन भुगतान आदेश जारी कर दिए जाएं। पेंशन के बारे में चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों को कार्य-रूप दिये जाने से सम्बन्धित आदेशों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में सभी मंत्रालयों/कार्यालयों तथा पेंशन संवितरण प्राधिकारियों को यह निर्देश दे दिये गये हैं कि संशोधित पेंशन अधिक से अधिक 31 जुलाई, 1987 तक लागू कर दी जानी चाहिए।

(घ) और (ङ) स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार उस मंत्रालय द्वारा 60 प्रतिशत से अधिक मामलों में पेंशन के संशोधन के आदेश पहले ही जारी कर दिये गये हैं। बकाया मामलों को शीघ्रता से निपटाने की दिशा में उक्त मंत्रालय द्वारा कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

निर्यात वस्तुओं के लिए शुल्क वापसी दर अनुसूची

2639. **श्री एच.बी. पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विभिन्न निर्यात-वस्तुओं के संबंध में व्यापार संगठन द्वारा प्रस्तुत तथा विभिन्न अन्य स्रोतों से एकत्रित किए गए आंकड़ों की विस्तृत समीक्षा करने के पश्चात् और बजट में किए गए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए शुल्क वापसी दर अनुसूची की घोषणा की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार घोषित की गई दर अनुसूची का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी. के. गढ़वी) : (क) और (ख) शुल्क की प्रति अदायगी की संशोधित अनुसूची को दिनांक 30 मई, 1987 को अधिसूचित किया गया था। दिनांक 1-6-87 से प्रभावी निर्यातों पर संशोधित दरों संबंधी ब्यौरे, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की दिनांक 30 मई, 1987 को जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं० 9/87 में सम्मिलित किए गए हैं। सार्वजनिक सूचना की प्रतियां संदर्भ हेतु संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

बीड़ी मजदूर कल्याण निधि के लिए उपकर एकत्रित किया जाना

2640. **श्री सैयद मसूदल हुसैन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में बीड़ी मजदूर कल्याण निधि के लिये उपकर के रूप में कितनी धन-राशि एकत्रित की गई और उसका वर्ष वार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इन राज्यों में इन तीन वर्षों के दौरान इस निधि से बीड़ी मजदूरों के कल्याण संबंधी विभिन्न योजनाओं पर खर्च की गई धनराशि का वर्षवार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) **विवरण** 1. जिसमें ब्यौरा दिया गया है, संलग्न है।

(ख) निधि से व्यय का राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, चूंकि लेखे क्षेत्रवार रखे जाते हैं और प्रत्येक-क्षेत्र के अन्तर्गत-कुछ राज्य आते हैं।

विवरण 2. जिसमें क्षेत्रवार ब्यौरा दिया गया है, संलग्न है।

विवरण-1

वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के लिए बीड़ी कर्मचारी कल्याण निधि से वसूला गया राज्यवार उपकर दर्शाने वाला विवरण।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1984-85	1985-86	1986-87 (आंकड़े अनन्तिम हैं) (लाख रुपयों में)
उत्तर प्रदेश	13	23	25
महाराष्ट्र	32	32	34

मध्य प्रदेश	78	80	81
अंडमान एवं निकोबारद्वीप/सिक्कम	33	30	35
पश्चिम बंगाल	—	—	—
उड़ीसा	3	4	4
दिल्ली/हरियाणा	—	—	—
राजस्थान	4	5	4
चंडीगढ़	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	—	—	—
जम्मू एवं कश्मीर	—	—	—
पंजाब	—	—	—
पांडीचेरी / तमिलनाडु	42	52	54
अरुणाचल प्रदेश / असम / मणिपुर / मेघालय / मिजोरम / नागालैंड / त्रिपुरा	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
दादरा एवं नागर हवेली / दमन एवं द्वीप के क्षेत्र / गुजरात	कुछ नहीं	1	1
आन्ध्र प्रदेश	58	62	60
कर्नाटक	52	56	58
बिहार	17	21	20
केरल / लक्ष द्वीप	13	14	14
गोवा	—	—	—
जोड़	345	380	390

विवरण-2

वर्ष 1984-85 के लिए बीड़ी कर्मचारी कल्याण निधि में से हुआ राज्यवार व्यय (लाख रुपयों में)

राज्य/क्षेत्र	प्रशासन	स्वास्थ्य	शिक्षा	मनोरंजन	आवास	जल आपूर्ति	जोड़	अभ्युक्ति
इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़ दिल्ली)	2.58	8.86	4.00	0.04	0.60	—	16.08	
बंगलौर (कर्नाटक और केरल)	4.78	31·68	6.89	—	4.29	—	47·64	
भुवनेश्वर) उड़ीसा)	उपलब्ध नहीं है ।							
भीलवाड़ा, (राजस्थान गुजरात, हरियाणा)	1.97	12.75	3.00	0.02	—	—	17.74	
कलकत्ता, पश्चिम बंगाल असम आदि	—	—	—	—	—	—		यह एकक केवल 1986-87 के दौरान बनाया गया था ।
हैदराबाद, (आन्ध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु)	-- अलग-अलग आकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।				—	—	27.00	
जबलपुर (मध्य प्रदेश)	3.41	13.33	10.96	0.05	0.25	—	28.00	
कर्मा (बिहार)	अलग-अलग आकड़े उपलब्ध नहीं है ।							
नागपुर (महाराष्ट्र, गोवा)	5.49	5.44	9.00	—	—	—	19.93	

वर्ष 1985-86 के लिए बीड़ी कर्मचारी कल्याण निधि से हुआ राज्यवार व्यय (लाख रुपयों में)

क्षेत्र/राज्य	प्रशासन	स्वास्थ्य	शिक्षा	मनोरंजन	आवास	जल की आपूर्ति	जोड़	अभ्युक्ति
इलाहाबाद, (उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली)	4.51	11.98	4.41	0.11	0.49	—	21.50	
बंगलौर (कर्नाटक एवं केरल)	4.78	38.29	9.18	—	0.32	—	52.57	
भुवनेश्वर (उड़ीसा)	4.55	26.17	6.52	0.18	0.28	—	37.70	
भीलवाड़ा (राजस्थान),	1.76	12.94	4.80	0.04	—	—	19.54	
गुजरात, हरियाणा) कलकत्ता (पश्चिम बंगाल,								
असम, आदि)	—	—	—	—	—	—	—	यह एकक केवल 1986-87 के दौरान बनाया गया था।
हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु)	3.32	19.11	9.99	—	0.07	—	32.49	
जबलपुर (मध्य प्रदेश)	3.63	19.27	8.92	0.09	0.23	—	32.14	
कर्मा (बिहार)	1.49	11.97	4.00	0.30	—	—	17.76	
नागपुर (महाराष्ट्र, गोवा)	5.10	13.09	16.91	—	0.24	—	35.40	

वर्ष 1986-87 के लिए बीड़ी कर्मचारी कल्याण निधि से हुआ राज्यवार व्यय (लाख रुपयों में)

क्षेत्र/राज्य	प्रशासन	स्वास्थ्य	शिक्षा	मनोरंजन	आवास	जल की आपूर्ति	जोड़	अभ्युक्ति
इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली	4.80	13.27	7.00	0.16	0.69	—	25.92	
बंगलौर (कर्नाटक ऐवं केरल)	6.19	41.55	14.63	—	1.92	—	64.29	
भुवनेश्वर (उड़ीसा)	3.58	21.40	2.79	0.04	0 20	—	28.01	
भीलवाड़ा (राजस्थान, गुजरात, हरियाणा)	3.10	18.40	8.25	0.21	4.50	—	34.46	
कलकत्ता (पश्चिम बंगाल, असम आदि)	6.29	13.31	10.11	--	0.25	—	29.96	
हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश, एवं तमिल नाडु)	3.29	24.23	8·48	—	—	—	36.00	
जबल पुर (मध्य प्रदेश)	4.40	19.42	11 81	0.01	0.15	—	35.79	
कर्मा (बिहार)	अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।						19.56	
नागपुर (महाराष्ट्र, गोआ)	7.00	20.07	15.50	—	0.05	—	42.62	

रेशम पर सीमा शुल्क समाप्त किया जाना

2641. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार से रीलिंग मशीनों के आयात पर से सीमा शुल्क हटाये जाने की सिफारिश की है ताकि गैर-सरकारी क्षेत्र बेहतर उपकरणों का आयात कर सके; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी०के० गढवी) : (क) जी, हां।

(ख) कपड़ा मंत्रालय ने जिन्हें केन्द्रीय रेशम बोर्ड की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं, इस विषय पर अपने मत अभी प्रस्तुत करने हैं। प्रशासनिक मंत्रालय के मत प्राप्त हो जाने पर इस मामले की जांच की जायेगी।

भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक की नीति

2642. **श्री के० एस० राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नीति संबंधी दस्तावेज की रूपरेखा तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त दस्तावेज में की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या निर्यात को बढ़ावा देने के एक उपाय के रूप में मुद्रा विनिमय दर के समायोजना का सुझाव दिया गया है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी०के० गढ़वी) : (क) से (ग) विश्व बैंक के कर्मचारियों ने अपने क्षेत्रीय अध्ययन के एक भाग के रूप में "भारत-निर्यात विकास प्रस्तावित नीति" नामक एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया है। यह विश्व बैंक का एक आन्तरिक दस्तावेज है। इसका विवरण सीमित है और इस रिपोर्ट को पाने वाले किसी भी व्यक्ति को इसकी विषय सूची को प्रकट करने का अधिकार नहीं है। सम्बद्ध मामलों में कोई भी निर्णय केवल भारत की अपनी प्राथमिकताओं और नीतियों को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा।

गैर पुनः प्रयोज्य संसाधनों का विदोहन

2643. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे स्वतंत्र आर्थिक क्षेत्र में समुद्र तल पर गैर-प्रयोज्य संसाधनों का पता लगाने और उनके विदोहन के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस क्षेत्र में प्रमुख खनिजों का अनुमानित भंडार कितना है; और

(ग) हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी अथवा अपने देश के नियंत्रण में समुद्र तल पर ऐसे संसाधनों के विदोहन में किस सीमा तक भाग लिया जा रहा है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी, और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) अनन्य

आर्थिक क्षेत्र के गैर पुन: प्रयोज्य (खनिज) संसाधनों के लिए अनेक समुद्रवैज्ञानिक पोतों को इस्तेमाल करके विस्तृत सर्वेक्षण सुव्यवस्थित रूप से किये जा रहे हैं। इन सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप, मॉनाजाइट, इल्मेनाइट, सिलीमेनाइट, गार्नेट, जिरकॉन, रूटाइल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का पता चला है।

(ख) अनन्य आर्थिक क्षेत्र का क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक होने के कारण जब तक विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक विभिन्न खनिजों का सही अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ग) सरकारी क्षेत्र का प्रतिष्ठान, इन्डियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, भारत के उपतट जल से अनेक खनिजों का विदोहन कर रहा है। अब तक इस क्षेत्र में कोई विदेशी सहयोग नहीं हुआ है।

बिना चेयरमैन/प्रबन्ध निदेशक के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

2644. श्री **रेणु पद दास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनमें इस समय कोई चेयरमैन अथवा प्रबंध निदेशक नहीं है; और

(ख) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) इन रिक्तियों के भरे जाने के लिए चयन की प्रक्रिया पूरे जोरों पर है।

विवरण

(क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 30.6.1987 को निम्नलिखित केन्द्रीय लोक उद्यमों में अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक नहीं है।

क्रम संख्या	पद/उद्यम का नाम
1.	प्रबन्ध निदेशक भारत प्रासेज तथा मकैनिक इंजीनियर्स लि. (सी)
2.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एम.पी.) लि. (सी)
3.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया (सी)
4.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय वस्त्र उद्योग (यू.पी.) लि. (सी)
5.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय वस्त्र उद्योग (एम.एन.) लि. (सी)
6.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लि. (बी)
7.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान कागज निगम लि. (बी)
8.	प्रबन्ध निदेशक, पैरादीप फास्फेट्स लिमिटेड (बी)
9.	प्रबन्ध निदेशक, हाईड्रोकार्बनस् लिमिटेड (बी)
10.	प्रबन्ध निदेशक, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (बी)
11.	प्रबन्ध निदेशक, जेसाप एण्ड कम्पनी लिमिटेड (बी)

12. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारतीय टेलीफोन उद्योग लि. (ए)
13. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारतीय पर्यटन विकास निगम (बी)
14. प्रबन्ध निदेशक, लगान जूट मशीनरी कम्पनी लिमिटेड (सी)
15. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारत लेदर निगम लिमिटेड (सी)
16. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एम.एस.) लि. (सी)
17. प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान पैकेजिंग कम्पनी लिमिटेड (सी)
18 प्रबन्ध निदेशक, प्राग टूल्स लिमिटेड (सी)
19. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. (बी)
20. प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड (सी)
21. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, दिल्ली परिवहन निगम (सी)
22. प्रबन्ध निदेशक, भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड (सी)

उद्योग के लिए योजना आबंटन

2645. **श्री अमृतदत्त** :

श्री अनिल बसु : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में उद्योग के लिए आवंटित की गई धनराशि का प्रतिशत कितना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सरकारी क्षेत्रक में उद्योग तथा खनिज स्कीमों के लिए पंचवर्षीय योजना परिव्यय

	पहली योजना	दूसरी योजना	तीसरी योजना	चौथी योजना	पंचवी योजना	छठी योजना	सातवी योजना
सरकारी क्षेत्र का कुल परिव्यय (करोड़ रु०)	2069	4,800	7,500	15,902	39,303	97,500	1,80,000
उद्योग तथा खनिज के लिए परिव्यय (पेट्रौलियम तथा कोयले सहित) (करोड़ रु०)	173	890	1,784	3.631	10.201	22,188	42.489
कुल परिव्यय में उद्योग तथा खनिज के लिए परिव्यय का प्रतिशत	8.4	18.5	22.8	22.8	25.9	22.7	23.6

टिप्पणी : उद्योग तथा खनिज क्षेत्रकों के लिए परिव्यय में बड़े तथा मझौले उद्योगों, खनिज (पैट्रोलियम तथा कोयले सहित) तथा ग्रामीण और लघु उद्योगों के लिए परिव्यय भी शामिल हैं)

सी-डाट (सेन्टर फार डेवलेपमेंट आफ टेलेमेटिक्स) की स्थापना

2646. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी-डाट (सेंटर फार डिवलेपमेंट आफ टेलेमेटिक्स) नामक संगठन की स्थापना किन लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की गई है ;

(ख) इस संगठन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और अपनी स्थापना के समय से इसने क्या लक्ष्य प्राप्त किये हैं;

(ग) इस संगठन के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(घ) इसकी स्थापना के समय से इसे वार्षिक बजट में कितनी धनराशि आवंटित की गई और इसने कितनी धनराशि का उपयोग किया ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डाट) का मुख्य उद्देय भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त तथा स्वदेश में ही विनिर्माण करने के लिए नवीनतम अंकीय इलेक्ट्रॉनिक स्विचन प्रणाली का विकास करना है। दूर-संचार स्विचन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य है।

(ख) तीन वर्षों के भीतर ही स्वदेशी डिजाइन के बहुत बड़े एक्सचेंज का क्षेत्रीय परीक्षण करने का लक्ष्य रखा गया है। बहुत बड़े एक्सचेंज का क्षेत्रीय परीक्षण चरणों में किया जा रहा है। इस क्षेत्रीय परीक्षण का पहला चरण अगस्त, 1987 के अन्त में दिल्ली तथा बंगलोर में शुरू होगा।

(ग) 30 जून, 1987 की स्थिति के अनुसार टेलीमैट्रिक्स विकास केन्द्र में स्टाफ की संख्या नीचे दिए अनुसार है :

अनुसंधान तथा विकास	— 290)	कुल संख्या 460
सहायक स्टाफ	— 170)	

(घ) वर्ष	बजट आवंटन (करोड़ रु. में)	धन राशि का उपयोग (करोड़ रु. में)
1984-85 (25.8.85 से)	3.49	1.50
1985-86	16.03	12.61
1986-87	11.51	10.94
1987-88	16.26	3.60 (30 जून, 1987 तक)
	47.29	28.65

12·00 मध्याह्न

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहती हूं कि पश्चिम बंगाल के एक सूचना-उपनिदेशक ने 40वें स्वतंत्रता वर्षगांठ समारोह सम्बन्धी क्रियान्वयन समिति को एक तार भेजकर बताया है कि पश्चिम बंगाल सरकार मिट्टी एकत्र नहीं करेगी तथा उक्त समारोह में शामिल नहीं होगी···।

अध्यक्ष महोदय : आपकी समस्या क्या है ?

कुमारी ममता बनर्जी : हम चाहते हैं कि गृह मंत्री इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें। हम जानना चाहते हैं क्या यह सच है, या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा किस नियम के तहत कह रहे हैं ?

कुमारी ममता बनर्जी : वे स्वतंत्रता वर्षगांठ समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। यह विचित्र बात है ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह मत चिल्लाईये।

श्री हरूभाई मेहता (अहमदाबाद) : 'इन्डियन एक्सप्रेस' ने अपने 8 अगस्त के सम्पादकीय लेख द्वारा विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : महोदया, आप बैठ जाईये। अब माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री हरूभाई मेहता : इन्डियन एक्सप्रेस द्वारा सम्मानीय सदन तथा माननीय अध्यक्ष की निन्दा की गई है जिससे विशेषाधिकार उल्लंघन का गम्भीर मामला बनता है। अतः हमने 'इन्डियन एक्सप्रेस' के विरुद्ध विशेषाधिकार का मामला उठाने की सूचना दी है। उन्होंने अध्यक्ष को पक्षपाती कहा है तथा सदन की निन्दा की है। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अयध्क्ष महोदय : रैफर कर दिया है, क्यों ऐसी बातों पर आप ध्यान देते हैं ? जिस दुकान में जैसा मोल है वैसा ही बिकता है, आप क्या इन बातों की परवाह करते हैं। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री हरू भाई मेहता : हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है मैं इसकी जांच करूंगा। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : आपको स्मरण होगा कि हमने प्रधानमंत्री तथा श्री ब्रह्मदत्त दोनों के खिलाफ विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने बताया है, आपको दिया है, आप जवाब दे दीजिये मुझे, मैं फिर टेक-अप कर लूंगा। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैंने आपको लिखा है···।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हम संतुष्ट नहीं हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने यही कहा है श्रीमन् कि आप फिर दोबारा लिखकर दे दीजिये, मैं दोबारा देख लूंगा।

[अनुवाद]

श्री एस. जसपाल रेड्डी : महोदय, विनिर्णय आप को देना है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप इसे मुझे दे दीजिये।

श्री एस. जसपाल रेड्डी : मेरा विचार था कि प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे··· (**व्यवधान**)

कुमारी ममता बनर्जी : गृहमंत्री को वक्तव्य देने के लिये कहिये।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप होम मिनिस्टर को दे दीजिये। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री भद्रेश्वर तांती (कलिमाबोर) : असम में बाढ़ की स्थिति काफी गम्भीर है। लेकिन प्रधानमंत्री ने असम राज्य का दौरा तक नहीं किया है। वहां पर लाखों लोग बेघर हो गये हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसमें मैं क्या कर सकता हूं ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अन्य आदमी गये हैं, सारी जगह प्राइम-मिनिस्टर थोड़े ही जा सकते हैं। टाइम होगा तो चले जायेंगे। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठ जाईये।

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : कृपया मेरी बात सुनिये और जो विनिर्णय आप देंगे, वह मुझे स्वीकार्य होगा। 20 अप्रैल, 1987 को रक्षा मंत्री श्री कृष्ण चन्द्र पन्त ने स्वीडन के रेडियो-प्रसारण के संबंध में वक्तव्य दिया था, उस प्रसारण में आरोप लगाये गये थे कि बोफोर्स सौदे में कमीशन दिया गया था। मैंने स्वीडिश नेशनल आडिट ब्यूरो रिपोर्ट से ऐसा प्रमाण दिया है, जो इस वक्तव्य का खण्डन करता है। इस सम्बन्ध में मैंने 21 जुलाई को विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा।

[हिन्दी]

मैं इसे देखूंगा, मैं देखकर ही कुछ करूंगा।

[अनुवाद]

प्रो. मधु दण्डवते : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस पर ध्यानपूर्वक विचार करें और फिर अपना निर्णय दें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा, देखकर ही कुछ करूंगा।

[अनुवाद]

प्रो. मधु दण्डवते : आप और कितना समय लेंगे ? मैंने यह 21 जुलाई को दिया था।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह तो मैं देखकर ही करूंगा, बगैर देखे कंसीडर कैसे करूंगा। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

प्रो. मधु दण्डवते : क्या यह आपके विचाराधीन है ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा।

[अनुवाद]

प्रो. मधु दण्डवते : हम जानना चाहते हैं कि क्या यह आपके विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी यही कहा है। मैं इसे देखूंगा। देखने का मतलब यही है कि मैं इस पर विचार करूंगा।

प्रो. मधु दण्डवते : मेरा अनुरोध सिर्फ यह है कि सत्र समाप्त होने से पहले आप इस पर विचार कर लीजिये।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री एम. रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : आन्ध्र प्रदेश विधान सभा ने एक समिति गठित की है...।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सीमाओं को समझने की कोशिश करिये। वह सदन स्वायत्तशासी है और यह सदन भी स्वायत्तशासी है। दोनों को ही स्वतंत्रतापूर्वक काम करने का अधिकार है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। यह असंगत है, नियम के अनुसार नहीं है। आप बैठ जाईये।

श्री दिनेश गोस्वामी (गोहाटी) : आज एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। खेद की बात है कि इसमें असम के एक भी सदस्य का नाम नहीं है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं तो इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। यदि सदन इसके लिए सहमत हो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री दिनेश गोस्वामी : सदन की राय ले लीजिये।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। आप बाद में बात कीजिये और मुझे बता दीजिए। इस तरह से नहीं चलेगा···।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री तांती इस तरह शोर मत कीजिये। यह ठीक नहीं है। अपना व्यवहार ठीक रखिये। शोर करने से तो समस्या हल नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं नहीं समझता कि शीला जी इस बारे में आपत्ति करेंगी···।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं आपको सदन में ऐसा करने की इजाजत नहीं दूंगा। आप पहले परस्पर बातचीत कीजिए और फिर मेरे पास आईये।

श्री दिनेश गोस्वामी : लेकिन यदि इसे अभी ले लिया जाता है तो ऐसा नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे नहीं कर सकता। आप बाद में परस्पर बातचीत करिये, सदन में नहीं···।

(व्यवधान)

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : महोदय, मैंने आपको एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। टायर उत्पादनकर्ताओं ने टायर की कीमतों में वृद्धि की है इस तथ्य के बावजूद कि सरकार ने इनकी कीमतों में वृद्धि न करने के निदेश दिये हैं···।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस दिया है और मैं इस पर विचार करूंगा। इसमें परेशानी की क्या बात है।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : महोदय···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी क्या समस्या क्या है ?

श्री सुरेश कुरुप : 2 मई 1985 को इस सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से बाड़ा हिन्दू राव स्थित डी. सी. एम. मिल के बन्द किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा की गई थी···।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : समस्या क्या है ?

श्री सुरेश कुरुप : आपको याद होगा कि तत्कालीन श्रम मंत्री ने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि···।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले आप मुझे लिखकर दीजिये और फिर मुझसे मिलिये । मैं यहां पर इस बारे में चर्चा नहीं कर सकता ।

श्री सुरेश कुरुप : महोदय, वह मिल बन्द होने जा रही है और मैंने ध्यानाकर्षण की सूचना दी है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले मेरी बात सुनिये । आप क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ? आपको आकर मुझे बताना होगा कि समस्या क्या है । जब तक मैं इसे समझूंगा नहीं तब तक मैं इस पर सदन में चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता । आपका स्वागत है । आप मुझे समझाईये कि समस्या क्या है तथा इसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे कितनी आसान सी बात है ।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, आपने मेरे अलावा सभी को अनुमति दी है ।

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत ही सभ्य महिला हैं कृपया बैठ जाईये ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मुझे अनुमति दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं । मैं कुछ नहीं कर सकता । मैं उन्हें अनुमति नहीं दे सकता ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे सूचना दीजिये आप जानती हैं कि मैं सूचनाओं पर हमेशा सहानुभूतिपूर्वक विचार करता हूं । फिर भी आप क्यों चिल्ला रही हैं ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह शोर मचाना नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अब शोर मत करिये । आप सूचना दें और मैं उस पर विचार करूंगा···।

(व्यवधान)

श्री भद्रेश्वर तांती : लाखों लोग बेघर हो गये हैं···।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री तांती नियंत्रण से बाहर हो गये हैं । मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि उनसे कैसे निपटा जाये ।

[हिन्दी]

श्री भद्रेश्वर तांती : मैं हाउस में यहां आ कर बैठूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : अगर यहां आकर बैठने से आपका प्रयोजन सिद्ध होता हो तो जरूर बैठिये ।

[अनुवाद]

श्री भद्रेश्वर तांती : महोदय, आप मेरे प्रति बहुत निष्ठुर हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी समस्या समझता हूं परन्तु इस तरह की बातों के लिये मैं अनुमति नहीं दे सकता···।

(व्यवधान)

श्री भद्रेश्वर तांती : मेरे यहां के लोग मर रहे हैं···।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह बात मालूम है और उनके प्रति मैं सहानुभूति प्रकट करता हूं···।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : फिर आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं···।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मेरी ओर ध्यान दें। कुछ सदस्य शोर मचाते जा रहे हैं। श्री गोस्वामी, आपके दल के सदस्य क्या कर रहे हैं? यह बहुत खराब बात है···।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये लोग क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं? मैं सभा में इस तरह की ब्लैक-मेलिंग की अनुमति नहीं दूंगा···।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिये, ये सदन के माननीय सदस्य हैं। इससे सदन की प्रतिष्ठा गिरती है। यह अशोभनीय है।

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, संसदीय कार्य मंत्री के साथ मैंने बात की थी। उन्हें तो कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति इस बात पर है कि माननीय सदस्य अनुचित तरीके अपनाते हैं इससे नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है। यह बहुत गलत बात है तथा इससे सदन की प्रतिष्ठा कम होती है···।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कल्पनातीत है। मनुष्य इतना अमानवीय कैसे हो सकता है। यह असंगत है···।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभी कुछ नियमानुसार होगा। मैं नियमों को नहीं बना रहा हूं। मैं तो सिर्फ नियमों के अनुसार कार्य कर रहा हूं। यह सब क्या है? वे सदन का महत्व घटाने की कोशिश कर रहे हैं और लोकतन्त्र के आधार पर ही कुठाराघात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बहुत ही शर्म की बात है। अब तो मुझे इस बारे में ही आशंका होने लगी है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अस्तित्व भविष्य में बना रहेगा अथवा नहीं...।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे ऐसा क्यों करते हैं जबकि मैंने दिनेश जी से कहा है कि वे बात कर सकते हैं और मैं सहमत हो जाऊंगा। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है? परन्तु यह मेरी समझ में नहीं आता कि वे इस तरह की बात क्यों करते हैं। यह बड़े खेद की बात है...।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सब अनावश्यक है और अपेक्षित भी। श्री नरसिंह राव।

12.08 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

संघ राज्य क्षेत्रों में तथा स्वायत्त निकायों के अधीन भारत सरकार में कार्यरत विद्यालय के अध्यापकों के वेतनमानों में पुनरीक्षण के बारे में विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : महोदय, मैं श्री पी० वी० नरसिंह राव की ओर से, संघ राज्य क्षेत्रों में तथा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित स्वायत्त निकायों के अधीन भारत सरकार में कार्यरत विद्यालय के अध्यापकों के वेतनमानों में पुनरीक्षण के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इस विषय में, 12 अगस्त, 1987 के सरकार के आदेश को सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। (देखिये संख्या एल०टी०-4591/87]

रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 इत्यादि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (चेयरमैन तथा अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1987 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 10 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 381 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (सचिव की शक्तियां तथा कर्तव्य) नियम, 1987, जो 15 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि०

506 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखी गयीं । देखिये संख्या एल०टी०-4592/87]

(2) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 382 (ङ), जो 10 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा 15 अप्रैल, 1987 से औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी० 4593/87]

(3) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 6 के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा०का० नि० 625 (ङ), जो 1 जुलाई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जो श्री बी०डी० गुप्ता, चेयरमैन, विदेशी मुद्रा विनिमय अपीलीय बोर्ड, विधिक कार्य विभाग की औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी०-4594/87]

(4) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 1 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का०आ० 444 (ङ), जो 28 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धाराओं 15 से 34 के उपबन्ध लागू होने की तारीख 15 मई, 1987 नियत की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी०-4595/87]

(5) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना सा० का० नि० 575 (ङ), जो 15 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक को, भारतीय स्टेट बैंक (समानुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 के अन्तर्गत गठित समानुषंगी बैंकों को तथा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा 1980 के अन्तर्गत गठित तत्संबंधी नये बैंकों को लोक वित्तीय संस्थाओ के रूप के विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी०-4595/87]

(6) एक राष्ट्रीय आवास बैंक स्थापित करने तथा अन्य सम्बन्धित मामलों के प्रस्ताव के सम्बन्ध में उच्च-स्तरीय ग्रुप के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी०-4596/87]

दूरी-मापन-विज्ञान विकास केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 और 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के लिए विवरण ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) (क) (एक) दूरी-मापन-विज्ञान विकास केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी०-4597/87]

(दो) दूरी-मापन-विज्ञान विकास केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी०-4598/87]

(ख) दूरी-मापन-विज्ञान विकास केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-4597 और 4598/87]

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा **सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम,** 1987

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती): "मैं प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1987, जो 18 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 583 (ङ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं" ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी०-4599/87]

12.09 म. प.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति
उन्तालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एस. तम्बि दुराई (धर्मपुरी) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का उन्तालीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

12.09 म. प.

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में

[अनुवाद]

श्रीमती किशोरी सिंह (वैशाली) : महोदय, मैं जल संसाधन मंत्री का अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर ध्यान आकर्षित करती हूं और अनुरोध करती हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और देश के अन्य भागों में आई विनाशकारी बाढ़, जिसके परिणामस्वरूप जन-धन की भारी हानि हो रही है तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किए गए उपचारात्मक उपाय।"

श्री दिनेश गोस्वामी (गोहाटी): महोदय, पहले भी कई बार ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को नियम 193 के अन्तर्गत चर्चाओं में बदला गया है। अतः इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को भी नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा में बदल दिया जाना चाहिए क्योंकि बैलर में असम से किसी भी सदस्य का नाम नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : अगर हम इसे नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा में बदलते हैं तो क्या आप सहमत हैं कि आप में से सिर्फ दो सदस्य बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उपरोक्त बात से सहमत हैं तो हम इसको नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा में बदल देंगे। अन्यथा नहीं, क्योंकि मैं एक गलत उदाहरण स्थापित नहीं करना चाहता। श्रीमती किशोरी सिंह।

(व्यवधान)

श्रीमती किशोरी सिंह : महोदय, मैं···।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट ठहरिये। यहां यह क्या हो रहा है? कठिनाई यह है कि हमें तारीख भी बदलनी पड़ेगी।

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, जिन सदस्यों का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत कार्य सूची में नाम है उनको तथा असम के दो सदस्यों को ही नियम 193 के अन्तर्गत बोलने की अनुमति दी जाये। अगर सभा इस बात पर सहमत है तो···।

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, पिछले सात वर्षों के दौरान, ऐसा सिर्फ एक ही पूर्व उदाहरण है। ऐसा पंजाब पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हुआ था। तब आपने सभा

की कार्यसूची में दिए गए नामों के अतिरिक्त माननीय सदस्य श्री निहालसिंह को बोलने की अनुमति दी थी। अतः असम से एक सदस्य को बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मेरा सुझाव है कि सत्ताधारी दल तथा विरोधी पक्ष दोनों की तरफ से एक-एक सदस्य को बोलने की अनुमति दी जाये।

श्री विपिनपाल दास (तेजपुर) : महोदय, कल मैंने इस प्रश्न को उठाया था और मुझे बताया गया था कि इस मामले पर चर्चा करने के लिए एक अवसर दिया जायेगा। इसलिए, मेरा सुझाव है कि आज की कार्यसूची में शामिल पांच सदस्यों के साथ-साथ असम से भी दो सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जाये, एक सत्ताधारी पक्ष से दूसरा विपक्ष से।

अध्यक्ष महोदय : मेरे सामने जो समस्या है वह प्रक्रिया संबंधी है और मुझे नियम के अनुसार चलना होता है। सबसे पहले तो हमें इस चर्चा को नियम 193 के तहत लाना होगा इसके बाद इस पर बैलट कराया जायेगा, और इसे दुबारा से इसे कराये जाने की कोशिश की जायेगी। हमने पहले भी ऐसा किया है। ऐसा करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे बाद में, कल या परसों कर सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं एक सुझाव दे सकता हूं। आप इसे नियम 193 के तहत चर्चा में न बदलें बल्कि इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ही रहने दें और अपनी अवशिष्ट शक्तियों का निर्वहन करते हुए शक्तियो का इसमें दो अतिरिक्त सदस्यों-एक सदस्य सत्ताधारी पक्ष में तथा दूसरा विरोधी पक्ष से को बोलने का अवसर दें।

अध्यक्ष महोदय : तब तो इस समस्या का समाधान ही नहीं हो सकेगा। और अनेक सदस्य बोलने के लिए आगे आ जायेंगे।

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, अगर सभा सहमत होती है तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है। एक विशेष मामले के रूप में असम से एक सत्ताधारी दल से संबंधित सदस्य तथा एक विरोधी दल से संबंधित सदस्य को बोलने का अवसर दिया जा सकता है। मेरे विचार में सभा इस पर सहमत होगी।

अध्यक्ष महोदय : इसका पूर्व उदाहरण के रूप में कल फिर जिक्र किया जायेगा और आप यही बातें फिर कहेंगे।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम इसे एक पूर्व उदाहरण के रूप में नही लेंगे। इसलिए सत्ताधारी तथा विपक्ष के एक-एक सदस्य को बोलने का अवसर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : महोदय, अगर जो कुछ सुझाव दिया जा रहा है उस पर सहमति हो जाती है तो दोनों पक्षों से एक-एक सदस्य से बात नहीं बनेगी। ऐसा संभव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यही मैंने कहा है।

श्री एच०के० एल० भगत : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत आज की कार्यसूची में दिये गये नामों के अतिरिक्त अगर दो सदस्य बोलने जा रहे हैं तो दोनों सदस्य सत्ताधारी पक्ष के ही होंगे।

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : महोदय, इस मद के अन्तर्गत मेरे राज्य से किसी भी सदस्य का नाम शामिल नहीं किया गया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में समस्या सबसे अधिक खराब है आज ही, आल इंडिया रेडियो ने अपने समाचार बुलेटिन में उल्लेख किया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे साथ यही समस्या है कि जब हर कोई बोलना चाहता है। मैं क्या कर सकता हूं ? मेरी यही समस्या है।

मुझे कोई दिक्कत नहीं। यदि आपके पास समय है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप इस बारे में चर्चा कर सकते हैं, चर्चा कीजिए। मैं कभी चर्चा से इंकार नहीं करता। मैं केवल हल्ला-गुल्ला करने से मना करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तो फिर हम बाद में इस बारे में चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

अब इस पर नैक्स्ट वीक ही डिस्कशन होगा।

श्री बसुदेब आचार्य (बंकुरा) : अगले हफ्ते तो बहुत देर हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर मैं क्या करूं। मेरे हाथ में जितना है, मैंने कर दिया। आप मेरी मजबूरी भी तो समझा करो। मैं क्या कर सकता हूं।

श्री बसुदेब आचार्य : कालिंग अटैंशन पर ही बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन वे जो बैठे हैं, वह नहीं मानते। वे कहते हैं कि वे भी बोलना चाहते हैं। फिर तो सारा काम गलत हो जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तो फिर नियम 193 के अधीन चर्चा को ही पूरी कर लेने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी (गौहाटी) : चर्चा अगले सोमवार रख ली जाये।

अध्यक्ष महोदय : हम अगले सप्ताह इस बारे में चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

डा० गुलाम यासदानी (रायगंज) : कृपया मेरी बात सुनिए। मैं पश्चिम बंगाल से हूं और मैं भी इस बारे में बोलना चाहता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बस, अब हो गया, हो गया।

[अनुवाद]

हम अगले सप्ताह इस बारे में चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

श्रीमती किशोरी सिन्हा (वैशाली) : खड़ी हुईं —

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको भी मौका मिलेगा।

मद संख्या 8 : श्री संगमा, यहां उपस्थित नहीं है।

मद संख्या 9 : श्री राम रतन राम।

12.17 म.प.

समिति के लिये निर्वाचन

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

[अनुवाद]

श्री राम रतन राम (हाजीपुर) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि वह इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की शेष कार्यावधि के लिए, श्री रामनारायण गोस्वामी, जो राज्य सभा से निवृत हो गये हैं, के स्थान पर इस समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से एक सदस्य नाम-निर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

12.18 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की शेष कार्यावधि के लिए,

श्री रामनारायण गोस्वामी, जो राज्य सभा से निवृत हो गये हैं, के स्थान पर इस समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से एक सदस्य नाम-निर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.19 म. प.

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) कर्नाटक में कारजागी में महालक्ष्मी किटटूर और गोल गुम्बज एक्सप्रेस रेल गाड़ियों को रोकने की आवश्यकता

श्री जी. एस. बसवराजू (टुमकुर) : मैं नियम 377 के अधीन एक वक्तव्य देता हूं।

कर्नाटक में हावेरी और हुब्बाल्ली के बीच स्थित करजगी एक महत्वपूर्ण स्थान है। वहां पर श्री राघवेन्द्र स्वामी का प्रसिद्ध मन्दिर है जहां पर समूचे कर्नाटक से तथा पड़ोसी राज्य आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से हर रोज हजारों भक्त आते हैं। वहां मुसलसानों का भी पवित्र स्थान है और बहुत से मुसलमान भक्त नियमित रूप से यहां आते हैं।

अत: मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि महालक्ष्मी एक्सप्रेस, किटटूर एक्सप्रेस और गोल गुम्बज एक्सप्रेस रेल गाड़ियों को कारजागी में रोकने की तुरन्त व्यवस्था करें।

(दो) लोगों पर तेजाब फेंकने वाले समाज विरोधी तत्वों के लिए दंड का प्रावधान करने के लिए भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : महोदय, लोगों पर तेजाब फेंकने की घटनाओं में बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है जैसा कि मेरे चुनाव क्षेत्र जबलपुर में हो रहा है। समाज विरोधी तत्व तेजाब का प्रयोग हिंसा और बदला लेने की भावना से कर रहे हैं। इसके आतंक का प्रभाव बहुत अधिक है। तेजाब खाल और मांस को जलाकर हड्डियों में सुराख कर देता है। इससे प्रभावित होने वाले बहुत से लोगों की आंखें चली गई और उनका चेहरा विकृत हो गया। एक स्थिति ऐसी आती है जब इससे पीड़ित व्यक्ति स्वयं को इसीलिए कोसता है कि वह जीवित ही क्यों रहा।

तेजाब द्वारा घायल करना। अंग भंग करना चेहरे विकृत करना। आदि जैसे अपराधों के मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 326/307 के अन्तर्गत दर्ज किए जाते हैं। अत: लोकहित में, यह आवश्यक है कि भारतीय दंड संहिता आपराधिक प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसिजर कोड) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान किए जाएं :—

(क) भारतीय दंड संहिता में उचित संशोधन करके यह प्रावधान किया जाए जिससे कि तेजाब फेंककर चेहरा विकृत करने/अंग भंग करने को एक विशेष अपराध की संज्ञा दी जा सके और इसके लिए कम से कम आजीवन कारावास की सजा दी जा सके।

(ख) ऐसे मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए विशेष न्यायालय गठित करने हेतु आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया जाए।

(ग) साक्ष्य अधिनियम में भी ऐसा संशोधन किया जाए जिससे कि यह साबित करने का भार दोषी व्यक्ति पर डाला जा सके कि उसने अपराध नहीं किया है। अथवा इसके विरुद्ध मूलतः कोई मामला बनता ही नहीं है।

(घ) दोषी व्यक्ति पर भारी राशि का जुर्माना किया जाए और उसकी वसूली उसकी सम्पत्ति से अथवा उसकी प्रति पूर्ति जेल में श्रम कराकर अनिवार्य रूप से की जाए ताकि पीड़ित व्यक्ति को अपनी चिकित्सा पर होने वाले भारी खर्च का मुआवजा मिल सके।

[हिन्दी]

(तीन) भूमिहीन और छोटे किसानों को 10 वर्ष पूर्व दिए गए ऋणों को माफ करने की आवश्यकता

श्री उमाकान्त मिश्र (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं :

"ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों छोटे किसान और खेतिहर मजदूर ऋण से दबे हुए हैं। उनकी अपनी आवश्यकताओं के लिए समय-समय पर सहकारिता विभाग, राजस्व विभाग तथा अन्य विभागों और बैंकों से ऋण लेना पड़ता है, किन्तु सूखा, बाढ़, रोजगार की कमी एवं गरीबी के कारण वे अपना ऋण अदा करने में असमर्थ रहे हैं और उनके ऊपर कर्ज और उसके सूद का बोझ इतना बढ़ गया है कि न तो वे यह कर्ज अदा कर सकते हैं और न किसी प्रकार की उनसे वसूली की जा सकती है। इस प्रकार के कर्जों की वसूली में शासन द्वारा समय और धन बरबाद करना व्यर्थ है। साथ ही लाखों परिवारों को राहत देने के लिए भी गम्भीरता से विचार करना आवश्यक है। इस प्रकार के परिवारों को पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज से दबाए रखना अमानवीय है।

भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि देश के सभी भूमिहीनों और छोटे किसानों के हर प्रकार के ऋण और बकाया चाहे जिस विभाग से सम्बन्धित हों तथा दस वर्ष के ऊपर के हों उन्हें माफ करने की कार्यवाही की जाए क्योंकि इस प्रकार के कर्जों की और बकायाओं की वसूली होना सम्भव नहीं है।"

[अनुवाद]

(चार) विजयवाड़ा में संघ लोक सेवा आयोग का एक परीक्षा केन्द्र खोलने की मांग

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : महोदय, मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि विजयवाड़ा में संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा केन्द्र न होने के कारण बहुत सारे उम्मीदवारों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

आन्ध्र प्रदेश में केवल राजधानी हैदराबाद के बाद विजयवाडा ही एक ऐसा शहर है जहां सर्वाधिक महाविद्यालय हैं। बड़ी संख्या में डिग्री कालेजों के अलावा विजयवाडा में बहुत से ऐसे कालेज भी हैं एम. ए., एम.काम., पत्रकारिता स्नातक आदि जैसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम विषय पढ़ाये जाते हैं। यहां दो इंजीनियरिंग कालेज तथा एक मैडिकल कालेज है। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भी विजयवाडा में है।

विजयवाडा तटवर्ती (राज्य) आन्ध्र प्रदेश के बीचोंबीच स्थित है। यह नगर रेल और सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण जंक्शन है तथा देश के हर भाग से जुड़ा है। यहां हवाई सेवा की सुविधा भी उपलब्ध है।

विजयवाडा में बैंक अधिकारी परीक्षाएं, बैंक क्लर्क परीक्षाएं, सी. ए. परीक्षाएं रेलवे सेवा आयोग परीक्षाएं पहले ही आयोजित की जा रही हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि विजयवाडा में संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा केन्द्र स्थापित करने के लिए शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाये जायें।

(पांच) खाद्य तेलों, घी, दूध, डबल रोटी तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें न बढ़ने देने के लिए कारगर उपाय करने की आवश्यकता

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : खाद्य तेल और वनस्पति घी के मूल्य तो पहले से ही बहुत अधिक हैं और अब पता चला है कि निर्माताओं ने 12-8-87 से उनमें और अधिक वृद्धि कर देनी है तथा कुछ लोकप्रिय ब्रांड तो पहले ही बाजार से गायब हो चुके हैं। घी के पांच किलो के डिब्बे के मूल्य में कम से कम पांच रुपये, खाद्य तेलों के डिब्बों के मूल्य भी 5 रुपये से 10 रुपये तक बढ़ जाने की सम्भावना है जबकि रिफाइंड तेल के 5 कि. ग्रा. के डिब्बे पर 15 रुपये बढ़ने की सम्भावना है। पिछले दो महीनों में लोकप्रिय रिफाइंड तेल और अन्य खाद्य तेलों के मूल्य में 10 रुपये से अधिक की वृद्धि पहले ही हो चुकी है। सब्जियों और दालों के भाव तो पहले ही आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। क्षोभ की बात तो यह है कि ये दरें सुपर-बाजार और सहकारी भण्डारों में भी लागू होंगे। पोस्टमैन मूंगफली रिफाइन्ड आयल का डिब्बा जो मार्च में 161 रुपये का था और अब 188 रुपये का है। बिक रहा था, उसका मूल्य आई. एन. ए. स्थित बाजार में 195.55 रुपये रखा गया है जबकि सुपर बाजार की अपेक्षा खुले बाजार में दरें कम अर्थात 185 रुपये थी। 5 किलोग्राम डालडा रिफाइन्ड के डिब्बे की दरों में पिछले 20 दिनों में तीन बार वृद्धि हुई बताई जाती है। आयातित तेलों के कोटे में वृद्धि किए जाने के बाजूद भी मानसून की असफलता या किसी अन्य कारण को उत्पादक कीमत बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार मान लेते हैं। कीमतों में हुई हाल ही की वृद्धि से उपभोक्ताओं पर बहुत अधिक कुप्रभाव पड़ेगा विशेष रूप से तब जबकि साबुन सर में लगाने के तेल और खाद्य उत्पादों आदि की कीमतें पहले ही बहुत बढ़ी हुई हैं।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस बारे में कारगर उपाय करें और खाद्य तेलों, घी, सब्जियों, दूध, डबल रोटी, मक्खन आदि की कीमतों को नियन्त्रित बढ़ने से रोककर उन्हें उचित दरों पर उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराए।

(छ:) उत्तर आरकट जिले में इलेइगिरी हिल्स अथवा जवादु हिल्स में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता

श्री ए० जयमोहन (तिरुपत्तूर) : कतपदी में वर्तमान कम शक्ति का दूरदर्शन केन्द्र, जो मद्रास और अन्य दूरदर्शन स्टेशनों से दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित करता है, यह पूरे उत्तर अर्काट् जिले में प्रसारण नहीं भेज पाता है। इस जिले में कितने प्रतिशत जनसंख्या तक प्रसारण पहुंचते हैं, इस बारे में सर्वेक्षण करने से पता चलेगा कि लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या तक ही इस रिले केन्द्र के प्रसारण पहुंच पाते हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जनजातीय लगभग 35 प्रतिशत आबादी जनजातियों की है और, इसलिए, जनजातीय लोगों को राष्ट्रीय धारा में लाने हेतु इन क्षेत्रों के विकास की तुरन्त आवश्यकता है जिससे कि विभिन्न विकासीय योजनाओं का फल समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंच सके। अतः, यह आवश्यक है कि इस प्रचार माध्यम द्वारा जनजातीय लोगों को शिक्षित करने के लिए उत्तर अर्कोत् जिले के पश्चिमी और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन प्रसारण पहुंचाने के लिए एक दूरदर्शन रिले केन्द्र जवदु हिलस् या इलैइगिरी हिलस् में स्थापित किया जाए। यदि वर्तमान दूरदर्शन रिले केन्द्र जोकि केवल कत्पदी और इसके आस-पास के क्षेत्रों को ही सेवित कर रहा है, को इलैइगिरी हिलस या जवदु हिलस् के शिखर पर स्थापित कर दिया जाता तो पहाड़ी क्षेत्रों में बसे आदिवासी लोगों सहित समूचे उत्तर अर्कोत् जिले में प्रसारण पहुंच सकते थे।

अतः मैं, सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह यथाशीघ्र इलैइगिरी या जवादु हिलस् पर दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने पर विचार करे।

12.29 म.प.

देश में सूखे की स्थिति पर चर्चा

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम, कृषि मन्त्री द्वारा 30 जुलाई 1987 को इस सदन में दिये गये वक्तव्य पर आगे चर्चा करेंगे। श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलोर दक्षिण) : कल मैं यह बताने के लिए कि भारत सरकार ने कुछ राज्यों में सूखा स्थिति को गम्भीरता से नहीं लिया है, तथ्य और आंकड़े उद्धृत कर रहा था।

मैं वर्ष 1987-88 के कुछ और नवीनतम आंकड़े (पूर्व-मौनसून अवधि के) उद्धृत करता हूं जो सरकार द्वारा ही दिया गया एक-सरकारी विवरण है।

राज्य	मांगी गई सहायता	(रुपये करोड़ों में) अनुमोदित व्यय की अधिकतम सीमा
आन्ध्र प्रदेश	240.75	25.19
गुजरात	429.87	31.55
महाराष्ट्र	453.02	31.01
राजस्थान	781.83	69.13
तमिलनाडु	348.45	34.74

आप राज्यों से क्या कराना चाहते हैं? आप राज्य की सहायता कैसे कर सकते हैं यदि आप उन्हें वित्तीय सहायता नहीं देते हैं? आप किस तरह उनकी सहायता करने जा रहे हैं?

मुझे आश्चर्य है कि अभी तक कुछ राज्य-जैसे कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश गत चार वर्षों से गम्भीर दुर्भिक्ष से पीड़ित चले आ रहे हैं।

इसीलिए मैंने कहा कि केन्द्र द्वारा अभी तक दी गई सहायता केवल टालमटौल पूर्ण या बस नाम मात्र ही रही है। खैर मैं प्रसन्न हूं कि कम से कम अब तो भारत सरकार ने इस मामले को गम्भीरता से लिया है। मैं आशा करता हूं कि वे इस संबंध में आगे कार्यवाही करेंगे। उन्होंने एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रधान मंत्री होंगे।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या कार्यवाही की गई है और क्या कार्य हुआ है। उन्होंने कल कहा कि एक कार्य योजना बनी है। सूखे की स्थिति अभूतपूर्व है। इसे युद्ध स्तर पर हाथ में लेना चाहिए। मैं इसके बारे में विस्तार से जानना चाहूंगा। प्रत्येक दिन, हमें प्रचार माध्यमों दूरदर्शन आदि द्वारा सूखे और बाढ़ की स्थिति की जानकारी दी जा रही है। आप प्रतिदिन एक-एक राज्य की स्थिति दिखा रहे हैं। पिछली रात, हमें मध्य प्रदेश की सूखे की स्थिति दिखाई गई थी। उस दिन आपने गुजरात में सूखे की स्थिति दिखाई थी और उससे पहले दिन यह राजस्थान के बारे में दिखाया था और इसी प्रकार राज्यों की स्थितियां दिखाई जा रही हैं। लेकिन हम यह जानना चाहेंगे कि इस मामले में आप क्या करना चाहते हैं। आपने अपने वक्तव्य में, यह स्पष्ट नहीं किया है। आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ? हम अपेक्षा करते हैं कि भारत सरकार वास्तव में ही कुछ करना चाहेगी। हम यह भी जानना चाहेंगे कि आप कौन सी ठोस कार्यवाही करने जा रहे हैं, और इसे अवश्य स्पष्ट किया जाना चाहिए।

महोदय, स्थिति बहुत गम्भीर है। यह जितना कि हम सोच पा रहे हैं ? उससे भी अधिक गम्भीर है अनेक माननीय सदस्य इस बारे में पहले ही बोल चुके हैं। मैं उनकी बात को दोहराना नहीं चाहता। मैं केवल माननीय सदस्यों की स्मृति को केवल पुनः ताजा करना चाहता हूं। समाचार है कि हमारे देश के 470 जिलों में से 152 जिलों में, वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी है। ये प्रमुख अनाज खरीफ अवधि में उगाये जाते हैं।

60 प्रतिशत से भी अधिक अनाज खरीफ अवधि में उगाए जाते हैं। जहां तक तिलहन का संबंध है, 55 प्रतिशत से अधिक तिलहन केवल खरीफ अवधि में ही उगाए जाते हैं। हम नहीं जानते कि इस बारे में सरकार की क्या सोच है। सरकार शायद यह सोच रही है कि हमारे पास क्योंकि 231 लाख टन का सुरक्षित भण्डार है, सो। हम सुरक्षित हैं। लेकिन, यदि स्थिति इसी प्रकार जारी रही और यदि हमें अपना सुरक्षित भण्डार ही खोलना पड़ा तो फिर अगले वर्ष क्या परिस्थिति होगी ? हमें इस बात को भी सोचना चाहिए। अतः, मैं जानना चाहूंगा कि इस मामले पर सरकार की क्या सोच है ?

महोदय, हम यह जानकर भयभीत हैं कि गुजरात राज्य विशेष रूप से सौराष्ट्र में, जोकि मूंगफली का लगभग 70 प्रतिशत भाग उगाता है, वहां केवल 25 प्रतिशत किसानों ने फसल बोई गई है। दूसरी चौंका देने वाली स्थिति यह है कि 47 प्रमुख जलाशयों में से अनेकों जलाशयों में जल संग्रह 70 प्रतिशत से भी कम है। स्थिति यह है।

छठी योजना में, और अभी तक, केन्द्रीय सरकार सूखे और बाढ़ पर लगभग 4000 करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है। लेकिन मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या उससे कोई स्थायी परिसम्पत्तियां भी पैदा की गई हैं या नहीं, और, वस्तुतः कितनी राशि खर्च की गई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहूंगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अब

[श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर]—जारी

तक बाढ़ और सूखे पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है और कितनी परिसम्पत्तियां पैदा की गई है ?

मेरे अपने राज्य के बारे में कहूं तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कर्नाटक लगातार चौथे वर्ष भी पुन: गम्भीर दुर्भिक्ष से शिकार हो रहा है। मेरे पास तत्संबंधी आंकड़े हैं। हाल ही में, हमारे राजस्व मंत्री भी एक ज्ञापन आपको भी प्रस्तुत कर चुके हैं। कर्नाटक में दक्षिण-पश्चिम मौनसून फिर से फेल हो चुकी है और राज्य फिर गम्भीर दुर्भिक्ष स्थितियों का सामना कर रहा है। 25000 गांवों में से 11158 गांवों में, जिनमें 98 तालुक हैं और 14 जिले हैं, अभाव की स्थिति बहुत गम्भीर है। बरसात बिल्कुल नहीं हुई है। वर्षा बहुत ही अल्प मात्रा में हुई है। इसने खरीफ मौसम के लिए प्रारंभिक व जुताई को भी गम्भीर रूप से प्रभावित किया है। कर्नाटक के बंगलौर, तुमकुर, कोलार, मांड्या और कोडागु जिलों में अधिकांश स्थानों में बुआई का प्रतिशत 30 से भी कम रहा है। बेल्लरी, चिकमगलूर चित्रदुर्गा, गुलबर्गा और रैचुर जैसे जिलों में यह बुआई 55 प्रतिशत से भी कम हुई है।

इसका श्रेय राज्य सरकार को जाना चाहिए कि वह लगातार तीन वर्षों से सूखे की स्थिति से बहुत साहस से लड़ती आ रही है। राज्य सरकार ने 2000 करोड़ रुपये से भी अधिक की हानि उठाई है। राजस्व की हानि तो बहुत ही हुई है। राज्य सरकार यह सूखा राहत कार्यों पर लगभग 800 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। लेकिन इसे केन्द्रीय सरकार से सहायता के रूप में केवल 100 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। वर्तमान सूखे के लिए भी यह राज्य सरकार पहले ही बहुत राशि खर्च कर चुकी है और राहत कार्य भी पहले ही प्रारम्भ कर चुकी है यहां तक कि अप्रैल से इसने स्वयं पर्याप्त मात्रा में पेयजल प्रदान करने, नौकरी प्राप्त करने के लिए आने वाले सभी लोगों को रोजगार देने, पशुओं के लिए चारे की आपूर्ति करने और अनाज की आपूर्ति करने के लिए उपाय शुरू कर दिये है। इसका भी मूल्यांकन किया जाना है कि यदि वर्तमान स्थिति जारी रहती है तो राज्य सरकार को लगभग 15 से 20 लाख लोगों को प्रतिदिन रोजगार प्रदान करना होगा। अत : पिछले वर्ष की भांति इस बार भी राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगने के लिए विवश हुई है। निस्संदेह, सरकार यह कह सकती है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, सूखा-ग्रसित क्षेत्र कार्यक्रम आदि कार्यक्रमों के अन्तर्गत धन राशि उपलब्ध है, लेकिन यह धन राशि ऐसी स्थिति से निबटने के लिए पर्याप्त नहीं है। हाल ही में उस दिन जब कर्नाटक के राजस्व मंत्री मंत्री महोदय से मिले थे, तो उन्होंने 15 करोड़ रुपये की तुरन्त सहायता की मांग करते हुए एक ज्ञापन मंत्री महोदय को दिया था। मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वह इस राशि को तुरन्त मंजूरी दें। इसी प्रकार, मैं श्री वृधि चन्द जैन की मांग का समर्थन करता हूं जिन्होंने राजस्थान के लिए 50 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है और मैं गुजरात की माननीय सदस्या की मांग का भी समर्थन करता हूं। उसे प्रत्येक राज्य के लिए जो कि गम्भीर अकाल अवस्थाओं कारोबार हो रहा है तुरन्त ही वित्तीय सहायता देना आवश्यक है, और मुझे विश्वास है कि भारत सरकार इस मामले पर गम्भीरता से विचार करेगी और सहायता देगी।

पेय जल के बारे में, जैसा कि माननीय मंत्री अवगत हैं कर्नाटक राज्य पहला राज्य था जिसने कर्नाटक में लगभग सभी गांवों को पेय जल उपलब्ध कराया। कर्नाटक में लगभग 25000

गांव हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश मौनसून की कम वर्षा के कारण भू जल की पूरी तरह प्रतिपूर्ति नहीं हो सकी और, इसलिए, पिछले वर्षों में जो गहरे नलकूप (बोरवैल्स) काफी लागत से लगाए गए थे, सूख चुके हैं। अत : गांवों को जल देने के लिए राज्य सरकार को फिर से और अधिक गहरे नलकूप (बोरवैल) खोदने पड़ेंगे। अत : अब इन सब चीजों के लिए तुरन्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

दूसरी बात यह है कि जहां कहीं भी फसलें सूख चुकी हैं वहां यदि वर्षा भी होती है, तो भी ये खरीफ की फसलें पुनर्जीवित नहीं हो सकतीं क्योंकि वे पूर्णतया सूख चुकी हैं। जहां कहीं बड़ी मात्रा में फसलें सूख चुकी हैं, वहां किसानों को सहायता देना आवश्यक है। और यही राज्य सरकार करना चाहती है, ताकि किसान दालों जैसी ताकि वैकाहरके फसलें, उगायें जिन्हें कम आद्रता की आवश्यकता होती है, इसके लिए भी, केन्द्रीय सरकार की सहायता आवश्यक है।

दुसरी चीज जो महत्वपूर्ण है, वह है पशुओं के लिए चारा। पिछले तीन वर्षों से जब कर्नाटक में सूखा था, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य कर्नाटक की सहायता के लिए आगे आये और उन्होंने राज्य को चारा प्रदान किया। लेकिन, दुर्भाग्यवश, ये दो राज्य भी अकाल की स्थितिओं से प्रभावित हैं और, इसलिए, अब हम उनसे भी ज्यादा प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार की सहायता मिलनी जरूरी है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जहां कहीं अतिरिक्त चारा उपलब्ध है, वहां से इसकी सप्लाई कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों को की जाए जहां चारे का अभाव है। कर्नाटक में, पिछले सूखे के समय राज्य सरकार ने पशुओं के संरक्षण हेतु अनेक 'गोशालाएं' खोली थी; पशुओं के संरक्षण के लिए अनेक केन्द्र खोले थे। यह आवश्यक है कि चालू सूखे की स्थिति में भी, हर जगह 'गोशालाएं' खोली जानी चाहिए। इसके लिए भी सहायता की आवश्यकता है।

राज्य सरकार एक विस्तृत ज्ञापन भेज रही है जिसमें स्थिति की गम्भीरता और मांगी गई सहायता की मात्रा का विवरण हैं। विस्तृत ज्ञापन पहुंचेगा। इस बीच, मैं मंत्री महोदय से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि 15 करोड़ रुपए की तदर्थ सहायता कर्नाटक को तुरन्त पहुंचाई जाए।

अन्त में, मैं एक या दो और सुझाव देना चाहूंगा। प्रत्येक वर्ष हम सूखे की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं और इस पर यह केवल वह विचार-विमर्श ही होता है। इस पर बल मात्र विचार-विमर्श नहीं किया जाना चाहिए। बल्कि भारत सरकार को सूखे की स्थिति से निबटने के लिए और इस सम्बन्ध में स्थायी हल ढूंढने के लिए, ठोस प्रस्ताव पेश करने चाहिए। एक हल जिसका सुझाव मैं देना चाहूंगा, वह यह है कि भारत सरकार को अन्तर्राज्य नदी जल सम्बन्धी विवादों को वार्ताओं के द्वारा तुरन्त ही करने हेतु स्वयं शुरूआत करनी चाहिए। यदि आप इसे न्यायाधिकरण पर छोड़ देते हैं तो इसमें लम्बा समय लगेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जल संसाधनों का प्रबन्ध बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित जल संसाधन विकास परिषद को पूरे देश के लिए एक योजना तैयार करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि अन्तर्राज्य नदी जल विवाद जल्दी ही तय किये जाएं।

भारत सरकार के पास यह सुनिश्चित करने के लिए भी योजनाएं होनी चाहिए कि नदियों को जोड़ा जाए; विशेषकर गंगा और कावेरी, गंगा और गोदावरी जैसी नदियों को जोड़ने का कार्य तुरन्त प्रारम्भ किया जाए।

[श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर—[जारी]

एक अन्य सुझाव जो मैं देना चाहूंगा वह यह है। समझा जाता है कि फलों के पैदा करने के लिए, अधिक जल की आवश्यकता नहीं है। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि भारत सरकार को एक ऐसी व्यापक योजना बनानी चाहिए ताकि हर जगह काफी मात्रा में फल पैदा किए जाएं।

मुझे विश्वास है कि भारत सरकार स्थिति से निपटने के लिए ठोस उपायों की पेशकश करेगी। मैं पुनः इस बात पर बल देता हूं कि इस समस्या का सामना युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए। महोदय, सूखे का हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

महोदय, मैं यहां पिछले 20 दिनों से हूं। यह तीसरा मानसून सत्र है, जिसमें मैं भाग ले रहा हूं। लेकिन इस सत्र को मानसून सत्र नहीं कहा जा सकता तकनीकी रूप से भी मैं सही ही कह रहा हूं क्योंकि वह सत्र बजट सत्र का विस्तार मात्र है। इस बार गर्मी भी पहले की अपेक्षा अधिक पड़ी है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मानसून सत्र नहीं है। यह तो मून सून (चन्द्रमा जल्दी दिख रहा है) सत्र है। हम चन्द्रमा को नियमित रूप से देख रहे हैं।

श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर : उसके परिणाम क्या निकले ? बजट सत्र के दौरान हम जितना खर्च करते थे उससे लगभग 100 प्रतिशत हमें अधिक खर्च करना पड़ रहा है। बारिश नहीं होने के कारण सब्जियों और यहां तक की मांसाहारी खाद्य पदार्थों के भी दाम बढ़ गए हैं।

इसलिए, महोदय, माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इसे गंभीरता से लें और देखें कि देश के समक्ष जो सूखे की स्थिति है वह हल हो जाए। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में सूखा पड़ने की स्थिति में राज्यों को कठिनाई का सामना न करना पड़े।

इन शब्दों के साथ, माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब तक 3-1/2घंटे हो चुके हैं। आप और कितना समय लेना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं सदन में उपस्थित रहूंगी। सदन निर्णय ले सकता है कि उसे कितना समय और चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नियमों के अन्तर्गत केवल 2 घंटे की व्यवस्था है। हम साढ़े तीन घंटे पहले ही लगा चुके हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती शीला दीक्षित : मैं जानती हूं कि वक्ताओं की संख्या अधिक है। (व्यवधान)

यह सदन पर निर्भर करता है। आपका स्वागत है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप को मंजूर है तो हम समय को बढ़ा सकते हैं…।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको कितना समय चाहिए ?

एक माननीय सदस्य : सारा दिन……(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शुरू में हम 3 घंटे और बढ़ा दे रहे हैं।

कृषि मंत्री (डा० जी०एस० ढ़िल्लो) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले चार दिनों से मैं सदन में हूं। मैंने सोचा था कि आज चर्चा पूरी हो जाएगी। मैं पक्के तौर पर यह जानना चाहता हूं कि वे कितना समय और लेंगे क्योंकि उत्तर देने के लिए मुझे भी समय की जरूरत होगी ········· (व्यवधान) क्या आप कल का दिन भी ले रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे। मुझे एक लम्बी सूची मिली है

डा. जी.एस. ढ़िल्लो : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री के. एन. प्रधान (भोपाल) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं, उन सभी ने इस बात को स्वीकार किया है कि यह शताब्दी का सबसे बड़ा सूखा है। इस शताब्दी या उससे पहले कितना बड़ा सूखा पड़ा, यह कोई नहीं जानता। एक संतोष की बात केवल यह है कि इस समस्या मे हमारी सरकार पूरी तरह से सजग है। प्रधान मंत्री जी ने भी उसको बहुत ही संजीदगी के साथ लिया है। उन्होंने न केवल मंत्रिमंडल की उपसमिति बनाई है, बल्कि उस पर कार्यवाही भी शुरू कर दी है। मेरे अपने राज्य मध्य प्रदेश में भी सरकार ने बहुत संजीदगी के साथ और युद्ध-स्तर पर इसका मुकाबला शुरू किया है।

श्रीमन्, सूखा कितना है, उसकी जो भयंकरता है, कोई आतंक फैलाने की दृष्टि से नहीं, बल्कि वास्तविक स्थिति क्या है और क्या होने वाली है...उसको जब तक नहीं समझा जाएगा तब तक उतना सीरियसली काम भी नहीं हो सकेगा।

श्रीमन्, अब तक यह होता आया है कि जहां भी सूखा पड़ता है कहीं तीन साल से सूखा पड़ रहा है, कहीं चार साल से सूखा पड़ रहा है, वहां पर जब वर्षा ऋतु शुरू होती है, तो यदि कहीं पानी पड़ा है तो बुवाई नहीं हुई, अगर पानी गिर गया और बुवाई हो गयी, फिर पानी नहीं पड़ा। जिससे खरीफ की फसल खराब हो गयी। या फिर जब खरीफ की फसल पकने पर आती है, दाने बढ़ते हैं उस वक्त पानी नहीं पड़ता। इस सब का यह नतीजा होता है कि बाद में आकलन किया जाता है कि इतने परसेंट सूखा है।

श्रीमन् यह पहला मौका है कि मानसून ने अपने शबाब के समय धोखा दिया। सावन के महीने में आम तौर पर आदमी सोचता है कि वर्षा होगी। उसकी कल्पना मे बादल छाये रहते हैं, रिमझिम-रिमझिम वर्षा हो रही होती है, बादल गरज रहे होते हैं, बादल कड़क रहे होते हैं और चारों ओर हरियाली ही हरियाली होती है। यह हमेशा से सावन की कल्पना रही है। मैं समझता हूं कि यह पहला अवसर है कि इस बार सावन में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहां एक कहावत है कि सावन के अंधे को हरा ही सूझता है। दुर्भाग्य से इस सावन में कोई अंधा हुआ होगा तो उसको सूखा ही सूखा नजर आयेगा। इस बार के सूखे में और पहले के सूखे में यह अन्तर है।

इसी प्रकार, श्रीमन्, यह जो हमारी खरीफ की फसल है, लगभग सभी राज्यों में, जहां-जहां सूखा पड़ा है, नष्ट हो चुकी है। लेकिन इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो इस देश के लोगों की मुसीबतों से फायदा पहले उठाना चाहते हैं। यह बात सब जानते हैं कि जहां तक चावल और दाल का सवाल

[श्री के०एन० प्रधान] - जारी

है, हमारे पास स्टाक है। लेकिन दलहन और तिलहन इन दोनों की फसल नष्ट हो गयी है। जिसका नतीजा होगा कि दाल और तेल और मंहगा होगा लेकिन हमारे व्यापारियों ने इन्हें अभी से मंहगा कर दिया है। इस पर सरकार को गौर करना है।

श्रीमन् हम राहत कार्य जरूर चलायेंगे। लेकिन हमें यह देखने की भी आवश्यकता है कि कई स्टेट्स में, कई जिलों में आज भी मिनिमम वेजिज को रिवाईज नहीं किया गया है। केन्द्रीय सरकार को सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को पाबंद करना चाहिए कि वे इतने मिनिमम वेजिज दें जिससे कि मजदूर किसी तरीके से अपना भरण-पोषण कर सकें। अगर दो-चार साल पहले के मिनिमम वेजिज रिवाईज नहीं होते हैं तो उन मजदूरों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं।

इसी प्रकार से एक और मुसीबत हमारे सामने आयेगी। एक तरफ तो गांवों में हम मिनिमम वेज दे कर उनकी आवश्कता पूरी करेंगे। दूसरी तरफ हम जो सब्सीडाईज्ड अनाज दे रहे हैं, उसको हम वहां जल्दी से जल्दी पहुंचाएं। तभी वह उनको मिल सकता है। हमारे गरीब भाई दाल नहीं खा सकते हैं। देहातों में, गरीब लोग हमेशा बरसात में एक काम करते हैं। वे अपने घरों पर, झोंपड़ियों पर.केले और कद्दू पैदा करते हैं। कुमड़े पैदा करते हैं। साल भर यही वे इस्तेमाल में लाते हैं। लेकिन इस बार यह भी मिलने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि देहातों में हम अनाज के साथ-साथ प्याज भी पहुंचाएं। आज जो प्याज का एक्सपोर्ट होता है, उसको बन्द किया जाना चाहिए और उसे गांवों में पहुंचाया जाना चाहिए। दूसरे खाने का तेल उनको मिलना चाहिए। तीसरे जलाने के तेल की भी अगर हमने आपूर्ति की तो शायद हम उनकी कुछ और मदद कर पायेंगे।

श्रीमन् आज सबसे बड़ी कमी पीने के पानी की आने वाली है। पीने के पानी को हमें बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। यह ट्रांसपोर्ट हमें गांवों में ही नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यह पहला अवसर होगा जबकि देश के अनेक शहरों में भी पीने का पानी हमें पहुंचाना पड़ेगा। चाहे यह पानी हमें वेगन से पहुंचाना पड़े, लेकिन हिन्दुस्तान के शहरों में भी हमें पीने के पानी को पहुंचाने की आवश्यकता पड़ेगी।

ऐसे मौके पर हमें पिछले कामों पर भी गौर करना चाहिए। गांव-गांव में पानी का प्रबन्ध करने के लिए हमने ट्यूबवैल और हैन्डपम्प लगाने की कोशिश की। लेकिन ज्यादा काम छोटे ठेकेदारों से लिया गया है जिसका नतीजा यह है कि बहुत से हैन्ड पम्प बेकार हो चुके है। पानी का लेवल नीचे होने की वजह से जो अच्छे पम्प थे; वे भी खराब हो चुके हैं। इसी प्रकार से हम इस बात का अन्दाजा नहीं लगा पाए कि हमें कितने रिग्स की आवश्यकता पड़ेगी। जहां रेत, पत्थर या मिट्टी का स्ट्रेटा है, वहां वैसे ही रिग्स भेजें लेकिन वह हमने नहीं किया। इसलिए निश्चित रूप से हम पानी की व्यवस्था सही रूप से नहीं कर पायेंगे। राज्यों को रिग्स भी जल्दी से जल्दी पहुंचाने की आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण बात मैं और कहना चाहता हूं। हमारा देश दूसरे देशों के मुकाबले में बहुत पीछे है क्योंकि हमने एनर्जी पैदा करने का प्रयास किया है लेकिन कन्जरवेशन आफ एनर्जी की तरफ आज तक ध्यान नहीं दिया कि हम किस प्रकार से एनर्जी को कन्जर्व कर सकते हैं जो कि सबसे ज्यादा सस्ती हो सकती है। अन्त में मैं अपने राज्य के बारे में कहना चाहूंगा। जितना सूखा इस बार पड़ा है, उसके लिए निश्चित रूप से पन्द्रह-बीस करोड़ रुपए हर महीने खर्च करने पड़ेंगे और दो लाख टन अनाज भेजना पड़ेगा। रिग्स बोरिंग मशीन भी वहां भेजनी पड़ेंगी जिससे कुओं में वहां पानी मिल

सकता है, वहां बोरिंग हो सके। एक ब्लाक में कम से कम दो रिग्स पहुंचाने पड़ेंगे तभी पानी का ज्यादा मुकाबला कर पायेंगे अन्यथा नहीं। अपने दूसरे दल के साथियों से कहना चाहूंगा कि इसको राष्ट्रीय विपत्ति के रूप में लेना चाहिए।

ऐसा न हो कि आप यह सोचते रहें कि बिल्ली के भागों यह भी छींका टूटा है और इससे भी राजनीतिक लाभ उठाएं। अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से देश को नुकसान पहुंचायेंगे। मुझे आशा है, हमारी सरकार इस मामले में अवश्य ध्यान देगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री उमाकांत मिश्र (मिर्जापुर) : महोदय, मेरा सुझाव है कि भोजनावकाश को स्थगित कर दिया जाए ताकि अधिक सदस्य चर्चा में भाग ले सकें।

श्रीमती शीला दीक्षित : महोदय, अगर सदन का यह निर्णय है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य : हम भी चाहते हैं कि आज भोजनावकाश को स्थगित कर दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : तो हम आज भोजनावकाश को स्थगित करते हैं।

[हिन्दी]

श्री भीष्म देव दुबे (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस शताब्दि का सबसे बड़ा सूखा हमारे देश को घेरे हुए है। उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां पिछले तीन साल से बराबर सूखा पड़ा हुआ है, पहली बार सूखा नहीं पड़ा है। औसत तरीके से जैसी फसल होती है, वह भी गत पांच वर्षों से मेरे क्षेत्र बुन्देलखन्ड, उत्तर प्रदेश में नहीं है। इस प्रकार से पांचवां साल है जहां सूखा पड़ रहा है। इस साल सूखे की स्थिति बहुत खराब है। जानवरों के लिए चारा नहीं है और मनुष्य के लिए अन्न तथा पीने के लिए पानी नहीं है। जमीन फटी हुई है और नहरें सूखी हुई हैं। कुएं, हैन्ड पम्प या ट्यूबवैल जो लगे हुए हैं, उनका पानी का लेवल नीचे उतरता जा रहा है। जैसा मेरे एक साथी ने कहा कि कुछ समय के बाद ऐसी स्थिति आने वाली है जबकि हमारे पीने के पानी के साधन भी बेकार हो जायेंगे और हमें टैंकरों या गाड़ियों द्वारा भरकर के पानी पहुंचाना पड़ेगा न सिर्फ गांवों में बल्कि शहरों में भी इस विभीषिका के बारे में कुछ भी कहना कम नहीं होगा। सब लोग इससे परिचित हैं कि सूखे की जब स्थिति आती है तो दो प्रकार से प्रबंध होते हैं। एक तो यह कि जो आपदा एकदम आ गई है उसका मुकाबला कैसे किया जाए।

सरकार जागरूक है और सारी व्यवस्थायें की जा रही हैं। लेकिन उसके साथ-साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये क्षेत्र जहां पहले हो पानी की कमी रहती है, करीब-करीब आधा सूखा रहता है, वहां दीर्घकालीन प्रोजेक्ट बनाये जाने चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति पैदा हो तो उसका मुकाबला किया जा सके। मैं अपने यहां की एक योजना के बारे में भी जिक्र करना चाहता हूं। सन् 1979 में यू.एन.डी.पी. के अन्तर्गत पूरे बुन्देलखण्ड के पांच जिले बनारस, इलाहाबाद और मिर्जापुर में पठारी इलाकों के लिये एक प्रोजेक्ट बना था। उसके अन्तर्गत फौरन विदेशी पैसे से विदेशी तकनीशियनों द्वारा विदेशी मशीनों द्वारा डीप ट्यूबवैल बोर करने के बाद नीचे के पानी को सतह पर लाना था और यह सर्वे किया गया कि इस इलाके की चट्टानों के नीचे पानी का अटूट भण्डार पड़ा हुआ है। लेकिन मुझे आश्चर्य और खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हर बार लिखने के बाद भी और जल

[श्री भीष्म देव दुबे]—जारी

संसाधन मंत्रालय की मांग पर बहस के समय कहने के बाद भी वह प्रोजेक्ट सामने नहीं आ रहा है, इस पर कोई चर्चा नही की जा रही है। जिस प्रोजेक्ट को छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लेना चाहिए था वह सातवीं योजना में भी शामिल नहीं है। आज वह प्रोजेक्ट शामिल कर लिया गया होता और काम हो गया होता तो वहां सूखे की विभीषिका इतनी भयंकर नहीं होती।

जहां तुरन्त राहत के कार्यक्रम किये जा रहे हैं, योजनायें बनाई जा रही हैं वहां इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो ऐसा क्षेत्र है जहां आमतौर से सूखा पड़ता है, जहां पीने के पानी की कमी हमेशा रहती है, असिंचित जमीन है, खेती के लिए पानी नहीं मिलता है वहां जो बड़ी योजना है अधूरी या स्वीकृति के लिए पड़ी हुई है, उसको तुरन्त स्वीकृति दी जाये और कार्य शुरू करवाया जाये। बहुत-सी ऐसी योजनायें हैं जो बड़ी मन्थर गति से चल रही हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं। उनके ऊपर ध्यान दिया जाये और उन्हें जल्दी पूरा किया जाये।

मेरा राहत कार्यों के सम्बन्ध में निवेदन है कि इसमें आमतौर से सड़कें बनाना, तालावों में मिट्टी डलवाई जाती है और दो-चार साल बाद वह मिट्टी बेकार चली जाती है। इसमें ऐसे काम कराये जायें जो स्थाई स्ट्रक्चर बनकर रहे और राष्ट्र का पैसा बेकार न जाये। इन राहत के कार्यों को हर व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि कोई विकलांग है, कोई कमजोर है, कोई वृद्ध है, कोई लड़का है। ऐसे भी आदमी होते हैं जिन्होंने कभी शारीरिक श्रम नहीं किया होता है। इसलिए कुछ ऐसी योजनायें बनाई जायें जिससे उनको भी जीविका के लिए पैसा मिल सके। जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ जाने से आदमी की क्रय शक्ति भी कम हो जाती है। उसे जो मजदूरी मिलती है वह पर्याप्त नहीं होती, उसके अनुरूप नहीं होती कि वह बढ़ी हुई कीमतों की चीजें खरीद सके। इसलिए कीमतों पर कंट्रोल लगाना जरूरी है। आवश्यक वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होना चाहिए। इसके लिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अधिक राहत मिल सकती है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने राहत कार्यों के लिए, सूखे से निपटने के लिए, युद्ध स्तर पर काम करने के लिए केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता मांग की है। उत्तर प्रदेश के दो-एक ही जिले हैं जो आंशिक रूप से प्रभावित हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं छोड़ा जा सकता। सूखे से सारे के सारे जिले बड़ी भयंकर स्थिति में हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से सूखे से निपटने के लिए जो आर्थिक सहायता की मांग की है····।

1.00 म. प.

आप उसे अविलम्ब पूरी करें ताकि प्रादेशिक सरकार राहत कार्य कर सके। मेरा क्षेत्र जनपद बांदा है उसमें एक ऐसा क्षेत्र है जो प्रतिवर्ष पीने के पानी की समस्या से प्रभावित रहता है, वहां इसकी दिक्कत रहती है। करोड़ों रुपयों की स्कीम बनी हुई है, पाठा क्षेत्र है उसका नाम। वहां इस वर्ष बड़ी भयंकर स्थिति है, पीने के लिए पानी बिल्कुल मुहैया नहीं हो रहा है। मेरा निवेदन है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाये। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

*श्री आर. अन्ना नम्बी (पोल्लाची) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन दिनों से सदन में देश में व्याप्त सूखे की स्थिति पर चर्चा हो रही है। काफी प्रतीक्षा के बाद मुझे आज मौका मिला है।

*मूलत : तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सारा भारत भयंकर सूखे की चपेट में है। तमिलनाडु सूखे से बुरी तरह प्रभावित है। दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व मानसून तमिलनाडु में असफल रहा है।

तमिलनाडु में लगातार सूखे के कारण राज्य में 50-60 सालों से खड़े नारियल के बगीचे और अन्य वनस्पति नष्ट हो गए हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र पोल्लाची में नारियल के पेड़ सूखे से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। सूखे ने मूंगफली और अन्य तिलहनों को भी नहीं बख्शा फसलें सूख गई हैं और नष्ट हो गई हैं। अनुमान है कि सूखे से फसलों को ही 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

केन्द्र सरकार ने सूखे के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए तमिलनाडु में एक दल भेजा है। दल ने कोयम्बटूर सहित तमिलनाडु के अन्य सभी जिलों का दौरा किया। उन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र पोल्लाची, पोंगनूरे और पल्लादम का भी दौरा किया। दल ने उन सभी जगहों का दौरा किया जिनके लिए मैंने उससे सिफारिश की थी। दल ने किसानों की तकलीफों को वास्तव में समझा। उसने महसूस किया कि सूखे से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए राहत के तौर काफी धनराशि की जरूरत है। दल तमिलनाडु सरकार के इस मत से पूरी तरह सहमत था कि 347 करोड़ रुपए की राहत सहायता दी जाए। लेकिन यह जानकर मुझे बहुत खेद हुआ कि केन्द्र सरकार ने राहत के रूप में राज्य को अब तक केवल थोड़ी सी धनराशि अर्थात 31.77 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है मैं माननीय मंत्री को बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु के लोग केन्द्र सरकार द्वारा किए गए इस अल्प आंबटन से दुखी हैं।

पिछले साल, जैसा कि आमतौर पर होता है, राज्य में सूखे की स्थिति थी लेकिन अचानक भारी वर्षा होने से तंजावूर में धान की फसल को काफी नुकसान हुआ। तंजावूर जिसे तमिलनाडु का चावल का भंडार कहा जाता है, में पिछले साल चावल की फसल नहीं हुई। केन्द्र सरकार को इसकी जानकारी थी लेकिन इसने राज्य सरकार को कोई राहत प्रदान नहीं की। तमिलनाडु ने राहत के तौर पर 310 करोड़ रुपए की मांग की थी। कुल मिलाकर इस साल के दौरान केन्द्र सरकार ने सूखा राहत सहायता के तौर पर राज्य सरकार को केवल 31.77 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हू कि केन्द्र सरकार किस तरह आशा करती है कि राज्य सरकार इस अपर्याप्त धनराशि से सूखे से उत्पन्न समस्या के हल के लिए राहत उपाय करे। इसलिए केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि राज्य सरकार की मांग के अनुरूप सहायता राशि को तत्काल बढ़ाया जाए।

तमिलनाडु में पेयजल की समस्या बड़ी गंभीर समस्या है। केन्द्र द्वारा अपर्याप्त आबंटन के बावजूद राज्य सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के हर उपाय किया है। राज्य सरकार ने पेयजल और कृषि कार्यों के लिए लगभग 85 करोड़ रुपये व्यय किए है।

माननीय कृषि मंत्री इस बात से सहमत होंगे कि तमिलनाडु में पेयजल की समस्या राज्य के लिए नई नहीं है। यह समस्या वहां काफी समय से है। वैसे इस समस्या को आगे और नहीं बनाए रखा जाना चाहिए। मैं केन्द्र सरकार को चेतावनी देता हूं कि राज्य में पेयजल की इस गंभीर समस्या के आगे गंभीर परिणाम निकलेगें। इसे तत्काल हल किया जाना चाहिए। कुछ योजनाएं अवश्य तैयार की जानी चाहिए। तेलगू-गंगा परियोजना आन्ध्रप्रदेश और तमिलनाडु द्वारा प्रायोजित योजना है। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि भारत की भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती

[श्री आर० अण्णा नम्बी]—जारी

गांधी ने इस परियोजना का उद्घाटन किया था। अब सारी परियोजना फाइलों में दबी पड़ी है। इसकी समीक्षा की जानी चाहिए तथा तत्काल लागू करने के लिए सभी संभव उपाय करने चाहिए। मैं कावेरी जल विवाद का निर्णय करने के लिए एक न्यायाधिकरण के गठन की जरूरत पर भी जोर देता हूं।

इस तरह के निर्णय से अधिक पानी मिलने पर तंजावूर और त्रिची की सूखी धरती को पानी की सप्लाई अधिक मिलेगी। इससे चावल की पैदावार को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु सरकार पेयजल की समस्या को हल करने के लिए प्रयास नहीं कर रही है। पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया जा रहा है। इनमें सबसे प्रमुख 3 करोड़ रुपए लागत की पालार नदी योजना है। उत्तरी आरकोट जिले में स्थित पालार नदी का पानी बड़ी बड़ी पाइप लाइनों द्वारा मद्रास में लाया जा रहा है। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि पालार परियोजना का 50 प्रतिशत खर्च वह वहन करें। माननीय मंत्री से अनुरोध है कि राज्य सरकार के इस अनुरोध पर अनुकम्पा पूर्वक विचार करें तथा राज्य सरकार द्वारा मांगी गई धन राशि यथा शीघ्र प्रतिपूर्ति की जाए।

पेयजल की समस्या को हल करने के लिए राज्य सरकार कुछ विशेष उपाय भी कर रही है। रेलों का इस्तेमाल आमतौर पर यात्रियों के आवागमन और माल की ढुलाई के लिए किया जाता है। लेकिन आजकल तमिलनाडु में पानी की ढुलाई रेलों द्वारा होती है। कृष्णा नदी का पानी रेलों द्वारा मद्रास शहर और अन्य क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है। महानदी से पानी लाने के लिए पोतों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार ने नएवेल्ली लिग्नाइट खानों में उपलब्ध पानी का इस्तेमाल करने की भी योजना बनाई है।

सरकार केवल इन प्रयासों से संतुष्ट नहीं हो गई है सागर के जल को मानव उपभोग के लिए मीठे जल में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी और अपेक्षित उपस्कर अर्जित करने के लिये राज्य सरकार जापान सरकार के साथ बातचीत कर रही है। मशीन न केवल सागर के जल को पेय जल में परिवर्तित करेगी अपितु 100 मे० वाट बिजली के उत्पादन में भी मदद करेगी।

अब मैं किसानों की कठिनाईयों पर प्रकाश डालूंगा। सूखे से सबसे बुरी तरह प्रभावित होता है। तमिलनाडु सरकार ने अत्यधिक अनुग्रह करके किसानों का 325 करोड़ रुपये का ऋण बट्टे खाते में डाल दिया है। सतह जल को काम में लाने में सहायता प्रदान करने के लिए 3.37 पम्पसेटों को बिजली के कनेक्शन दिये गये हैं। 10.55 लाख किसानों को निःशुल्क बिजली प्रदान की गई है। मैं माननीय मंत्री को इस बात से अवगत कराना चाहूंगा कि इन उपायों के कारण ही, प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद चावल और गन्ना के उत्पादन में राज्य सरकार अग्रणी रही है। केन्द्र सरकार भी उदारतापूर्वक आगे आये और राज्य सरकार के लिये और धन का नियतन करे।

वर्षा कम होने का मुख्य कारण यह है कि वनरोपण कार्यक्रम में हमारी विशेष रुचि नहीं है। हमारा यह नारा है, एक परिवार एक वृक्ष किन्तु इसके बावजूद, अनेक राज्यों में वृक्ष काटे जाते हैं।

प्रकृतिक जंगलों को बुल-डोजरों से साफ करके मैदान बनाया जा रहा है इसके कारण बादल बनने की स्वाभाविक प्रक्रिया में विघ्न पड़ता है। लायसेंस प्राप्त गैर सरकारी उद्यमी बेहिचक पेड़ों को काट रहे हैं। वे पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ रहे हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप, निर्धन व्यक्तियों और किसानों को अथक परेशानियां उठानी पड़ती हैं। मंत्री महोदय इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करने की कृपा करेंगे।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र हॉल्लाची में, बालपाराय क्षेत्र में अभी भी हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। इस मामले को न्यायालयों तक ले जाया गया और उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया कि सूखे वृक्ष काटे जा सकते है और हरे भरे वृक्ष को न काटा जायें। सबसे बड़े न्यायालय के आदेश के बावजूद, कोयम्बातूर जिले में, कुरंगुमुड्डी और पूनचोट्रम स्टेटों में, हरे-भरे हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। प्रकृतिक बनों को उजाड़ कर मैदान बनाया जा रहा है। इसको तत्काल रोका जायें माननीय मंत्री महोदय बिना किसी भेद-भाव के वृक्षों की कटाई रोकने के लिये तत्काल कदम उठायें। आर्थिक विकाश में काफी हद तक बाधक है। वृक्ष लगाये जायें और वन रोपण कार्यक्रम को जोश से कार्यान्वित किया जाये।

मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि सूखा राहत के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये धन को तमिलनाडू सरकार बड़े कौशल से व्यय कर रही है। राज्य सरकार ने भी सूखा-पीड़ित लोगों को समय पर राहत पहुंचाने के लिये अपने कोष से और अधिक धन का नियतन किया है। दूसरी ओर, कुछ राज्य केन्द्रीय सहायता को पूरी तरह से और कौशल पूर्वक व्यय नहीं करते हैं तथा शेष राशि केन्द्र सरकार को लौटा देते हैं। इसलिये गरीबों के लिये तथा सही दिशा में कार्य करने के लिये तमिलनाडू सरकार की निश्चित रूप से प्रशंसा की जानी चाहिये। ऐसी सरकार प्रशंसा के योग्य है और मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि राज्य सरकार को तत्काल 500 करोड़ रुपये और स्वीकृत किये जायें। इससे सूखे से प्रभावित लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये किये जा रहे राहत उपायों को और तेज करने में राज्य सरकार को सहायता मिलेगी।

अन्त में मैं पेरारिगनार अन्ना और चिर वैभव शाली तमिल भाषा के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं...।

[हिन्दी]

श्री चन्दू लाल चन्द्राकर (दुर्ग) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक वक्ताओं ने अनावृष्टी का सबसे भयंकर अकाल इसे बताया है, लेकिन जो इतिहास के जानने वाले हैं, उनसे पता लगाने से मालूम होता है कि इस देश में ऐसा भयंकर अकाल अभी तक कभी नहीं पड़ा, चाहे 200 साल हों या 300 साल हों, जिसको कहते हैं कि इतिहास में कभी भी इतने बड़े पैमाने पर अकाल नहीं पड़ा था।

बहुत कम लोगों को अन्दाजा होगा कि कितने लोगों की जान पर जीवन पर इस साल के अकाल के कारण क्या बीतेगी और कितने लोग जीवित रह सकेंगे और इसी तरह जानवरों की क्या हालत होगी ? इसका अन्दाजा लगाना बहुत कठिन है।

हम कह देते हैं युद्ध-स्तर पर, कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन यह तो कहने की बात हुई, उदाहरण के लिए छोटी बात है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज जब अकाल पड़ा है तो सबसे ज्यादा जरूरत हमको पानी और बिजली की है। इसलिए पानी और बिजली को बचाने के लिए

[श्री चन्दू लाल चन्द्राकर]—जारी

हमें प्रयत्न करना चाहिए और जो गांव हैं जिनको इसकी सख्त जरूरत है, उनको देने के लिए सख्त कदम हमें उठाने पड़ेंगे।

मेरा पहला सुझाव यह है कि हिन्दुस्तान भर के जहां भी घरों तथा कार्यालयों में एयर-कंडीशनर है वातानुकूलित मशीनें उनको बन्द कर दीजिए और उस बिजली को गांव को भेजिए। हर एयरकंडीशनर को आप बंद करवा दीजिए, चाहे पार्लियामेंट हाउस में हो या विधान सभा में हो मंत्रियों या कर्मचारियों के घर हो न्यायालयों में हो या अखबार के दफ्तर में हो हिन्दुस्तान में जितने भी एयरकंडीशन हैं, उन सब को आप तुरंत बंद करवा दीजिए और उस बिजली को आप गांव तक भिजवाएं।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि हमारे जितने भी जनता के प्रतिनिधि हैं वे अपना अधिक से अधिक समय गांवों में बिताएं और इसके लिए मेरा अनुरोध है कि लोकसभा का आगामी शांतिकालीन तथा बजट अधिवेशन होगा, उसकी बैठक की अवधि आधी कर दी जाए जिससे जनप्रतिनिधि ज्यादा से ज्यादा समय गांवों में बिता सकें, गांवों के लोगों से जुड़कर देखें कि वहां पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्थिति कितनी सुधरी है, क्या कमी है. उसको देखने के लिए अधिक से अधिक जनता के प्रतिनिधि वहां पर जाएं।

इसी तरह से मेरा एक सुझाव यह है कि हमारी सरकार में केन्द्र सरकार में और राज्य सरकार में अफसर हैं और वे ही हर काम की जांच करते हैं। सिंचाई का काम हो, अकाल हो, लोहे का कारखाना लगाना हो, जमीन अधिग्रहण करनी हो, सारे काम ये ही देखते हैं, उनको हमारे देश के जो 438 जिले हैं, उन जिलों में कुछ समय के लिए भेजिए। ये सारी योजनाएं बनाते हैं और बनानी चाहिए भी, लेकिन ये सारी योजनाएं एयर-कंडीशन कमरों में बैठकर बनाई जाती हैं, योजना मंत्रालय में बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं, ठीक है, लेकिन इनके अमल में क्या क्या कठिनाइयां हैं, इनको देखने के लिए मंत्रालयों के अधिकारियों को जिलों में भेजिए, मैं यह नहीं कहता कि वहां पर रहने के लिए भेजिए जहां पर पानी भी न मिले, लेकिन कम से कम जिलों में भेजिए। वहां पर जाकर ये जान पाएंगे कि देश की हालत क्या है। हमारे बहुत से विभाग विदेशों में हैं, वहां के अधिकारी भी देखें कि हमारे देश की क्या हालत है। इसको देखने के लिए अधिकारियों को कुछ महीनों के लिए जिलों में अवश्य भेजें, अनुभव प्राप्त करने के लिए भेजना बहुत आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज इतना बड़ा अकाल पड़ा है, पानी बरसा नहीं है इसलिए पानी उपलब्ध कराने के लिए जमीन के पानी का अधिक से अधिक उपयोग करना आवश्यक है। इसके लिए हमें अधिक से अधिभ रिग्स मशीनें उपलब्ध कराए जाने चाहिए। पूरा अंदाजा तो मैं नहीं बता सकता लेकिन कम से कम दो हजार रिग्स जो कि 200 फुट तक शीघ्र खुदाई कर सकें, शीघ्र उपलब्ध कराने की आवश्यकता है आज जमीन के पानी का स्तर बहुत नीचे जा चुका है इसलिए डायमण्ड रिग्स जो कि 200 फुट तक खुदाई कर सकते हैं, उनका उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

हम सब जानते हैं कि बहुत से पेड़ कटे हैं और मिट्टी, पत्थर, रोड़ी, रेत सब नदी नालों में भर गए हैं जिसकी वजह से थोड़ा पानी आने पर बाढ़ आ जाती है और जरा पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाता है। आज ये सारे काम करने आवश्यक हैं, अगर आप इन कामों को नहीं करेंगे। तो फिर

कब करेंगे ड्रेजिंग मशीन नदी नाले नाले के रेत को फेंक कर गहरा करता है। मेरा कहना है कि हर राज्य में ड्रेजिंग कारपोरेशन बनाया जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि इन कामों में बहुत खर्च होता है, लेकिन सूखा आदि से कितना नुकसान होता है, इस साल कितने हजार करोड़ का नुकसान होगा, इसका अभी तक किसी ने अंदाजा नहीं लगाया है, यह नुकसान दस हजार करोड़ से 15 हजार करोड़ तक का भी हो सकता है। क्योंकि किसान केवल अनाज ही पैदा नहीं करता, वह व्यावसायिक चीजें जैसे तम्बाकू, जूट, रुई फल सब्जी आदि भी पैदा करता है और इस तरह से न जाने कितने हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा। अगर हम को रिग्स दिला दें तो कुंए, नलकूप और दूसरे पंप से उनमें गहराई से पानी निकाला जा सकेगा।

ऐसे समय में हमें बिजली की भी बहुत अधिक आवश्यकता है। जब तक हम हिन्दुस्तान में हर जगह एयरकंडिशन चलाना बंद नहीं करायेंगे तब तक बिजली की बचत नहीं की जा सकती है। बहुत से लोग मेरी इस बात का मजाक उड़ायेंगे, लेकिन मैं सही-सही आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको यह काम अवश्य करना पड़ेगा। जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो वहां के लोग हम से कहते हैं कि आप तो कहते हैं कि बिजली नहीं है, लेकिन सरकार के सब दफ्तरों में तो एयरकंडिशन वातानुकूलित मशीनें लगे हुए हैं। इतना सुनने के बाद हमें चुप रहना पड़ जाता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के सब दफ्तरों में एयरकंडिशन चलना फौरन बंद करादें। मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि आप पार्लियामेंट के भी एयरकंडिशन चलना बंद करा दें। इसके साथ ही पार्लियामेंट का अधिवेशन भी बहुत कम दिन का रखना चाहिए -चाहे वह बजट अधिवेशन हो या शीत कालीन अधिवेशन हो। सैशन कम दिन का होने से बिजली की भी बचत होगी और दूसरे अन्य खर्चे भी कम हो जायेंगे। आखिर हम गरीब आदमी और किसानों के प्रतिनिधि हैं। अगर ऐसे संकटकाल में थोड़ी तकलीफ भी सहन करनी पड़े तो उसके लिये तैयार रहना चाहिए। अतः मेरा आपसे यही अनुरोध है कि सैशन संसद का अधिवेशन बहुत कम दिन का कर दिया जाना चाहिए।

हम सभी यह जानते हैं कि जब अकाल पड़ता है तो कुछ वर्ग के लोग उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। अतः इस बारे में ज्यादा विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे समय में अगर कोई मूल्यों को बढ़ाते समय और गलत कदम उठाते हुए पाया जाये तो जुर्माना देने के स्थान पर उसको कोड़े लगाए जायें। जो आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को अनावश्यक बढ़ाता है वह एक तरह से लूटने का काम करता है।

जो आवश्यक वस्तुयें हैं, जो खाने के पदार्थ हैं, उनके दाम न बढ़ने पायें, इस बात का ध्यान रखा जाये। इसके साथ ही जिन-जिन राज्यों में खाद्य पदार्थों पर बिक्रीकर लगता है, वहां पर यह बिक्रीकर भी हटा देना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं कि इस दिशा में तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

देखने में यह भी आया है कि तेल के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तेल 30-32 और यहां तक कि 35 रुपए किलो तक हो गया है। गरीब आदमी हम से कहता है कि आप संसद में बैठ कर तेल के दाम लगातार बढ़ाते ही जा रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप तेल के दामों को कम करें। आप जब तक आवश्यक वस्तुओं के दाम कम नहीं करेंगे तब तक इस कठिनाई का सामना करने में सफल नहीं हो सकेंगे।

[श्री चन्दू लाल चन्द्राकर]—जारी

आप कहते हैं कि हमारे पास अनाज का स्टाक दो करोड़ तीस लाख टन है। जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है और सूखा पड़ा है उसको देखते हुए यह बहुत कम है। इसके साथ ही जहां खरीफ की फसल कम पैदा होगी, वहां इतना अनाज का स्टाक क्या काम करेगा ? अतः खरीफ की फसल को बचाने के लिए सरकार किसानों की पूरी मदद करें। यही एक ऐसा मौका है जब किसानों की फसल को बरबाद होने से बचाया जा सकता है।

आपकी जो लघु और मध्यम सिंचाई योजनायें अधूरी पड़ी हैं, उनको पूरा करायें और जहां ऐसी योजनायें बनाने की आवश्यकता हो वहां ऐसी योजनायें अवश्य बनाएं। इसमें लोगों को काम भी मिलेगा और लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ेगी। अगर आपने यह सब व्यवस्थायें नहीं की तो लोग भूखों मर जायेंगे। इसलिए क्रय शक्ति बढ़ाने और हरेक को काम देने के लिए लघु सिंचाई योजनायें और मध्यम सिंचाई योजनायें बड़े पैमाने पर शुरू कीजिए। काम देने के लिए अनेक काम खोले जाएं।

साथ ही साथ जो राहत-कार्य चलाए जाते हैं, उनका लाभ उन्हीं को मिलना चाहिए जिनके लिए कि वह चलाए जाते हैं। इस सम्बन्ध से सरकार को आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। इस अभूतपूर्व सूखे का सामना करने के लिए आपने कई उपायों पर विचार किया है लेकिन गांवों में प्रत्येक परिवार के किसी एक को कोई छोटी-मोटी नौकरी देने का प्रबन्ध करना चाहिए। जैसे चपरासी की जगह है या बस-कण्डक्टरी है - इस प्रकार की कोई भी नौकरी उनको आप दिला दीजिए। इससे जहां उन लोगों को आर्थिक लाभ होगा उसके साथ ही साथ वे भी इस बात को महसूस कर सकेंगे कि इस कठिन समय में हमने उनको याद किया है।

आज पूरे देश में इतना बड़ा अकाल है और आप जानते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश हिन्दुस्तान के बीच में है, वह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है और उसके 45 जिले दूर दूर तक फैले हुए हैं। बहुत सारी नदियां मध्य प्रदेश से होकर बहती हैं और हमारा सारा पानी दूसरी जगह चला जाता है। राज्यों का पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट में यह बात आई है कि मध्य प्रदेश इतना बड़ा बनाया जा रहा है जिसकी कल्पना नहीं थी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि मध्य प्रदेश को सड़क तथा संचार और सिंचाई के लिए ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिए लेकिन आजकल केन्द्रीय सरकार से वह पैसा नहीं मिला। मध्य प्रदेश में काफी सोच विचार कर योजनायें बनाई गई हैं लेकिन जबतक उनके लिए पैसा नहीं होगा तबतक क्या हो सकता है।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह छत्तीसगढ़ का इलाका बहुत गरीब है, वहां पर 85 प्रतिशत किसान और मजदूर हैं। वहां पर उद्योग बहुत कम हैं। कोई राहत-कार्य भी नहीं है। मेरा अनुरोध है कि इस मौके पर वहां दुर्ग से बस्तर जाने वाली रेलवे लाइन पर कम से कम मिट्टी डालने का काम ही शुरू करवा दिया जाए तो उससे कुछ राहत वहां की गरीब जनता को मिल सकेगी। साथ ही और भी योजनायें वहां पर आप चालू कराने की व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।

आपने जो बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने इस तथ्य पर जोर दिया है कि इस वर्ष पड़ा सूखा शताब्दी का सबसे भयंकर सूखा है।

मेरे मित्र श्री चन्द्राकर ने कहा है कि इस देश के इतिहास में यह सबसे भयंकर सूखा है। 1979 में जो सूखा पड़ा था, वह भी भयंकरता में तथा अपने प्रसार में इस सूखे से फीका पड़ गया है।

लोगों को जो परेशानियां और जो कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं, उनका ब्योरा देकर मैं इस सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं और पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार को इसका मुकाबला करना ही पड़ेगा।

मुझे इस समस्या की रोकथाम करने के मामले में चिन्ता है। क्योंकि यही उपयुक्त समय है जब कि हमें इतने बड़े पैमाने पर सूखे की आकृति होने से बचाव करने के बारे में उपाय करने के बारे में सोचना चाहिए। यह हर वर्ष घटने वाली घटना हो गया है। आबाध रूप से हम लगभग पूरे वर्ष ही बाढ़ और सूखे के बारे में चर्चा करते हैं और राहत कार्यों की चर्चा करते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार को ऐसे उपायों पर और अधिक ध्यान देना चाहिए जिससे सूखे के प्रसार को कम किया जा सके अथवा उसकी आवृत्ति को रोका जा सके।

मेरा प्रथम सुझाव यह है जैसा कि श्री चन्द्राकर ने अभी अभी कहा था, कि बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की गई है, पर्यावरण में परिवर्तन हो गया है, और यह भी सूखे की स्थिति का एक कारण है अतः वनों की कटाई एकदम रोक देनी चाहिए और ऊर्जा संसाधनों के लिए वैकल्पित व्यवस्था की जाए।

देहातों के लिए हमें समेकित ऊर्जा संसाधनों को जुटाने का प्रयास करना होगा जिसमें बायो-गैस सोर विद्युत और पवन विद्युत की सहायता लेनी होगी जिससे कि ग्राम वासियों को इंधन के लिए वनों की कटाई न करनी पड़ी। यह प्रस्ताव व्यवहार्य प्रतीत होता है सरकार को इसके बारे में गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। इन तीन साधनों से हम पहले से उपलब्ध ऊर्जा में बढ़ोतरी कर सकते हैं।

इसके अलावा हमें वृक्षारोपण पर और अधित ध्यान देना होगा। स्वर्गीय डा० के०एम० मुन्शी ने, जब वह वन और कृषि मंत्री थे; तब उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से वन महोत्सव प्रारंभ किया था, जो अब भी चलाया जा रहा है। इसके महत्व के बारे में समझाना आवश्यक हो गया है। हमें और अधिक निष्ठापूर्वक वन महोत्सव का पालन करना चाहिए तथा इस विषय पर और अधिक ध्यान देना चाहिए।

मेरा दूसरा सुझाव है कि अच्छे मानसून के वर्ष में वर्षा से उपलब्ध पानी को एकत्र करने, उसका भंडारण करने तथा उसका अधिक कौशल पूर्वक उपयोग करने के लिए एक वृहद कार्य क्रम चलाना चाहिए। महाराष्ट्र में "पानी पंचायत" जैसे प्रयोगों तथा वहां के एक स्थानीय इंजीनियर द्वारा विकसित की गई भंडारण प्रणाली को देश के अन्य भागों में अंतरित करने की आवश्यकता है। मानसून के दिनों में गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र में अपार पानी का बहाव होता है और इस पानी को रोकने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में अभी तक कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। गंगा कावेरी नहर की वार्त्ता लगभग समाप्त कर दी गई है और इसके बारे में और कोई बात-चीत नहीं चल रही है। किसी समय में डा० के.एम. राव ने बिहार में — फतवा से कोडरमा तक गंगा को दामोदर से जोड़ने के बारे में विचार किया था। उस क्षेत्र के सूखा ग्रस्त इलाकों में हमें सिंचाई की और अधिक सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए थी। उदाहरण के तौर पर नवादा, कोडरमा, तिलैया तथा

[श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह]—जारी

और भी अन्य स्थानों को दिया जा सकता है। किन्तु इसके बारे में कोई भी बात सुनने में नहीं आती है। इसलिए, मेरा सुझाव है कि इस योजना को फिर से लागू किया जाये, पर जहां तक संभव हो इसे कार्यान्वित किया जाये।

इसके अलावा सरकार को निवारक उपाय के रूप में नदियों से गाद निकलवाने का भी प्रयास करना चाहिए। जैसा कि मेरे मित्र श्री चन्दूलाल चन्द्राकर ने कहा है कि हर राज्य में ड्रेजिंग निगम की स्थापना की जानी चाहिये। मुझे नहीं पता कि ऐसा करना संभव हो सकेगा। जो भी हो, मैं उनकी बात से सहमत हूं तथा मेरा सुझाव है कि सभी नदियों में से कीचड़ निकालने का कार्य किया जाना चाहिए। इससे उनकी गाद ही नहीं निकलेगी बल्कि वे नदियां गहरी भी हो जाएंगी जिसके परिणाम स्वरूप उनके आगोश में अधिक मात्रा में पानी रह सकेगा। इसलिए मैं इस सुझाव की पुष्टि करता हूं।

जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं सरकार को उन क्षेत्र में सिचाई सुविधायें भी बढ़ानी चाहिए जो अभी तक मानसून के पानी पर आश्रित हैं। धान की फसल का 80 प्र. श. क्षेत्र आज भी मानसून की वर्षा पर आश्रित है। इसलिए, यह आवश्यक है कि उन इलाकों में सिचाई सुविधा बढ़ाने में यह योजना जिसका हमने सुझाव दिया है तथा अन्य योजनायें कार्यान्वित की जायें।

वास्तव में हमने सूखे से बचने के उपाय नहीं किये हैं और अग्नि शमन प्रणाली के समान इससे जूझना पड़ता है।

जब आग लगती है तो हम अलारम बजाते हैं और दमकल आग बुझाने के लिए जाता है। अतः हमें इस पर गहराई से विचार करना है और उन क्षेत्रों में सूखे से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए स्थायी उपाय करने चाहिए। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हर वर्ष सूखा पड़ता है। उदाहरण के लिए मेरे राज्य में, विशेषतया मेरे निर्वाचन क्षेत्र में औरंगाबाद, भाहुआ, नावाडा और पालामु सूखा ग्रस्त क्षेत्र है और यहां हर वर्ष सूखा पड़ता है। वास्तव में, इस वर्ष मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कुछ भागों में जहां पहले सूखा नहीं पड़ा था, वहां सूखे की स्थिति हो रही है। सरकार द्वारा राहत कार्य किए जा रहे हैं लेकिन राहत कार्य से अब तक स्थायी परिसम्पत्तियां नहीं बन पायी हैं। जैसा कि मेरे मित्र श्री चन्दूलाल चन्द्राकर ने कहा है, राहत उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिनके लिए यह अभिप्रेत है। इस प्रक्रिया में जो कुछ होता है सदन उसे अच्छी तरह जानता है। मैं कहना चाहूंगा कि राहत कार्य करने में एक प्रकार का निहित स्वार्थ पैदा हो गया है और हम स्थायी परिसम्पत्तियां नहीं बना रहे हैं बल्कि हम राहत कार्यों पर निर्भर हो रहे हैं और इसलिए वे क्षेत्र जहां सूखा पड़ने की संभावनाएं हैं लगातार हर वर्ष सूखे का सामना कर रहे हैं। सरकार को समस्या के इस पहलू पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

साथ ही प्रत्येक जिले के लिए, हमें परियोजनाएं तैयार रखनी चाहिए और जैसे ही सूखे की वेतावनी मिले। हमें इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करना चाहिए। इससे न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि परिसम्पत्तियां भी बनेंगी। हमें बताया गया है कि सरकार के पास अनाज का 235 लाख टन का भण्डार है इस भण्डार का उन परियोजनाओं को विभिन्न जिलों में लोगों को रोजगार देने और परिसम्पत्तियां बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। जैसा कि सर्व विदित है कि सूखे से वास्तव में वे लोग प्रभावित होते हैं जो गरीब हैं, जिनकी खरीदने की क्षमता नहीं होती है

और जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी, 37 प्रतिशत लोग अभी भी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और गैर-सरकारी आकड़े बताते हैं कि इनकी संख्या 50 प्रतिशत है। इसलिए हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। हमें उनकी क्रय शक्ति बढ़ानी चाहिए जिससे कि वे भली प्रकार खाद्यान्न खरीद सकें और जीवन निर्वाह कर सकें। इसलिए ऐसी परियोजनाएं प्रत्येक प्रशासन के पास होनी चाहिए जो शीघ्र उपलब्ध हों और जिन्हें क्रियान्वित किया जा सके। हमारे पास इस प्रकार के अन्य कार्यक्रम के साथ-साथ जिला मुख्यालयों में विभिन्न अन्य कार्यक्रम भी होने चाहिए।

सरकार को भूमिगत जल संसाधनों का देशव्यापी सर्वेक्षण भी करना चाहिए। इससे हमें उपग्रह के चित्रों से काफी सहायता मिलेगी। यह सच है कि अगले वर्ष में हमारे पास अपना सुदूर संवेदनशील उपग्रह हो जायेगा। इससे हमारे पास वनस्पति क्षेत्रों और भूमिगत जल संसाधनों के अधिक सही चित्र उपलब्ध होंगे तथा सूखे के कारण होने वाले विनाश के व्यापक चित्र भी प्राप्त होंगे। इससे देश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने में सहायता मिलेगी हमारे सामने एक बहुत स्पष्ट चित्र होगा। हमें एक व्यापक और ठोस दीर्घ कालीन योजना बनाने की आवश्यकता है जिसमें भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने की कृत्रिम प्रक्रिया शामिल होगी तथा भू-संरक्षण और फसलों की फेर-बदल कर बोआई भी शामिल होगी, हम प्रत्येक वर्ष एक जैसी ही कृषि प्रणाली को अपनाते जा रहे है। इससे भूमि का उपजाऊपन कम होता जाता है। इसी तरह इस कार्यक्रम से विभिन्न प्रकार की अन्य योजनाएं भी शामिल की जानी चाहिए जिनकी इस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यकता है। मैंने पर्याप्त जल का भण्डारण करने का भी सुझाव दिया है। ये सब योजनाएं सूखे की स्थिति से निपटने के लिए इस व्यापक दीर्घकालीन समन्वित योजना का अंग होना चाहिए।

श्री मकवाना ने पिछले दिन बताया कि मोटे अनाज पर सूखे का असर पड़ेगा जिससे गरीब अपना पेट भरते हैं। सरकार की खरीफ की 900 लाख टन फसल का उत्पादन करने की योजना अथवा लक्ष्य है।

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा क्या सरकार के लिए अब इस लक्ष्य को प्राप्त करना सम्भव है। यह उत्पादन कितना कम होगा? हम तभी यह जान पायेंगे कि क्या इतना खाद्य भण्डार इस समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त होगा या नहीं? इस सम्बन्ध में सदन को विश्वास में लिया जाना चाहिए। इस बारे में क्या सम्भावना है? क्या हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे? रबी की फसल अभी बाकी है। हम नहीं जानते कि अक्टूबर में वर्षा की क्या संभावना है और कितनी नमी होगी हमें रबी की बुआई के बारे में सोचना है और हमें सूखा फसलों के बारे में भी सोचना चाहिए जिससे हम स्थिति से निपट सकें।

ये मेरे सामान्य सुझाव हैं जो मैंने लोगों की कठिनाइयों का विस्तृत अध्ययन किये बिना दिये हैं और मेरा यह निश्चित विश्वास है कि सरकार स्थिति से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने पर ध्यान देगी जिसमें अन्य योजनाओं के साथ-साथ वनरोपण, जल भंडारण भू-संरक्षण, बांध आदि के जरिये भूमिगत जल स्तर को उठाने आदि की योजनाएं भी शामिल होंगी। यही सब करने की आवश्यकता है जिससे हम प्रतिवर्ष इस प्रकार की भयंकर स्थिति से निपट सकें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल (मुवत्तुपुजा) : आज हमारा देश बहुत कठिन स्थिति का सामना कर रहा है। हमारे यहां सामान्यतया जितनी वर्षा होती है उसका एक तिहाई भी वर्षा नही हो रही है। हम एक संकटपूर्ण वर्ष का सामना कर रहे हैं। मैं सुदूर दक्षिण केरल का हूं जहां सामान्यतया काफी वर्षा होती है लेकिन दुर्भाग्यवश पांच वर्ष पूर्व की तरह के संकट का हम सामना इस वर्ष भी दक्षिण में सामना कर रहे हैं। आज 50 प्रतिशत कारखाने बिजली की कटौती के कारण बंद पड़े हैं और तालाबंदी के कारण श्रमिकों को रोजगार प्राप्त करने में बहुत कठिनाई उठानी पड़ रही है कृषि क्षेत्र में वर्षा की कमी के कारण हम बहुत बुरी स्थिति का सामना कर रहे हैं। हमें दीर्घकालीन फसलों, जैसे नारियल, रबी इलायची और अन्य फसलों के बारे में भी बहुत कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। नारियल वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिससे आय प्राप्त करने में 8 से 10 वर्षों का समय लगता है। एक नारियल वृक्ष या रबर वृक्ष के नष्ट होने का अर्थ एक व्यक्ति के जीवन का अन्त होना है क्योंकि इसे फिर वृक्ष लगाना पड़ेगा और 8 वर्षों की लम्बी अवधि तक इन्तजार करना पड़ेगा। केरल की अर्थ व्यवस्था बहुत अधिक प्रभावित हुई है मैं इसी राज्य का हूं। इसमें दीर्घकालीन फसल होती है। उत्तर भारत में जब सूखा पड़ता है तो हमें चावल और गन्ने जैसी फसलों का नुकसान उठाना पड़ता है। हमें दीर्घकालीन फसलों के लिए दीर्घकालीन हल ही ढूंढना है। कृषि मंत्रालय ने हमारी पहले सहायता की है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह हमारे राज्य की दीर्घकालीन आवश्यकताओं पर ध्यान दें। केरल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अब सहायता करना बहुत कठिन है क्योंकि हमारे राज्य में पहले ही बेरोजगारी की गम्भीर समस्या है।

1.45 म.प.

(श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुई ।)

सूखे के कारण कारखाने बंद किए जा रहे हैं और हमें एक और संकट का सामना करना पड़ रहा है। हमें इन कठिनाइयों से उभरना कठिन हो रहा है। वनों के कटने के कारण या बड़े बांधों के निर्माण के लिए धन की कमी के कारण और सिंचाई योजनाओं को क्रियान्वित न कर पाने के कारण कई वर्षों से योजनाएं लम्बित पड़ी है। अतः मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि बड़े बांधों के निर्माण और सिंचाई योजनाओं तथा वनों के संरक्षण के लिए और अधिक धन राशि आबंटित करें।

जैसा कि मेरे दूसरे सहयोगियों ने बताया है कि हमारे देश में वृक्षों के काटने से जलवायु प्रभावित हुई है और कई वर्षों पश्चात हम ऐसी बुरी स्थिति का सामना कर रहे हैं। अतः मैं मंत्री जी से और अधिक धन राशि का आबंटन करने का अनुरोध करूंगा और यह भी अनुरोध करूंगा कि दक्षिणी राज्यों को रोजगार के अधिक अवसर तथा अधिक बिजली देने की व्यवस्था करें क्योंकि वहां कोई भी ताप बिजलीघर नहीं है और हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है। हम पन बिजली योजनाओं पर निर्भर कर रहे हैं और बिना जल के हम बिजली कैसे प्राप्त कर सकते हैं ? वहां पहले ही 50 प्रतिशत बिजली की कटौती है और वहां बिजली की भी कमी है। अगले दो या तीन दिनों और मुझे डर है कि अगले दो या तीन सप्ताह में वहां और बिजली की कटौती होगी और हमें और बुरी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध है कि वह अधिक धनराशि प्रदान करें तथा रोजगार के अवसर देने की कृपा करें और बेरोजगारी की समस्या का समाधान करें। मैं विशेष रूप से कृषि मंत्री से उन किसानों के हितों की सुरक्षा करने का अनुरोध करूंगा, जो दीर्घकालीन फसलों, जैसे नारियल, रबर आदि की खेती करते हैं। हमें इन फसलों को प्राप्त करने के लिए 8-10

वर्षों तक इन्तजार करना पड़ता है। इसलिए मैं मंत्री जी से उन किसानों में अधिक रुचि लेने और पीड़ितों को और अधिक धनराशि देने तथा उनकी रक्षा करने का अनुरोध करूंगा।

———

1.46 म.प.

बाल श्रमिकों सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) विधेयक, 1986 संसद द्वारा दिसम्बर, 1986 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कुछ व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध करने और अन्यों में बालकों के नियोजन को विनियमित करने की व्यवस्था है। विधेयक पर बहस के दौरान, बार-बार यह मुद्दा उठाया गया कि बाल श्रमिकों के शोषण की समस्या से निपटने के लिए विधान बनाना ही पर्याप्त नहीं होगा। विशेषकर कुछ माननीय सदस्यों ने यह महसूस किया कि यह आवश्यक होगा कि जिन बालकों को प्रतिषिद्ध नियोजनों से हटाया जायेगा उन्हें उपयुक्त ढंग से पुनर्वासित करना होगा और अनुज्ञेय नियोजनों में कार्यरत बालकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देख-रेख, कौशल विकास आदि जैसे कल्याण सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी। उस समय, सरकार ने सदन को यह आश्वासन दिया कि इन सभी पहलुओं पर ध्यान देने के लिए बाल श्रम नीति तैयार की जाएगी। मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकार ने राष्ट्रीय बाल श्रम नीति अनुमोदित कर दी है।

2. इस नीति के तीन मुख्य भाग हैं :—

(1) कानूनी कार्रवाई योजना,

(2) बाल श्रमिकों और उनके परिवारों के सामान्य कल्याण और विकास कार्यक्रमों पर ध्यान देना, और

(3) परियोजनाओं पर आधारित कार्रवाई योजना।

3. कानूनी कार्रवाई योजना के अन्तर्गत, बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1950, बागान श्रम अधिनियम, 1951 और बालकों के नियोजन से संबंधित उपबंधों वाले अन्य अधिनियमों के उपबंधों का कठोर और प्रभावी प्रवर्तन करने पर जोर दिया जाएगा।

4. इस नीति के दूसरे पहलू के अधीन चल रहे विकास कार्यक्रमों का बाल श्रमिकों और उनके परिवारों को लाभ देने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। ऐसे कई राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, समेकित बाल विकास और गरीबों के लिए आय और रोजगार सृजन के क्षेत्रों तक व्यापक रूप से विस्तारित हैं। इन कार्यक्रमों का उपयोग ऐसी सामाजिक-आर्थिक दशाएं उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा जिनमें बालकों को काम पर भेजने की बाध्यतायें कम होंगी और बालक मजदूरी-रोजगार पाने की बजाय स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

5. परियोजना पर आधारित कार्रवाई योजना के अधीन, बाल श्रमिक बाहुल्य क्षेत्रों में 10 परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है, जो निम्नानुसार हैं :—

1. शिवाकाशी, तमिलनाडु में माचिस उद्योग,

[श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल]—जारी

2. सूरत, गुजरात में हीरों पर पालिस करने वाला उद्योग,

3. जयपुर, राजस्थान में कीमती पत्थर पर पालिस करने वाला उद्योग,

4. फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग,

5. मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में पीतल के बर्तन बनाने वाला उद्योग,

6. मिर्जापुर-भदोही, उत्तर प्रदेश में हस्तनिर्मित कालीन उद्योग,

7. अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में ताला बनाने वाला उद्योग,

8. जम्मू और काश्मीर में हस्तनिर्मित कालीन उद्योग,

9. आन्ध्र प्रदेश में मार्कापुर में स्लेट उद्योग,

10. मध्य प्रदेश के मन्दसौर में स्लेट उद्योग।

6. इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी :—

(i) परियोजना क्षेत्र के भीतर बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1948 और अन्य ऐसे अधिनियमों का प्रवर्तन तेज करना। यदि आवश्यक हुआ, तो इस प्रयोजनार्थ विशेष प्रवर्तन स्टाफ सृजित किया जाएगा।

(ii) गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के पूर्ण संरक्षण में आय/रोजगार सृजन कार्यक्रमों के तहत बाल श्रमिकों के परिवारों को लाना।

(iii) बाल श्रमिकों की औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा और कामकाजी बालकों के माता-पिता के लिए प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों को तेज करना।

(iv) बाल श्रमिकों के लिए विशेष स्कूल स्थापित करना जहां शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पूरक पोषण, स्वास्थ्य देखभाल आदि की व्यवस्था की जाएगी। यदि आवश्यक हुआ, तो वर्जित नियोजन से लाये गये बालकों को वजीफा दिया जाएगा ताकि उनकी आय के नुकसान की क्षतिपूर्ति की जा सके।

(v) सामाजिक कार्यकर्ता ग्रुपों और अन्य उपायों द्वारा चेतना का सृजन ताकि लोगों को बाल श्रमिकों के अवांछनीय पहलुओं के बारे में शिक्षित और विश्वास दिलाया जा सके।

7. परियोजनाओं के लिए कतिपय मूलभूत संरचना का सृजन किया जाएगा जिसमें प्रत्येक परियोजना का इंचार्ज मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। प्रत्येक परियोजना के लिए बाल श्रम परियोजना बोर्ड होगा जिसका स्थानीय कलक्टर इसका अध्यक्ष होगा तथा सरकारी, गैर-सरकारी तथा स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे ताकि विभिन्न विभागों के योगदान को सुनिश्चित किया जा सके। केन्द्रीय स्तर पर एक उच्च स्तरीय मानीटरिंग समिति भी होगी जिसमें संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे।

8. प्रत्येक परियोजना को राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ परामर्श करके सावधानीपूर्वक तैयार किया जाएगा ताकि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कार्यक्रमों के उचित

विस्तार और अंतर्मिश्रिन को सुनिश्चित किया जा सके। प्रथम चरण में, दस परियोजनाओं में 30,000 बाल कर्मकारों के आने की आशा है। इन परियोजनाओं पर प्रति वर्ष 11 करोड़ रुपये के संभावित व्यय होने की आशा है।

1.50 म० प०

—————

देश में सूखे की स्थिति पर चर्चा—[जारी]

[अनुवाद]

श्री जगन्नाथ पटनायक (कालाहंडी) : महोदया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के इस युग में जब कि हम 21वी शताब्दी की ओर जाने का स्वप्न देख रहे हैं, हम मौसम और प्रकृति की अनिश्चितता का बहाना नही बना सकते और ना ही हम अपने देशवासियों की मूल मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लड़ाई की ही उपेक्षा कर सकते हैं। यही कारण है इसे पूरी तरह प्राकृतिक आपदा कहने की बजाय मैं इसे मानव निर्मित आपदा ही कहना चाहूंगा क्योंकि वनों को काटा जा रहा और लोग पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ रहे है और वास्तव में आधुनिकीकरण से प्रकृति की का नाश हुआ है।

कृषि से सम्बन्धित सूखा तब माना जाता है जब भूमि में नमी और वर्षा, जो फसल के बढ़ने के मौसम में फसल के लिए सहायक होती है, अपर्याप्त होती है और इसके अभाव के कारण फसल विशेष रूप से मई के मध्य और अक्तूबर के मध्य में सूख जाती है। मौसम विभाग द्वारा दी गई रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि इस समय देश के अधिकांश भाग सूखे की चपेट में हैं। किन्तु यह दुर्भाग्य की बात यह है कि उड़ीसा, जिसे अत्याधिक सूखे से पीड़ित राज्यों में से एक माना जाना चाहिए था, पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, शुरू में जब सरकार द्वारा रिपोर्ट दी गई थी, केवल पांच जिलों में सूखे की गंभीर स्थिति थी, वे हैं कालाहंडी, बोलंगीर, फुलबनी, कोरापुट और गजम, लेकिन नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार, सरकार ने यह ज्ञापन भी दिया है कि पूरा राज्य भयंकर सूखे की चपेट में है। अतः इसे ध्यान में रखते हुए, उड़ीसा राज्य की स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए और वहां तुरन्त एक केन्द्रीय दल भेजा जाना चाहिए तथा राज्य सरकार द्वारा मांगी गई सारी केन्द्रीय सहायता उन्हें दी जानी चाहिए।

मैं कालाहंडी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो कि निर्धनता और सूखे के कारण राष्ट्रीय चर्चा का एक विषय बन गया है। मेरा वहां के बारे में अपना अनुभव है। मैंने इस क्षेत्र को पिछले 20 वर्षों में मैंने छात्र के रूप में स्वयं सेवक के रूप में, मंत्री के रूप में और अब एक सांसद के रूप में देखा है। जहां तक कालाहंडी का संबंध है, मेरा अपना कुछ अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

सूखे की अवधि को सारे वर्ष के लिए घोषित किया जाना चाहिए न कि केवल वर्षा समाप्त होने से लेकर बसन्त ऋतु तक की अवधि के लिए दूसरे, सभी लोगों को काम और वेतन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आवश्यक वस्तुएं रियायती दरों पर उपलब्ध होनी चाहिए तथा उचित वितरण प्रणाली की भी व्यवस्था होनी चाहिए। सरकारी तन्त्र के बाहर की सभी आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। छोटे और सीमांत किसानों के लिए कुछ हद तक कृषि ऋण माफ कर दिए जाने चाहिए। ऐसा किए बिना आप निर्धनतम से निर्धनतम व्यक्तियों की समस्याओं का

[श्री जगन्नाथ पटनायक]—जारी

समाधान नहीं कर सकते। इसके साथ-साथ हमें शुष्क खेती और सूखा राहत कार्य करने की ओर भी ध्यान देना चाहिए। फसल बीमा योजना को तुरन्त कार्यान्वित किया जाना चाहिए। जल स्रोतों का उपयोग किया जाना चाहिए और गांवों के विकास के लिए केन्द्र सरकार को नाजुक क्षेत्रों के लिए धन का समान रूप से आवंटन करना चाहिए तथा अत्याधिक प्रभावित क्षेत्रों में राज्यों की योजना का पुर्नविन्यास किया जाए। सूखे से गम्भीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में काम करने के ये मेरे कुछ अनुभव हैं।

डी. पी. ए. पी. और डी. आर. डी. ए. कार्यक्रमों की पुनः समीक्षा की जानी चाहिए और पूरे राज्य विशेषकर कालाहंडी और बोलागीर जिलों के सभी खण्डों को डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। इस समय पूरे देश में 615 खण्डों को ही शामिल किया गया है। केन्द्रीय सहायता देते समय सूखा पीड़ित और बाढ़ पीड़ित राज्यों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए तथा जिन राज्यों में लगातार 4-5 वर्षों से अधिक समय से सूखा पड़ रहा है, जैसा कि उड़ीसा में हुआ है, उन्हें शत-प्रतिशत गैर-योजना अनुदान के रूप में समूची सहायता दी जानी चाहिए।

महोदया, मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा दिए गए इन सुझावों से पूरी तरह सहमत हूं कि इस आपदा में, जबकि समस्त देशवासी इससे पीड़ित हैं, कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, सभी दलों सभी स्वयंसेवी संगठनों को देश के राहत कार्यों के कार्यान्वयन के लिए मिलकर आगे आना चाहिए। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि मानवीय समस्याओं का समाधान करते समय राजनीति को बीच में नहीं लाया जाना चाहिए।

महोदया, कालाहंडी आज एक राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। मुझे इसके इतिहास तथा उन सामाजिक कारणों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, जिनसे कालाहंडी में निर्धनता एक महामारी की तरह फैल रही है। 1949 में एक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि यह सर्वाधिक पिछड़ा और आर्थिक रूप से शोषित राज्य है। यह सामन्तवादी राज्य था और अब स्वतन्त्रता के बाद तथा हमारे प्रधानमन्त्री के वहां के दौरे के बाद अब वहां काम शुरू किया गया है ताकि काफी देर से सूखे से प्रभावित और इस निर्धन क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किया जा सके। वहां निर्धनता है। वहां सूखा है। लोग डरे हुए हैं। उन्हें आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की जरूरत है और उनके साथ मानवता का व्यवहार किया जाना चाहिए। इस बारे में कहा गया है और ऐसे समाचार हैं कि वहां आदमियों का मांस खाया जा रहा है, जहरीले कीड़े खाए जा रहे हैं और लोग अपने बीवी-बच्चों को बेच रहे हैं। यह सब बिना किसी प्रमाण के, और स्थिति का आकलन किए बगैर कहा जा रहा है। यदि इस प्रकार की बातें चलती रहीं तो इससे समस्या का समाधान नहीं होगा अपितु इससे सम्भ्रांति ही होगी। मानवीय समस्या का समाधान करते समय हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और जागरूक रहना चाहिए तथा इसमें राजनीति नहीं लायी जानी चाहिए।

महोदया, जब तक ग्राम योजनाओं में निचले स्तर पर, जिला स्तर पर योजना बनाकर पर्याप्त केन्द्रीय सहायता और तकनीकी सहायता नहीं दी जाती, तब तक हम मध्यम स्तर के लोगों की दशा नहीं सुधार सकते। एक विशेष विकास बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए जिसे पर्याप्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध हो। सभी जल स्रोतों का उपयोग करने के लिए सभी जिलों को समान दृष्टि से

देखा जाना चाहिए केवल तभी उन जिलों को समाजवादी योजना के माध्यम से सुधार हो सकता है। योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय असंतुलन तथा गरीबी दूर करना है। उसके लिए हमें एक नीति बनानी होगी। इसके लिए हमें एक राष्ट्रीय सूखा नीति बनानी चाहिए जिसका उद्देश्य पीने के पानी, चारा, रोजगार प्रदान करना तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखना और सामाजिक वानिकी में तीव्रता लाना, बिजली की बचत करना और कुशल जल-प्रबन्ध करना होगा। हमारे देश में सूखे की स्थिति का कृषि और औद्योगिक उत्पाद पर प्रभाव पड़ेगा जिसका अर्थ है मूल्य वृद्धि और उसके फलस्वरूप मुद्रा स्फीति होगी। हमें डीजल और पेट्रोल की भी जरूरत होगी ताकि हम उसका आयात कर सकें।

2.00 म. प.

पानी की कमी से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। हमें कृषि कार्यों के लिए रियायती दर पर बिजली उपलब्ध करानी चाहिए। इसके लिए फिलहाल हमें विलासितापूर्ण व्यय में कटौती करनी चाहिए। हमें पेट्रोल, डीजल, बिजली का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए और पेट्रोल, डीजल तथा बिजली की विलासिता के प्रयोजनों के लिए खपत में कटौती करनी चाहिए और उन्हें कृषि कार्यों में उपयोग के लिए उपलब्ध किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में सोचना चाहिए ताकि सूखा पीड़ित लोगों के राहत कार्यों के लिए धन दिया जा सके।

मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि स्वयं प्रधानमंत्री ने और भारत सरकार ने इसे चुनौती माना है। उन्होंने विपदा से घिरे लोगों के मन में विश्वास की आशा जगाई है कि भारत सरकार और समस्त संसद उनकी समस्या से अवगत है। अतः अब उनमें विश्वास की भावना है और इसके लिए मैं प्रधानमन्त्री तथा भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

अन्त में मेरा यही निवेदन है कि इस समय एक राष्ट्रीय सूखा कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। समस्या के स्थायी समाधान के लिए निर्धनतम लोगों पर तथा अधिक नाजुक क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें तदनुसार एक योजना तैयार करनी होगी ताकि हम वर्तमान स्थिति का सामना कर सकें और भविष्य में समस्या का स्थायी समाधान कर सकें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस उन्नत युग में हमें ऐसा कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए कि लोगों को मौसम की अनिश्चितता और प्राकृतिक आपदाओं के कारण तकलीफ उठानी पड़े।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय सभापति महोदया, आज हम राष्ट्रव्यापी संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि वर्षा का यदि हम मानचित्र देखें, तो हमें पता लगेगा कि देश के आधे से अधिक भाग में वर्षा नहीं हुई है और अकाल ही नहीं महा-अकाल इन प्रदेशों में दस्तक दे रहा है। यदि समय रहते, हमने इस ओर लोंग टर्म प्लानिंग नहीं की तो महोदया हमारे देश को काफी अधिक पशुधन और मानवों की क्षति होगी। कई पशु और मानवों को मौत की गोद में यह महाकाल सुला देगा। आज प्रकृति ने बड़ा ही क्रूर मजाक हमारे सामने किया है। जहां सावन के महीने में बूंदा-बांदी होती है और चारों ओर हरियाली होती है वहां आज इस समय धूल भरी आंधियां चल रही हैं। यही नहीं, बल्कि आज, कई प्रदेशों में बहुत ही भयंकर पीने के पानी की समस्या पैदा हो गई है। इसलिए मैं यह चाहूंगी महोदया, कि ये जो पछवाई हवाएं मानसूनों को यहां हटाती हैं, इस ओर

[प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत]—जारी
हमें ध्यान देना चाहिए । वैज्ञानिक कारणों की ओर हमें दृष्टिपात करना होगा । क्या कारण है कि हमारे साथ मानसून पिछले दस वर्षों से आंख-मिचोली कर रहा है ।

हम कई प्रान्तों में अकाल होने की बात यहां आकर इस सदन में हमेशा चर्चा करते हैं, परन्तु क्या कभी हमने सोचा है कि इसका वास्तव में वैज्ञानिक कारण क्या है । पिछले दस वर्ष से ऐसा क्यों हो रहा है । मैटरोलोजिकल डिपार्टमेंट भविष्यवाणी करता है, परन्तु वह केवल 24 घंटे की बात बता सकता है । बहुत समय पहले की बात वह नही बता सकता है ।

कल यहां हाउस में यह डिस्कस हो रहा था कि हमारा मौसम विज्ञान विभाग अक्षम है । मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारा मौसम विज्ञान विभाग अक्षम नहीं है, बल्कि उसके पास साधनों की कमी है । आज हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं हैं, जो यह बता सकें कि किस कारण से इस प्रकार का परिवर्तन मौसम में हुआ है । हमारे मौसम विज्ञान विभाग के पास इस प्रकार के आधुनिक उपकरण होने चाहिएं । हमने जो सुपर कम्प्यूटर अमेरिका से खरीदना चाहा था वह इसी वजह से कि हम अपने मैटरोलौजिकल डिपार्टमेंट को समर्थ करें, लेकिन कई राजनैतिक कारणों से वह हमें प्राप्त नही हुआ ।

इसलिए आज बहुत ही भयंकर स्थिति हो गई है और देश के बहुत सारे स्थान अकाल की गहन छाया में फंसे हुए हैं । मैं राजस्थान से आती हूं और राजस्थान की स्थिति का वर्णन वाणी से नही किया जा सकता, देखकर ही आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि वहां कितनी भयंकर स्थिति है ? कोई भी जीवित प्राणी जो इस समय राजस्थान में है, उसने ऐसा भयंकर सूखा कभी नही देखा, वहां 100 वर्ष से ऊपर के बहुत से व्यक्ति हैं, उन्होंने भी इस प्रकार की स्थिति नही देखी ।

आज राजस्थान में बुवाई नहीं हुई, खरीफ की फसल का एक दाना भी नहीं बोया और भूमि के गर्भ में पानी न होने से धरती मां, जिस तरह पका हुआ खरबूजा फट जाता है, उसी तरह से फट गई है और पीने के पानी की इतनी भयंकर समस्या पैदा हो गई है कि लोग दूर-दूर से पानी लेने के लिये जाते हैं । जिन स्थानों में पानी था, खासतौर से मेरे निर्वाचन क्षेत्र चित्तौड़गढ़, जो कि पहाड़ी इलाका है, वहां भी इस बार लोगों को पीने के लिये पानी की बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । इसलिये मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करूंगी कि आप स्टडी टीम तो भेजें, परन्तु उसकी रिपोर्ट का इन्तजार न करें । अगर उसकी रिपोर्ट का इन्तजार किया तो बहुत से पशु और मनुष्य भूख और प्यास से मर जायेंगे । एडहॉक ग्रांट तुरन्त दीजिये ।

आज हमारी अर्थ-व्यवस्था लड़खड़ा गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी स्थिति खराब हो गई है परन्तु नगरीय क्षेत्र में भी बहुत से ऐसे काला बाजार करने वाले जमाखोर लोग हैं जिन्होंने चीजों को गुम कर दिया है । इससे मूल्य आसमान छूने लगे हैं । खाने के पदार्थों की कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई हैं । आप एक गृहिणी का अन्दाजा लगायें, मैं स्वयं एक गृहिणी हूं इसलिये उनकी प्रार्थना आपके सामने रख रही हूं ।

एक व्यक्ति जिसको मुश्किल से 600, 700 रुपये मासिक मिलते हैं, अगर वह 30, 35 रुपये किलो का तेल और मंहगी दालें खाता है तो इतनी मंहगाई है कि उसको आधे पेट भूखे रहना पड़ता है । इसलिये आपको सबसे पहले इस अकाल में जो जमाखोर हैं, उन पर छापे डालने चाहियें और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे सभी को खाद्य-पदार्थ आसानी से मिल सकें । यही नहीं, हमारे उद्योग-धंधे भी चौपट होने लगे हैं, यानी सारा अर्थ-तंत्र लड़-खड़ा गया है ।

मैं निवेदन करूंगी कि जो बेरोजगारी, भुखमरी और रुग्णता हमें ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देती है, मैं थोड़े दिन पहले अपने निर्वाचन क्षेत्र में गई थी और पिछला राखी का जो त्योहार था, उस समय मैं खुशी के साथ क्षेत्र में गई, परन्तु जाने के बाद मैंने देखा कि जगह-जगह जानवर मरे पड़े हैं और उनकी बदबू से वातावरण दुर्गन्धित हो रहा था। इसलिये मैं यह कहूंगी कि हमें राजस्थान की स्थिति को देखते हुए, उसे विशेष सहायता देनी चाहिये। दूसरे प्रान्तों में भी यद्यपि सूखा है, परन्तु राजस्थान की स्थिति विशेष तौर पर गौर करने वाली है, क्योंकि लगातार 5 सालों से वहां पर सूखा पड़ रहा है।

1986-87 में जो अकाल-राहत के काम हुए थे, उसका 82 करोड़ रुपया सरकार को चुकाना बाकी है। आपने यदि सहायता नहीं दी तो 82 करोड़ के चुकाने के अलावा राजस्थान सरकार क्या कर सकेगी? अन्य कार्य कैसे शुरू होंगे? इसलिये एड-हाक ग्रान्ट तुरन्त दी जानी चाहिये।

आज आपके पास अनाज है, 2 करोड़ 30 लाख टन है। कम है तो आप विदेशों से भी आयात कीजिये ताकि हमारे यहां जो भूखे व्यक्ति हैं, उनको अनाज पहुंचाया जा सके।

आपने पिछली बार 3.5 लाख मीट्रिक टन अनाज राजस्थान को फ्री आफ कास्ट देने का वायदा किया था, वह नहीं गया है। आप उसे दीजिये और उसके अलावा 3 लाख मीट्रिक टन अनाज और दीजिये तब आप वहां के भूखे आदिवासियों और भूमिहीन किसानों को बचा सकेंगे। पशुओं के चारे की बहुत आवश्यकता है। आप राजस्थान के पशुधन जो बहुत मूल्यवान है, उसे नष्ट होने से बचाइये।

मैं यह कहना चाहूंगी आज जो जल संकट बहुत अधिक भयंकर है और हम हमेशा अकाल-अकाल कहते हैं, क्यों नहीं इससे निपटने के लिये लोंग टर्म प्लानिंग करते हैं। हम कब तक प्रकृति के ऊपर ही निर्भर करेंगे। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन हमने अभी तक सिंचाई के पूरे साधन नहीं जुटाये हैं। जितना पानी होता है, वह बेकार में बह कर समुद्र में चला जाता है। जिन राज्यों ने सिंचाई की योजनायें बनायी हुई हैं, उसको बनाने की शीघ्र आप अनुमति दीजिए।

आज बिजली का अभाव बहुत अधिक है। बिजली की कमी की वजह से कुओं में पानी होते हुए भी लोग उसका पूरा फायदा उठा नहीं पाते हैं। पानी की कमी से पशु मर रहे हैं। इस कारण जहां कहीं भी बिजली की व्यवस्था हो सके, वहां इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए।

वर्षा न होने का एक कारण जंगलों का कटना है। राजस्थान में जंगल बहुत अधिक कटे हैं और अब भी कट रहे हैं। जहां आपके इरिगेशन के बांध हैं, वहां के आसपास के सारे जंगल कट जाने से सारी की सारी मिट्टी बह कर उनको ढक देती है। परिणाम यह होता है कि उनकी कैपेसिटी कम हो रही है इस कारण जंगलों का कटना बिलकुल रोकें और साथ ही वुड-इंडस्ट्रीज को नए लाइसेंस देना बन्द कर दें।

अब मैं राष्ट्र व्यापी संकट का सामना करने के लिये आपको कुछ सुझाव देना चाहूंगी। मेरा पहला सुझाव यह है कि जितने भी सरकारी खर्चे होते हैं, उनमें कुछ कमी की जानी चाहिए। दूसरा, चारा और अनाज जो कि राज्यों को पहुंचाना चाहिए, उसके रेल भाड़े का खर्च आपको स्वयं उठाना चाहिए। पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिये रिग मशीनों की बहुत अधिक आवश्यकता होगी

[प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत]—जारी

है। राजस्थान में अतः हाई प्रैशर रिग मशीनें भेजें। चाहे आप धनराशि कम दे दें लेकिन हाई प्रैशर रिग मशीनें दें जिससे आसानी से पानी निकाला जा सके।

अंत में मैं यही कहना चाहूंगी एन.आर.ई.पी.. और आई.आर.डी.पी. और फूड फार वर्क कार्यक्रमों के लिये अधिक मात्रा में अनाज और धनराशि देनी चाहिए। आज जो महाकाल का दानव चारों ओर अपने पंजे फैलाये हुए है उसे हम तभी रोक सकेंगे जब हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। इसके साथ ही सभी विभागों का इसमें कोआर्डिनेशन होना जरूरी है।

मैं ऐसा सोचती हूं कि आप राजस्थान की तरफ विशेष ध्यान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया (संगरूर) : सभापति महोदया, इस सदन में मेरे सभी आदरणीय सहयोगी, सूखे से उत्पन्न गम्भीर स्थिति, जो अब राष्ट्र के लिए एक चुनौती बन गई है, पर गम्भीरता पूर्वक अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, श्री रंगा राजन ने अनुमान लगाया है कि कृषि उत्पादन में एक प्रतिशत गिरावट होने से औद्योगिक उत्पादन में दो प्रतिशत गिरावट होती है। उद्योग पर इसका प्रभाव काफी गम्भीर हो सकता है। हम केवल कृषि उत्पादन में गिरावट तथा कृषि क्षेत्र की समस्या का सामना ही नहीं कर रहे बल्कि भविष्य में गम्भीर औद्योगिक संकट भी होगा। मेरे सभी विद्वान मित्रों ने आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के समक्ष अपने विचार रखे हैं। उन्होंने सूखे से उत्पन्न गम्भीर स्थिति का भली भांति बयान किया है।

मैं अधिक समय नहीं लूंगा। पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग देश के खाद्यान्न पूल में काफी बड़ा अंशदान देते है। पंजाब हरियाणा तथा अन्य क्षेत्रों में सूखे के कारण ऐसी स्थिति हो गई है जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं गया था। मई में भारी वर्षा होने के कारण पंजाब में पहले ही रबी मौसम में 20 लाख टन गेहूं की कमी हुई है। इस समय पंजाब में पांच लाख नलकूप हैं जिनसे 19 लाख हेक्टर धान के खेतों की सिंचाई करनी होती है। किन्तु सूखा तथा जल स्तर नीचे चले जाने के कारण केवल पांच लाख हेक्टर में ही धान की जुताई हो सकी है। इससे धान का उत्पादन 60 लाख टन से घटकर 40-45 लाख टन होगा। इस बार 15 लाख टन कम धान का उत्पादन होगा। इसी प्रकार, वर्षा न होने के कारण पंजाब में कपास और गन्ने की फसल सूख रही है। वर्षा की कमी के कारण 25 प्रतिशत क्षेत्र में धान की बुवाई नहीं की गई उपज 15 प्रतिशत कम हो गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि पंजाब तथा हरियाणा के किसानों की आय में 40 प्रतिशत की कमी आएगी। यह वास्तव में एक दुखद स्थिति है।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सर्वप्रथम, हम सभी यहां पर लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रत्येक सदस्य यहां यही कहता है कि प्रभावित लोगों के बीच धन या खाद्यान्न वितरित किया जाना चाहिए, किन्तु मेरा अपना यह मत है कि यदि हम लोकप्रतिनिधियों, योजना आयोग और अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों ने पिछले वर्षों के दौरान सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए धन को ठीक प्रकार से व्यय किया होता तो इन दिनों हमें भारी खतरे का सामना नहीं करना पड़ता। मैं सरकार से, विशेषकर कृषि मंत्री श्री मकवाना जी से अनुरोध करता हूं कि हमें छिड़काव सिंचाई अपनाने के

लिए भरसक प्रयत्न करने चाहिए। छिड़काव सिंचाई से लगभग 55 प्रतिशत पानी की बचत होती है। वर्तमान परिस्थितियों में छिड़काव सिंचाई से हमारी तकलीफों में कमी हुई होती।

दूसरे, पानी का भारी रिसाव होता है। सरकार को चाहिए कि वह रिसाव को रोकने के लिए उदारता से उपाय करे। हम इस रिसाव को रोक सकते हैं यदि हम जल मार्गों, उनके किनारों तथा नहरों को पक्का करें और ईंटें लगाएं।

तीसरे, सरकार को चालू सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए गम्भीरतापूर्वक कदम उठाने चाहिए। यदि देश में चालू सिंचाई परियोजनाओं को जल्दी पूरा किया जाता है तो इससे विद्युत उत्पान और जल पूर्ति में सहायता मिलेगी।

इसके अलावा मैं यह सुझाव भी दूंगा किसानों को 10 हजार रुपए तक दिए गए उर्वरक और अन्य फसल ऋण माफ कर दिए जाने चाहिए। ऋण के वापसी भुगतान को स्थगित करने से किसानों और लघु उत्पादकों को कोई कारगर मदद नहीं मिलेगी।

मेरा, कृषि राज्य मंत्री श्री मकवाना से यह भी अनुरोध है कि वह विशेषज्ञों से सलाह लें। आम तौर पर यह कहा जाता है कि सफेदे के पेड़ जल पूर्ति में खराबी ला रहे हैं। सफेदे का पेड़ बहुत अधिक पानी सोखता है जिसका अन्ततः वाष्पीकरण हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप भू-जल स्तर भी प्रभावित होता है। इसके बावजूद भी सभी राज्य सरकारें तथा केन्द्रीय सरकार अधिक से अधिक सफेदे के पेड़ लगाने का प्रचार कर रही है। यदि सफेद के पेड़ भू-जल स्तर के लिए हानिकारक हैं, तो क्या हम इसका कोई विकल्प नहीं ढूंढ सकते?

तत्पश्चात, आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह किसानों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदले। पंजाब और हरियाणा में कुछ किसानों के पास अच्छे कपड़े और अच्छे मकान हैं जिससे यह भ्रम होता है कि वह काफी अमीर हैं। मैं आपको बताना हूं कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में 90 प्रतिशत किसान भारी कर्ज में दबे हुए हैं। इसलिए हमें किसानों की आर्थिक स्थिति के बारे में अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा।

अधिक समय न लेते हुए, जैसा कि मैंने अपने भाषण के आरम्भ में वायदा किया था, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैडम, मैं आपका आभारी हूं।

[हिन्दी]

श्री उमा कान्त मिश्र (मिर्जापुर) : सभापति महोदया, यह बहुत दुर्भाग्य और बदनसीब भी है कि हम लोग बिना मानसून के मानसून-सैशन अटेंड कर रहे हैं। मानसून-सैशन बिना मानसून का। **(व्यवधान)** ये पापी लोग बैठे हैं। जब हम लोग वहां से चले, तो पता लगा कि हिमालय से लेकर कन्या-कुमारी तक भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। अकाल की संभावना है। हमारे गांव के पुराने लोग बताते हैं, इस प्रकार की अकाल की स्थिति 1904 में हुई थी। हमारे गांव में इसको नआली कहते हैं। सौ वर्ष पुराने हमारे गाव के लोग बताते हैं कि यह नआली 1904 के बाद अब हुई है। हम लोग वहां से चले, तो सोचा कि भयंकर सूखा है, चलकर संसद में चर्चा होगी। तुरन्त इस विषय पर हम लोग अपने सुझाव देंगे और जल्दी इस पर कदम उठाया जाएगा। लेकिन विपक्ष के पापी लोगों ने एक सप्ताह का समय तो सत्यानाश कर दिया, हल्ला-गुल्ला करके और...

(व्यवधान)

[श्री उमा कान्त मिश्र]—जारी

एक माननीय सदस्य : हिन्दुस्तान के लोग कह रहे हैं कि कौन पापी है।...

(व्यवधान)

श्री उमा कान्त मिश्र : देश की जनता आज विपत्ति में पड़ी है, मुसीबत में पड़ी है। हम लोग सोच कर आए थे कि चर्चा होगी, लेकिन उन्होंने लोकसभा का एक सप्ताह का समय नष्ट कर दिया, नाश कर दिया। जनता इनको क्या नहीं कर देगी, इनकी दुर्गति कर देगी। जनता बहुत रुष्ट है, नाराज है। इन पापियों ने लोकसभा का अमूल्य एक सप्ताह का समय नष्ट कर दिया। दूसरे हफ्ते में इन्होंने क्या किया, जनता में भ्रान्ति फैलाने के लिए, चरित्र-हनन के लिए अपने राजनैतिक लाभ के लिए बेसिर पैर की बातें कीं।...

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

सभापति महोदया (श्रीमती बसव राजेश्वरी) : बीच में न बोलिए। कृपया उन्हें टोकिए नहीं। उन्हें अपनी बात जारी रखने दें।

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्री उमा कान्त मिश्र : चुनाव 1990 में होगा इससे पहले नहीं होगा। चिन्ता मत करिए।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप उन्हें टोक क्यों रहे हैं। कृपया उन्हें सुनें। उन्हें टोकें नहीं। जब आपकी बारी आए, आप बोल सकते हैं, यदि संगत बात भी है तो भी आप बीच में न बोलें।

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्री उमा कान्त मिश्र : सभापति महोदया, पापी असंसदीय शब्द नहीं है। पापी का मतलब है—सिन्नर। जो जनता के साथ अन्याय करे, वही पापी है।

पापी असंसदीय शब्द नहीं है। आप लोगों ने पाप किया है, इसलिए पापी कहा है। (व्यवधान) इतना समय बोफोर्स के सौदों में चला गया। (व्यवधान)

सभापति महोदया, मैं सूखे की चर्चा कर रहा हूं। अधिवेशन का 15 दिन का समय बीत गया तब सूखे पर चर्चा प्रारम्भ हुई है। इन लोगों के लिए शर्म की बात है, लज्जा की बात है। जनता ने इनकी बड़ी निन्दा की है। वह कहती है कि विपक्ष के लोग बड़े पापी हैं जिन्होंने सूखे की चर्चा नहीं होने दी। ये लोग हमारे दुःख-दर्द की बात न कह कर, हथियारों के सौदों में लगे हैं। इन लोगों ने समय नष्ट किया है। विपक्ष के लोगों को इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। ये कभी सत्ता में नहीं आने वाले हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदया : मिश्रा जी, आप मुद्दे पर क्यों नहीं आते ? आप खामखाह अपना समय नष्ट कर रहे हैं। आपको केवल 10 मिनट का समय दिया गया है। कृपया मुद्दे पर आएं।

[हिन्दी]

श्री उमाकान्त मिश्र : महोदया, सूखा बहुत गम्भीर है और हिमालय से कन्याकुमारी तक सूखे की स्थिति है और गभीर स्थिति है। इससे अकाल की सम्भावना है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने, इस देश की करोड़ों जनता के दुःख-दर्द को समझा है, महसूस किया है और प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है और वह कमेटी इस चीज को देख रही है। हमारे प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी लोगों के दुःख-दर्द को समझते हैं, ये उसको क्या समझेंगे, ये तो हवा में रहते हैं।

महोदया, सूखे के सम्बन्ध में अब मैं आपके द्वारा कुछ गिने-चुने सुझाव दूंगा। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे यह जो पाप हुआ है उसका निवारण करना है। सूखे के सम्बन्ध में युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए और इसके सम्बन्ध में मेरे ये सुझाव हैं—

(1) उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है। उसके कुछ ही जिलों को छोड़ कर, हरेक जिले में सूखा है। उसको सूखा राहत के लिये अधिक से अधिक सहायता दी जाए। जो और सूखा ग्रस्त राज्य हैं उनको भी दी जाए।

(2) सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में सभी देयों और सभी चीजों की वसूली रोक दी जाए। तकावी बांटी जाए और छात्रों की फीस माफ की जाए।

(3) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना तथा सूखा पीड़ित क्षेत्रीय योजना (डी.पी.ए.पी.) के कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक चलाए जाएं।

(4) प्रत्येक ग्राम सभा, प्रत्येक ग्राम में एक राहत कार्य खोला जाए, जैसे तालाब, बन्धी, सड़क आदि काम तत्काल प्रारम्भ किए जाएं ताकि गरीबों को काम मिले।

(5) प्रत्येक न्याय पंचायत में कम से कम चार या पांच सस्ते गल्ले की दुकानें चलाई जाएं।

(6) वृद्धों, अपाहिजों और अक्षमों के, जो कि काम नहीं कर सकते हैं, भोजन की व्यवस्था की जाए।

(7) प्रत्येक तीन सौ की आबादी पर एक-एक हैण्डपम्प की व्यवस्था की जाए क्योंकि पीने के पानी की समस्या है।

(8) नलकूपों और पम्प नहरों, पम्प सैटों को अधिक से अधिक घंटे बिजली दी जाए। प्रसन्नता की बात है कि केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लिया है कि उद्योगों की बिजली काट कर किसानों को दी जाएगी।

(9) पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जाए और चारे के डिपो खोले जाएं।

(10) इस सूखे से; अकाल से महामारी फैलने की संभावना है। इसलिए महामारी के रोकथाम की तैयारी की जाए।

[श्री उमाकान्त मिश्र]—जारी

(11) अकाल से अपराध बढ़ते हैं और कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है। कानून और व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने से रोका जाए।

(12) सरकार द्वारा गैर-सरकारी संस्थाओं और स्वयंसेवी संस्थाओं से आह्वान किया जाए कि वे सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में सेवा कार्य करें।

(13) सूखा राहत की धनराशि का दुरुपयोग होने से रोकने के लिए निगरानी दल बनाए जाएं।

जैसे कोई मुर्दा मरता है तो आसमान में गिद्ध मांस नोचने के लिए मंडराते हैं, उसी प्रकार से जब दैवी विपदा आती है तो भ्रष्ट लोग मंडराते हैं कि इसको लूटेंगे और खायेंगे। इसको रोकने के लिए निगरानी कमेटियां ब्लाक स्तर पर, पंचायत स्तर पर या प्रदेश स्तर पर बनायी जाएं। अब मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस देश का फेमीन कोड बहुत पुराना है। वह अंग्रेजों के जमाने का फेमीन कोड है। उसकी वजह से अकाल की स्थिति में काम करना मुश्किल होता है। मेरा आपसे निवेदन है कि फेमीन कोड में तत्काल शब्द की जगह पर जल्दी से जल्दी शब्द रखा जाए ताकि इस भयंकर अकाल का सामना किया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और और आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम० वाई० घोरपडे (रायचूर) : सभापति महोदया, हम सभी जानते हैं कि देश आज एक ऐसे संकट से गुजर रहा है जो पिछले 100 वर्षों में अभूतपूर्व है। किन्तु वास्तव में जो बात चिंताजनक है वह यह है कि सूखे की प्रबलता और इसकी बारम्बारता बढ़ती जा रही है। यह एक ऐसी बात है जिसका हमें ध्यान रखना होगा।

अन्य बात जो चिंता का कारण है वह पानी की मात्रा नहीं बल्कि वर्षा का रूप है जो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करने से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करने से वनों में भारी कमी हुई है। यह 30 प्रतिशत से घट कर 10 प्रतिशत रह गए हैं। हमारे यहां केवल 400 लाख हेक्टर वन है और अभी भी हम प्रतिवर्ष 15 लाख हेक्टर वनों का नाश करते जारहे हैं। परिणाम यह हैकि इस देश की मिट्टी कीऊपरी सतह के बह जानेसे भारी हानि हो रही है। कृषि के लिए भूमि की ऊपरी सतह जो देश का भविष्य है बही जा रही है जिसके परिणाम-स्वरूप बाढ़ें आती हैं, नालों और नदियों की सतह में रेत जम रही है और अत: इससे सूखे और बाढ़ की बारम्बारता में वृद्धि हुई है। मोटे तौर पर स्थिति यही है।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि यह केवल धन का प्रश्न नहीं है, मैं जानता हूं कि धन चाहिये विगत में कई वित्तीय आयोगों ने प्रयत्न किया है, किन्तु हमें यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि वह इस समस्या का व्यापक, सफल, वित्तीय हल खोजने में असफल रहे हैं।

मैं चाहता हूं कि सरकार यह बात स्वीकार करे कि योजना प्रक्रिया सूखा विरोधी कार्यक्रम को अपनी विकास पद्धति में पर्याप्त प्राथमिकता देने में असफल रही है। उदाहरण के लिए हम वर्षों से यह कह रहे हैं कि कुछ परियोजनाएं तैयार रखी जानी चाहिए; जब कभी सूखा पड़े इन्हें चालू कर दिया जाए ताकि लोग तुरन्त काम पर लग जांए और जब सूखा समाप्त हो यह परियोजनाएं

बन्द कर दी जाएं और लोग कृषि क्षेत्र में वापस चले जाएं । किन्तु मैं पूछता हूं कि क्या ऐसा हुआ है ? ऐसा नहीं हुआ । इसलिए, यह विषय अत्याधिक महत्व का है । यह मामला केवल राजनीति का नहीं है । यह मामला केवल केन्द्र-राज्य संबंधों का ही नहीं है ? मैं यह कहूंगा कि राज्यों की यह सोचने की आदत कि सूखा कार्यों में उनका कार्य सिर्फ केन्द्र से सहायता प्राप्त करना है, ठीक नहीं है । न ही केन्द्र का यह सोचना ठीक है कि यह मुख्यत: राज्यों का दायित्व है । आखिर केन्द्र कर ही क्या सकता है ? 1972 में कर्नाटक में हमें एक भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा । उससे प्राप्त कुछ अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूं । कर्नाटक में हमने सभी प्रकार के कार्यों में 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया । 1972-74 वर्षों (अर्थात सूखे के वर्षों के दौरान) के दौरान कर्नाटक में इतना अधिक भू-संरक्षण कार्य हुआ जितना इसके इतिहास में कभी नहीं हुआ । लघु सिंचाई तालाबों, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं सड़कों और सभी प्रकार के कृषि सम्बन्धी बुनियादी ढांचों का निर्माण उन्हीं दिनों हो सका ।

हमारे पास अनाज नहीं है । यह प्रमुख अड़चन थी । हम अनाज की तलाश किया करते हैं और हमने यह भी अनुभूति किया कि जो भी अनाज ग्रामीण क्षेत्रों में था वह शहरों की क्रय शक्ति के कारण समाप्त हो रहा था । यह एक बहुत गम्भीर बात थी । वर्ष 1972 में, हमारे पास साज-सामान नहीं था । मुझे याद है कि हमने कर्नाटक से कुछ अधिकारी पूरे देश में इन दिनों में केवल कुछ साज-सामान प्राप्त करने के लिए भेजे थे । जहां तक चारे का सम्बन्ध था, हम चारा फौरन नहीं उगा सके क्योंकि चरागाह भूमि का उपयोग किसानों द्वारा खेती-बाड़ी के लिए किया गया था ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आज देश में यह स्थिति नहीं है । 15 वर्षों बाद, सूखे का सामना करने की देश की क्षमता बढ़ चुकी है । हमारे पास 230 लाख टन खाद्यान्न का भण्डार है । इस आधार पर, मैं माननीय मन्त्री को कुछ ठोस सुझाव देना चाहूंगा कि उन्हें सरकार की ओर से अपने उत्तर में सूखे का सामना करने के लिए एक स्पष्ट राष्ट्रीय कार्यनीति लानी चाहिए क्योंकि सूखा एक स्थायी बात है; यह वास्तव में राष्ट्रीय परिस्थितियों का एक हिस्सा है । इस देश में भूमि का 70 प्रतिशत भाग वर्षा पर निर्भर है और प्रत्येक वर्ष 3 से 4 मास तक लोग भूखे रहते हैं । उन्हें वर्षा पर निर्भर कुछ क्षेत्र से सिंचित क्षेत्रों में पलायन करना पड़ता है । अत:, मेरा सुझाव है कि भारत सरकार सभी सूखा पीड़ित प्रभावित क्षेत्रों में पूरा रोजगार देने के लिए पक्का राष्ट्रीय संकल्प करे । उसे स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि जिस किसी को काम नहीं मिलता और यदि वह अनाज आदि आवश्यक वस्तुएं खरीदने की क्रय शक्ति नहीं रखता । तो उसे काम देना राष्ट्र का प्रथम कर्तव्य है । क्षम समस्या नहीं है क्योंकि हमारे पास अनाज है; हम विशाल पैमाने पर काम के बदले अनाज कार्यक्रम प्रारम्भ कर सकते हैं । मैं कुछ समय पहले राजस्थान गया था । वहां पूरे एक दिन के कार्य के लिए एक महिला को 7 किलो गेहूं अनाज दिया जा रहा था, वे इससे बहुत खुश थे । जब अनाज का कोई अभाव नहीं है, मुझे समझ नहीं आता कि सरकार को ऐसा वचन क्यों नहीं देना चाहिए और स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि अमुक कार्य केन्द्र करने जा रहा है, और इस कार्य को राज्य सरकार को करना चाहिए और उस कार्य को स्थानीय स्तर पर किया जाना चाहिए जिससे जनता ठीक-ठीक जान जाए कि वचन क्या दिया गया है और कौन गलती पर है । सारी प्रजातन्त्रीय प्रक्रिया, जनमत के प्रभाव को सूखे का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए काम में लगाना चाहिए । ये दो प्रमुख सुझाव हैं ।

[श्री एम०वाई० घोरपडे]--जारी

जहां तक पेय जल का संबंध है और जहां पानी संबंधी साज-सामान की आवश्यकता है, वहां यह भेजा जाना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अनेक स्थानों पर साज-सामान से भी समस्या का समाधान नहीं होगा और जल को सड़क परिवहन द्वारा पहुंचाना होगा। जहां तक चारे का संबंध है, दुर्भाग्यवश, पंजाब और हरियाणा में भी सूखा पड़ा है और चारा एकदम नहीं उगाया जा सकता। लेकिन, प्रधानमंत्री का बंजर भूमि के विकास कार्यक्रम के अधीन 50 लाख हैक्टेयर भूमि प्रति वर्ष सूखे का सामना करने के लिए पूरी तरह उपयोग में लाई जानी चाहिए। जहां ईंधन और चारा उगाया जा सकता है उन क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से निर्धारण होना चाहिए जिससे कम से कम आने वाले महीनों में ईंधन और चारा के ऐसे भयावह अभाव से कष्ट न उठाना पड़े।

मैं तह दिल से प्रधानमंत्री द्वारा की गई कार्यवाही का स्वागत करता हूं। उन्होंने अपनी अध्यक्षता में एक उच्च-अधिकार प्राप्त मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार द्वारा विशेष रूप से रोजगार के बारे मे, अनाज की असीमित आपूर्ति के बारे में और वितरण प्रणाली के बारे में जिसमें आवश्यक वस्तुओं के लगभग सभी गांवों में वितरण केन्द्र खोलकर जनता की क्रय शक्ति के अन्तर्गत लाना है, स्पस्ट वचन नहीं दिया जाना, हम मांग पूरी करने योग्य नही होंगे।

अत: मैं एक बार फिर निष्कर्ष रूप में दोहराना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार के लिए अब वह समय आ गया है कि वह एक राष्ट्रीय वचन न केवल सामान्य आधार पर बल्कि एक राष्ट्रीय संकल्प के रूप में, विशेष कर स्पष्ट करके बताए कि केन्द्र सरकार क्या करना चाहती है, राज्य क्या करना चाहते हैं और स्थानीय स्तर पर क्या होना चाहिए, एक राष्ट्रीय वचन दे। यह केवल तब ही हो सकता है जब मंत्रिमंडलीय समिति, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, यह स्पष्ट करे कि उसके विचार क्या हैं और उसे क्या करना है, केवल तब ही यह काम नीचे के स्तर तक ठीक प्रकार से हो सकता है अन्यथा यह सफल नहीं होगी, जब केन्द्र, राज्यों और पंचायत राज संस्थाओं में समन्वय नहीं होगा यह सफल नहीं होगा।

मैं समझता हूं, सूखा चाहे जितना निराशाजनक और भयावह हो, यह राष्ट्र के लिए एक अवसर है कि वह राज्यों के सभी वर्गों के लोगों के लिए और लोगों को सभी स्तरों पर, सभी दलों राजनैतिक मतभेदों का ध्यान किये बिना सहयोग करें और हम स्वयं प्रदर्शन करें कि आज राष्ट्र में सूखे से लड़ने की क्षमता न केवल अल्प अवधि तक बल्कि इसे योजना प्रक्रिया का एक हिस्सा बनाकर और अपनी इस योजना और अगली आठवीं एवं नवीं योजना आधार पर दीर्घ अवधि तक लड़ने की है, इसके लिए कार्य करने का एक नया ढंग प्रारम्भ करने की है।

सभापति महोदया : श्री राम नारायण सिंह।

[हिन्दी]

श्री राम नारायण सिंह (भिवानी) : सभापति महोदया, यह देश की बदकिस्मती है कि सेंचुरी का सबसे भयंकर सूखा इस बार पंजाब और हरियाणा में देखने को मिल रहा है। वैसे पंजाब और हरियाणा में बहुत कम सूखा पड़ने के उदाहरण मिलते हैं परन्तु इस दफा इसका प्रकोप इतना ज्यादा है कि हरियाणा के बारहों जिलों में से कहीं भी बारिश नहीं हुई। इस कारण खरीफ की

फसल बोई ही नहीं गई । अब यह कहना कि खरीफ की फसल में कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, जब वह बोई ही नहीं गई तो इम्प्रूवमैंट कहां से हो जाएगा ।

हरियाणा के राजस्थान के साथ मिले हुए जितने इलाके हैं, जैसे हिसार, महेन्द्रगढ़, भिवानी, गुड़गांव, आदि, उन जिलों में तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई और वहां तो उस तरह की गर्मी पड़ रही है जैसे जून के महीने में पड़ती है, लू चल रही हैं । इसलिए खरीफ की फसल में इम्प्रूवमैंट की कोई आशा बाकी नहीं रह गयी है ।

यदि पूरे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा खुराक पैदा करने वाले स्टेटस को देखा जाए तो पंजाब और हरियाणा ही दो राज्य उनमें सबसे चोटी पर आते हैं परन्तु बारिश न होने के कारण दोनों ही राज्यों में स्थिति बहुत खराब हो गयी है । पंजाब में हर साल जितना चावल होता था, उसकी तुलना में इस बार 30 परसेंट से ज्यादा पैदावार नहीं होगी और हरियाणा में तो 20 परसेंट की आशा ही रखनी चाहिए क्योंकि चावल की जो फसल बोई गयी थी, वह भी नष्ट हो गयी है. पानी न मिलने से सारी फसल चौपट हो गयी है । सभी ट्यूबवेल्स भी ठप्प से हो गये हैं क्योंकि धरती के नीचे पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है । इसके अतिरिक्त बिजली की भी कमी है । हरियाणा में नहरों का पानी ज्यादा नहीं आता । जब तक हमारी एस.वाई.एल. कैनाल, जो पंजाब में है, पूरी नहीं हो जाती, तब तक हमें आशा की कोई किरण नजर नहीं आती । हरियाणा के लिए वह लाइफलाइन है । वैसे गवर्नमैंट का कहना है कि उसे बहुत जल्दी तैयार कर दिया जाएगा । इसमें हरियाणा का अब तक करोड़ों रुपया लग चुका है परन्तु अभी तक पंजाब में नहर का निर्माण नहीं हुआ है । इसके तैयार न होने के कारण भी हरियाणा को भारी लौस हो रहा है ।

हमारे हरियाणा में बिजली की पैदावार भी बहुत कम है । यदि सैन्ट्रल गवर्नमैंट हरियाणा को सैन्ट्रल पूल से बिजली देने का आश्वासन दे तो हरियाणा, पंजाब के बाद नम्बर 2 पर, फौडर प्रोड्यूस कर सकता है और अनाज भी पैदा कर सकता है । हमारे सामने इस वक्त सबसे अहम सवाल यह है कि हरियाणा के जितने राजस्थान से लगे हुए जिले हैं, हिसार, भिवानी, महेन्द्रगढ़, गुड़गांव आदि, वहां लोग सूखे के कारण अपने मवेशियों को छोड़ते जा रहे हैं जिससे उनकी मृत्यु-दर बढ़ गयी है, हर जगह मवेशी मरना शुरू हो गये हैं। यदि कृषिमंत्री जी ने स्थिति का मुकाबला करने में, एक्शन लेने में थोड़ी देर और लगा दी तो इन चार जिलों में मवेशी भारी संख्या में मारे जाएंगे । राजस्थान में तो पहले से ही मर रहे हैं । राजस्थान से लगे सभी इलाकों में पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है, हरियाणा के दूसरे हिस्सों में उतनी नहीं है । यही कारण है कि हरियाणा से लोग फौडर या चारे को राजस्थान में ले जा रहे हैं और वह एक रुपये किलो या 40 रुपये मन के हिसाब से, आज के दिन, बेचा जा रहा है । यह भाव है, आज के दिन । राजस्थान के लोग जब देखते हैं कि मवेशी मरेंगे तो वे ट्रक भरकर हमारे जिलों में छोड़ जाते हैं । अभी पिछले दिनों के अन्दर कई ट्रक छोड़ गए उनमें से कुछ तो मर गए और कुछ लोगों ने बांध लिए कि अच्छी नसल के पशु हैं ।

अब अनाज का ताल्लुक है इस सम्बन्ध में तो गवर्नमेंट को चाहिए कि लिबरल होकर ग्रान्ट्स दे और लोगों के जो कर्ज हैं, हर किस्म के कर्ज, तकावी लोन वगैरह हैं, उनको कम से कम सस्पेण्ड कर दें वे वसूल न किए जाएं क्योंकि लोगों की ऐसी हालत नहीं रही है कि वे कर्जा दे सकें । हमारे यहां हरियाणा में सिपाही अच्छे मिल जाते हैं इसलिए फौज और पुलिस की रिक्रूटमेंट हो जाए, तो जवान लड़के उसमें भरती हो जाएंगे । पहले हमारे यहां से फौज में अच्छी रिक्रूटमेंट होती थी, मगर अब 5-7 साल से ऐसे रूल्स बना दिए हैं सब आबादी के हिसाब से रिक्रूटमेंट होगी । इससे पंजाब,

[श्री राम नारायण सिंह]—जारी

हरियाणा और राजस्थान तो बड़े घाटे में रहे हैं, बड़े सफरर रहे हैं। जो बैलवर्ड इलाके थे वहां के लोग तो पुलिस और फौज में भर्ती हो जाते थे, लेकिन अब न वहां बारिश है और न वहां फौज और पुलिस की रिक्रूटमेंट हो रही है जिसके कारण उन लोगों की हालत बहुत खराब हो रही है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि गवर्नमेंट इस सम्बन्ध में प्रभावी पग उठाए। मैं यह भी सजेस्ट करता हूं कि गवर्नमेंट फॉडर का इन्तजाम करे वरना मवेशियों का बचना बहुत मुश्किल है।

मैडम चेयरपरसन, यह एक गलतफहमी है कि पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर हैं, वे बड़े रिच हैं, मालदार हैं। मैं खुद नौकरी में था, तब मैंने बतौर डिप्टी कमिश्नर एक सर्वे करवाया था, कि कितना ऋण हरियाणा के किसानों पर है, तो उस वक्त मालूम हुआ कि 85 प्रतिशत किसानों के ऊपर कर्जा बकाया। दुबारा सर्वे करवाया तो 95 प्रतिशत कर्जा निकला। पंजाब के अन्दर 90 प्रतिशत किसानों के ऊपर कर्जा निकला। लेकिन यह ठीक है कि वे जीप भी रखते हैं, ट्रैक्टर भी रखते हैं। ढिल्लों साहब वाकिफ हैं, मैं इनके अमृतसर जिले में साढ़े तीन साल रहा हूं, लेकिन यह बात ठीक है कि उनके एक-दो लोग अमेरिका, कनाडा या इंग्लैंड में हैं। उनको अच्छी तरह से रहना आता है, गाड़ी वगैरह रखते हैं। मालदार वगैरह जैसी बात कुछ नहीं है। मालदार लोग तो यहां दिल्ली में या और बड़े-बड़े शहरों में ही होंगे। वहां तो यह है कि एक गांव के दो-चार आदमी बाहर कनाडा में या पुलिस फोर्स या फौज में हैं। इसलिए उनको आप मालदार कहते हैं। वैसे ऐसा कुछ नहीं है।

हरियाणा ने किसानों के कुछ कर्जे तो माफ किए हैं, लेकिन फिर भी कुछ बैंकों के कर्जे बाकी रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हर किस्म के कर्जे मुल्तवी होने चाहिएं और चारे का प्रबन्ध होना चाहिए।

एक मामला, हमारे यहां सतलुज-ब्यास-लिंक कैनाल का है। अब तो यह हो जाना चाहिए। अगर यह हो जाता है, तो इससे हरियाणा का कल्याण हो सकता है।

इन अलफाज के साथ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदया, देश गम्भीर परिस्थिति का सामना कर रहा है। इस वर्ष के सूखे जैसा सूखा पिछले एक सौ वर्षों में नहीं पड़ा है। बरसात का फेल होना इस देश की जनता के लिए वास्तव में बड़ी चिन्ता का कारण बना है। यह विचार है कि शायद जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में सूखा नहीं है। तथापि, यह सच्चाई नहीं है। हिमाचल प्रदेश के दस जिलों में और जम्मू के अधिकांश भागों में गम्भीर सूखा व्याप्त है। मैंने हाल ही में अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया है और मैंने पाया कि 70 प्रतिशत से अधिक फसलें पहले ही नष्ट हो चुकी है यह भाग्य की विडम्बना है कि इस वर्ष में पहले, अप्रैल और मई के महीनों में, अधिक बरसात के कारण और कहीं-कहीं बर्फ पड़ने के कारण फसलें नष्ट हो गई थीं। आने वाली फसल अर्थात खरीफ फसल नहीं हो सकी। यह लम्बे समय से पड़ रहे सूखे की मार के कारण समाप्त हो गई है।

मौसम विज्ञान सम्बन्धी विभाग ने देश को 35 उप-डिवीजनों में बांटा है। इस वर्ष यह सूचना दी गई कि दिनांक 22 जुलाई 1987 तक इन अधिकांश उप-डिवीजनों में सन्तोषजनक बरसात

नहीं हुई। नवीनतम सूचना यह है कि 5 अगस्त तक 9 उप-डिवीजनों में बरसात हुई है और 26 उप-डिवीजनों में वर्षा नही हुई है। यह एक अभूतपूर्व स्थिति है जिसके परिणामस्वरूप चारे और पेय जल का अत्यधिक अभाव हुआ है। और सिंचाई सुविधाएं भी समाप्त होती जा रही हैं। गोविन्द सागर झील जो भाखड़ा बांध के चारों ओर है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का एक अंग है। हाल ही में, मैं वहां गया था और मैंने देखा कि जल का स्तर जो इस समय होना चाहिए, उससे 15 फुट नीचे है। यह स्थिति पंजाब और हरियाणा में सिंचाई सुविधाओं के बारे में और हिमाचल के लिए जल की कम मात्रा में उपलब्धता के बारे में भी सही-सही तस्वीर प्रस्तुत करती है।

पेय जल की समस्या बहुत अधिक गम्भीर है। चारे की समस्या भी अत्यधिक कठिन है। आन्ध्र प्रदेश की पहाड़ियों में सामान्यतः चारा पंजाब से मंगाया जाता है और पशुओं को उपलब्ध कराया जाता है।

जब लोगों को अपने पशुओं के लिए और स्वयं अपने लिए पेय जल उपलब्ध नहीं होता तो वे नदी के समीप रहने लगते है। बिलासपुर और ऊना से बहुत लोग सतलुज नदी की ओर तथा कांगड़ा से व्यास नदी की ओर चले जाते हैं। इस प्रकार लोग और उनके पशु इधर से उधर हो जाते हैं। दुर्भाग्यवश, राज्य सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। मैं उस प्रश्न का उल्लेख कर रहा हूं जिसका उत्तर परसों कृषि मंत्री महोदय ने दिया था (अतारांकित प्रश्न सं० 2061 दिनांक 10.8.87) यह विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में राहत दिये जाने के बारे में था। हिमाचल प्रदेश में, लोग यह शिकायत है कि यद्यपि पंजाब में लोगों को व्यक्तिगत मुआवजा मिला था जो नकद राशि और अन्य वस्तुओं के रूप में था किन्तु हिमाचल को यह राशि नहीं दी गई। केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल के लिए अधिकतम राशि प्रदान करने की सीमा 9 करोड़ रुपए निर्धारित कर दी थी। मुझे कृषि मंत्री ढिल्लो साहब, से बात-चीत करने का मौका मिला था। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने इसे अपने ही संसाधनों से दिया था। पंजाब एक सम्पन्न राज्य है यदि पंजाब सरकार ने इसे अपने ही संसाधनों से दिया था, तो हिमाचल भी अपने हिस्से की राहत और मुआवजा राशि पाने का पात्र है। इसलिए माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस बार मुआवजे की राशि बढ़ा दी जाये। जो मुआवजा और राहत अन्य राज्यों को दी जा रही है, हिमाचल के लोग भी उसकी आशा करते हैं। लोगों को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश सेब पैदा करने वाला राज्य है और सारे राज्य में से पैदा होता है और सेब नकदी फसल है और वहां मानों खरीफ और रबी की फसलें होनी ही नहीं। वास्तव में हिमाचल के एक बड़े भाग में अर्थात 9 जिलों में केवल खाद्यान्न फसलें - चावल, गेहूं और मक्का - पैदा होती हैं—जो नष्ट हो गई हैं गेहूं अतिवृष्टि से और मक्का तथा चावल निरंतर वर्षा पड़ने से नष्ट हो गये हैं।

मैं एक या दो बातों का सुझाव दूंगा। एक तो यह है कि प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में हरे राज्य में राहत पहुंचाने के लिए सभी राज्यों की राजधानियों में एक स्थायी राहत तंत्र होना चाहिए क्योंकि सूखा और बाढ़ एक निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया हो गई है। इसलिए प्रभावित राज्यों में दलों को भेजने और उन दावों के निष्कर्ष की प्रतीक्षा करने और फिर राहत मुहैया करने की बजाये, एक स्थायी राहत तंत्र स्थापित कर दिया जाये। वास्तव में इस उपाय से लोग निराश हो जाते हैं और हम जो विभिन्न उपाय करते हैं उनके प्रति वे आकर्षित नहीं होते हैं। इसलिए सबसे अधिक महत्व की बात यह है कि योजना में ही ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि मुआवजा दिये जाने का प्रावधान हो।

[श्री नारायण चन्द पराशर]—जारी

इसके अलावा, 17 जून, 1987 को गठित किये गए नवें वित्त आयोग को इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए । राहत नियम पुस्तिका और दुर्भिक्ष संहिताओं में संशोधन किया जाये । उन्हें और उदार बनाया जाये । समय बदल गया है । अब लोगों को तत्काल राहत और तुरन्त राहत चाहिए और राहत भी ऐसी जो उन्हें संतुष्ट कर सके ।

मवेशियों के लिए तत्काल चारे के भंडार बनाये जायें । यदि मवेशियों को चारा नहीं दिया गया तो वे मर जायेंगे । यद्यपि हिमाचल में अभी उनकी मौतें होनी आरम्भ नहीं हुई है तथापि शीघ्र ही ऐसा होने लगेगा । इसीलिए चारा भंडार भी तत्काल स्थापित किये जायें ।

मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि हमारे यहां लघु और मध्यम किस्म की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है । नहरों का रख-रखाव भली प्रकार किया जाये । लोगों की आवश्यकता पूरी करने के लिए पेय जल की सप्लाई की व्यवस्था सही प्रकार से की जाये ।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान एक और मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । जन प्रतिनिधियों के साथ राज्य और केन्द्र सरकारों का सहयोग होना चाहिए । होता यह है कि केन्द्र सरकार दलों को भेज देती है । वे राज्यों में जाते हैं और जन प्रतिनिधियों-संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों की कोई परवाह न करते हुए राज्य के कर्मचारियों से बात करते हैं । इसके परिणामस्वरूप संसद सदस्य यहां मंत्री को परेशान करते हैं । मेरे विचार से यदि सही स्तर पर सही तालमेल हो जाये तो किसी भी संबद्ध व्यक्ति को नाराज किए बिना अधिकांश समस्यायें शीघ्रता पूर्वक सुलझाई जा सकती हैं । हमारे प्रधान मंत्री ने बहुत अच्छा काम किया है । उन्होंने मंत्रिमंडलीय समिति गठित कर दी है और वह स्वयं उसके अध्यक्ष हैं । इससे पता चलता है कि वह कितनी गंभीरता से समस्या का समाधान कर रहे हैं । सूखे से पूरे देश के लिए कठिन स्थिति पैदा हो गई है और आज हमारा देश इस सबसे गम्भीर समस्या से जूझ रहा है । इसलिए कृषि मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस अवसर पर आगे आयें तथा प्रधान मंत्री के हाथ मजबूत करें और सभी वर्गों के जन-प्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर युद्ध-स्तर पर राहत कार्य आरम्भ करें । राज्य, जो भी सहायता मांगें, उन्हें वह दी जाये और राज्यों, संसद सदस्यों तथा केन्द्र और राज्यों के सरकारी अधिकारियों के बीच पूरा पूरा सहयोग होना चाहिए ।

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : सभापति महोदया, हमें शताब्दी के अत्यन्त गम्भीर सूखे की स्थिति से गुजरना रहा है और मेरे मित्र मिश्रा जी ने ठीक ही आरोप लगाया है कि विरोधी दल के सदस्यों की रुचि बेकार के मामलों में है तथा अफवाहें फैलाकर वे सारे देश में अराजकता की स्थिति पैदा कर रहे हैं । सूखे के बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं है । (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने यही बात ठीक ही कही थी । ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आज उनके प्रतिनिधि पर्याप्त संख्या में उपस्थित है । मैं माननीय अध्यक्ष के विचारों से सहमत हूं कि हमारे प्रधान मंत्री और हमारी सरकार की चिंता ठीक है तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी की सही नीति के परिणामस्वरूप ही आज हमारे पास अनाज का बफर स्टाक उपलब्ध है तथा इस बफर स्टाक से ही हम देश भर में व्याप्त अत्यधिक सूखे की स्थिति से निपटने में समर्थ हैं ।

महोदया, मैं इस विचार से कांप उठता हूं कि यदि हमने बफर स्टाक न बनाया होता तो सूखे के कारण क्या स्थिति हुई होती।

2.57 म.प.

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए।)

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि यद्यपि विश्व के मौसम वेत्ताओं ने यह भविष्य वाणी की है कि इस वर्ष सूखे की "एल-निनो" की वह भयानक स्थिति है जिसकी आवृति हर 30 से 40 वर्ष के बाद होती है किन्तु खेद की बात है कि हमारे मौसम वैज्ञानिकों ने यह कहा कि इस वर्ष मानसून नियमित रूप से आयेगा और चिंता की कोई बात नहीं है। इस समय अगस्त का आधा महीना बीत चुका है किन्तु पूरे देश में सूखे की गम्भीर स्थिति बनी हुई है। मैं महसूस करता हूं कि सूखे के बारे में हमारा दृष्टिकोण अब तक अग्नि शमन सेवा के समान बना रहा है। जहां कहीं भी सूखा पड़ा, हमने वहीं आपूर्ति की चाहे वह आपूर्ति राहत के रूप में हो, पेयजल के रूप में हो अथवा चारे के रूप में अथवा किसी भी प्रकार का क्यों न हो। मैं महसूस करता हूं कि सूखे के बारे में योजना बनाना सरकार की प्राचीन प्रक्रिया रही है। सरकार को ठोस प्रस्ताव रखने चाहिए। मेरा सुझाव है कि सूखे से निपटने के लिए भारत सरकार को एक राष्ट्रीय आयोग गठित करना चाहिये। इस बात का पता लगाना चाहिए कि सूखे के क्या कारण हैं, इससे कैसे निपटा जा सकता है और पानी एकत्र करने के उपाय के लिए तथा भू-संरक्षण उपाय के लिए जिला स्तर पर प्रत्येक जलाशय की खोज करने के लिए एक स्थायी तंत्र होना चाहिए जिससे कि हमारे पास पर्याप्त परियोजनायें तैयार रहें। मेरे साथी माननीय धोरपडे जी ने बहुत ही ठीक बात कही है कि हमारे पास एक ऐसा तंत्र होना चाहिए जो उस समय स्वतः चालू हो जाये जब सूखा राहत कार्य आरम्भ किया जाये और जब सूखा राहत कार्य समाप्त हो जाये तो वह स्वतः बंद हो जाये। अतः हमें इस पर विचार करना होगा।

हमें बहुत ही ठोस तथा कठोर निर्णय लेने होंगे। सातवीं पंचवर्षीय योजना की लगभग आधी अवधि समाप्त हो गई है। सूखे से निपटने के लिये हमें ऐसी परियोजनाओं का धन सूखे की ओर लगाना होगा जिन परियोजनाओं का पचास प्रतिशत से कम धन अभी तक उपयोग में लिया गया है। चाहे कोई भी मंत्रालय क्यों न हो हमें बड़े सचेत होकर विचार करना होगा। हमें यह निर्णय लेना होगा कि जिन परियोजना का 50 प्रतिशत से अधिक धन उपयोग में नहीं लाया गया है, उन परियोजनाओं का धन सूखे से निपटने पर लगाया जाये।

मेरे ये सुझाव हैं—

कि राहत तो देनी ही पड़ेगी।

यह कहा जाता है कि इस देश में काम का अभाव है। यहां खाद्यान्न का अभाव नहीं है। अब हमें लोगों को काम देना पड़ेगा और दुर्भाग्यवश हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है कि वह धन किस प्रकार व्यय किया जाये। यह आम बात है। वास्तव में, यह मेरा अनुभव रहा है कि धन का अपव्यय ब्लाक और जिला स्तर पर होता है। खण्ड विकास अधिकारी और जिला समाहर्ता जैसा उचित समझते हैं, व्यय करते हैं। एक ठोस योजना होनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जल संरक्षण उपाय किये जाये। जल संरक्षण तालाबों को निर्मित करना होगा। शुष्क खेती और भू-संरक्षण के लिए अपेक्षित उपाय करने होंगे। आम तौर पर किसानों को इसके लिए धन खर्च करना पड़ता है। किसी भी कठिनाई की स्थिति में आपको काम को अपने

[श्री दिग्विजय सिंह]—जारी

हाथ में ले लेना चाहिए। भू-संरक्षण का व्यय सरकार को उठाना चाहिए जिससे कि भूमि का संरक्षण हो सके।

मध्य प्रदेश जैसे राज्य में पेय जल की समस्या बनी हुई है जहां की 80 प्रतिशत भूमि पठार है। सामान्य रिग यहां काम नहीं करती हैं। राज्य को मिश्रित रिग भेजी जायें। आप जिस रूप में भी चाहें किन्तु मेरा सुझाव है कि इसमें शिक्षित बेरोजगारों को लगाया जाये। आप उन्हें अनुदान और ऋण दें। किन्तु आप उन्हें मिश्रित रिंगे, बरभाई रिंगे दे जिससे उन्हें रोजगार मिल सके और सरकार का काम भी हो जाये।

चारे की भी एक समस्या है, जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में घोर सूखे की स्थिति है। अन्य क्षेत्रों से चारा मंगाना पड़ा है। चारा परिवहन सहायता दी जानी चाहिये।

हमारे यहां अनेक अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क हैं। यद्यपि इस समय यहां वन मंत्री उपस्थित नहीं है तो भी हमें वनों का संरक्षण करना है। यहां खेल अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क हैं। सूखे की स्थिति में पशुओं के लिये चारे की व्यवस्था करनी पड़ती है। खेल अभयारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों से चारा एकत्र किया जाना चाहिये।

चराई विनियमित की जाये। मध्य प्रदेश के राजगढ़, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बहुत संख्या में पशु मर गये हैं। निर्धन किसानों को पशुओं की हानि के लिये मुआवजा दिया जाये।

सरकार को उपलब्ध चारे से घास बनाने की योजना बनानी चाहिये। भूमि के उपयोग में विविधता लायी जाये। सिंचाई की जो सुविधा उपलब्ध है, उससे भूमि का उपयोग खाद्यान्न के बजाये चारा उत्पन्न करने के लिये किया जाये जिससे कि चारा उपलब्ध हो सके।

भूमिगत पानी का दोहन किया जाये। भूमिगत पानी का स्तर गिरता जा रहा है परन्तु जो भी भूमिगत पानी उपलब्ध है, इस सूखे के वर्ष में उसका दोहन करने के लिये एक बड़ा कार्यक्रम तैयार करना होगा।

उद्योग से बिजली हटाकर कृषि को देनी होगी। आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करानी होंगी। यहां मुद्रा स्फीति की दर बहुत ऊंची होने जा रही है। हमें कारगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनानी होगी।

खाद्यान्नों और आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी को कड़ाई से रोकना होगा और मेरा तो यह भी सुझाव है कि दालों के लिये, जो भारतीय परिवारों का अत्यधिक महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ हैं, किसी प्रकार की राज्य सहायता प्रदान की जाये तथा दालें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जायें।

जहां तक खाद्य तेल का संबंध है, इसका अधिकांश नियतन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये किया जाये। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं। खाद्य तेल, जो वनस्पति उद्योग को दिया जाता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दिया जाये। वनस्पति उद्योग को सस्ता खाद्य तेल मिल जाता है किन्तु उन्होंने वनस्पति घी के दाम नहीं घटाये हैं। यह बड़ी विडम्बना है। आप वनस्पति निर्माता को यह लाभ क्यों प्रदान कर रहे हैं। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दिया जाये और यह सीधा उपभोक्ताओं को पहुंचाना चाहिये।

किसानों का ऋण माफ करना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से लाभ उठाने वालों को दिया गया ऋण भी आसान किस्तों में लिया जाये। यह कठिन परिस्थिति का समय है। यह बड़ी ही गम्भीर आपात स्थिति है जिसमें सरकार को मदद करनी होगी।

अपने विचार व्यक्त करते हुए श्री पराशर ने कहा था कि आप अभाव नियमावली लागू करें जो पहले ही बनाई जा चुकी है।

आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए।

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : अभाव राहत नियम-पुस्तिका।

श्री दिग्विजय सिंह : जी हां, अभाव राहत नियम-पुस्तिका। आपको एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करना चाहिए जो विशिष्ट रूप से ब्यौरे की जांच करे और फिर विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत करे। महोदय, मध्य प्रदेश के बारे में, जैसा कि मैंने पहले ही जोर दिया है, वहां विशेषकर राजगढ़, शाजापुर, मंदसौर, धार और झबुआ जिलों और उत्तर पश्चिम जिलों में जैसे बुन्देलखण्ड और बाघेलखान में गम्भीर सूखे का मामना करना पड़ रहा है। मेरा माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध है कि इन सूखे से प्रभावित जिला के बारे में बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। महोदय आपने राजस्थान को एक लाख टन खाद्यान्न अनुदान के रूप में दिया है लेकिन मध्य प्रदेश को एक लाख टन खाद्यान्न आपने ऋण के रूप में दिया है। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि इस ऋण को भी अनुदान में परिवर्तित कर दिया जाए क्योंकि मध्य प्रदेश इस समय बहुत ही कठिन वित्तीय स्थिति में है।

कृषि मंत्री (डा० जी.एस. ढिल्लों) : इसके लिए राज्य ने अनुरोध नहीं किया है।

श्री दिग्विजय सिंह : संसद सदस्य होने के नाते हम इस मामले को मुख्य मंत्री के साथ उठायेंगे ताकि राज्य सरकार अपने प्रस्ताव में केन्द्र से अनुरोध करे कि राज्य को जो खाद्यान्न, ऋण के रूप में दिया गया है उसे अनुदान में परिवर्तित कर दिया जाए। महोदय, इस सम्बन्ध में, मैं माननीय मंत्री से इस बात का भी अनुरोध करता हूं कि पेयजल खाद्यान्नों, आवश्यक वस्तुएं और चारे की व्यवस्था करने के लिए धन का अधिक आवंटन किया जाए तथा चारा लाने ले जाने के लिए रियायतें दी जायें। महोदय, मध्य प्रदेश के मामले में भेदभाव किया गया है। राजस्थान और गुजरात के लिए चारे हेतु राज-सहायता दी जा रही है लेकिन मध्य प्रदेश के लिए नहीं। यह राज-सहायता मध्य प्रदेश के लिए भी दी जानी चाहिए। इस बारे में मेरे ये विचार हैं और अध्यक्ष महोदय मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया।

* **श्री आर. जीवरत्नम (आर्कोनम)** : माननीय सभापति महोदय, मैं नियम 193 के अन्तर्गत सूखे की स्थिति पर विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सारे देश में सूखे की गम्भीर स्थिति व्याप्त है। लगभग 20 राज्य सूखे की गम्भीर स्थिति से प्रभावित हुए हैं। तमिलनाडू पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। तमिलनाडू में वर्षा नहीं हुई है। मौसम-विज्ञान रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडू में सामान्य वर्षा में 30 से 60 प्रतिशत की कमी हुई है। कृषि कार्यों के लिए पानी उपलब्ध नहीं है।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री आर० जीवरत्नम] – जारी

एक केन्द्रीय दल का गठन किया गया था और उसने तमिलनाडू का दौरा किया उसके बाद पांच महीने का समय बीत गया है। उस दल द्वारा की गई सिफारिशें तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा धन और सामग्री के रूप में वास्तविक राहत की मात्रा का ब्यौरा उपलब्ध नही कराया गया है।

समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों में यह कहा गया है कि राहत के रूप में लगभग 30 करोड़ रुपए वितरित किये गए हैं। जबकि राज्य सरकार ने तमिलनाडू में सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत के रूप में 340 करोड़ रुपए की मांग रखी थी। आप मांगी गई राहत राशि तथा वास्तव में उपलब्ध कराई गई राशि के बीच के भारी अन्तर को देखिए। क्या राहत राशि के बारे में राज्य सरकार द्वारा की गई मांग गलत है अथवा केन्द्रीय दल द्वारा की गई सिफारिश दोषपूर्ण है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं।

मैं सूखा प्रवण क्षेत्र से सम्बन्ध रखता हूं। मैंने सूखा राहत आयुक्त के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र के सभी गांवों का दौरा किया था। भूतल के नीचे यहां तक कि 200 फुट तक भी पानी उपलब्ध नहीं है।

माननीय मंत्री ने इस बात पर बल दिया है कि सूखे की व्याप्ति के दौरान खाद्य उत्पादन में आई कमी को शुष्क भूमि खेती करके और अल्प-कालिक फसलें उगाकर पूरा किया जा सकता है।

हम अल्प-कालिक फसलें उगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनके लिए भी पर्याप्त पानी नही है। यदि हमें पीने के लिए पानी की एक बूंद नहीं मिलती तो हमें खेती के लिए पानी कहां से मिलेगा।

सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। यह मनुष्य जाति के लिए एक चुनौती है। आओ हम सर्व शक्तिमान से प्रार्थना करें कि वह हमें इस चुनौती का मुकाबला करने की शक्ति दे। आओ हम सर्व शक्तिमान से यह भी प्रार्थना करें कि वह वर्षा बरसाये ताकि गर्मी के मारे तंग हो रहे लोगों को राहत मिल सके। प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया है जो इस समस्या से निपटने के लिए तरीकों का सुझाव देगी। मेरा इस समिति से अनुरोध है कि व्यापक तौर पर वह सर्वेक्षण करे और एक दीर्घकालीन नीति तैयार करे जिनसे कि पीने और कृषि कार्यों के लिए सभी को पानी उपलब्ध कराया जा सके।

हमारे देश में, जहां एक ओर बहुत से राज्य गम्भीर सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं, वहां कुछ राज्यों में बाढ़ आई हुई है। हमें बाढ़ के पानी और अन्य नदियों में पानी का उपयोग करना है जो कि बहकर समुद्र में चला जाता है। जहां तक तमिलनाडू का सम्बन्ध है, पूर्ण क्षेत्र वर्षा पर आधारित है। यदि कुडागू में वर्षा नहीं होती, जो कि कावेरी नदी का आवाह- क्षेत्र है। तो तमिलनाडू के लिए पीने के लिए तथा कृषि कार्यों के लिए जल उपलब्ध नहीं होगा। तमिलनाडू में गाध से भरी सभी झीलों और जलाशयों की गाद निकलवा कर मरम्मत करनी होगी। राज्य सरकार को केवल राहत राशि उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं है। यह व्यवहार्य बात नहीं है कि सभी सूखा राहत कार्य राज्य सरकार को ही सौंपे जाएं। यह एक ऐसा संकट है जिसका कि राज्य सरकार को और केन्द्रीय सरकार को संयुक्त रूप से युद्ध-स्तर पर मुकाबला करना है।

तमिलनाडु में कई बड़ी झीलें सूखी पड़ी हैं उनमें से गाद निकालनी होगी तथा उनमें से पानी का उपयोग करना होगा। सामान्य बुल्डोजर इस प्रकार के कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ममान्दुर और कावेरी-पक्का दो बड़ी झीलें हैं। यदि दोनों ही झीलों की मरम्मत कर दी जाये तो इसे आपको कम से कम दो वर्षों तक पानी मिल सकता है। राज्य में कुछ दशकों पहले इसी प्रकार का ही सूखा पड़ा था। बाबू राजेन्द्र प्रसाद जोकि तत्कालीन कृषि मंत्री थे। उन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया था और उन्होंने इन दो बड़ी झीलों की मरम्मत का आदेश दिया था। इससे स्थिति में सुधार हुआ था और तब से इन झीलों ने और 20 वर्षों तक पानी की सप्लाई होती रही।

मेरा माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध है कि वह माननीय कृषि मंत्री को तत्काल मेरे राज्य में सूखे से प्रभावित स्थलों का दौरा लाने के लिए भेजे। इन दो झीलों की जिनका मैंने पहले उल्लेख किया है, व्यापक रूप से मरम्मत की जाये। इस समय तमिलनाडु सरकार गैर-सरकारी ठेकेदारों की सहायता से पेयजल और कृषि कार्यों के लिए जल की व्यवस्था करने के लिए गहरे कुएं खुदवा रही है। उसके लिए 200, 250 और यहां तक कि 300 फुट तक गहरा खोदना पड़ता है। इन प्राइवेट ठेकेदारों के बाद इस कार्य के लिए उपकरणों और विशेषज्ञों की कमी है। इसलिए मैं इन जल के गहरे कुओं की खुदाई में सेना की सहायता ली जानी चाहिए।

अगला मुद्दा छोटे किसान की दुर्दशा के बारे में है। सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में छोटे किसानों को 20 किलो चावल और मक्का, ज्वर आदि अन्य आवश्यक खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

दूसरा सभी छोटे किसानों को जिनके पास एक दो अथवा तीन एकड़ भूमि है, उनको कृषि कार्यों के लिए अधिक गहरे कुएं खुदवाकर पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

जहां तक मद्रास शहर का सम्बन्ध है, वहां पेय जल की भारी कमी है। तमिलनाडु सरकार का मार्ग अथवा समुद्री मार्ग से जल लाने का विचार है। लेकिन इस बारे में हमें यकीन नहीं है। सेना की मदद लेकर भूतल से पानी निकाला जा सकता है और यही समय की मांग भी है। ऐसा युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए।

मैं सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि किसानों से ऋण की वसूली स्थगित कर दी जाए।

अन्त में, मेरा अनुरोध है कि जिला-वार जिला समाहर्ताओं की अध्यक्षता में सूखा राहत प्रबंध समितियों का गठन किया जाए जिसमें संसद सदस्य और विधायकों को सदस्य बनाया जाये। समिति की हर 15 दिन के बाद बैठक होनी चाहिए और शुरू किए गए राहत उपायों और उसमें हुई प्रगति के सम्बन्ध में सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

महोदय, आपका धन्यवाद करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री डी० बी० पाटिल (कोलाबा) : महोदय, कृषि मंत्री ने 30 जुलाई को वक्तव्य दिया था और उसके बाद से सुधार होने की बजाए स्थिति और बिगड़ गई है। उस समय तक स्थिति खराब थी और अब अधिक खराब हो गई है। क्योंकि तथ्य को स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए मैं वर्षा और अन्य बातों के बारे में विस्तार में नहीं जाऊंगा।

[श्री डी०बी० पाटिल]—जारी

मैं यहां इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि अब तक सरकार का रवैया पूरी तरह निराशाजनक रहा है। जहां तक दीर्घ-कालीक उपायों का सम्बन्ध है। सरकार ने उसका पालन नहीं किया है। जहां तक कृषि के लिए सृजित की गई क्षमता का सम्बन्ध है उसका उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। सृजित की गई अधिकतर क्षमता का उपयोग नहीं किया गया और उससे देश की कमी वाली स्थितियों पर भी उसका प्रभाव पड़ा है।

जहां तक अल्प-कालिक उपायों का सम्बन्ध है। मैं कृषि मंत्री द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से पूरी तरह से सहमत हूं लेकिन केवल विचारों को व्यक्त कर देना ही पर्याप्त नहीं है क्योंकि जहां तक अभाव और सूखे के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के पिछले अनुभव का सम्बन्ध है। वह सन्तोषजनक नहीं है। इसके विपरीत, यह असन्तोषजनक है। मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं। वर्ष 1986-87 में, सूखे की गम्भीर स्थिति थी। महाराष्ट्र सरकार ने अपने बजट में 206.15 करोड़ रुपए तक की धनराशि की व्यवस्था की थी। महाराष्ट्र सरकार ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए 378.20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सहायता के रूप में केवल 23.90 लाख रुपए स्वीकार किए हैं। महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र ने वर्ष 1986-87 में 378 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और केन्द्रीय सरकार ने केवल 24 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इससे केन्द्रीय सरकार का राज्य के प्रति रवैये का पता चलता है। ऐसा कहा जाता है कि सूखे की स्थिति से निपटना राज्यों की मुख्य जिम्मेदारी है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं लेकिन यह केन्द्रीय सरकार का भी कर्तव्य है। हर वर्ष जो अतिरिक्त धनराशि दी जाती है वह 244 करोड़ रुपए है। यदि केन्द्रीय सरकार इस अतिरिक्त धनराशि को यहीं तक सीमित कर देती है। तो उससे जो स्थिति उत्पन्न होगी वह बहुत ही विकट और गम्भीर होगी। इसके लिए दी जाने वाली अतिरिक्त धनराशि में वृद्धि की जानी चाहिए। इसके सभी कारणों पर विचार किया जाना चाहिए।

जहां तक अल्प-कालिक उपायों का संबंध है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जहां कहीं भी पानी उपलब्ध हो उसको बचाकर रखा जाना चाहिए। यदि हम जल को बचाकर नहीं रखेंगे, तो यह कहने का कोई लाभ नहीं होगा कि हम चारा और सब्जियां तथा अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराएंगे।

यहां राहत कार्य का भी प्रश्न है। सूखा पड़ने वाले स्थानों में, राहत कार्य शुरू किये जाने चाहिए। वहां रोजगार के अवसर पैदा करने वाली योजनाएं भी शुरू की जानी चाहिए। मेरा अनुभव है कि वहां योजनाएं तो है लेकिन यदि वहां उनके लिए धनराशि ही न दी जाये तो वहां रोजगार नही दिया जा सकता। रोजगार कहां है? यदि वहां रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाए तो वहां काफी बड़ी संख्या में लोग गांवों से कस्बों और शहरों में चले जाएंगे। आज मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि राजस्थान से सैकड़ों परिवार वहां से दूसरे स्थानों पर चले गए हैं क्योंकि वहां रोजगार और पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया है। इन कारणों से वे सभी लोग बड़ी संख्या में शहरों को जा रहे हैं। इसको रोका जाना चाहिए।

जहां तक पेय जल का सम्बन्ध है। यद्यपि अब महाराष्ट्र में वर्षा का मौसम है। तथापि वहां टैंकरों द्वारा लगभग 1000 गांवों को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। स्थिति इससे भी बुरी हो सकती है। पेय जल उपलब्ध कराने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

दूसरी बात जिसका मैं सुझाव देना चाहूंगा वह यह है कि सब्जियों उगाने के लिए, दालें उगाने के लिए तथा ऐसे खाद्य पदार्थ और खाद्यान्न उगाने के लिए जिन्हें अन्य फसलों के मुकाबले कम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, सिंचाई के लिए जल प्राथमिकता के आधार पर दिया जाना चाहिए। मेरे विचार से अगली महत्वपूर्ण बात पशुओं के चारे के संबंध में है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह आम अनुभव है कि किसानों की आवश्यकतानुरूप सरकार द्वारा चारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है। महाराष्ट्र में हम एक अजीब स्थिति से गुजर रहे हैं। चारे की कमी के कारण किसान पशुओं का भरण-पोषण नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि चारा बहुत ऊंचे मूल्य पर बेचा जा रहा है। इस स्थिति ने किसानों को अपने पशु बहुत कम कीमत पर बेचने या उन्हें छोड़ देने पर मजबूर कर दिया है ताकि पशुओं के भरण-पोशण की जिम्मेदारी किसानों की न रहे। वे उनको पालने की जिम्मेदारी से मुक्त हो जायें।

इसके अतिरिक्त, यद्यपि इस वर्ष कुछ क्षेत्रों में वर्षा हुई है लेकिन कृषि कार्यों के लिए पशुओं की कमी हो गई है क्योंकि किसानों ने काफी संख्या में अपने पशुओं को बेच दिया है। इस तरह कृषि कार्यों के लिए पशुओं की कमी है अतः यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि किसानों को चारा कम दाम पर बेचा जाये और केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा अन्य एजेन्सियों द्वारा पशु-शिविर स्थापित नही करेंगे तब तक कृषकों को तकावी ऋण देना पर्याप्त न होगा क्योंकि तकावी ऋण कृषकों पर भार है। जब वे अपनी फसलें खो चुके हैं, जब वे अपनी कमाई और आय गवां चुके हैं ऐसे में यदि आप कृषकों को किसी प्रकार के तकावी ऋणों का बोझ डालेंगे तो उनको जीवित रहना असंभव हो जायेगा। इसलिए कृषकों को तकावी ऋण उपलब्ध कराने के बजाय उनके पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जानी चाहिए और केन्द्र सरकार राज्य सरकारों तथा कुछ अन्य संस्थाओं द्वारा पशु शिविर स्थापित किये जाने चाहिए और उन्हें राज सहायता दी जानी चाहिए।

महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये खाद्यान्नों की सप्लाई करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब वर्षा कम होती है तो आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक माल की कीमतें बढ़ती ही चली जाती हैं। आपकी जानकारी के लिए मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। पिछले वर्ष की इसी अवधि अर्थात मार्च से 11 जुलाई की अवधि में 2.24 प्रतिशत कमी के मुकाबले खाद्यान्नों की कीमतों में 5.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका अर्थ है कि कीमतों में मार्च से जुलाई तक 7.48 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। जहां तक दालों की कीमतों का संबंध है, स्थिति बहुत गम्भीर है। पिछले वर्ष मार्च से जुलाई तक की अवधि में जहां दालों की कीमतों के 9.77% की कमी हुई थी, वहां इसके मुकाबले इसी अवधि में उनकी कीमतों में 10.50% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब है कि मई से 11 जुलाई तक इस विशेष अवधि में दालों की कीमतों में बढ़ोतरी 24.27% है। यदि हम कीमतों में वृद्धि को इस दर से लें तो फिर कृषकों और सूखे से प्रभावित लोगों का जीवित रहना असंभव हो जायेगा। इसी समस्या का अन्य लोगों को भी सामना करना पड़ेगा। इन लोगों का जीवित रहना वस्तुतः तब तक कठिन है जब तक सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये खाद्यान्न, दालें, खाद्य तेल और अन्य आवश्यक मदें उपलब्ध नहीं कराती है।

अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह बिजली के साथ-साथ डीजल की सप्लाई के संबंध में है। ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि काफी गहराई पर मिलने वाले भूमिगत जल को निकालना होता है। जब तक आप किसानों को प्राथमिकता के आधार पर बिजली और डीजल की सप्लाई नहीं

[श्री डी०बी० पाटिल]—जारी

करते हैं तब तक पुन: किसानों के लिए उस भूमिगत जल को निकालना कठिन हो जायेगा जिसका उपयोग सब्जियों, दालों आदि के लिए किया जाता है। इन चीजों को उद्योगपतियों को कम दाम पर देने के बजाय यदि आप इन चीजों को किसानों को नहीं देंगे तो उन्हें बहुत नुकसान होगा।

महोदय, अन्त मैं एक और बात कहना चाहूंगा, केन्द्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को काम मुहय्या किया जाता है। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि उन श्रमिकों को जो वहां काम करने के लिये आयेंगे, कम से कम यह न्यूनतम मजदूरी दी जानी चाहिये। मुझे इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्य सरकारें केन्द्र सरकार द्वारा नियत की गई न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि से सहमत नहीं हैं। महाराष्ट्र उनमें से एक है। महाराष्ट्र सरकार ने शिकायत की है कि न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर प्रतिदिन 11 रुपये करना काफी अधिक है। परन्तु हम समझते हैं कि यह दिया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की यह धारणा है कि जो व्यक्ति सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, उन को पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलेगी और यदि उन्हें पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलती है तो उन्हें भूखा रहना पड़ेगा क्योंकि कीमतों में वृद्धि हो रही है। यद्यपि इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूती प्रदान की जायेगी फिर भी हम अपने विगत अनुभवों से यह विश्वास है कि लोगों की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा नहीं किया जा सकेगा और यदि आवश्यकताओं की पूरी तरह से पूर्ति न की गई तो उन्हें बाजार से ऊंची दरों पर सामान खरीदना पड़ेगा। चूंकि वे ऊंची दरों पर खरीददारी करने की स्थिति में नहीं हैं अतः वे वे नहीं खरीद सकेंगे और कुपोषण तथा भुखमरी बढ़ेगी।

पशुओं के लिए भी जल की व्यवस्था होनी चाहिए...।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री डी. बी. पाटिल : जल केवल मनुष्यों के लिए उपलब्ध किया जा रहा है और वह भी पर्याप्त नहीं है। पशुओं के लिए भी जल की व्यवस्था करनी चाहिए।

श्रीमती बसवराजेश्वरी (बेल्लारी) : महोदय, सूखा और बाढ़, प्राकृतिक आपदायें हैं। पिछले तीन वर्षों से देश, विभिन्न भागों जैसे कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में गम्भीर सूखे और बाढ़ का सामना कर रहा है और इस वर्ष अन्य राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आदि भी भयंकर सूखे का सामना कर रहे हैं। भारत सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए सातवीं योजना में काफी अधिक धन नियत किया है। इसमें से काफी राशि पहले ही उन पीड़ितों को राहत देने में उपयोग की जा चुकी है जो बाढ़ से बहुत अधिक प्रभावित थे। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहती हूं। मैं कुछ आंकड़े देना चाहती हूं और स्थायी उपाय करने के लिए तथा तत्काल उपाय करने के लिए भी अपने सुझाव देना चाहती हूं।

इस देश में औसत वर्षा प्रतिदिन 50 मिलीमीटर है। उसमें से 4000 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र की सतह पर जल है। उस 4000 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र के जल में से जो सतह पर है 700 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र का जल वाष्पित हो जाता है। जल का सतही भंडारण केवल 1150 लाख हेक्टेयर है। बाकी बच रहे 1150 लाख हेक्टेयर जल सूख रहा है। देश में नदियों में आज जल का

कुल प्रवाह 1800 लाख हेक्टेयर है। हम नदियों से केवल 700 लाख हेक्टेयर जल का प्रयोग कर रहे हैं। आज कुल सिंचित क्षेत्र 20 प्रतिशत है। 10 प्रतिशत सतही जल का उपयोग किया जा रहा है।

इसलिए बाकी जल का उपयोग करने के लिए क्या किया जाये यह एक सवाल है। सूखा प्रवण क्षेत्रों को राहत पहुंचाने के लिए स्थायी उपाय करने के बारे में मुझे कुछ सुझाव देने हैं।

पहला सुझाव यह है कि जिला, तालुक, और पंचायत स्तरों पर सलाहकार समितियां बनाई जायें, जिनमें राहत कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा करने हेतु विधान सभा सदस्य और संसद सदस्य तथा अन्य स्थानीय सदस्य और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रमुख हैं। दूसरा सुझाव यह है कि जिला और तालुक अधिकारियों को, आपातकाल के मामले में जैसे कि महामारियों का फैलना, समस्या ग्रस्त गांवों को पानी की सप्लाई की व्यवस्था करना और चारे की खरीद के लिए अधिकार दिये जाने चाहिये। तीसरी बात यह है कि सारा भू-राजस्व माफ कर देना चाहिए। अल्पकालिक ऋणों को मध्य कालिक ऋणों में बदल दिया जाना चाहिए। गरीब परिवारों को चारा खरीदने के लिए तकावी ऋण मंजूर किये जाने चाहिए। राहत कार्य, स्वीकृति मिलने और प्रक्रिया के अनुपालन किये जाने की इंतजारी किये बगैर तत्काल आरम्भ किया जाना चाहिए।

महिलाओं और 10 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को रोजगार उपलब्ध किया जाना चाहिए क्योंकि मैं ज्यादातर यह देखती हूं कि औरतों तथा बच्चों को राहत कार्य में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती है। जहां कहीं भी राहत कार्य दूर-दूर स्थानों पर किये जा रहे हैं। वहां मजदूरों को ठेके पर कार्य सौंपे जाते हैं।

इस प्रकार के कार्यों को किसी भी परिस्थिति में बढ़ावा नहीं देना चाहिए क्योंकि जो कुछ भी थोड़ा भोजन उनके पास है उससे वे ठेके के आधार पर कार्य करने की स्थिति में नहीं हैं। इससे पूरी तरह बचा जाना चाहिए।

सड़क कार्य शुरू करने के बजाय मौजूदा टैंकों की सफाई, नालाबन्ध, भूमि संरक्षण कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा पिक-अप बांध तथा रिसने वाले टैंकों का कार्य छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि सूखे से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत दी जा सके।

गोशालायें होनी चाहिए जहां बारहमास पानी हो और चारे का भंडारण हो तथा पशुओं की पशु चिकित्सक द्वारा देखभाल की जा सके और इससे पहले कि ये पशु भूख से मर जायें या उन्हें बूचड़खानों में ले जाया जाये, उन्हें गोशालाओं में चारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ऐसी गोशालायें कर्नाटक में हैं; हम इसमें बहुत सफल रहे हैं क्योंकि वे पशु जो निर्धन लोगों के हैं उन्हें वहां ले जाया जाता है और गोशाला में रखा जाता है तथा वहां पशुओं की देखभाल के लिए एक चिकित्सक होता है। वहां उन्होंने काफी सारे चारे का भंडारण किया हुआ है और इन पशुओं को आहार भी दिया जाता है। इन पशुओं की अगली बरसात के मौसम तक देखभाल की जाती है।

सिंचित क्षेत्रों में जहां कहीं भी चारा उगाया जा सकता है चारा उगाने के लिए लोगों को कहा जाना चाहिए और उसे सरकार द्वारा खरीदा जाना चाहिए। जहां कहीं भी पहाड़ों और जंगलों में घास उपलब्ध है उसे काटा जाना चाहिए और इसका यथाशीघ्र भंडारण किया जाना चाहिए।

[श्रीमती बसवराजेश्वरी]—जारी

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए । जो प्रणाली हमारे यहां है, जो स्टाक हमारे यहां है वह जरूरत मंद लोगों को खाद्यान्न सप्लाई करने के लिए बहुत अपर्याप्त है । अतः मैं निचले स्तर पर तत्काल अधिक से अधिक उचित दर की दुकानें खोले जाने के लिए अनुरोध करती हूं, और व्यक्तिगत रूप से प्रोत्साहन देने की बजाय संस्थागत रूप से प्रोत्साहन देना चाहिए क्योंकि जब हम व्यक्तियों को इस प्रकार की दुकानें खोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो उनका दुरुपयोग होने की पूरी संभावना है और चोरी छिपे कुछ माल बेचा जा सकता है । अतः मेरा निवेदन है कि जहां तक संभव हो सके ये उचित दर की दुकानें सहकारी समितियों, पंचायतों और स्वयंसेवी संस्थाओं और युवा संघों आदि जैसी सस्थाओं को दी जानी चाहिए ।

जहां तक संभव हो श्रमिकों की मजदूरियां 50 : 50 के आधार पर दी जानी चाहिए अर्थात 50% मजदूरी अनाज के रूप में दी जानी चाहिए और 50% धन के रूप में दी जानी चाहिए । निर्धन परिवारों को पशु आहार और घास, उन पशुओं के लिए जो दूध देते हैं, मुफ्त दिया जाना चाहिए । चूंकि हम दूध की कमी का सामना कर रहे हैं अतः दुधारू पशुओं के लिए आहार और अच्छी घास उपलब्ध करना अच्छा है । राज्य में जहां कहीं भी बीज उपलब्ध हों उनकी अगले खरीफ के मौसम के लिए तत्काल खरीद की जानी चाहिए ।

बोर कुओं की मरम्मत करने वाली चलती फिरती गाड़ियों को तत्काल ले जाया जाना चाहिए क्योंकि कई बोर कुएं हैं जिन पर उचित ढंग से ध्यान नहीं दिया गया है और ग्रामीण लोग पीने के पानी की घोर कमी का सामना कर रहे हैं और जहां भी मांग हों ज्यादा से ज्यादा बोर कुएं खोदे जायें ।

सभी सिंचाई पम्पों के लिए जिन्हें अभी तक विद्युत की सप्लाई नहीं की गई है तत्काल विद्युत सप्लाई की जानी चाहिए और एन. आर. डब्लू. योजना और मिनी वाटर सप्लाई तथा कई अन्य योजनायें पूरी की गई है लेकिन उन्हें विद्युत कनेक्शन नहीं दिये गये हैं । वे कहते हैं माल की सप्लाई बहुत कम है । इस पर तत्काल गौर किया जाना चाहिए । कई राज्यों में विद्युत की कमी के कारण उद्योगों को बन्द करने की सम्भावना है ।

[अनुवाद]

इसलिए केन्द्रीय पूल से बिजली देने के लिए केन्द्र सरकार को आगे आना चाहिए ।

रायल सीमा के सूखोन्मुख क्षेत्रों और कर्नाटक के बेहलरी, टुमकुर, कोलार और चित्र दुर्ग जैसे क्षेत्रों के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए । ऐसा प्राधिकरण राजस्थान में पहले से ही कार्यरत है । इसलिए, हर क्षेत्र में विकास करने और जल, खनिज पदार्थ तथा भूमि जैसे प्राकृतिक संसाधनों का अन्वेषण करने हेतु ऐसे प्राकृतिक के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की जानी चाहिए । इस कार्य को दूसरी सभी परियोजनाओं पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

फिलहाल 70 टी.एम.सी. जल उपलब्ध है जो तुंगभद्रा नदी से समुद्र में बह जाता है । इस क्षेत्र में और अधिक भूमि की सिंचाई हो सकने की हर संभावना है । स्थानीयकरण किये जाने से पहले काफी भूमि को छोड़ दिया गया था और अब भी और काफी अधिक भूमि को सिंचित किये जाने की गुंजाइश है । किसान जल का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि जल उनकी भूमि तक पहुंच जाता है ।

ऐसी भूमि को हालांकि उसका इस्तेमाल किया जाता है, अनधिकृत भूमि घोषित किया गया है। यही समय है कि हमें इन लोगों को तुंगभद्रा नदी से जल लेने का अधिकार देना चाहिए क्योंकि 70 टी. एम.सी. जल फालतू है।

ड्रिप सिंचाई तथा छिड़काव (स्प्रिंकलर) सिंचाई को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि कम पानी से अधिक भूमि को सिंचित किया जा सकें। ग्रामीण श्रमिक रोजगार गारंटी कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सूखोन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों के लिए जनसंख्या के आधार पर धन का आबंटन किया जाता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अब जनसंख्या की बजाय गरीबी और पिछड़ेपन के आधार पर धन का आवंटन किया जाये।

रायलसीमा और कर्नाटक के ऊपरी तुंगा, नेजवती और महानदी जैसे सूखा-उन्मुख क्षेत्रों क समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियरों ने विभिन्न योजनायें बनायी हैं। अगर महानदी को गोदावरी से और गोदावरी को कृष्णा नदी से जोड़ दिया जाये तो 1400 टी. एम. सी. फालतू जल मिल जायेगा। इससे ऊपरी कृष्णा और तेलुगू गंगा और दूसरी सभी परियोजनाओं को अधिक जल दिया जा सकता है। इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसी रचनात्मक योजनाओं को जो स्थायी राहत दे सकें, तुरन्त आरम्भ किया जाना चाहिए।

नेत्रवती नदी पश्चिमी घाट क्षेत्र में बहती है। नेत्रवती नदी के जल को उठाकर और सुरंगों के जरिए सिमोगा और चिकमगलूर जिलों की तरफ मोड़ा जा सकता है ताकि वहां अधिक से अधिक क्षेत्रों में सिंचाई की जा सके।

भूतपूर्व चीफ इंजीनियर श्री परमशिवैया ने ऊपरी तुंगा और ऊपरी आदरा पर एक परियोजना तैयार की है जिससे लाकवाली बांध में 120 टी.एम.सी. जल उपलब्ध हो सकता है। अगर इन दो परियोजनाओं को शुरू कर दिया जाये तो टुमकुर, केलूर, चित्रदुर्ग, बेल्लरी के सूखोन्मुख क्षेत्रों को पर्याप्त जल मिल जायेगा। मैं अनुरोध करता हूं कि कम से कम 8वीं योजना में इन सभी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

जैसा कि मैंने पहले कहा, सभी प्राकृतिक संशोधनों का अन्वेषण किया जाना चाहिए। मैं कई देशों में जा चुका है। मैं अपने देश की तुलना पश्चिमी देशों से नहीं करना चाहता; मैं पूर्वी देशों जैसे चीन, कोरिया और जापान के साथ तुलना करना चाहता हूं, जहां पर सभी प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल और खनिज संपदा का पूर्णतया अन्वेषण किया गया है। इसके पश्चात ही वे उपभोक्ता-उद्योगों की तरफ गये। इसलिए उस ढंग से ज्यादा यह अच्छा होगा कि इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाये और सम्पूर्ण देश के सूखोन्मुख क्षेत्रों के लिए एक स्थायी समाधान ढूंढा जाये। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री एस०बी० घोलप (ठाणे): लोगों को यह देख कर हैरानी होती है कि दिन प्रति दिन हरियाणा, पंजाब और दूसरे क्षेत्र भी सूखे की चपेट में आते जा रहे हैं।

महाराष्ट्र में, कोंकण में कभी भी सूखा नहीं पड़ता था। कोंकण में सामान्यतया लगभग 3000 मिलीमीटर वर्षा होती है। परन्तु इस वर्ष कोंकण में भी वर्षा की कमी है। वर्षा इतनी कम है कि आदिवासी क्षेत्रों में नागली और वरई जैसी फसलें नष्ट हो गयी हैं। लोग पूछते हैं कि वर्षा की इस कमी के क्या कारण हैं, यह कमी दिन-प्रति-दिन क्यों बढ़ती जा रही है और क्या वह सारे भारत में

[श्री एस०जी० घोलप]—जारी

फैल रही है अथवा सारे विश्व में, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह कृपया स्थिति को स्पष्ट करें और सारे विश्व में वर्षा की ऐसी कमी के प्रभाव के बारे में हमें बतायें।

जहां तक वर्षा की कमी अभाव की इस स्थिति के कारणों का संबंध है, सामान्य तौर पर हम कहते हैं कि वृक्षों का काटा जाना दूसरा मुख्य कारण है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र आते हैं। थाणें मुख्य शहर में एक नगरपालिका निगम है। वहां पर कोई पहाड़ी अथवा जंगल नहीं हैं। परन्तु फिर भी वहा अब तक कुल 1000 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है; जबकि दूसरे भाग में, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र का आखिरी भाग है और ग्रामीण क्षेत्र है, वहां अब तक सिर्फ 500 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। एक ही जिले में काफी भिन्नता है, अर्थात कहीं 500 मिलीमीटर तो कहीं 1000 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। एक ही क्षेत्र में इतनी अधिक भिन्नता क्यों है? लोग कहते हैं कि वर्षा की कमी पेड़ काटने से ही नहीं होनी चाहिए बल्कि यह परमाणु बम के विस्फोट किये जाने से हुई है। इसलिए मंत्री महोदय को सही स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के आखिरी भाग में एक पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्र है। यह बिल्कुल पहाड़ी के नीचे है परन्तु फिर भी वहां पर वर्षा शहर की तुलना में कम है जोकि पर्वतीय और जंगली क्षेत्र से बहुत दूर है।

अब सवाल यह है कि इसके लिए क्या उपाय किया जाये? वन मंत्री से मेरा अनुरोध है कि उन्होंने इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में संशोधन किया जाये। जब भी और जहां पर भी जल उपलब्ध हो उसका भंडारण किया जाये और वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में उत्पादन कारी कार्य शुरू किये जायें। हमारे क्षेत्र में जब इन कार्यों को आरंभ किया जाता है तो वहां पर एक प्रतिबन्ध लगा हुआ है कि केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के बगैर किसी भी कार्य के लिए एक इंच भी वन भूमि भी नहीं ली जा सकती। तालाब, जोहड़ और लघु सिंचाई के कार्य, उत्पादनकारी कार्य हैं, परन्तु ये कार्य इस वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की वजह से रुके हुए हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि कम से कम लघु सिंचाई कार्यों के स्तर तक तो इस अधिनियम, में संशोधन किया जाये।

महोदय, हमें प्रभावित क्षेत्रों में पीने के जल की सप्लाई तो करनी ही चाहिए। महोदय, मेरे क्षेत्र में, एक आदिवासी गांव पाट गांव में लगभग 1000 लोग रहते हैं। काफी लंबे समय के बाद केन्द्रीय सरकार ने पीने के पानी की योजना को मंजूरी दी और पाईपलाईनों पर 7 लाख रुपए खर्च किए हैं। अब कुएं के अलावा प्रत्येक कार्य पूरा हो चुका है। जब उन्होंने वन क्षेत्र में कुआं खोदने का कार्य आरंभ किया और इसके लिए सिर्फ आधा एकड़ भूमि की जरूरत थी, तो अपेक्षित भूमि न दिये जाने की वजह से वह कार्य रोक दिया गया। मुख्यमंत्री ने भी इसमें हस्तक्षेप किया और भरसक प्रयास किया परन्तु अनुमति नहीं दी गयी। उन्होंने कहा कि पहले मामला केन्द्रीय सरकार के पास जायेगा और उसके बाद ही मंजूरी दी जायेगी। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वन मंत्री के साथ इस मामले पर विचार किया जाये ताकि इस अधिनियम में संशोधन किया जा सके।

मैं राज्यों को दिए जा रहे अनुदान की नीति के बारे में जानना चाहता हूं। महाराष्ट्र ने वर्ष 1985-86 और 1986-87 में क्रमश: 261 करोड़ व 494 करोड़ रुपए खर्च किये। इसी प्रकार दो

सालों में महाराष्ट्र सरकार ने 755 करोड़ रुपए खर्च किये हैं जबकि उनको मिले हैं सिर्फ 56 करोड़ रुपये। अर्थात महाराष्ट्र को सिर्फ 7 प्रतिशत राशि ही मिली। अब, यह तो कोई सहायता नहीं है। यह तो आजकल राज्यों को दिया जाने वाला सिर्फ अग्रिम अनुदान है और कल इसमें भी कटौती की जा सकती है। इस प्रकार अगर 7 प्रतिशत ही दिया जाता है तो राज्यों में कार्य कैसे चलाये जा सकते हैं। इसके बाद जो कुछ भी दिया जाना है उसे तुरन्त दिया जाना चाहिए।

महोदय, कई माननीय सदस्यों ने पहले ही कहा है कि अग्रिम ऋण अथवा अग्रिम अनुदान की बजाय इसे सहायता के रूप में दिया जाना चाहिए जैसाकि तूफान और बाढ़ के लिए, दिया जा रहा है। फिर, एक उपबंध है जिसके अनुसार अगर यह राशि राज्य के कुल बजट के 5 प्रतिशत से अधिक होती है तो फिर वह राज्य सहायता पाने का पात्र हो जाता है। अब, महाराष्ट्र में 2000 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट है। इसका 5 प्रतिशत 100 करोड़ रुपए होता है। एक वर्ष में 100 करोड़ रुपए खर्च करना कभी भी संभव नहीं है। फिर, महोदय, वर्षा की कमी वाले समय को हमेशा दो वर्षों अर्थात अक्तूबर से मार्च और अप्रैल से जून तक विभाजित किया जाता है। इसलिए पांच प्रतिशत की बजाय यह राशि एक वर्ष में दो प्रतिशत तक होनी चाहिए ताकि हम उस धनराशि को खर्च कर सकें और उसे सहायता के रूप में प्राप्त कर सकें।

जहां तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन०आर०ई०पी०) के अन्तर्गत मजदूरों को सस्ते खाद्यान्न सप्लाई करने का संबंध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में अधिकतर मजदूरों को रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत लगाया गया है। आजकल भी 5.23 लाख मजदूर रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत कार्यकर रहे हैं। इस योजना को उन मजदूरों पर भी लागू किया जाना चाहिए जो रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं ताकि गरीब लोगों को लाभ मिल सके।

अब मैं फसल बीमे के विषय पर आता हूं। जब भी कोई क्षेत्र वर्षा की कमी वाला क्षेत्र बन जाता है, तो सरकार द्वारा ऐसी घोषणा की जाती है। ऐसी घोषणा सिर्फ फसल की उपज पर विचार करने के बाद की जाती है। अगर उत्पादन 50 प्रतिशत से नीचे है तब तो उस गांव को ही कमी वाला क्षेत्र घोषित किया जाता है। हमें यह जानकारी मिली है कि जहां पर लोगों ने अपनी फसलों का बीमा करवाया है, सरकार द्वारा उस गांव को वर्षा की कमी वाला क्षेत्र घोषित करने के पश्चात भी किसानों को बीमे की धनराशि नहीं मिल रही है। लोगों को बताया गया है कि एक पृथक समिति द्वारा उस क्षेत्र की उपज का पता लगाने और उस क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र घोषित करने के बाद ही फसल बीमे की धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। मैं अनुरोध करता हूं कि जब कभी भी किसी क्षेत्र को वर्षा की कमी वाला क्षेत्र घोषित किया जाता है, तो बीमे की धनराशि किसानों को तुरन्त दी जानी चाहिए और विशेष समिति से किसी भी रिपोर्ट की मांग नहीं की जानी चाहिए।

महोदय, कोंकण में पीने के पानी की समस्या है। इस वर्ष कोंकण में सिर्फ 50 प्रतिशत वर्षा हुई है। इस तरह, वहां पर पीने के पानी की घोर कमी है।

अब मैं आदिवासियों की फसलों के नुकसान के बारे में चर्चा करूंगा। क्योंकि ये फसलें पर्वतीय क्षेत्रों में हैं और वर्षा बहुत कम हुई है, तो ये फसलें नष्ट हो गयी हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इन लोगों को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए और इनको और अधिक कार्य मुहैया करवाया जाना चाहिए।

[श्री एस०जी० घोलप]—जारी

महोदय, महाराष्ट्र सरकार को सिर्फ 56 करोड़ रुपए दिए गए हैं जबकि उसने 800 करोड़ रुपए की मांग की थी। राज्य सरकार इस धनराशि को पहले ही खर्च कर चुकी है। इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि महाराष्ट्र को उनकी मांग के अनुसार, और अधिक वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : महोदय, कहा जाता है कि इस वर्ष का सूखा हमारे देश में पिछले सौ वर्षों के दौरान पड़े सूखों में सबसे भयंकर है। लोगों की हालत बहुत दयनीय हो गयी है। यह किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, बल्कि यह समूचे राष्ट्रीय की समस्या है। इसे एक साधारण समस्या न समझ कर इसे एक व्यापक दृष्टिकोण से विस्तृत देखा जाना चाहिए। महोदय, इस समस्या का अल्पावधि और दीर्घावधि उपाय करते हुए स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए।

महोदय, ये सूखे दिन-प्रति-दिन क्यों बढ़ते जा रहे हैं? पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष का सूखा अधिक भीषण है। अगले वर्ष क्या स्थिति होगी? हम इस बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते आन्ध्र प्रदेश में पिछले पांच वर्षों से लगातार सूखा पड़ता आ रहा है। उस राज्य के एक भाग में, बाढ़ भी आई है। हमारे देश में ये बातें क्यों हो रही हैं? कुछ राज्यों में पानी की कमी से सूखा और कुछ अन्य राज्यों में बाढ़ आई है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए। इस के लिए संपूर्ण योजना तंत्र को सक्रिय बनाया जाना चाहिए। स्थिति का गहरा अध्ययन किया जाना चाहिए। इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

महोदय, अगर राजस्थान, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और यहां तक कि उत्तर प्रदेश में भी सूखे की स्थिति जारी रही तो हम न्यूनतम अपेक्षित खाद्यान्न का उत्पादन कैसे कर पायेंगे? इस योजना के अन्त तक हम 1750 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन की अपेक्षा कर रहे हैं। परन्तु वर्तमान स्थिति 1510 मीलियन टन उत्पादन की है।

मैं नही जानता कि इस सूखे की स्थिति में उन्हें क्या मिलने वाला है। हमारा बफर स्टाक केवल 23.5 मिलियन टन है और यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु 19-20 मि. टन प्रतिवर्ष की दर से मुश्किल से ही पर्याप्त होगा। सूखे के कारण इस वर्ष ज्यादा खपत होगी। अगले साल के लिए हम अनाज किस प्रकार प्राप्त करेंगे, स्थिति क्या रहेगी? यह केवल कृषि विभाग की ही समस्या नहीं है। हमें इस समस्या से राष्ट्रीय समस्या के रूप में निपटना होगा। सिंचाई, वित्त तथा ऊर्जा विभागों को बिजली तथा पानी की कमी की समस्या का समाधान करना चाहिए। हमारे यहां पानी और पन बिजली तो है। किन्तु हम परमाणु ऊर्जा तथा ताप विद्युत को अपेक्षित महत्व नहीं दे रहे हैं। इन संसाधनों को उपयोग में लाना होगा। हम केवल जल-विद्युत पर ही निर्भर नहीं रह सकते। अतः परमाणु ऊर्जा तथा ताप-विद्युत को यथेष्ट महत्व दिया जाना चाहिए। तभी हम विद्युत की कमी को दूर कर सकते हैं। इस कमी के कारण अधिकतर उद्योग-धन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गये हैं। इन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए।

हमारे पास पानी है, परन्तु उसको उपयोग में लाने की क्या योजना है? आप पानी के बहाव को नियन्त्रित करके किस प्रकार उसका समुचित उपयोग करेंगे। पानी की प्रत्येक बूंद का सदुपयोग

किया जाना चाहिए और तभी हम अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इन बातों के बारे में विस्तार-पूर्वक अपेक्षित अध्ययन किया जाना चाहिए। सम्पूर्ण योजना-तन्त्र का कायाकल्प किया जाना चाहिए और योजना आयोग को इतना सक्रिय बनाया जाना चाहिए कि वह आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य कर सके। तभी हम इस समस्या को हल कर सकते हैं।

साथ ही सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियन्त्रित करना चाहिए। प्रतिदिन ही कीमतें बढ़ रही हैं। यदि पिछले साल की कीमतों के साथ तुलना की जाए तो थोक मूल्यों के उपलब्ध आंकड़ों से मुद्रास्फीति में वृद्धि स्पष्ट परिलक्षित होती है। हाल ही के थोक मूल्य सूचकांक से पता चलता है कि इस वर्ष मार्च के अन्त से जुलाई तक सूचकांक 5.53 प्रतिशत बढ़ गया जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में यह वृद्धि 5.15 प्रतिशत थी। साथ ही, अनाज की कीमत इस वर्ष मार्च के अन्त से जुलाई तक 5.24% तक बढ़ी जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में इसमें 2.24 प्रतिशत की गिरावट आई थी। सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम नहीं जानते कि आगामी तीन या छः महीनों के बाद स्थिति क्या होगी? अभी तो साल शुरू ही हुआ। आप आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों पर किस प्रकार नियन्त्रण करेंगे?

सम्पूर्ण सौराष्ट्र में सूखे की स्थिति है। तिलहन की क्या स्थिति होगी? आप किस प्रकार से लोगों की जरूरतों को पूरा करेंगे तथा कीमतों पर नियन्त्रण रखेंगे। आप तात्कालिक उपाय के रूप में आयात का सहारा ले सकते हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इसे वितरित कर सकते हैं, परन्तु हमें एक स्थायी समाधान ढूंढना चाहिए, हमें यथासंभव अधिक परियोजनाएं तैयार करनी चाहिए और जहां पर भी पानी उपलब्ध है, हमें उनका निर्माण करना चाहिए।

गंगा को कावेरी से जोड़ने का प्रस्ताव काफी लम्बे समय से विचाराधीन है, परन्तु हमें उसकी वर्तमान स्थिति की जानकारी नहीं है। स्वर्गीय डा. के. एल. राव ने यह प्रस्ताव रखा था और हम अपने विद्यार्थी जीवन में उस योजना की चर्चा सुना करते थे। परन्तु अब वह योजना कहां है? क्या उसे रद्द कर दिया गया है या वह अभी भी विचाराधीन है? उस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। गंगा से कावेरी तक की सभी नदियों के पानी को प्रयोग में लाया जाना चाहिए। भूमिगत जल का स्तर दिन-प्रतिदिन नीचा होता जा रहा है। यदि इस वर्ष यह 100 फुट नीचे है तो अगले वर्ष यह 150 फुट नीचे हो जाएगा और दो वर्ष बाद यह 200 फुट नीचे हो जाएगा। कोई भी नलकूप काम नहीं कर रहा है। स्वतन्त्रता के 40 वर्ष बाद भी ग्रामीण जनता को पीने के पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यह भारत सरकार के कुप्रबंध और गलत योजनाएं बनाने का परिणाम है। इसके लिए केवल वही दोषी हैं। सरकार को अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं भागना चाहिए और उसे यह जिम्मेदारी राज्यों पर नहीं डालनी चाहिए। इस दयनीय स्थिति के लिए शासक दल ही जिम्मेदार है।

डा. जी. एस. ढिल्लो : यहां पर या आन्ध्र प्रदेश में?

श्री एम. रघुमा रेड्डी : अब आंध्र को लीजिए, राज्य सरकार ने अनेक परियोजनाओं की सिफारिश की थी लेकिन ये परियोजनाएं अभी तक केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए विचाराधीन पड़ी हैं। ये परियोजनाएं 15 वर्षों के लम्बे समय से विचाराधीन हैं। हमें देश की समूची स्थिति का जायजा लेकर न केवल आंध्र प्रदेश में ऐसी परियोजनाओं का निर्माण करना चाहिए, बल्कि जहां-कहीं भी संभव हो, वहीं ऐसी परियोजनाएं बनानी चाहिए। आप राज्य सरकारों को ऐसे निर्माण कार्य को शुरू करने की अनुमति दे सकते हैं। पोलावरम परियोजना, ईंचामपाली परियोजना, श्रीसैलम बांया तट

[श्री एम० रघुमा रेड्डी]—जारी

परियोजना, पोचेम्पड परियोजना और तेलगु गंगा नामक परियोजनाएं भारत सरकार ने कई वर्षों से रोक रखी हैं। इनको बिना किसी विलम्ब के स्वीकृति दी जानी चाहिए।

आंध्र प्रदेश सरकार की सहायता के लिए केन्द्र सरकार को आगे आना चाहिए। आंध्र प्रदेश, लगातार पिछले 5 वर्षों से सूखे की चपेट में है। इस महीने की 8 ता० को हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने आंध्र प्रदेश का दौरा किया था। शायद उन्होंने यह यात्रा मौज-मस्ती के लिए की थी। पहले, हमने सोचा था वह महबूबनगर जा रहे हैं। परन्तु उन्होंने सूखाग्रस्त इलाकों की यात्रा नहीं की।

...(व्यवधान)।

श्री योगेन्द्र मकवाना : तेलंगाना और रायलसीमा में अच्छी वर्षा हुई है। जहां तक आंध्र के समुद्रतटीय इलाकों का सम्बन्ध है, वहां कम वर्षा हुई है। परन्तु वहां पर गोदावरी नहर है। और वह सिंचित क्षेत्र है।

श्री एम. रघुमा रेड्डी : मैं नहीं जानता कि आपको यह सूचना कहां से प्राप्त हुई।

महोदय, हमें यह जानकारी दी गई थी कि प्रधान मंत्री सूखाग्रस्त क्षेत्र महबूबनगर का दौरा करेंगे। ज्योंही हम हवाई अड्डे पर पहुंचे तो हमें बताया गया कि दौरा रद्द कर दिया गया है। उनकी सहानुभूति आंध्र प्रदेश के लोगों के प्रति थी तभी तो उन्होंने आंध्र प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा रद्द किया? महोदय, वास्तविकता यह है कि वह इस स्थिति का राजनीतिक लाभ उठाना चाहते थे।

आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने राहत प्राप्त करने के लिए एक ज्ञापन दिया था परन्तु अभी तक कोई भी राहत कार्य नहीं किया गया।

अंत में, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पेय जल की अनेक परियोजनाएं भारत सरकार के पास विचाराधीन पड़ी हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र नालगोंडा में पीने के पानी में लगभग 14 से 15 प्रतिशत तक फ्लोरीन गैस होती है। वहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। फाईल विचाराधीन है...।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मुझे आंध्र सरकार से एक रिपोर्ट मिली है और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि इस समय वहां पीने के पानी कोई समस्या नहीं है।

[हिन्दी]

श्री वी. तुलसीराम : यह रिपोर्ट आपको कहां से मिली?

[अनुवाद]

श्री एम. रघुमा रेड्डी : मैं एक किसान हूं और मैं गांव से आया हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पीने के पानी में 14 से 15 प्रतिशत तक फ्लोरीन है इस कारण यह क्षेत्र पीने के पानी की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है। मंत्री जी बहुत उदार हैं और मैं आशा करता हूं कि वे हमारी समस्याओं की ओर ध्यान देंगे और उन्हें सुलझाने का प्रयत्न करेंगे। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे राजनैतिक दृष्टिकोण न अपनायें और भारत सरकार के पास जो भी सिंचाई परियोजनाएं विचाराधीन पड़ी हैं, उनको स्वीकृति प्रदान करें।

[हिन्दी]

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली): माननीय सभापति जी, आज यहां सूखे पर चर्चा हो रही है। कल भी चर्चा हुई थी। यह सूखा हर साल बढ़ता जा रहा है। हमारे दिल्ली के देहातों में भी इस साल बारिस नहीं हुई। हमारे देहातों के किसान लोग यह उम्मीद करते रहे कि इस हफ्ते बारिस होगी, अगले हफ्ते बारिस होगी लेकिन अभी तक बारिस नहीं हुई। इस साल ऐसा सूखा पड़ा है कि किसान परेशान हो गया है। जो ट्यूब वेल थे वे भी सूख गये हैं क्योंकि बिजली नहीं मिल रही है। दिल्ली में देहातों में बिजली नहीं जाती, इसीलिए सारी फसल खराब हो जाती है। बारिस होने से तो तालाबों में भी पानी भर जाता है, पशुओं के लिए चरने को हरी घास हो जाती है वे एक दिन में कम से कम दो किलो दूध तो दे देते हैं। बारिस न होने से उनका दूध सूख गया है। दूध की बहुत कमी हो गयी है। इस साल ऐसा सूखा पड़ा है कि किसान बहुत परेशान है। हमें इसका मुकाबला करना है।

हम जानते हैं कि सरकार किसान की बात सुनती है। हमारे मेम्बर भी सुनते हैं। कुछ मेम्बर जबान से ज्यादा कहते हैं लेकिन सुनते कम हैं। आज गांव का हरेक आदमी परेशान है। जो गांव मे सब्जी लगाता था या दूसरे काम करता था, वह सब बहुत परेशान हैं। किसान भी बहुत परेशान है। किशान के परेसान होने से सारे लोग परेशान है। क्योकि किशान पर ही देहात के हर आदमी की आमदनी निर्भर होती है। किसान की आमदनी वर्षा पर निर्भर करती है। वर्षा होने से ही सब्जी की फसल होती है। उससे किसान का गुजारा होता है।

आप कहते हैं कि किसान धनवान हो गया है। ऐसा नहीं है। अगर किसान की एक साल अच्छी फसल हो जाए तो उस साल वह अच्छी तरह से गुजारा कर सकते हैं, बच्चों के ब्याह-शादी कर सकता है, अपना मकान बना सकता है, अपने कर्जे की अदायगी कर सकता है। अगर उसकी फसल खराब हो जाती है तो वह भूखों मरने लगता है। किसान की आमदनी होने से देहात के जो हरिजन हैं, बेकवर्ड हैं, सब्जी लगाने वाले लोग हैं, उनका भी काम चलता है। सूखे के इलाज में, जैसे हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, की बात मैंने सुनी, दिल्ली के देहातों को भी जो कि सूखे की लपेट में आये हुए हैं, जोड़ दिया जाए।

4.00 म०प०

(श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए।)

जिन किसानों को नुकसान हुआ है, फसल खराब हुई है या फसल सुख गई है, उनकी ओर भी आप ध्यान दें। उनके लिए हर तरफ की ग्रान्ट दें। जैसे और सूखों में ग्रान्ट दी है वैसे ही दिल्ली के किसानों के लिए भी मदद करें। इसका मुकाबला करने के लिए हमारे जो ड्रेन हैं उनमें चार-चार फुट की रोक लगाई जाए जिससे ट्यूबवैलों का पानी नीचे नहीं जाए और अच्छी तरह से सिंचाई हो सके। नजफगढ़ नाले से भी काफी सिंचाई हो सकती है, वह पानी बेकार में ही यमुना में गिरता है। उसके लिए बंदोबस्त होना चाहिए। दिल्ली के देहातों में जितने ट्यूबवैल्स है उनके लिए हर वक्त बिजली मिलनी चाहिए। मैंने दो-तीन दिन पहले भी बताया था कि दिल्ली में और थर्मल पावर लगाया जाए जिससे देहात के किसानों को पूरी बिजली मिले। दिल्ली के देहात के किसानों को चारे की ग्रांट मिलनी चाहिए। लोन के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। लोन तो काफी बढ़ गए हैं, उन लोगों को बड़ी मुश्किल हो गई है। किसानों को नकद ग्रान्ट दी जाए। ठेकेदार से खराब चारा ले आते हैं और बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं इसलिए ग्रान्ट दी जाए। इसके साथ-साथ बीज

[श्री भरत सिंह]—जारी

का भी प्रबंध होना चाहिए। चावल और धान की पौध सूख गयी है, इसलिए किसान परेशान है। उनके ऊपर जो लगान है, वह बिल्कुल माफ कर दिया जाए। दिल्ली के गांव जितनी सब्जी उगाते हैं, वह सब सूख गई है। आप सब हाऊस में बैठे हैं आपको मालूम होगा कि सब्जी के भाव कितने बढ़ गए हैं। इसका कारण यह है कि सब्जी को पैदावार कम हुई है। ज्यादा सब्जी उगाते हैं तो सस्ती मिलती है। मैं चाहूंगा की हर तरह से दिल्ली के देहात के किसानों का ख्याल रखा जाए। भूमिहीन और मजदूरों का भी ख्याल रखा जाए तथा उनको पूरी ग्रान्ट दी जाए। आज दूध की भी बहुत कमी है। दुधारू पशुओं के लिए हर तरह से कोशिश करें कि उनको हरा चारा मिले। इससे ज्यादा दूध होगा और दिल्ली में दूध की कमी दूर होगी। मैं चाहूंगा कि इस मामले में ज्यादा से ज्यादा कोशिश होनी चाहिए। पहले की बनिस्बत हमारी सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। यह कहा जाता है कि पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में एक तरफ अकाल पड़ता था और दूसरी तरफ अनाज भी ज्यादा होता था और लोग भी भूखे मरते थे। आज ऐसी बात नहीं है। सरकार के पास पूरे साधन हैं। मैं चाहूंगा कि बंध लगाए जाए चार-चार फुट के नालों में और बिजली की पैदावार बढ़ाई जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा सूखे का मुकाबला कर सकें। और सूखे में हम अच्छी तरह से फसलों की सिंचाई कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोहम्मद अयूब खां (झुन्झुनू) जनाबे मोहतरम्, मैं राजस्थान से आता हूं। राजस्थान का पूरा इलाका आज चार-पांच साल से लगातार अकाल की भीषण पीड़ा से लिप्त है। राजस्थान में कुल 27 जिले हैं और उन जिलों में 204 तहसीलें हैं। 38.670 आबादी है और 2071 गांव हैं तथा इसी प्रकार 308 लाख पशुधन है।

वहां पर इतनी भूखमरी, महामारी और बेरोजगारी है कि लोग चिरमिरा रहे हैं जिसकी हालत देखने लायक है। वहां सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। वहां पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। झुन्झुनू क्षेत्र जहां से मैं आता हूं, वह हरियाणा से बिल्कुल अगली छोर के ऊपर है। हरियाणा के बीच से नहर जाती है और झुन्झुनू का इलाका उस नहर के पानी से वंचित रहता है। ऐसे संकट के समय में कम से कम उस नहर का पानी झुन्झुनू और सीकर में जाना चाहिए ताकि लोग उस पीने के पानी को इस्तेमाल कर सकें।

अगर इस समय जितने भी अकाल राहत कार्य हो तो राजस्थान के झुन्झुनू और सीकर जिले के लिए कम से कम गंगा-यमुना कैनाल के ऊपर कार्यक्रम चलाया जाए ताकि पीने का पानी इस इलाके को मिल सके। इन्दिरा गांधी कैनाल का जो पानी है वह राजस्थान के एक छोर से निकलता है, वह एक बहुत बड़ी योजना है। लेकिन उससे भी पीने के लिए पानी झुन्झुनू और सीकर के लिए लाया जाए। मैं आपसे अपील करूंगा कि राजस्थान का जो बकाया है, 305 लाख मीट्रिक टन अनाज और 82 करोड़ रुपया, वह जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाये। पेयजल के लिए जो 100 करोड़ रुपया है वह भी रिलीज किया जाये। ऐसे संकट के समय में बिजली ज्यादा दी जाये ताकि उन इलाकों में जहां कुओं का पानी गहरा है और बिजली का कनेक्शन नहीं है वहां कनेक्शन देने से लोगों को पानी उपलब्ध हो सके। हमारे यहां पानी की और चारे की बहुत बड़ी समस्या है। मेरा झुन्झुनू जिला कुछ-कुछ पहाड़ी इलाका है वहां पर कुओं का पानी सूख गया है, इसलिए वहां पर बोरिंग मशीन भेजी जाये जिससे लोगों को पानी मिल सकता है। कुछ ऐसा इन्तजाम किया जाये कि एक गांव में कम से कम एक हैण्ड पम्प अवश्य हो। किसानों को उनके कुएं गहरे कराने के लिए मदद

दी जायें। जहां पर बुवाई बिलकुल नहीं हुई हैं, जहां जो हुई हैं वह भी बिलकुल सूख गई है, किसानों को जो 10 हजार रुपये का लोन दिया है उसको माफ करना चाहिए। लोन की तकावी में भी मदद करनी चाहिए। किसानों को इस संकट की घड़ी में और मदद देनी चाहिए। जिससे किसान और गरीब तबका इस संकट की घड़ी में आराम पा सके। गांवों में सस्ते दामों पर अनाज की दुकानें खोली जानी चाहिए, बिजली का बन्दोबस्त होना चाहिए। राजस्थान का सबसे बड़ा पशुधन है उसको बचाने के लिए चारे के डिपो ज्यादा से ज्यादा खोले जाने चाहिए। उसके लिए जो सब्सिडी है, ट्रांसपोर्ट है, फ्री होनी चाहिए और यह कार्य जल्दी किया जाना चाहिए तभी राजस्थान का पशुधन बचेगा वरना राजस्थान का पशुधन आज खराब हालत में है, आज वह जगह-जगह मर रहा है। लोगों को यह परेशानी है कि आने वाले दिनों में कैसे यह बचेंगे और कैसे इनसान जिन्दा रह पायेंगे।

राजस्थान के झुंझनू और सीकर इलाके से सबसे ज्यादा देश में से फौजी भर्ती होते हैं और मुल्क की सरहदों की रक्षा करते हैं। उन तमाम फौजियों को किस तरह सुकून मिलेगा जब उनके इलाके में भुखमरी पैदा हो जाएगी। उस इलाके से ज्यादा फौजियों की भर्ती जल्दी से जल्दी की जाये, सरकारी कर्मचारियों की भर्ती पर जो रोक है उसको खोला जाये। राहत कार्य जो खोले जायें उसमें हमारे जिले के जन-प्रतिनिधियों को शामिल किया जायं जिससे वह सही जगह राहत कार्य खुलवा सकें। जो सरकारी कर्मचारी या जन-प्रतिनिधि लोग हैं इस सकट की घड़ी में उनको एक महीने का अपना वेतन राहत कार्यों के लिए देना चाहिए। हमारा जो यातायात का खर्चा है वह बंद करना चाहिए, तमाम प्रकार के फंक्शन बन्द करने चाहिए और इस घड़ी का मुकाबला करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं राजस्थान में जो इस समय मुसीबत की घड़ी है उसको दूर करने के लिए हमारे मोहतरिम मंत्री श्री ढिल्लों साहब जो हमारी मांगें हैं उनको जल्दी पूरा करेंगे। हमारे झुंझनू जिले के लिए जो गंगा-यमुना नहर की मांग हमने की है उसके लिए इन्तजाम करेंगे और किसानों के जो लोन हैं उसको माफ करेंगे और पशुधन के लिए चारे का बंदोबस्त करेंगे।

श्री बलराम सिंह यादव (मैनपुरी) : आदरणीय सभापति जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सूखे की स्थिति पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, कुदरत की लीला बड़ी विचित्र है जिसने हमें बहुत कुछ दिया है और हम कई बातों में आज भी उस पर निर्भर है। कभी वह हमारे ऊपर मेहरबान होती है तो कभी कहर बरपाती है। हमारे देश में हर वर्ष कहीं बाढ़ और कहीं सूखे की स्थिति होती है लेकिन इस वर्ष कुदरत ने हमारे सामने एक अजीब स्थिति पैदा कर दी है। मेरा ख्याल है कि हमने अपने जीवन में शायद ही ऐसी भयानक स्थिति देखी हो। लोगों का तो कहना है कि पिछले 100 सालों में कभी ऐसा सूखा नहीं पड़ा, जैसा इस साल पड़ा है।

मान्यवर हमारे देश में 415 जिले हैं और उनमें से 280 जिलों में सूखे की स्थिति है, 280 जिले सूखाग्रस्त हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में 57 जिले हैं जिनमें से 50 सूखे की चपेट में है। बाकी 7 जिलों की स्थिति भी अच्छी नहीं है और उनमें भी काफी नुकसान हुआ है। मुझे विभिन्न जिलों में इस प्राकृतिक विपदा से हुए नुकसान को करीब से देखने का अवसर मिला है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश में धान आदि खरीफ की फसलों की 15 प्रतिशत बुआई भी नहीं हो सकी। मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र मैनपुरी के अतिरिक्त आसपास के जिलों एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, आगरा आदि कई स्थानों पर जाने का अवसर मिला है, उन सब में नहर के अगल-बगल तो हरियाली दिखाई देती है या जहां ट्यूबवैलों

[श्री बलराम सिंह यादव]—जारी

से सिंचाई का काम होता है, वहां थोड़ी बहुत हरियाली है अन्यथा समूचा क्षेत्र, समूचा जनपद, समूचा उत्तर प्रदेश ऐसा लगता है मानों मरूस्थल बन गया हो। सभी जगह सूखे के कारण स्थिति बहुत भयानक है। वर्षा न होने से जहां खेतों के लिए पानी की कमी हो गयी है वहीं लोगों के सामने पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गयी है। ट्यूबवैल भी धरती के नीचे पानी का स्तर नीचा हो जाने के कारण अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। पानी की कमी के कारण बहुत से कुएं सूख गए हैं या उनका जल स्तर बहुत नीचा हो गया है। आज हमारे सामने यह बहुत भारी चुनौती है जिसका हम सब को मिलकर मुकाबला करना है।

मान्यवर, तालाबों तक में पानी सूख गया है, जिनसे जानवरों को पीने का पानी मिलता था। इसके कारण हमारे जानवर भी प्यासे मरने शुरू हो गए हैं। जो किसान तालाबों में मछलियां पालते थे, पानी की कमी से तालाबों में मछलियां मरने लगी हैं, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए हमें बड़े प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, गांवों के खेतिहर मजदूर, गरीब लोग, जिनकी रोजी-रोटी का सहारा सिर्फ मजदूरी करना था, कृषि कार्य न होने के कारण वे भी भूखे मरने के कगार पर आ गए हैं, उनको कहीं भी कोई रोजगार नहीं मिल रहा है।

मैं यहां अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने स्थिति का मुकाबला करने के लिए उद्योगों को दिए जाने वाले डीजल में कटौती करके किसानों को उनके ट्यूबवैल्स और पम्पिंग सैटस चलाने, ट्रेक्टर चलाने के लिए डीजल उपलब्ध कराया है। उनका यह कदम वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है और मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं।

मान्यवर, बहुत सी बातें हमारे साथियों ने कही हैं। लंबे-चौड़े भाषण की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं। मैं कुछ कोंक्रीट सुझाव सरकार को देना चाहता हूं, मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं और मैं समझता हूं कि अगर उन सुझावों पर सरकार अमल करे, तो हम बहुत खूबी के साथ इस स्थिति का मुकाबला कर सकते हैं।

मान्यवर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम या अन्य ऐसे कार्यक्रम जिन से कि लोगों को रोजगार मिल सके, सरकार को व्यापक रुप से अविलम्ब शुरू करना चाहिए। उद्योगों को जो बिजली दी जाती है, उसको काटकर ट्यूब वैल चलाने के लिए किसानों को दिया जाए और किसानों को कम से कम 18 घंटे बिजली दी जाए। तब इससे किसानों को कुछ राहत मिल सकती है। जिन राज्यों में विद्युत सरप्लस है, उन राज्यों से विद्युत लेकर हमारे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को दी जाए, जो खाद्यान्न के मामले में सरप्लस रहा है। जिसने खाद्यान्न दूसरे अभावग्रस्त प्रदेशों को दिया है। आज हम देखते हैं कि दिल्ली और अन्य शहरों में बिजली का खर्च ब्यूटीफिकेशन के ऊपर हो रहा है। जो ट्यूब लाइट और स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं, उनमें से रोशनी के लिए जितनी आवश्यक हों, उतनी ही ट्यूब लाइट और स्ट्रीटलाइट जलाएं, बाकी बिजली की कटौती कर के उस बिजली को किसानों के लिए डाइवर्ट किया जाए।

मान्यवर, जिन गांवों में तालाबों में पानी नहीं है उनमें नहरों और नलकूपों से पानी भरा जाए ताकि गांव के जानवरों को पानी मुहैय्या हो सके। जिन गांवों में मान्यवर तालाब नहीं हैं वहां एन० आर०ई०पी० के अन्तर्गत तुरन्त तालाब खोदे जाएं, ताकि जानवर पानी पी सकें। नहरों में जो पानी

आ रहा है, उसको अनवरत चलने दिया जाए और नहरों को बन्द न किया जाए। गरीबों, मजदूरों और सीमान्त किसानों को आवश्यक सामग्री सस्ती दर पर उपलब्ध करवाई जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी राहत और सहायता आप गांवों को भेजना चाहते हैं, किसानों और मजदूरों को भेजना चाहते हैं, उसके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि वह सीधे, बगैर किसी गड़बड़ी के वगैर किसी भ्रष्टाचार के गांव के लोगों को मुहैया हो सके। इसकी बहुत महती आवश्यकता है।

मान्यवर, जिन राज्यों में सरप्लस चारा है, भूसा है, घास है या चरी है, वह अभावग्रस्त प्रदेशों को अविलम्ब सस्ती दर पर उपलब्ध कराई जाए। सभी किसानों व मजदूरों पर जो सरकारी देय हैं, वे माफ किए जाएं। आज हम महसूस करते हैं कि किसान की हालत इतनी खराब है कि किसान ऋण नहीं दे सकता है और आगे आने वाले दो वर्षों में भी नहीं दे सकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो सरकारी देय हैं, उनको माफ किया जाए।

मान्यवर, जो नलकूप खराब पड़े हुए हैं, उनको युद्धस्तर पर ठीक कराया जाए। सबसे जरूरी बात यह है कि खाद्यान्न की कीमतें तब से बढ़नी शुरू हुई हैं जब से सूखा पड़ा है। मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि बढ़ती हुई खाद्यान्न की कीमतों पर रोक लगाई जाए ताकि गरीबों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। जानवरों के लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जो जंगल हैं जिनमें जानवरों के चरने पर रोक लगी हुई है। उन जंगलों में जानवरों को चरने के लिए अलाऊ किया जाए और फ्री किया जाए, ताकि जानवर मरने से बच सकें। इन्हीं शब्दों के साथ, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल (कोपरगाव) : सभापति महोदय, इस देश में इस साल जो राष्ट्रीय संकट पैदा हुआ है, उस पर इस सदन में परसों से एक महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। कई प्रान्त इस देश में ऐसे हैं, जैसे महाराष्ट्र, वहां गये 15 साल में 10 साल से सूखा रहा है। अभी वर्षा न होने के कारण वहां फसल नहीं हुई है। हमारे पास जो अनाज के भंडार हैं, उनका इस्तेमाल हम कैसे करें, यह भी हमें शांति के साथ देखना है, बल्कि अनाज गरीब लोगों तक सही दामों में पहुंच जाये यह भी देखना जरूरी है।

आज जब देश में राष्ट्रीय संकट है तो कुछ जमाखोरी वाले लोग इस स्थिति से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं। अब सब चीजों की कीमतें बढ़ने लगी हैं। राशन-शाप्स से जो अनाज दिया जाता है, वह भी साफ नहीं है। गेहूं सड़ा हुआ है और चावल भी ठीक नहीं है। हमारे एफ. सी. आई. के गोदामों से जो अनाज स्टेट में जाता है और वहां से दुकानों तक पहुंचता है, अगर वह ठीक नहीं होता है तो जो गरीब और मजदूर हैं, वह उससे वंचित रह जायेंगे और इससे भुखमरी भी हो सकती है। मैं इसे एक सामान्य संकट नहीं मानता हूं बल्कि इस राष्ट्रीय संकट से सब लोग चिन्तित हैं, सब राज्य सरकारें और हमारे सभी साथी चिन्तित हैं। इसमें हमें किसी न किसी लैवल से और बड़ी हिम्मत से काम करना है। जैसे वर्षा नहीं हुई है तो पीने के पानी की समस्या कैसे हल करें? आज हमारे रिजर्वायर्स में 15 परसैंट, 20 परसैंट और 30 परसैंट पानी रह गया है। जहां खरीफ की फसल होती है, वहां 20,30 परसैंट वर्षा हुई इसके कारण बुवाई हुई नहीं जो हुई वह सूख गई है। हमारे महाराष्ट्र के सिर्फ एक जिले में 60 परसैंट पानी हुआ है। 100 परसैंट पानी जो खरीफ के लिए चाहिए, उतनी वर्षा नहीं हुई है खाली 20 से 30 प्रतिशत वर्षा हुई है। इसके कारण मैं यह कहूंगा कि हमारी जो नई टैक्नोलाजी है, स्प्रिंकलर एंड

[श्री बालासाहिब विखे पाटिल]—जारी

ड्रिफ्ट इरिगेशन उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे यहां नहर या डैम में जो पानी है, उस कम पानी में हमारी फसल कैसे पैदा हो, यह देखना चाहिए। हमारे जो संसोधन हुए हैं वह हाई ब्रीड वैराइटी के हैं जिसमें पानी ज्यादा लगता है। ड्राई फार्मिंग के लिए हमने बहुत कम संशोधन किये हैं। जब सुखाड़ आता है तो हम ड्राई फार्मिंग की बात ज्यादा करते हैं, लेकिन जब ड्राई फार्मिंग के लिए हमारा संशोधन ही नहीं है और जो बीज हमने पहले दिए हैं, उनमें ज्यादा पानी लगता है तो कैसे हमारा काम चल सकता है ? इसलिए दीर्घ काल के लिए हमें देखना चाहिए कि हमारी ड्राई फार्मिंग कैसे हो ?

आप स्प्रिंकलर और ड्रिफ्ट इरिगेशन पर खर्च करो—सूखा में आप रोजगार देने के लिए भारी खर्च करते हैं। ड्रिफ्ट और स्प्रिंकलर के लिए तो मैं यह कहना चाहूंगा कि ड्राउट के कारण जो छोटे किसान हैं, अल्प भूमि वाले किसान हैं उनको आप 100 परसैंट सब्सीडी क्यों नहीं देते ? आज आपका 35 हजार पर हेक्टर पर खर्चा आता है। आज छोटे किसान को बैंक से लोन भी नहीं मिलता है, मैं चाहूंगा कि इस बारे में सरकार ज्यादा से ज्यादा सोचे। उनको खेत में ही रोजगार मिलेगा और अनाज पैदा होगा।

आज किसान पर ऋण भी है। महाराष्ट्र में 3 साल लगातार सूखा रहा है और लोग अकाल से पीड़ित हैं। 3 साल में महाराष्ट्र गवर्नमैंट ने कम-से-कम साढ़े 900 (950) करोड़ खर्च किया है। पिछले साल में 495 करोड़ खर्च किया है। इसके कारण अब हम और ऋण कहां से दें ? 1972 से सूखा चल रहा है। 15 साल में से 10 साल सूखा है। 15 साल में शार्ट टर्म से मीडियम टर्म हो गया और मीडियम टर्म से लांग टर्म में हो गया। इससे छोटे और सभी किसान अब डिफाल्टर हो गये हैं, मैं चाहूंगा कि आप उन्हें ऋण-मुक्त कर दें। अगर यह सब ऐसा सरकार ने बाकी रखा तो किसान कभी ऋण-मुक्त नहीं होंगे। हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि 4 महीने के लिए अकाल हुआ है या सूखा है तो उसमें ऋण-मुक्त कर दें। लोग वहां 3,4 साल से अकाल-पीड़ित है। जैसा मैं महाराष्ट्र में देख रहा हूं मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सूखे इलाके में भूमि सुधार का कार्यक्रम तुरन्त लागू करें। चाहे सौयल कंजर्वेशन का काम हो, नहर की खुदाई का काम हो, लैंड लैवलिंग का काम हो, भूमि सुधार के जितने काम आप करेंगे, उससे किसान को लाभ होगा उसकी रक्षा होगी। आप किसान पर ऋण लगा देते हैं, आपका काम खत्म हो जाता है। अकाल के समय किसान ऋणी हो जाता है और डिफाल्टर हो जाने के बाद उसकी क्रैडिट लाइन चोक हो जाती है। इसलिए भूमि सुधार का कोई पैसा किसान की ओर से नहीं होना चाहिए भूमि सुधार सभी काम सरकार की ओर से होने चाहिए।

यह सब होने के बाद उसे दुबारा ऋण नहीं मिलता है। मैंने कई बार सदन में यह सुझाव दिया है कि हमारी जो एग्रीकल्चर क्रेडिट पालिसी है, उसमें आप बुनियादी परिवर्तन लायें। लेकिन अभी तक आपने इस बारे में खास कुछ सोचा नहीं है। किसानों के लिये जो आप ऋण मंजूर करते हैं वह उसे पूरा नहीं मिलता है। उस पर पहले का कर्जा भी बहुत अधिक चढ़ा होता है। अत: मेरा आपसे यह अनुरोध है कि किसानों का पुराना कर्जा माफ किया जाना चाहिए।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी बहुत अधिक बढ़ रही हैं। जितने भी कालाबाजारी करने वाले व्यापारी लोग हैं वह इसका खूब लाभ उठा रहे हैं। अगर सब दुकानदार अपनी दुकान में पर्ची

या कोई बोर्ड लगा दें की कौन सी वस्तु उपलब्ध है और वह कितने दाम पर मिल रही है तो इससे सब को बहुत सुविधा होगी। देखने में यह आया है कि दुकानदार के पास केरोसीन होते हुए भी यह कह देता है कि वह मेरे पास नहीं है। जितने भी व्यापारी हैं, उनका चीजें देने का दिल नहीं होता है। उनका दिल होता है कि किसी तरह से ज्यादा पैसों में चीजें बेचें और ज्यादा से ज्यादा धन काम में ले लें। वैसे तो हमारे प्रधान मंत्री जी ने सब लोगों को सावधान किया है, लेकिन सावधानी बरतने के बाद भी मैं यह देख रहा हूं कि कीमतें बढ़ती जा रही है। हमें इस पर सख्त नजर रखनी पड़ेगी और कितना भी अच्छा और बड़ा दुकानदार क्यों न हो, अगर वह गलत काम करते हुए पकड़ा जाये तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जमा खोरी करने वाले के लिए कड़ी नजर हो और अगर वह उपभोक्ता को कठिनाई पैदा करता है तो सरकार जमा खोरी का सब माल कब्जे में लेकर उनको सजा करनी चाहिए।

अब मैं महाराष्ट्र के बारे में कुछ जिक्र करना चाहूंगा। महाराष्ट्र में जो 40 हजार गांव हैं, उनमें से 23 हजार 770 गांव अकाल से पीड़ित हैं। अभी साढ़े 9 लाख मजदूर वहां काम करते हैं। पांच हजार गांवों को टैंकरों और दूसरे साधनों द्वारा पेयजल दिया जाता है। इस काम में 2500 हजार टैंकर लगे हुए हैं। 15 हजार तो ऐसे गांव हैं जो कि पेय जल से वंचित हैं। पिछले साल रबी की फसल नहीं हुई, करीब 1200 करोड़ का किसान को नुकसान हुआ। इसकी पूर्ति आप कैसे करेंगे ? तीन करोड़ की आबादी तो अकाल से पीड़ित हो गई है और कम से कम डेढ़ लाख जानवर पीड़ित हो गये हैं। हजारों जानवर मर गये हैं आपके अफसरों की टीम स्थिति का जायजा लेने के लिये जाती है वह भी ठीक तरीके से काम नहीं करती है। आप मुझे यह कहने के लिये माफ करें कि अगर मैं यह कहूं कि वह बिल्कुल बोगस काम है। वह जो कुछ भी रिकमेंड करते हैं, उनके विपरीत आप धनराशि मंजूर करते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 495 करोड़ अलग-अलग आइटम के लिये मांगा लेकिन आपने केवल 57 करोड़ दिया। इतनी कम धनराशियों से कोई काम चल नहीं सकता है। इसी प्रकार पानी के लिये 43 करोड़ मांगा और आपने केवल ढ़ाई करोड़ दिया। आप जरूरत के मुताबिक धनराशि नहीं देंगे तो कैसे लोगों को सूखे से बचाया जा सकेगा।

आपने क्रॉप इंशोरेंस स्कीम और क्रेडिट ग्रांरटी स्कीम बनायी है। लेकिन उसका कुछ भी फायदा गरीब किसान को नहीं मिलता है। इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। इस स्कीम के तहत किसानों को जल्दी पैसा नहीं मिलता है। मैं चाहूंगा कि इसमें ज्यादा और जल्द परिवर्तन होना चाहिए। और इंशोरेंस का पैसा हर साल जून महीने के आखिर तक मिलना चाहिए।

आप इंस्पैक्शन टीम पर भरोसा करते हैं या नही यह मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो वहां के एम. एल. एज. और एम. पीज हैं उनके साथ वह जिलों का दौरा करते समय अवश्य विचार-विमर्श करें। जब भी कोई इंस्पैक्शन की टीम स्थिति का जायजा लेने के लिये जाती है तो वह किसान और मजदूर के बारे में सोचती है, काम देने के बारे में सोचती है, आर्थिक सहायता देने के बारे में सोचती है, लोगों की कठिनाईयों के बारे में सोचती है, लेकिन वह एक घंटे के अन्दर ही एक जिला देख लेती है। मेरी समझ में नहीं आता है कि वह इतने कम समय में स्थिति का कैसे जायजा ले लेती है ? और सभी बारे में क्या सोचती है भगवान जाने।

अगर हम महाराष्ट्र के सूखे इलाके की पानी की समस्या को हल करना चाहते हैं कि तो आवश्यकता इस बात की है कि लिफ्ट और टनल के जरिये से कोंकण में समुद्र में जा रहा पानी को

[श्री बालासाहिब विखे पाटिल]—जारी

सूखे इलाकों में पहुंचाये। इसके साथ ही मेरे जिले में 300-400 फुट तक पानी नीचे चला गया है। ओपेन वैल तो सब ड्राई हो ही गया है। मेरे जिले में 8 में से 7 चीनी मिलें इसलिए बन्द हैं क्योंकि पानी नहीं है। सब गन्ना सूख रहा है किसान अपने गन्ने को अपने जानवरों को खिला रहे हैं। देश में दूध की बहुत अधिक कमी हो रही है। इस समय डेरीज बहुत मदद किसानों की कर सकती है। इस बारे में आपको स्टेट गवर्नमेंट्स से कहना पड़ेगा। साथ ही सरकार किसानों को संरक्षण दे क्योंकि मार्केट में तो दूध के दाम बढ़ते है परन्तु किसानों को कम मिलते हैं। आज मार्केट में टिमाटर का भाव 16 रुपये किलो का है लेकिन किसानों को 3-4 रुपये किलो ही मिलते हैं। आप नाफेड से कहिए कि ऐसे समय में वह किसानों की और उपभोक्ता को मदद करे ताकि अकाल-पीड़ित किसानों को कुछ मदद मिल सके। इसके अलावा मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि हमारे यहां तो लगातार तीन सालों से अकाल पड़ता आ रहा है इसलिए वहां पर किसानों के ऋणों को माफ कर दिया जाय।

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज) : सभापति महोदय, इस सदन में सूखे की भयंकर स्थिति पर लगातार चर्चा हो रही है। सभी लोगों का अनुमान है कि पिछले सौ सालों में कभी भी इस देश में ऐसा भयंकर सूखा नहीं पड़ा है। देहातों में लोग कहते हैं कि जब काल आता है तो कुछ क्षणों में ही इन्सान को अपने साथ लेकर चला जाता है लेकिन अकाल मनुष्य को तड़पा-तड़पा कर मारता है। अग्नि की जो ज्वाला होती है उससे तो चन्द गांव ही जलकर राख होते हैं लेकिन इस सूखे की ज्वाला ने पूरे देश में एक बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है। वसन्त ऋतु का समय होता था तो लोग सोचते थे कि वसन्त आ गया लेकिन आज की स्थिति आप देखिए कि लगातार पछुवा हवा चल रही है, सावन का महीना पूर्ण रूप से विलोप हो चुका है, देश अकाल से त्रस्त है हमारे बिहार प्रदेश की स्थिति तो और भी अजीब है जहां एक तरफ तो आधे से ज्यादा जिले सूखे से ग्रस्त हैं और दूसरी तरफ आधे जिले बाढ़ से परेशान हैं। बाढ़ और सूखा से ऐसी स्थिति बन गई है कि यदि आपने समय रहते कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में बिहार की स्थिति काबू से बाहर हो जाएगी और उससे आप निपट नहीं पायेंगे। बिहार की हालत आप देखें, सूखे का मतलब होता है पानी न मिले, बिहार में जहां पर बिजली नहीं है और कहीं पर ट्यूबवेल के लिए नालियां नहीं है जिनमें से होकर किसान के खेत तक पानी जा सके। इसी प्रकार से आप देखें कि वहां पर कांटी थर्मल पावर स्टेशन को 1986 में चालू हो जाना चाहिए था लेकिन उसकी केवल एक यूनिट ही 1986 में चालू हो सकी। बिजली की स्थिति वहां दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। यदि आप समय पर किसानों को साधन मुहैया नहीं करेंगे तो हम इस सूखे की भयंकर स्थिति से कैसे निपट पायेंगे ?

इस सदन में पहले इस बात की चर्चा हुई कि पहले जब इस बात की संभावना थी कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो सकती है तो बड़े-बड़े जो व्यापारी थे, वे इस उम्मीद में सारा माल खरीद कर अपने गोदामों में भर रहे थे कि अगर लड़ाई छिड़ गई तो उस माल को ऊंचे भाव पर बेचेंगे। उसी प्रकार से आज व्यापारी लोग सूखे की इस भयंकर स्थिति का भी लाभ उठाने के लिए अपने गोदामों में माल भर रहे हैं और यदि आपने उन व्यापारियों को काबू नहीं किया तो अनाज के रहते हुए भी इस देश में लाखों लोग भुखमरी के शिकार हो जायेंगे। और इस सूखे की चपेट में सबसे ज्यादा वही लोग हैं जो कि मंहगाई का नारा नहीं लगा सकते हैं और पैसों के अभाव में किसी नेता तक पहुंच कर अपनी फरियाद नहीं कर सकते हैं। जो आपकी फूड-फार-वर्क की योजना है यदि आप उसको चालू नहीं करते हैं, तो कहां से किसान काम करेगा, कहां से मजदूर काम करेगा और दो वक्त की रोटी का

इन्तजाम कर पायेगा। यदि आप राष्ट्र की स्थिति को देखें, तो एक तरफ जहां लोग अकाल की चपेट में है, वहीं दूसरी तरफ महामारी और अनेक बीमारियों से प्रभावित होने की संभावना है। कांग्रेस-आई के एक माननीय सदस्य कह रहे थे की दिल्ली में भी मच्छरों का प्रकोप बहुत जोरों पर हो गया है। एक तरफ लोग बाढ से घिरे हुए हैं और कहीं पर शरण लेते हैं, दूसरी तरफ लोग सूखे से प्रभावित हैं, दो रोटियां भी मुश्किल से मिलती हैं और तीसरी तरफ महामारी से निपटने के लिए पता नहीं करोड़ों रुपयों की दवाइयां कहां जा रही हैं। मच्छर दिन प्रतिदिन बढ़ते गए और बीमारियां दिन प्रति दिन बढ़ती गई। मैं आप से निवेदन करूंगा कि जो किसान कटाव की स्थिति, भूखमरी की स्थिति और सूखे की स्थिति से प्रभावित हैं, उनकी सहायता पहुंचाने के लिए आपको सदन में घोषणा करनी चाहिए कि जो भी किसानों की मालगुजारी एवं सरकारी कर्ज है उसको इस विषय परिस्थिति में माफ कर दिया जाएगा।

मैं बिहार प्रदेश के गोपालगंज क्षेत्र से आता हूं, जो कि नेपाल का सीमावर्ती जिला है। वहां की स्थिति यदि आप देखें तो एक तरफ लोग कटाव से कट रहे हैं, दूसरी तरफ लोग सूखे से प्रभावित हैं और तीसरी तरफ सरकार की पुलिस, सरकार के लोग उनकी बदतर हालत करते जो रहे हैं। सभी को इस लगान के चलते गिरफ्तार करके जेलों में डाला जा रहा है मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसान खेत में काम करेगा, उसको पानी मिलेगा, बीज मिलेगा, अन्न उपजाएगा तो वह सरकार का रुपया वापिस कर सकता है। जब इस प्रकार की बदतर स्थिति होगी, तो किसान के सामने जान देने के आलावा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषम परिस्थिति से निपटने के लिए आप युद्ध स्तर पर काम करें और खास कर बिहार प्रदेश में। बिहार प्रदेश के जो प्रौजेक्ट्स लंबित पड़े हुए हैं, उनको जल्दी से जल्दी पूरा कराने के लिए साधन मुहैया कराएं, ताकि इस विषम परिस्थिति से सरकार निपट सके।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमें अभी भी देश में सूखे तथा बाढ़ की स्थिति पर विचार करना पड़ रहा है। यह सच है कि वर्ष दर वर्ष बाढ़ और सूखे का प्रभाव बढ रहा है। 1985 में 12 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में सूखा पड़ा था और साथ ही 14 राज्यों में बाढ़ आई थी। यह स्पष्ट है कि समूचा देश हर राज्य प्रतिवर्ष या तो सूखे से या बाढ़ से पीड़ित रहा है। इससे हमें ज्ञात होता है कि स्थिति से हमें शीघ्र निपटने की आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण है। इसकी ओर अधिक ध्यान देने तथा किसी अन्य क्षेत्र में खर्च किए गए पैसे की अपेक्षा इस पर अधिक पैसा खर्च करने की आवश्यकता है – कारण यह है कि उद्योग या संचार या परिवहन में यदि पूंजी निवेश नहीं किया जाता है, तो केवल हमें इससे मिलने वाले लाभ से ही हाथ धोना पड़ेगा। परन्तु इस बाढ़ या सूखे या सम्बन्धित परियोजनाओं पर पैसा न लगाने से हम केवल इससे मिलने वाले लाभ से ही वंचित नहीं रह जायेंगे बल्कि हमें भारी नुकसान उठाना होगा, केवल धन का ही नहीं—मौजूदा सम्पत्ति तथा परिसम्पत्तियों के साथ-साथ हमें जन धन तथा पशुधन वगैरह की भी हानि उठानी होगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों पर यह दबाव डालना चाहिए कि वे अपनी मन-मरजी से काम न लें परन्तु निवेश सम्बन्धी प्राथमिकताओं को समझें तथा यह सुनिश्चित करने के लिए इन सब बातों का ध्यान रखें कि दीर्घकालीन परियोजनायें चालू

[श्री के०एस० राव]—जारी

करने पर अधिक खर्च करके बाढ़ तथा सूखे पर काबू पाया जा सके, तथा केवल जब बाढ़ आये या सूखा पड़े तो शीघ्र उपाय करने पर ही ध्यान न दें।

बजट सम्बन्धी संसाधनों में निवेशों के बावजूद भी हर वर्ष हजारों करोड़ रुपए की हानि हो रही है। लोगों की करोड़ों रुपए की सम्पत्ति क्षति हो रही है, विशेष तौर पर उन लोगों की जो वास्तव में गरीब हैं तथा जिनकी गरीबी दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है तथा सूखा और बाढ़ से उनकी हालत और बिगड़ती जा रही है। अतः महोदय, इस ओर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए चर्चा ही नहीं की जानी चाहिए, तथा गम्भीर स्थिति पर काबू पाने के लिए इस ओर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। यह केवल तभी सम्भव है जब अधिक से अधिक सिंचाई परियोजनायें शुरू की जायें। यदि सरकार के पास पर्याप्त धनराशि या संसाधन नहीं हैं तो इसे अन्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित संसाधनों को लेना चाहिए तथा उनका उपयोग बांध तथा प्रमुख परियोजनायें बनाने में करना चाहिए। इस स्थिति में क्षेत्रीय ग्रिड यदि राष्ट्रीय ग्रिड नहीं, काफी सहायक सिद्ध होगा तथा राज्य सरकार पर क्षेत्रीय ग्रिड शुरू करने के लिए दबाव डाला जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में, मैं कहना चाहता हूं कि यह मामला राज्य के नेताओं की मनमानी पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। महोदय, जहां तक आन्ध्र प्रदेश का सवाल है हम जैसे लोगों को यह मालूम है, किन्तु जनसाधारण नहीं जानता कि आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री विभिन्न परियोजनाओं, जो भारत सरकार के पास स्वीकृति के इन्तजार में हैं, को स्वीकृति दिलाने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। वे इसका प्रचार करने में दिलचस्पी रखते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बी० तुलसीराम : आप क्या बोल रहे हैं? आपके पास क्या सबूत है?

[अनुवाद]

श्री के०एस० राव : महोदय, मूल रूप से राज्य नेता द्वारा दिए गए अत्यधिक तथा अनावश्यक प्रचार ने तेलगू-गंगा परियोजना के बारे में कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के लोगों के मन में शक पैदा कर दिया है। इससे इन राज्यों के मुख्य मंत्रियों में मतभेद पैदा हो गया है। यदि दो राज्यों या तीन राज्यों के मुख्य मंत्रियों में गलत फहमी भी हो जाती है तो यह सम्बन्धित मुख्य मंत्री का कर्त्तव्य है कि वह आमने सामने बैठकर मामले पर विचार करे तथा समस्या का हल निकाले तथा वर्तमान सूखे की स्थिति या बाढ़ की स्थिति पर काबू पाकर लोगों की सहायता करे। परन्तु दुर्भाग्यवश आन्ध्र प्रदेश के नेता यह महसूस करते हैं कि वह भगवान हैं और वह पड़ोसी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ आमने-सामने नहीं बैठ सकते हैं। दुर्भाग्यवश यह मुख्य मंत्री का अहम है जो आन्ध्र प्रदेश के लोगों पर कहर ढा रहा है तथा उन्हें अपार हानि पहुंचा रहा है। यहां कर्नाटक तथा महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अपने साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि वे आन्ध्र प्रदेश के नेता द्वारा किए जा रहे अनावश्यक प्रचार के बहकावे में न आयें। मैं राज्यों के नेताओं से भी निवेदन करता हूं कि वे राष्ट्र के हितों को समग्र रूप में देखें। यह केवल कर्नाटक या आन्ध्र प्रदेश का ही हित नहीं है परन्तु यह देश में सभी का हित है। अतः, महोदय, मैं चाहता हूं तथा कर्नाटक और महाराष्ट्र से आने वाले सदस्यों से निवेदन

करता हूं कि वे आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री से आमने-सामने बैठकर बातचीत करने और इस मसले का हल ढूंढने के लिए अपने मुख्य मंत्री पर दबाव डालें। यदि नेता लोग यह सोचें कि वे केवल लोगों के प्रतिनिधि हैं, भगवान नहीं तो यह कार्य और भी आसानी से किया जा सकता है। महोदय मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि वे आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति के लिए भेजी गई विभिन्न परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति दें। आन्ध्र प्रदेश के नेता को इसे बतंगड़ का कारण नहीं बनाना चाहिए तथा भारत सरकार की आलोचना करने के लिए प्रचार का माध्यम और आन्ध्र प्रदेश के लोगों की भावनाओं को भड़काने का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। वह केवल प्रचार करने में ही दिलचस्पी रखते हैं तथा विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकृति दिलाने में दिलचस्पी नहीं रखते। महोदय, यदि किसी राज्य का मुख्य मंत्री संयोग से समस्त तकनीकी विवरण देने की स्थिति में नहीं है या तकनिकी विवरण देने का इच्छुक नहीं है जो केन्द्रीय जल आयोग द्वारा विचार किये के लिए आवश्यक है, तो राज्य सरकारों के नेताओं द्वारा की गई भूल के कारण लोगों को कष्ट नहीं होना चाहिए। उनके द्वारा की गई भूलों के कारण लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। केन्द्र सरकार को आगे आना चाहिए तथा सम्बन्धित अधिकारियों को राज्य में भेजकर समस्त विवरण प्राप्त कर लेना चाहिए तथा बिना समय गंवाये परियोजनाओं को स्वीकृति देकर लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। यदि दोनों राज्य सरकारें तथा केन्द्र सरकार निष्क्रिय रहती हैं और परियोजनाओं को उनके द्वारा की गई भूलों के कारण स्वीकृति प्रदान नहीं करती है, तो लोगों को हानि होगी। इसलिए, मैं सिंचाई मंत्री तथा प्रधान मंत्री, दोनों से निवेदन करता हूं कि इस पहलू पर शीघ्र ध्यान दें।

दूसरा पहलू जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं वह यह है कि केवल केन्द्र सरकार ही नहीं है जो इन चीजों पर काबू पा सकती है परन्तु राज्य सरकार भी सूखे तथा अन्य चीजों की पुनरावृत्ति पर काबू पा सकती है। दुर्भाग्यवश कुछ राज्य सरकारें तथा उनके कुछ नेता अपनी स्थिति बनाये रखने के लिए अत्यधिक प्रचार पर बड़ी धनराशियां, करोड़ों रुपये खर्च करने में अधिक रुचि रखते हैं तथा वास्तव में जो काम किए जाने चाहिए। जैसे बाढ़ नियंत्रण अथवा इन परियोजनाओं को चालू करना, नहीं कर रहे हैं। वे करोड़ों रुपए खर्च करके प्रतिमायें बनवाकर या "टैंक बन्ध" बनवाकर प्रचार पाने में दिलचस्पी रखते हैं। यदि आज उन्होंने परियोजनाओं की प्राथमिकताओं को समझ लिया होता, जो राष्ट्र के हित में हैं, तो सिंचाई तथा ऐसी ही अन्य परियोजनायें को शुरू कर दिया होता तो सूखे पर काबू पाना आसान हो जाता।

सभापति महोदय : मेहरबानी करके अपना भाषण समाप्त कीजिए। आपने काफी समय ले लिया है।

श्री के० एस० राव : इस स्थिति में राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार को प्राप्त संसाधनों के अतिरिक्त, मैं निवेदन करता हूं कि मन्त्रालय तथा सरकार को सोचना चाहिए......।

[हिन्दी]

श्री बी० तुलसीराम : सभापति महोदय, ये कुछ भी बोल रहे हैं। ये बताएं कि कहां खर्च किया है, खाली बोलने से कोई फायदा नहीं है। किस चीज पर खर्च किया है चीफ मिनिस्टर ने, यह बताइए।

(व्यवधान)

[श्री के०एस० राव]—जारी

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : कुछ निजी संगठनों अथवा कृषक सहकारी समितियों को यथा सम्भव बांध बनाने के लिए, चाहे यह छोटा बांध हो बहुत छोटा बांध हो अथवा चाहे उस क्षेत्र में बहने वाले नाले पर बनाया गया बांध हो कम ब्याज दर पर पर्याप्त ऋण देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा पानी को प्रयोग में लाना चाहिए। अधिकाधिक जलाशय तथा अधिकाधिक तालाब बनाए जाएंगे ताकि पानी उनमें इकट्ठा किया जा सके और उसे व्यर्थ समुद्र में न बहने दिया जाए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्षमता है। इसका ध्यान रखा जाना चाहिए।

मैं अपनी अन्तिम बात पर आता हूं अर्थात फसल बीमा। मैं फसल बीमा आवश्यक है इससे किसानों को विशेषतौर पर लाभ होता है। फसल बीमा का प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। इसे कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए अथवा इसकी कुछ शर्तें नहीं होनी चाहिए जिससे वास्तविक पीड़ितों को लाभ न मिलता हो। यदि आवश्यक हो तो परिपत्र में, यह सुनिश्चित करने के लिए एक संशोधन किया जाना चाहिए कि किसानों में जिनका वास्तव में नुकसान हुआ है फसल बीमा योजना से लाभ मिले।

सभापति महोदय : मेहरबानी करके अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री के. एस. राव : पीने के पानी, चारे विद्युत सप्लाई इत्यादि के सम्बन्ध में यदि समय पर पर्याप्त उपाय किए गए होते तो स्थिति आरामदेह होती। अल्पकालीन अवधि तथा अस्थाई उपायों को लागू करते समय अधिकतम धनराशि स्वार्थी तत्वों के हाथों में जा रही है तथा निधियों का उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। एक दीर्घकालिक योजना बनाई जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री केशव राव पारधी (भण्डारा) : सभापति महोदय, आज सारे देश में सूखे की स्थिति है, सभी क्षेत्र उससे प्रभावित हैं, पूरा देश ही प्रभावित है। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि देश के कुछ भाग जैसे आसाम, बिहार और बंगाल को छोड़कर बाकी पूरे देश में सूखे की स्थिति है, इन तीन राज्यों के कुछ हिस्सों में बाढ़ है। सूखे की स्थिति भी इतनी भयंकर है कि जिन क्षेत्रों में कभी भी सूखा नहीं पड़ा, वहां भी इस बार सूखा पड़ रहा है। पंजाब-हरियाणा और महाराष्ट्र के कुछ जिले, जहां इस तरह का सूखा नहीं पड़ता जो खरीफ के जिले कहलाते हैं, वहां भी इस बार भयंकर सूखा है। कहा जा रहा है कि ऐसा सूखा शताब्दि में नहीं पड़ा, ऐसा अकाल नहीं पड़ा, यह परिस्थिति इन क्षेत्रों में है। आप देखिए कि महाराष्ट्र के कुछ जिले ऐसे हैं, जहां से मैं आता हूं, भण्डारा, नागपुर, चन्द्रपुर, गढ़ चिरौली, वर्धा आदि जिले जहां पर भात की खेती होती है, वहां पर कभी इस तरह का सूखा नहीं पड़ा। शुरू-शुरू में किसानों ने कुछ स्थानों पर भात की बिजाई की थी।

बिजाई के अंकुर निकले और फिर बारिश गायब हो गई। फिर से किसानों ने बिजाई की और जब थोड़ा पानी आया अंकुर निकले और वर्षा गायब तो दूसरी बिजाई भी सूख गई। आज ऐसी परिस्थिति है कि बारिश बिल्कुल नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि रबी की फसल के लिए सरकार मदद करे नहीं तो रबी की फसल बिल्कुल नहीं होगी। जिस प्रकार खेती और जानवरों की स्थिति है उसी प्रकार से पीने के पानी की भी स्थिति है। गांव के लोगों को दूर-दूर से पानी लाना पड़ता है।

जो कुएं हैं, वे भी सूख गए हैं। खरीफ की फसल नहीं हो सकती क्योंकि एक परसेंट भी बुवाई नहीं हुई है। भंडारा, चन्द्रपुर, गढ़ चिरौली, नागपुर और वर्धा जिले के किसानों को रबी के लिए अगर बिजाई दी जाए और बारिश होती है तो तभी रबी की फसल हो सकेगी उसी तरह बिजली भी किसानों को ज्यादा देनी पड़ेगी। इसी प्रकार वहां के लोगों के लिए पीने के पानी, जानवरों के वास्ते चारा और लोगों को काम देने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। महाराष्ट्र में एम्पलायमेंट गारन्टी स्कीम चालू है, लेकिन जितने काम दिए गए हैं, वे कम हैं। एन.आर.ई.पी. और आर.एफ.ई.पी. के प्रोग्रामों को भी दुगना करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोगों को काम दिया जाना चाहिए। एक समय था जब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से जहां अकाल होता था वहां चारा भेजा जाता था। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिए सरकार को जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। भंडारा, चन्द्रपुर और गढ़ चिरौली में पचास परसेंट जंगल बचाकर रखा है फिर भी सिंचाई योजना जैसे उत्पादक काम मंजूरी के लिए रुके हुये हैं। सूखे की वजह से स्थिति खराब है। छोटी-छोटी सिंचाई की योजनाएं हैं, लेकिन वर्षा नहीं होने से पानी भरा नहीं है वहां के किसानों को भी काम देना पड़ेगा। वाटर लेवल इतना नीचे चला गया है कि बड़ी योजनाओं के बगैर लेवल ऊपर नहीं आ सकता। बावनथड़ी और गोसीखुर्द की योजनाओं को चालू किया जाए तो लोगों को काम दे सकेंगे।

लिफ्ट इर्रीगेशन के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा। हमारे यहां से बावन थड़ी वैन गंगा नदी बारह महीने बहती है लेकिन पूरा पानी समुद्र में चला जाता है। अकाल के समय ध्यान आता है कि कुछ न कुछ इस सम्बन्ध में करना चाहिए। जिन योजनाओं के बारे में मैंने कहा है, उन पर पन्द्रह-साल से काम शुरू नहीं हुआ है लेकिन अधूरा पड़ा है। केन्द्र सरकार को इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। योजनाएं मंजूर होने के बावजूद भी काम नहीं होता तो केन्द्र सरकार को वहां के किसानों को राहत पहुंचानी चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। कुछ योजनाएं तो ऐसी हैं कि जहां का ज्यादा वजन पड़ता है, वे तो पूरी हो जाती हैं। बड़ी योजनाओं के सिवाय बाहर लेवल बढ़ेगा नहीं और नदियों का पानी बराबर समुद्र में चला जाता है लेकिन वावनथड़ी ऐसी योजना है जो 1974 से क्लियरेंस के लिए केन्द्रीय जल आयोग के पास पड़ी है और अभी तक क्लियर नहीं हुई है। जबकि इस योजना पर 72 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसी योजनाओं को पूरा किया जाये जहां हर साल सूखा पड़ता है जिससे वहां के किसानों को हम इससे राहत दिला सकें। सिंचाई की योजनाओं में ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए जिससे हम सूखे से निपट सकें। सभापति जी, इसी तरह सूखे में सबको बराबर अनाज वितरित किया जाना चाहिए। इसमें बेइमानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यह देखने में आता है कि दुकानदार गोदामों से माल ले जाते हैं, चाहे गेहूं हो, आयल हो या चावल हो, लेकिन उसे होटलों या काला-बाजारी में बेच देते हैं। जनता तक यह माल नहीं पहुंच पाता है जिससे सरकार के देने के बावजूद भी लोगों को अनाज नहीं मिलता है इससे सरकार की बदनामी होती है। इसलिए इन जमाखोरों पर भी निगरानी रखना जरूरी है। इसी तरह से जो रोजगार देने के काम हैं, मजदूरों और किसानों को मजदूरी दी जाती है इसमें यह देखना चाहिए कि उनको बराबर पैसा मिल रहा है या नहीं। विद्यार्थियों को फीस की माफी और किसानों को सभी तरह का कर्जा तथा राजस्व माफ करना चाहिए, उसी तरह पीने के पानी के वास्ते ज्यादा से ज्यादा रिग्स भी देने चाहियें।

मैं यह कहूंगा कि पिछले 100 साल में भी ऐसा सूखा नहीं गिरा। इससे निपटने के लिए हमें युद्ध-स्तर पर सरकार को, आपको सबको मतभेद भुलाकर काम करना होगा तभी हम इस सूखे से

[श्री केशव राव पारधी]—जारी

निपट सकेंगे। मैं प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस पर ध्यान देकर केबिनेट कमेटी का गठन किया है जिससे राहत के कार्य खुलेंगे और लोगों को काम मिलेगा। हम अगर इस सूखे से निपटने के लिए काम करेंगे और सिंचाई योजनाओं को पूरा करेंगे तो इससे आगे चलकर लोगों को राहत दिला सकेंगे और काम भी दिला सकेंगे। महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों से सूखा है। राज्य सरकार ने सहायता मांगी लेकिन केन्द्रीय सहायता कम दी गई है। मेरा अनुरोध है कि राज्य सरकार को पूरे सूखे से निबटने के लिए मदद दी जाये।

[अनुवाद]

श्री भद्रेश्वर तांती (कलियाबोर) : महोदय, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी देश को भयंकर सूखे का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 20 राज्य तथा कुछ संघ राज्य क्षेत्र सूखे की चपेट में हैं। इसका कोई विकल्प नहीं है। देश में पैदा हुई स्थिति से सभी चिन्तित हैं। दुर्भाग्यवश, मेरा राज्य, अपितु बाढ़ की चपेट में है, सूखे की चपेट में नहीं। परन्तु मैं भी इस सभा में अपने साथियों तथा देशवासियों के साथ समानरूप से चिन्तित हूं।

महोदय, यह एक प्राकृतिक आपदा है। पिछले कई वर्षों से हम बाढ़, सूखे तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति का सामना कर रहे हैं। कोई उपाय नहीं है। यहां हम कई बातें कहते हैं। सरकार वायदे करती है बायदे बेकार होते हैं। लोगों को इससे कुछ नहीं मिलता है। गरीब लोग, श्रमिक, आम व्यक्तियों को इससे कोई लाभ नहीं होता है। पिछले वर्ष मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सूखा पड़ा था। कई दलों ने वहां का दौरा किया। राज्य सरकार ने भी इसके लिए निवेदन किया था। परन्तु आज तक लोगों को कुछ भी नही मिला है और इस बार फिर बाढ़ आ गई है। लोग बाढ़ की चपेट में हैं। घर बह गये हैं; पशु बह गये हैं; खड़ी फसलें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा कई लाख बेघर हो गये हैं, इस मामले की जांच करने के लिए कोई अधिकारी नही है। इस देश में यह हो रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडू, हरियाणा, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों की दशा देखिये। वहां क्या हो रहा है?

5.00 म. प.

हाल ही में कालाहान्डी में कई लोग भुखमरी से मर गये हैं। उनकी मौत क्यों हुयी? क्योंकि सरकार ठीक समय पर आवश्यक कदम उठाने में असफल रही। यहां पर किया गया कार्य सिर्फ एक कागजी कार्यवाही है। सरकार तथा हम भी सूखे से प्रभावित लोगों के सामने वायदे करते हैं, परन्तु वायदे अधूरे रह जाते हैं; जिन स्थानों में सूखा पड़ा हुआ है वहां पर सरकार लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं करा सकी? फसल की सिंचाई के लिए जल की बात तो दूर रही कई लोगों को पीने तक का पानी नसीब नहीं होता है। मवेशी और यहां तक कि जंगलों में जंगली जानवर पानी न होने के कारण मर रहे हैं। मैंने बार-बार कहा है कि हमारे जैसे कल्याणकारी राज्य में सरकार की जनता की सेवा के लिये वचनबद्ध है। परन्तु जहां तक कि सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिलता है और सरकार लोगों का बचाव करने के लिए आगे नहीं आ रही है। यह देखकर बड़ी हैरानी होती है कि ऐसी जगहों पर जहां पर बाढ़ आयी हुयी है, सूखा पड़ा हुआ है, जहां पर ऐसी प्राकृतिक विपदाएं आयी हुयी हैं, वहां पर लोगों के बचाव के लिए कोई भी नहीं जा रहा है। बाढ़ की स्थिति के बारे में, असम के मुख्य मंत्री लगभग 10 बार प्रधान मंत्री को लिख

चुके हैं, परन्तु आज समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि प्रधान मंत्री को कुछ भी नहीं मिला है। केन्द्रीय सरकार इस बारे में चुप्पी साधे हुए है। जब भी सूखे और बाढ़ की तरह कोई प्राकृतिक विपदा आती है···(व्यवधान) तो केन्द्र सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि राज्यों में दल भेजे और हर संभव सहायता प्रदान करे···।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री भद्रेश्वर तांती : महोदय, मुझे कुछ और समय दीजिए।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण एक मिनट में समाप्त करने का प्रयास करें।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : वह सूखे के बारे में बोलने के लिए इच्छुक नहीं लगते।

श्री भद्रेश्वर तांती : मैं तो उस तरीके के बारे में बता रहा हूं जिसके जरिए केन्द्रीय सरकार प्राकृतिक विपदाओं से निपट रही है।

सभापति महोदय : चाहें सूखा हो अथवा बाढ़, लोग तो पीड़ित हैं। उनको बोलने दिया जाये।

श्री भद्रेश्वर तांती : यह बड़ी हैरानी की बात है कि जिस राज्य में कांग्रेस (आई) दल सत्तारूढ़ है वहां पर सरकार सहायता पहुंचाने में बड़ी रुचि लेती है, परन्तु गैर कांग्रेस (आई) दल की सरकारों वाले राज्यों जैसे कर्नाटक अथवा आन्ध्र प्रदेश अथवा असम इनको सहायता देने के लिए सरकार वहां पर दल नहीं भेजती।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : ये जोर देकर यही बात कहना चाहते हैं कि भारत सरकार उन राज्य सरकारों को राहत सहायता नहीं पहुंचाती जहां विरोधी दलों की सरकारें हैं। यही इनकी शिकायत है।

सभापति महोदय : आप इनको बोलने दीजिए। जब आपका नम्बर आयेगा तो आप उसे रिबट कर दीजिएगा लेकिन इनको बोलने दीजिए।

श्री हरीश रावत : आप जैसे जवान आदमी यदि सदन में गलत बातें करेंगे तो क्या अपनी जुबान गंदी नहीं कर रहे हैं।

श्री बी. तुलसीराम (नगर कुरनूल) : अरे भाई आप बीच में बोलकर उनका टाइम क्यों खराब कर रहे हो। इनको बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री भद्रेश्वर तांती : ऐसा करने से, यह बात नहीं है कि वे गैर-कांग्रेस (आई) दल की सरकारों से बदला ले रहे हैं, परन्तु असलियत में वे लोगों से बदला ले रहे हैं। क्या भारत जैसे एक लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य में इसी तरह से स्थितियों से निपटा जाना है? वे एक कल्याणकारी व लोकतांत्रिक राज्य की प्रसिद्धी को धूमिल कर रहे हैं। इसीलिए, उनकी साख में कमी आयी है। उन्हें उन राज्यों को हर संभव सहायता देनी चाहिए जहां सूखा पड़ा हुआ है अथवा बाढ़ आयी हुयी है अथवा ऐसी प्राकृतिक विपदाएं आयी हुयी हैं।

[श्री भद्रेश्वर तांती]—जारी

महोदय, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आजकल असम के लोग प्रचण्ड बाढ़ के प्रकोप से पीड़ित हैं। उनकी धन-संपत्ति समाप्त हो गयी है। खड़ी फसलें नष्ट हो गयी हैं। मवेशी बाढ़ में बह गये हैं। लोगों के रहने वाले घर भी बह गये हैं। लाखों लोग बेघर हो गये हैं। परन्तु राज्य सरकार को सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाये हैं। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि युद्ध-स्तर पर उपाय किये जायें···।

5.05 म. प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

श्री अजय मुशरन (जबलपुर) : महोदय, मेरा, व्यवस्था का प्रश्न है। (**व्यवधान**)

महोदय, वाद-विवाद सूखे से संबंधित है। उन्होंने सूखे के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है।

(**व्यवधान**)

श्री भद्रेश्वर तांती : जहां पर सूखा पड़ा है, उन सभी राज्यों में सरकार को पीने के पानी का प्रबन्ध करना चाहिए, चाहे वहां पर कांग्रेस की सरकार हो अथवा गैर-कांग्रेसी हो, विशेष तौर पर असम, मध्य प्रदेश और हरियाणा में इसका प्रबन्ध किया जाना चाहिए और कृषि के लिए लोगों को सभी तरह की सहायता दी जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री कमला प्रसाद सिंह (जौनपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज सूखे के बारे में जो चर्चा हो रही है, उसमें मैं भी अपने जनपद, प्रदेश और देश के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वैसे तो सारा देश सूखे की चपेट में है और सारे प्रदेश हैं, लेकिन मैं अपने प्रदेश की बात कहना चाहता हूं। उत्तर-प्रदेश के हर जिले में सूखा इतना भयावह है कि आज भी वहां मई और जून जैसी स्थिति है। आज भी वहां लू सी चल रही है और निश्चित रूप से वहां के लोगों का जीना दूभर हो गया है।

मान्यवर, खरीफ की फसल तो समाप्त हो गई है, खरीफ की फसल में बुवाई नहीं हो सकी, धान की रूपाई नहीं हो सकी। इस लिए उसमें तो कुछ उत्पन्न होने की बात है ही नहीं लेकिन सबसे आवश्यक बात मान्यवर यह है कि जमीन के अन्दर पानी का स्तर इतना नीचे हो गया है कि पीने के पानी का अभाव-सा उत्पन्न हो गया है और एक तरह से अकाल सा पैदा हो गया है। मेरे निर्वाचनक्षेत्र जौनपुर जनपद के मड़िया हूं बरसठी रामपुर और रामनगर, इन चार ब्लाकों में इस सूखे के पहले से ही पीने का पानी नहीं मिलता था। वहां पर सारे कुओं में कीचर आता था, पानी बिलकुल नहीं निकलता था। सरकार वहां इंडिया मार्क-टू हैण्ड पम्प लगाकर पीने का पानी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि इंडिया मार्क-टू जो हैंड पम्प लगाने जा रहे हैं, उससे पानी का अभाव समाप्त नहीं हो सकता है क्योंकि वे जनसंख्या के आधार पर न लगाकर वैसे दो-चार हैंड पम्प लगाए जा रहे हैं। उससे तो पानी का अभाव बराबर बना रहेगा। उत्तरप्रदेश में पानी की टंकियां बनाना बन्द कर दिया गया है, यह गलत है। निश्चितरूप से पानी की टंकियों को बनाया जाना चाहिए जिससे लोगों को पीने का पानी मिल सके और मैं इस बात को भी कहना चाहता

हूं कि जो वहां पर ट्यूब वैल बने हुए हैं, उनके लिए वाटर जनरेटर्स की व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि वहां पर निश्चितरूप से बिजली का इस तरह का अभाव है जिसके कारण शहर और देहात में पीने का पानी नहीं मिल रहा है, कृषि और सिंचाई की बात तो छोड़ ही दीजिए।

आज स्थिति यह है कि गांव में जितने भी तालाब और टंकियां हैं, वे सब सूखी हुई हैं। इसलिए उन्हें निश्चितरूप से भरवा देना चाहिए और जो नहीं हैं, उनमें निरन्तर पानी रहना चाहिए और पानी खोल देना चाहिए।

मान्यवर, हमारे यहां जो ट्यूब वैल की स्थिति है, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आज 95 फीसदी ट्यूब वैल खराब पड़े हैं। इस बात का हमने अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर दौरा करने के बाद पता लगाया है। मैं जहां भी जाता हूं, वहां ट्यूबवैल मुझे खराब मिले हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन ट्यूबवैलों को ठीक से बनवाना चाहिये और इसके लिये जितनी धनराशि की जरूरत है और मेन्टिनेन्स में धन की कमी रहती हो तो उसे और बढ़ा देना चाहिये।

हमारे मित्र जी ने विद्यार्थियों की फीस माफ करने के लिये कहा था। आज विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की स्थिति निश्चित रूप से दयनीय है,उनकी फीस माफ कर देनी चाहिये और राज्य वसूली किसी भी तरह की हो, उसकी समाप्त कर देना चाहिये, माफ कर देना चाहिये। और अगर यह न हो तो स्थगित कर देना चाहिये।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त करना चाहिये। आज चोर-बाजारी फैली हुई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सारे सामान को जनता और परेशान व्यक्तियों के सामने न लाते हुए कुछ लोग उसकी ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और ऐसे लोगों इको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिये।

जो राहत कार्य चलाये जा रहे हैं, उनकी मजदूरी की जहा तक बात है, उसमें और बढ़ोत्तरी करनी चाहिये ताकि उनका परिवार सही ढंग से अपना भरण-पोषण कर सकें।

आज ऐसे भी कुएं हैं, जहां पीने का पानी नहीं निकल रहा है। उनको आपको साफ करा देना चाहिये ताकि उसमें से पानी निकल सके। आज पीने के पानी की जो समस्या है, कई बार मैं स सदन में कह चुका हूं कि हमारे यहां जौनपुर जिले में मणियाहूं तहसील, बरीठी ब्लाक, रामपुर, रामनगर, और मणियाहूं ब्लाक ये 4 ब्लाक ऐसे हैं जहां पर टैंकर से पीने का पानी पहुंचाया गया है। इस स्थिति में इस तरह के ब्लाक, तहसील और जनपद जहां पर हों वहां जितना हो सके युद्ध-स्तर पर पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिये और जितने भी धन की आवश्यता हो, वह धन देनी चाहिये।

हमारा उत्तरप्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और वहां बहुत बड़ी जनसंख्या है। वहां के लिये कितनी भी धनराशि की आवश्यकता हो, वहां के मुख्यमंत्री जी और प्रशासन के लोग जो भी धनराशि मांगते हो, वह उनको देनी चाहिये।

मैं आज अपने प्रधान मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सूखे से निपटने के लिये युद्ध-स्तर पर राहत कार्यों को चलाने का प्रयास किया है और यह समितियों के माध्यम से उन्होंने सहायता करने का प्रयास किया है।

[श्री कमला प्रसाद सिंह]—जारी

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज खरीफ की फसल तो समाप्त हो गई, लेकिन आने वाले दिनों में रबी की फसल भी नहीं हो पायेगी। अगर पानी की नमी नहीं रहेगी तो उसमें न खेत की जुताई हो सकती है और न बुवाई हो सकती है। इसलिये पानी की व्यवस्था करने के लिए ट्यूबवैल और नहर की व्यवस्था ठीक होनी चाहिये जिससे किसान को ठीक ढंग से पानी मिल सके और जितनी भी राहत इस संकट में हो सके उतनी किसानों को और जनता को मिलनी चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हुए, धन्यवाद देते हुए फिर निवेदन करता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा धनराशि देने की व्यवस्था की जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्रीमती एन०पी० झांसी लक्ष्मी** (चित्तूर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब हम देश में सूखे की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं तो मैंने सोचा था कि माननीय जल संसाधन मंत्री सभा में उपस्थित होंगे। परन्तु, खेद की बात है कि इस महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान वह सभा में उपस्थित नहीं हैं।

महोदय, लाखों टी०एम०सी० जल समुन्द्र में बरबाद जा रहा है। इस जल का इस्तेमाल करने के लिए कोई प्रयत्न किया गया है। काफी समय पहले डा० के० एल० राव ने गंगा को कावेरी से जोड़ने का सुझाव दिया गया था। अगर उनकी योजना को लागू कर दिया जाता तो अब तक हम देश को आने वाले सूखे व बाढ़ से बचाने में सफल हो सकते थे। सरकार प्रत्येक वर्ष आकस्मिक योजनाओं तथा राहत उपायों पर करोड़ों रुपये खर्च करती है। परन्तु अब तक किसी भी स्थायी समाधान के बारे में नहीं सोचा गया है। अगर सरकार इन राहत उपायो पर खर्च की गयी धनराशि में से कुछ हिस्सा खर्च कर देती तो यह परियोजना अब तक पूरी हो जाती। परन्तु, जैसा कि ठीक ही कहा गया है कि बिल्कुल न आने से अच्छा तो देर से आना होता है तो केन्द्रीय सरकार ने डा० के० एल० राव द्वारा तैयार की गयी गंगा-कावेरी लिंक परियोजना के तुरंत कार्यान्वयन के लिये कार्य आरंभ कर देना चाहिए।

महोदय, रायलसीमा चिरकाल से सूखाग्रस्त क्षेत्र रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान यह एक पिछड़ा क्षेत्र था और आज तक यह पिछड़ा क्षेत्र है। रायलसीमा को चिरस्थायी सूखे से मुक्ति दिलाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया। महोदय पोलावरम परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो काफी हद तक रायलसीमा की आवश्यकतायें पूरा करेगी। जैसाकि पोलावरम परियोजना में प्रस्तावित है, गोदावरी को कृष्णा से जोड़ते हुए और कृष्णा नदी का जल रायलसीमा की तरफ मोड़ कर संपूर्ण क्षेत्र को हमेशा के लिए सूखा पड़ने से बचाया जा सकता है। इसलिए, इस संदर्भ में पोलावरम परियोजना का विशेष महत्व है। पोलावरम परियोजना के द्वारा कृष्णा नदी के जल को रायलसीमा की तरफ मोड़ा जा सकता है। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि जितना जल्दी संभव हो सके पोलावरम परियोजना को स्वीकृति दी जाये और इस पर कार्य आरंभ किया जाये।

*मूलतः तेलुगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

महोदय, रायलसीमा में पिछले चार वर्षों मे गम्भीर सूखा पड़ रहा है। इन वर्षों के दौरान वहां पर वर्षा नहीं हुई। अगर थोड़ी-बहुत वर्षा हुई भी तो यह जल भंडारण के लिए अपर्याप्त थी। इससे इस क्षेत्र में लोगों को काफी कठिनाईयां हो रही हैं। वहां पर न तो खाने के लिए भोजन है और न ही पीने के लिए पानी। चारे की भारी कमी के कारण मवेशी मरते जा रहे हैं।

चित्तूर तेजी से दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उभरता जा रहा है। यहां पर लगभग डेढ़ लाख लीटर दूध का प्रतिदिन उत्पादन किया जाता है। आजकल इसका विस्तार किया जा रहा है और क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन होने जा रही है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि आन्ध्र प्रदेश से चित्तूर को राष्ट्रीय डेयरी ग्रीड जोड़ा जाना चाहिए। इससे किसानों, गरीब औरतों और दूसरे लोगों को लाभ होगा। महोदय, कुल 280 सहकारी समितियों में से, 120 समितियों की प्रबन्ध व्यवस्था पूर्णतया औरतों द्वारा की जाती है। अगर चित्तूर को राष्ट्रीय ग्रीड से जोड़ दिया जाता है तो इस क्षेत्र में डेयरी उद्योग में लगे सभी लोगों को उनके उत्पादन का अधिक मूल्य मिलेगा। इस तरह उनका शोषण से भी बचाव हो जायेगा।

इस प्रकार चित्तूर को राष्ट्रीय ग्रीड से जोड़ने पर छोटे और गरीब किसानों और समाज के दूसरे गरीब तबकों को काफी हद तक लाभ होगा। महोदय, क्योंकि इस क्षेत्र में दुग्ध का काफी मात्रा में उत्पादन होता है, इसलिए यहां पर दुग्ध पर आधारित उद्योग की स्थापना की जानी चाहिए।

महोदय, जापान जैसे देशों में कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है। हमारे देश में भी कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। विशेषकर सूखे जैसी प्राकृतिक विपदा के समय समाज के निम्न वर्ग के लोगों को तुरंत लाभ होगा। उनकी नियमित तथा गुजारा करने योग्य आमदनी हो जायेगी। कुटीर उद्योग गरीब लोगों को भूखमरी से बचाते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि अब तो सरकार कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाएगी। बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश एक बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है, वर्तमान सूखा अभूतपूर्व है। पिछली एक शताब्दी के दौरान ऐसा सूखा कभी नहीं पड़ा था।

महोदय, हमारा एक विशाल देश है। देश के एक भाग में तो सूखा पड़ा हुआ है तथा एक भाग में बाढ़ आयी हुयी है। इसलिए हमें विचार करना होगा कि इन दो आपदाओं का सामना कैसे किया जा सकता है ताकि भविष्य में इन आपदाओ का समय-बद्ध कार्यक्रम के जरिए सामना किया जा सके। एक क्षेत्र के अतिरिक्त जल का सूखा ग्रस्त क्षेत्र में इस्तेमाल करने के लिए हमें कोई योजना बनानी पड़ेगी। जैसाकि पहले सुझाव दिया गया है, नदियों को आपस में जोड़ना एक आदर्श परियोजना है। इस संबंध में विभिन्न दीर्घ कालीन और अल्पकालीन योजनायें हैं। अगर इन योजनाओं को बना लिया जाता है तो देश को इससे बहुत लाभ होगा और वर्षों में ही—अर्थात 8वीं या 9वीं योजनाओं में—हम स्थिति का ठीक तरह से सामना कर सकेंगे।

केरल में वर्तमान सूखा वास्तव में अभूतपूर्व है। यहां तक कि पीने के लिए भी पर्याप्त जल नहीं है पीने के पानी की कमी हर जगह महसूस की जा रही है। मैं त्रिवेन्द्रम का प्रतिनिधित्व करता हूं सारे त्रिवेन्द्रम क्षेत्र में जल की भारी कमी है।

[श्री ए० चार्ल्स]—जारी

मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, तीन शहरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र हैं और चार ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र हैं। दो निर्वाचन क्षेत्र तटीय क्षेत्र में हैं और अन्य दो पहाड़ी क्षेत्र में हैं। सभी चारों निर्वाचन क्षेत्र अब सूखे से प्रभावित हैं। कुछ क्षेत्रों में तो पानी की एक बूंद भी नहीं है। लोगों को पानी का एक बर्तन लेने के लिए 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और एक बर्तन पानी की कीमत 5 रुपए से अधिक है। राज्य सरकार इस क्षेत्र में पेय जल उपलब्ध करने में पूरी तरह असफल रही है। इसलिए मेरा केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि वह ऐसी योजना लाए जिससे लोगों की पेय जल की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। वहां कुछ नलकूप खोदे जाने की संभावना हैं। जहां कहीं ऐसा संभव है वहां नलकूप खोदे जाने चाहिए।

महोदय, सूखे से बिजली के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ा है। केरल एक समस्याग्रस्त राज्य है। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है जिसका कि हमारा राज्य सामना कर रहा है। राज्य में उद्योगों को बिजली की सप्लाई में पहले ही 25 प्रतिशत कटौती की जा रही है। राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि यदि वर्तमान स्थिति बनी रही तो शत-प्रतिशत बिजली की कटौती कर दी जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे राज्य की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी।

यह हमारे देश का सौभाग्य है और हमारे राज्य का दुर्भाग्य है, जैसा कि आप जानते हैं, कि राज्य की 70 प्रतिशत से अधिक कृषि फसलें वाणिज्यक फसलें हैं। इसके परिणामस्वरूप, हमें चावल सब्जियों, फलों चारे आदि की सप्लाई के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। दुर्भाग्यवश पड़ोसी राज्य, विशेषकर तमिलनाडु ने बहुत ही अनुचित रुख अपनाया है। उन्होंने इन वस्तुओं को हमारे राज्य में ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

महोदय, हम पशुओं को पाल नहीं पाते। इससे दूध का उत्पादन कम हो गया है। इसके परिणामस्वरूप दूध के मूल्य बढ़ गए हैं। तीन महीने पहले, मैंने माननीय प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया था जिसमें तमिलनाडु सरकार को, जहां से हमारे क्षेत्र को चारा बड़ी मात्रा में सप्लाई होता है, कुछ अनुदेश देने के लिए कहा था। मुझे उत्तर मिला कि उक्त ज्ञापन को कृषि मंत्रालय को भेज दिया गया है। एक पखवाड़े बाद ही मैंने दोबारा वर्तमान कृषि मंत्री से अपील की। मेरा उनसे अनुरोध है कि हमारे राज्य को, विशेषकर त्रिवेन्द्रम क्षेत्र को, पड़ोसी क्षेत्र से चारा उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर विचार करें ताकि पशु भूख से न मरें।

एक और विशेष अनुरोध जो मैं करना चाहता हूं वह ताप बिजली संयंत्र के बारे में है। एक प्रस्ताव डीजल का उपयोग करने का है। यदि इस प्रकार की परियोजना शुरू की जाती है। तो पूरा काम 1 1/2 वर्षों में पूरा हो जाएगा। मेरा अनुरोध है कि ऊर्जा मंत्रालय को आवश्यक अनुदेश दिए जाए ताकि हमारे राज्य के लाभ के लिए तत्काल इस परियोजना को शुरू किया जा सके।

मैंने अपने राज्य की कठिनाइयों को आपके सामने रखने की कोशिश की है। दुर्भाग्यवश, कुछ विपक्षी माननीय सदस्यों ने सूखे की स्थिति से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की है। एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा है कि बाढ़ की स्थिति के लिए सत्ताधारी दल जिम्मेदार है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। मेरा इस सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि सभी एक साथ

मिलकर इस कार्य को करें जिससे कि लोगों को पेश आ रही वर्तमान कठिनाइयों को हल किया जा सके।

[हिन्दी]

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि (राजकोट) : उपाध्यक्ष महोदय, देश सूखे की गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। ऐसे वक्त में संसद में इस विषय में हो रही चर्चा सर्वथा उचित है। इस चर्चा में हिस्सा लेने का जो मौका मुझे दिया गया है, उसके लिए मैं उपाध्यक्ष महोदय एवं इस गृह की ऋणी हूं।

इस वर्ष करीब पूरे देश पर अकाल की अभूतपूर्व आपत्ति आ पड़ी है। कहते हैं कि 1857 में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। मगर आज की समस्या पहले के कोई भी अकाल की अपेक्षा बहुत ज्यादा कठिन है। समस्या के कई नए परिणाम हैं। देश की बढ़ी हुई आबादी और बढ़ी हुई जरूरत को मद्दे नजर रखते हुए वर्तमान समस्या वाकई अभूतपूर्व है और ऐसे वक्त में समाज के प्रत्येक अंश को एक होकर इस कुदरती आपत्ति का सामना करने में यथाशक्ति योगदान देने का यह समय है। मैं विपक्ष को, सत्तारूढ़ पक्ष के कुछ सदस्यों को एवं उनके राजकीय अनुयायी को एक विनम्र अपील करना चाहती हूं कि इस गम्भीर समस्या के समय सरकार को अकाल का सामना करने में हर संभव सहायता करें और इस संकट के समय कोई राजनीति के क्षणिक फायदे लेने की संकीर्ण भावना से ऊपर उठें।

चूंकि हमारी अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान रही है, हमारे देश के दो वित्त मंत्री माने जाते हैं। एक तो सरकार में जो होता है और दूसरे वित्त मंत्री हैं मेघराजा मानसून। इस वर्ष हमारे दूसरे वित्त मंत्री रूठ गए हैं। कुछ प्रान्तों में ये लगातार दूसरा अकाल है, किन्तु गुजरात राज्य के सौराष्ट्र, कच्छ एवं उत्तरी गुजरात के हिस्सों में यह लगातार चौथा वर्ष है कि जहां चार साल में बारिश की एक बूंद नसीब नहीं हुई। प्राथमिक शालाओं में बच्चों को पूछा जाए कि तीन प्रधान ऋतु कौन सी? बजाए सर्दी, गर्मी और वर्षा कहने के, मासूम बच्चे कहते हैं कि सर्दी, गर्मी और सूखा। इस परिस्थिति के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। पर्यावरण की समतुला बिल्कुल नष्ट कर दी है हमने। पर्यावरण के प्रति हमारी इस उदासीनता ने सर्वनाश का न्यौता दिया है। इन बातों को प्रस्तुत न करते हुए, मैं अपनी बात सूखे की चर्चा तक ही सीमित रखूंगी।

हरित-क्रांति में हमारे देश ने पिछले कुछ वर्षों में प्रशंसनीय सिद्धि हासिल की है और बहुत करने का अवकाश भी अभी है। इस सूखे में हमारी इन सिद्धियों की वजह से अन्न की समस्या का हल तो शायद इतना कठिन न होगा किन्तु हमारे पशुधन को बचाने की एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। मीलों तक घास और पानी ढूंढते हुए हमारे गाय, भैंस भटकते रहते हैं, उन्हें मिलती है सिर्फ मरुभूमि और मृग जल। इस करुणता का जरा सा भी अहसास इन भवनों में बैठकर हम नहीं कर पायेंगे।

इतनी ही बड़ी चुनौती है—पीने के पानी की। आज अगस्त महीने से ही कई शहरों में एक दिन में आधा घंटा पानी मिलता है और देहातों में औरतों को पीने के पानी की खोज में रोज के दस किलोमीटर तक चलना पड़ता है। साल में 3500किलोमीटर से भी अधिक। एक तरफऐसी समस्या है, तो वहां दूसरी तरफ नदियों का करोड़ों गैलन पानी हर रोज समुद्र में बहकर खारा हो जाता है।

[श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि]—जारी

विज्ञान ने हमें कई सरल सुझाव दिए हैं, ऐसे बहते हुए पानी को उपयोग में लाने के लिए, किन्तु हमें अपने निजी फायदे और अन्य संकीर्ण बातों से ऊपर उठ के आम आदमियों की कठिनाइयों के प्रति सोचने का समय दिन-ब-दिन कम मिल रहा है।

पूरे सौराष्ट्र और कच्छ की पेय जल की समस्या का सस्ता, तुरन्त काम में आने वाला और बिना कोई पूंजी की लागत का उपाय गुजरात के मुख्य मंत्री जी को दस महीने पहले बताया गया था। अभी तक कोई प्रोत्साहक प्रत्युत्तर नही मिला। नर्मदा नदी का पानी कोलेप्सोबल कंटेनर्स में भरके समुद्री रास्ते से सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय विस्तार में पानी पहुंचाने को इस योजना को कार्यान्वित करने की अवधि सिर्फ दो महीने बताई गई है और उस पर आने वाला खर्च कोई भी कायमी योजना के खर्च से आधे के करीब बताया गया है। इस योजना की कमी सिर्फ यह है कि अफसरों को सूखे के समय में जो बोनस की सीजन शुरू होती है, वह बोनस का शायद इस योजना में कोई स्थान नहीं है। जाति-पाति काम, धर्म इत्यादि संकीर्ण भूमिका पर आधारित हमारे लोकतन्त्र का यह एक ऐसा कमनसीब अध्याय है कि अफसरों और नौकरशाही का राजनीति पर प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहा है। मनमानी अफसरों की होती है मगर इस सड़न का असर जब पेयजल जैसी महत्व-पूर्ण चीज पर पड़ता है, तब आम जनता के जीवन की प्राथमिक जरूरत जैसी बातों से नौकरशाही का प्रभाव कम से कम करके लोगों की अपनी हिस्सेदारी और उत्तरदायित्व बढ़ा के लोगों की समस्या का हल लोगों को खुद करने दें।

आपने मुझे खूब शान्ति से सुना उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं और अन्त में केन्द्र और राज्य सरकारों से निवेदन करती हूं कि सूखे में सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई है, तो वे किसान हैं। किसानों को हर संभव सहायता देकर इस कठिन वक्त में जगत के लाल इस किसान का हौसला बनाए रखें।

आधे घंटे की चर्चा

बीड़ी कर्मकार

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हम आधे घंटे की चर्चा पर विचार-विमर्श करेंगे।

[हिन्दी]

श्री डाल चन्द्र जैन (दमोह) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, बीड़ी मजदूरों के संबंध में प्रश्न संख्या 890 के संबंध में जो आधा घंटे की चर्चा का समय प्रदान किया गया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। बीड़ी मजदूरों की गम्भीर परिस्थिति को ध्यान में रख कर ही यह समय निर्धारित किया गया है। उस प्रश्न के उत्तर में ऐसा बताया गया है कि 32 लाख 75 हजार मजदूर बीड़ी के काम में लगे हुए हैं जिनमें से 7 लाख 62 हजार मजदूर ही प्रोवीडेंट फंड योजना के सदस्य बने हैं।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात विशेष तौर से आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। बीड़ी कर्मों का काम दो तरह से होता है। एक तो दक्षिण के राज्यों में मजदूर फैक्टरी में आकर बीड़ी बनाते हैं।

पूर्वी एवं उत्तर तथा मध्य के राज्यों में घर कच्चा मामान लाकर मजदूर बीड़ी बनाते हैं जहां पर कि उनके बीबी, बच्चे भी सहयोग करते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, बंगाल में यह कुटीर उद्योग की तरह काम फैला है। यहां के मजदूर स्थायी रूप से एक ही जगह काम नहीं करते। मजदूर नियमित रूप से काम नहीं करते हैं। ये असंगठित मजदूर हैं। इनका काम पी. डब्ल्यू. डी. के मजदूरों जैसा ही है अथवा इनका काम हथकरघा बुनकर जैसा होता है। इनको काम में परिवार के सदस्य मदद करते हैं। इसलिए ये दिनभर का काम आधे दिन में पूरा कर लेते हैं जिससे यह चिल्लाहट बनी रहती है कि पूरा काम नहीं मिलता है।

बीड़ी की जितनी खपत है, उससे बहुत अधिक उत्पादन करने वाले मजदूर हैं। इसलिए मजदूरों को ठेकेदार सट्टेदार या कान्ट्रेक्टर की मनमानी सहनी पड़ती है। ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि मजदूरों को पूरा काम मिले और उनको किसी की मनमानी न सहनी पड़े। यह तभी संभव है जब कि निर्माता के पूरे उत्पान की बिक्री हो जाए। चूंकि माल का स्टाक नहीं किया जा सकता है इसलिए शासन इस पर विचार करे कि यह कैसे संभव हो सकता है कि मजदूरों को पूरा काम मिले। आज से 30-35 वर्ष पूर्व ऐसी स्थिति थी कि बीड़ी मजदूर कम थे और उत्पादन कम होता था और बीड़ी की बिक्री ज्यादा होती थी। तब बीड़ी मजदूरों से अच्छे ढंग से काम लिया जाता था। आज बिलकुल भिन्न परिस्थिति है। इन मजदूरों के कल्याण के लिए अनेक नियम, कानून एवं योजनाएं बनायी गयी हैं।

बीड़ी सिगार एक्ट के मुताबिक घर खाता मजदूर को वही लाभ मिलना चाहिए जो फैक्टरी के मजदूर को मिलता है। लेकिन हम यह देखते हैं कि उनको वे लाभ नहीं मिलते हैं। इसमें बहुत सी व्यावहारिक कठिनाइयां हैं।

हमने उनके काम करने की जो स्थिति है वह बतायी है। मध्यप्रदेश में उनको सवेतन छुट्टी के सम्बन्ध में जो स्थिति है उसके सम्बन्ध में मैं श्रम मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं। उसका हिसाब रख पाना बहुत ही मुश्किल काम था। मजदूरों को उस प्रावधान का लाभ मिल पाना तो और भी मुश्किल काम था। बीड़ी निर्माताओं ने मध्य प्रदेश शासन के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था कि वे सवेतन छुट्टी का 1/20 उनकी मजदूरी का, उनकी साप्ताहिक मजदूरी के साथ देने को तैयार है—चाहे उसने कितने ही समय काम किया हो। विचार-विमर्श के बाद मध्य प्रदेश शासन ने वह प्रस्ताव मंजूर कर लिया और नोटिफिकेशन निकाल दिया।

वह योजना लागू हो गई और उसका लाभ भी मजदूरों को मिलने लगा. बाद में अन्य प्रान्तों में भी उसी तरह का लाभ दिया जाने लगा. लेकिन अन्य सुविधाओं के होने पर भी मजदूरों को वह सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, इसलिए कि व्यावहारिक रूप से ये सुविधाएं मिलना संभव नहीं है। सन 1977 में प्रावीडेंड फण्ड बीड़ी उद्योग पर लागू हुआ, लेकिन उसका लाभ मजदूरों को मिलना कठिन हो रहा है। इसका विरोध दोनों पक्षों ने किया. सुप्रीम कोर्ट में रिट हुई, लेकिन नामंजूर हो गई। प्रावीडेंड फण्ड के संबंध में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बिहार में 3 लाख 50 हजार मजदूर हैं, लेकिन 2651 मजदूर ही इस योजना के सदस्य हैं, गुजरात में 50 हजार में से 409, मध्य प्रदेश में 5 लाख 65 हजार में से 28344, उड़ीसा में 160000 में से 50 राजस्थान में 1 लाख में से 90, उत्तर प्रदेश में साढ़े 4 लाख में से एक भी नहीं, बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा में साढ़े 4 लाख

[श्री डाल चन्द्र जैन]—जारी

बीड़ी मजदूरों में से 841 मजदूर इस योजना के सदस्य बने हैं, यह बड़ी गम्भीर बात है। ऐसा इस-लिए हो रहा है कि क्योंकि इसमें व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, मजदूरों को भविष्य निधि का पैसा मिलना बहुत कठिन होता है, अतः प्रश्न उठता है कि फिर क्या किया जाए। इस बात पर हम लोग मिलकर विचार करें। जिन मजदूरों को उसका सदस्य बनाकर पैसा जमा किया जाता है वे समझते हैं कि उनसे जबरिया यह पैसा लिया जा रहा है, उन पर कोई जुर्माना किया जा रहा है। मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं. मध्य प्रदेश के मजदूर किसी भी हालत में प्रावीडेंड फण्ड स्कीम का सदस्य बनना नहीं चाहते हैं, उनको इसके लाभों के बारे में नहीं बताया गया है, कहीं पर वे नियमित नहीं हैं, असंगठित हैं, सब जगह ये लोग कुटीर उद्योगों के मजदूरों की तरह फैले हुए हैं।

इस संबंध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, क्योंकि यह कल्याणकारी राज्य है और यह एक कल्याणकारी योजना है, उनके भविष्य की सुरक्षा भविष्य निधि के द्वारा अवश्य होनी चाहिए, इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि मजदूरों का बैंक में खाता खोलकर उसमें मजदूर का हिस्सा और मालिक का हिस्सा जमा किया जाए तथा पासबुक मजदूर के पास रहे। उस पर यह बंधन लगा दिया जाए कि 5 वर्ष से पहले वह पैसा नहीं निकाल सकेगा। चाहे वह एक माह काम करे या साल भर काम करे, नियमित रूप से यह पैसा जमा किया जाना चाहिए। जैसा कि प्राविडेंड फण्ड योजना के तहत 60 दिन काम करने के बाद इस योजना में मजदूर को शामिल किया जाता है, मेरा सुझाव यह है कि अगर मजदूर ने एक दिन भी काम किया है तो उसको इस योजना का लाभ दिया जाना चाहिए, जिस तरह से छुट्टी का 1/20 भाग मजदूरी के साथ जोड़कर उसको दिया जाता है। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि कोई ऋण पत्र आदि उसको देकर जो कि 5 साल का मियादी हो, उसको यह लाभ पहुंचाया जाए, जिसको वह 5 साल तक भुना न सके। कोई ट्रैवलर्स चैक आदि के जरिए भी उनको लाभ पहुंचाया जा सकता है। सबसे सरल उपाय तो यह है कि मजदूर का हिस्सा और साढ़े 6 परसेंट मालिकों का हिस्सा उसको मजदूरी के साथ जोड़कर दे दिया जाए, लेकिन इससे उसके भविष्य की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए इस पर विचार करने के लिए श्रम-मंत्रियों की बैठक मई महीने में हुई थी और ऐसा पता चला है कि डायरेक्टर जनरल, श्रम कल्याण की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। बीड़ी उद्योग से शुल्क के रूप में अरबों रुपया शासन को मिलता है और बीड़ी श्रमिक कल्याण कोष में भी प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया निर्माताओं से लिया जाता है, लेकिन उससे सब मजदूरों को फायदा नहीं हो पा रहा है, सीमित क्षेत्र में यह लाभ मिल रहा है, इस क्षेत्र को बढ़ाया जाना चाहिए। समय-समय पर समाचार-पत्रों में भी इस बारे में निकलता है, वह अतिरंजित होता है, लेकिन उसमें कुछ सच्चाई भी होती है।

मैं उनका कुछ हवाला देना चाहता हूं। 20 जुलाई 1984, नई दुनिया इंदौर.बीड़ी मजदूर और बेबस कल्याण योजनाएं। 27 दिसम्बर 85, आज-वाराणसी-बीड़ी मजदूरों का कल्याण फाइलों में। 27 अक्टूबर 86, आर्यवर्त, बीड़ी मजदूर भूखमरी के कगार पर। 12 मई 87-कानून है तो ठेंगे से। 27 मई 87-राजस्थान पत्रिका, जयपुर। बीड़ी मजदूरों का शोषण 14 जुलाई। 87-संथाल परगना में बीड़ी मजदूरों का शोषण।

अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रोवीडेंड फण्ड या भविष्य निधि का पैसा निर्माता का हिस्सा बीड़ी श्रमिकों को उनकी मजदूरी के साथ दिया जाए चाहे उसने एक ही दिन

काम किया हो। जैसे बीड़ी सिगार एक्ट के अन्तर्गत संवेतन छुट्टी का पैसा उसकी मजदूरी के साथ जोड़ कर दिया जाता है अथवा दोनों के हिस्से के बराबर पांच साल की मियादी चैक या ऋण पत्र अथवा बैंक में व्यक्तिगत खाते में जमा कराया जाए जिससे तीन या पांच साल तक उसको न निकाल सके और बैंक खाता स्वतन्त्र रूप से आपरेट कर सके। यह मेरा सुझाव है बीड़ी मजदूरों के सम्बन्ध में और मुझे आशा है कि श्रम मंत्री जी गम्भीरता पूर्वक विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : महोदय, कई वर्षों से श्री जैन इन मुद्दे को उठाते रहे हैं। बुनियादी निर्णय यह है कि क्या भविष्य निधि अधिनियम को बीड़ी मजदूरों पर लागू किया जाना चाहिए। कठिनाई यह है कि निर्माता इस बीड़ी उद्योग को असंगठित उद्योग मानते रहे हैं—उनके रजिस्टर उपलब्ध नहीं हैं तथा और तो और उनकी भविष्य निधि-उनको उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिए। जैसा कि हम प्रायः कहते रहे हैं कि सरकार की अब यह नीति है कि असंगठित क्षेत्र को और अधिक लाभ दिया जाए। कर्मचारी राज्य बीमा, भविष्य निधि, उपदान जैसी सामाजिक सुरक्षा का सभी लाभ केवल संगठित क्षेत्र को ही दिया जाता है। हम असंगठित क्षेत्र को अधिक से अधिक यह लाभ देना चाहते हैं और बीड़ी उद्योग भी एक असंगठित उद्योग है, लेकिन हम इस प्रकार के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं।

इसलिए 1 जून, 1977 को एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसके अनुसार भविष्य निधि अधिनियम, बीड़ी मजदूरों पर भी लागू कर दिया गया। कुछ निर्माता उच्चतम न्यायालय में गए और उन्होंने यह दलील दी कि यह एक असंगठित क्षेत्र है और उस पर यह अधिनियम लागू नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें इसके लिए स्थगन आदेश मिला। 1.10.1985 को, उच्चतम न्यायालय ने अपना अन्तिम निर्णय दिया और उसमें कहा कि भविष्य निधि लागू करना पूरी तरह से विधि सम्मत है और पूरी तरह से सही है और इसे जारी रखा जाना चाहिए। अब इस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय के निर्णय के साथ समाधान हो गया कि भविष्य निधि को बीड़ी मजदूरों पर भी लागू किया जाएगा। इस उद्योग ने इसके लिए धनराशि अर्थात बकाया धनराशि देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की क्योंकि यह धनराशि अपने आप में एक बहुत बड़ी धनराशि बन जाएगी। मैंने इन उद्योगों, राज्य सरकारों और मजदूरों की एक बैठक बुलाई। 20 जून, 1986 को त्रिपक्षीय बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में इस बात पर सहमति हुई थी कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय की तारीख से उद्योग को भविष्य निधि में अपना अंशदान और मजदूरों के अंशदान के बारे में अदायगी लाने के मामले में निर्णय का पालन करना चाहिए।

जहां तक अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से निर्णय पूर्व की अवधि का संबंध है, अर्थात 1.6.77 से 30.9.85 तक के संबंध में केवल उस अवधि के लिए। निर्णय के अनुसार, इस बकाया राशि की किस प्रकार वसूली की जाए, इसके बारे में त्रिपक्षीय समिति में विचार-विमर्श किया जाना चाहिए और तदनुसार एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया जो इसके बारे में उन तरीकों का पता लगाएगी कि उस धनराशि को किस प्रकार वसूल किया जाए।

इस त्रिपक्षीय समिति ने एक अध्ययन दल का गठन किया है जिसने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस त्रिपक्षीय समिति की शीघ्र ही अन्तिम बैठक होगी और मुझे आशा है कि बहुत शीघ्र ही त्रिपक्षीय समिति की रिपोर्ट मिल जाएगी।

[श्री पी०ए० संगमा]—जारी

तारांकित प्रश्न में, जिसमें आज की चर्चा हुई है, श्री जैन का विचार था कि चूंकि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इसको लागू नहीं किया जा रहा है तो अन्य राज्यों को इसे लागू करने के लिए क्यों कहा जाए ? यह सच है कि मैंने जो वक्तव्य दिया था उसके अनुसार, हमारे देश में 32.75 लाख बीड़ी मजदूर हैं और इस प्रश्न का उत्तर दिए जाने के समय तक हमने भविष्य निधि अधिनियम को कार्यान्वित करना शुरू कर दिया था । उस समय तक हमने पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ कर लिया था । लेकिन जैसाकि अब स्थिति है अर्थात 31 मार्च, 1987 को अथवा कुछ महीने पहले जैसी स्थिति है, हमने कुछ प्रगति की है और 3568 प्रतिष्ठानों को इस अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया है और वहां इसको लागू किया गया है । 9.18 लाख मजदूरों को इस भविष्य निधि के अन्तर्गत लाया गया है और कुल 46.51 करोड़ रुपए की धनराशि वसूल की गई है । अतः भविष्य निधि धनराशि एकत्र करने में हमने प्रगति की है । जिसका लाभ मजदूरों को जाएगा । मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि बीड़ी मजदूरों का तात्पर्य केवल फैक्टरी में काम कर रहे मजदूरों से ही नहीं है बल्कि उसमें घरों में काम करने वाले मजदूर भी शामिल हैं ।

एक और मुद्दा जो निर्माताओं ने उठाया था वह यह है कि घरों में काम करने वाले मजदूरों को बीड़ी मजदूरों के समान नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि उनका फैक्टरी और निर्माताओं के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । उच्चतम न्यायालय ने उनकी इस दलील को अस्वीकार किया और निर्णय दिया कि बीड़ी मजदूरों में घरों में मजदूरी करने वाले मजदूर भी शामिल हैं ।

हम इस भविष्य निधि को घरों में मजदूरी करने वालों पर भी लागू कर रहे हैं । यह कहना सही नहीं है कि मध्य प्रदेश में बीड़ी मजदूरों ने इसका स्वागत नहीं किया है और वे भविष्य निधि अधिनियम की परिधि के अंतर्गत आने के इच्छुक नहीं हैं, जैसाकि श्री जैन ने अभी यहां कहा है । वास्तव में जैसाकि 31 मार्च, 1987 को किए गए अध्ययन से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में, 212 प्रतिष्ठानों को इसके अन्तर्गत लाया गया है और 31,679 मजदूरों को पहले ही इसके अंतर्गत लाया जा चुका है । इसलिए इन सभी बातों का समाधान कर दिया गया है और बीड़ी मजदूरों पर भविष्य निधि लागू करने के लिए सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को वापस लेने का कोई प्रश्न ही नहीं है । हम इसको बहुत ही ईमानदारी से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं और अधिक से अधिक मजदूरों को इसके अन्तर्गत लाने की कोशिश कर रहे हैं ।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बीड़ी मजदूरों के बारे में इस सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है और हर बार कहा गया है कि सरकार उनकी हालत में सुधार लाने की कोशिश कर रही है, परन्तु सच्चाई यह है कि उनकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हो रहा है । यह एक ऐसा उद्योग है जो हवा में विलीन हो जाता है । लोग लखपति बन जाते हैं, मैं करोड़पति तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ऐसे उद्योगपतियों को जानता हूं जो बीड़ी के व्यवसाय से चालीस-पचास लाख रुपये के उद्योगपति हो गये हैं । मुझे कहा गया है कि मध्य प्रदेश और दूसरी जगह लोग करोड़पति भी हैं । जब उनसे कहा जाता है कि वह अपने मजदूरों को उचित मजदूरी दें, प्रोविडेंट फण्ड और ग्रेचुएटी की बात ही छोड़ दीजिए, मिनीमम वेजिस के बारे में कहते हैं कि आपका दिमाग खराब हो गया है हमारे पास मजदूर कहां है । जो मजदूर हैं वह ठेकेदार के हैं । हम तो ठेकेदार से बीड़ी लेते हैं और देश की सेवा

करते हैं। वह ठेकेदार उन लोगों की बीड़ी लेते हैं, आपने ज्यादा टांग अड़ाई तो उनका भी रोजगार गया। लोग चुप हो जाते हैं। बहुत कम राज्य सरकारें छानबीन करती हैं ..बहुत कम राज्य सरकारें छानबीन करती हैं कि उनके यहां बीड़ी मालिकों के यहां कितने बीड़ी मजदूर हैं। इसके अलावा इंस-पैक्टर्स और बीड़ी मालिकों की आपस में मिलीभगत रही है. इसमें कोई दो रायें नहीं है। यदि ईमान-दारी से पता लगाया जाए तो आसानी से ज्ञात हो जाएगा कि बीड़ी उद्योग में कितने मजदूर हैं और वे किस प्रकार का नर्क का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बीड़ी उद्योग में लगे मजदूरों में लंग्स कैंसर, लंग्स टी. बी. या स्पोंडेलाइटिस जैसी बीमारियां आमरूप से देखने को मिलती हैं। उन को इतनी कम मजदूरी मिलती है जिससे उनका गुजारा नहीं चलता। लाचार होकर लोग घर के 7-8 या 10 साल के बच्चों तक को बीड़ी बनाने के काम में लगा देते हैं क्योंकि उसके पास खाने का दूसरा जरिया नहीं है, साधन नहीं है। इतना ही नहीं, बीड़ी मालिक अपने ही आदमियों को, रिश्तेदारों को ठेकेदार बना देते हैं और वह ठेकेदार घर-घर जाकर बीड़ियां बनाने का मटेरियल बांट आता है कि इतनी बीड़ियां बनानी हैं। जब औरतें, मर्द और बच्चे उतनी बीड़ियां बनाकर उस ठेकेदार या बीड़ी मालिक के पास जाते हैं तो वह ठेकेदार या बीड़ी मालिक उन बीड़ियों का 50 प्रतिशत भाग यह कह कर ठुकरा देता है कि बीड़ी ठीक से नहीं बनी हैं, उसको रिजैक्ट कर देता है,काट देता है। इस तरह उन्हें दिन भर की मजदूरी का 50 प्रतिशत भाग ही मजदूरी के रूप में मिल पाता है और शेष 50 प्रतिशत भाग वह बीड़ी मालिक या ठेकेदार खा जाता है। आंखों में धूल झोंकने के लिए वहां दूसरे दलाल बैठे रहते हैं जिन्हें वह सस्ती दर पर बीड़ियां देने का नाटक करता है। वह मात्र नाटक करता है जिस में हम सभी मूकदर्शक होते हैं, साइलेंट स्पैक्टेटर होते हैं। हमें देख कर भी मक्खी निगलनी पड़ती है। एक आदमी जो उन दो मजदूरों के प्रोविडेंट फण्ड का पैसा खा जाता है, ग्रेच्युटी का पैसा खा जाता है, एक्साइज का पैसा खा जाता है, इन्कम टैक्स का पैसा खा जाता है, वह धड़ल्ले से ब्लैकमनी बनाता है और उसी को सामाज में प्रतिष्ठा मिल रही है। सरकार उसे ही बड़ा आदमी समझती है। दूसरी ओर वह व्यक्ति जो मजदूरी करके अपना पेट पालता है, उसे उसकी मेहनत के बदले उचित मजदूरी तक नहीं मिल पाती। जब हमारे यहां ऐसी स्थिति है तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह देश कहां जाएगा। वैसे तो हम संसद में बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और लोग समझते हैं कि हमने अपना कर्त्तव्य पूरा कर दिया लेकिन क्या हम कभी अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कह सकते हैं कि हमने अपने विवेक के साथ न्याय किया है। क्या हमने अपने उन अभागे भाइयों-बहनों या छोटे बच्चों के साथ न्याय किया है जिनका ये बीड़ी मालिक या ठेकेदार शोषण करते हैं। यदि हमारी कान्शयस कहती है तो हमें पुरजोर तरीके से कहना चाहिए कि आज की तारीख के बाद हम यह अन्याय नहीं होने देंगे क्योंकि हम जानते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है।

इसीलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप बड़े इफैक्टिव मंत्री हैं कि आप राज्य सरकार को कसें। केवल चिट्ठी लिख देने से ही काम नहीं चलेगा, आप उन्हें कसें कि जहां-जहां बीड़ी मजदूरों का शोषण हो रहा है, वहां हम उनका शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि राज्य सरकार इस बात को न माने, चाहे वह किसी भी पार्टी की सरकार हो तो आप उसके चेहरे से नकाब उतार फेंकिये और सारे देश को दिखाइये कि किस तरह से उन मजदूरों के शोषण में राज्य सरकार भी एक पार्टी है जो अपने यहां गलत काम होने की इजाजत देती है। जब तक इसके विरुद्ध प्रबल जनमत तैयार नहीं किया जाएगा तब तक इन बीड़ी मजदूरों का शोषण होता रहेगा। यदि हमने इस शोषण को नहीं रोका तो आने वाली पीढ़ी भी यही कहेगी कि हमारी भी उसमें कुछ दलाली थी, हमारा भी उसमें

[डा० गौरी शंकर राजहंस]—जारी

कुछ शेअर था। इसलिए मंत्री जी सदन में आश्वासन दें कि प्रभावी रूप से इस शोषण को रोकने के लिए तुरन्त कदम उठायेंगे।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, बीड़ी मजदूरों के शोषण विषय पर पिछले सत्र में भी चर्चा की गयी थी और सदन में एक विधेयक भी लाया गया था। उस समय भी सभी ओर से बीड़ी कर्मियों की समस्याओं के प्रति चिन्ता व्यक्त की गयी थी।

सरकार भी चिन्तित है, माननीय मंत्री जी भी चिन्तित हैं, लेकिन देखने में यह आया है कि बीड़ी मजदूरों के कल्याण के लिए जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, या जो भी कदम उठाए जाते हैं, वे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के अभाव में, उनका असर उनकी लाइफ पर, उनकी जीवनचर्या पर दिखाई नहीं देता है।

मैं तीन सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। पहला सुझाव तो यह है कि बीड़ी मजदूरों में, जैसा मेरे साथी राजहंस जी ने भी कहा, बीमारी ज्यादा होती है, विशेषकर टी. बी. ज्यादा होती है। इसलिए उनके स्वास्थ्य का परीक्षण होना चाहिए हर छः महीने के बाद और उनकी स्वास्थ्य सुविधा को ध्यान में रखा जाना चाहिए और उसके लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर एक इफेक्टिव कार्यक्रम बनाना चाहिए।

दूसरा सुझाव शिक्षा के विषय में है क्योंकि बीड़ी मजदूरों में ज्यादातर बाल-मजदूर हैं जो गरीबी के कारण बीड़ी बनाने का काम करते हैं। उनके लिए भी शिक्षा का कोई न कोई प्रबन्ध होना चाहिए। जितने घंटे वहां काम करते हैं उसके बाद नजदीक में, वे कहीं पढ़ सकें, इसकी व्यवस्था राज्य सरकार से मिलकर आपके मंत्रालय को करनी चाहिए और तीसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि कुछ इलाकों में उनके लिए हमें हाउसिंग प्रोग्राम चलाना चाहिए क्योंकि वे बीड़ी बनाने के लिए दूर-दूर से आते हैं और झोंपड़ी बनाकर रहते हैं। इसलिए उनके लिए घर की व्यवस्था करनी चाहिए।

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, बीड़ी से संबंधित कर्मियों के बारे में तमाम महत्वपूर्ण पहलू हमारे साथियों ने बताते हुए मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है। मैं कोई दो-तीन बड़े महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहूंगा कि क्या सरकार इस दिशा में कोई कदम उठा सकती है या अगर उठाएगी, तो कैसे, कुछ दिन पूर्व हमारे जी. के. पणिक्कर, जो चेयरमैन आफ केरल दिनेश बीड़ी वर्कर्स, सेंट्रल कोआपरेटिव सोसाइटी के हैं, उन्हें श्रम मंत्रालय ने एक कमीशन के रूप में बीड़ी वर्कर्स की कंडीशन्स को स्टडी करने के लिए नियुक्त किया था और उन्होंने यह सुझाव दिया था कि भारत में बीड़ी मजदूरों का कई प्रकार से बहुत ज्यादा शोषण होता है लिहाजा एक कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर के उनके शोषण पर नियन्त्रण पाया जाए। मैं जानना चाहूंगा कि श्रम मंत्री ने कमीशन बना दिया, कमीशन ने रिपोर्ट भी सब्मिट कर दी, हिन्दुस्तान के कितने राज्यों में इस तरह की सोसायटियां बनाई गई हैं, जो इस शोषण को, इन बुराइयों को, इन कुरीतियों को और अण्डर पेमेन्ट को कन्ट्रोल करने में कदम उठाने के लिए सक्षम रही हैं। यदि नहीं बनाई गई हैं, तो इसका क्या कारण है?

दूसरी बात मान्यवर मैं यह जानना चाहता हूं कि जो मूल प्रश्न था उसमें पूछा गया था कि 31 मार्च, 1987 तक प्रत्येक राज्य में बीड़ी मजदूरों की संख्या क्या है. माननीय मंत्री जी ने जो

उत्तर दिया उसमें जो फिगर दी हैं, वे 1986 तक की ही दी हैं। एक वर्ष की फिगर नहीं दीं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण थे कि प्रश्न जब 31 मार्च 1987 तक के बारे में पूछा गया था, सारे देश में स्टेटवाइज कितने बीड़ी मजदूर हैं, लेकिन जवाब जो दिया गया वह 1986 तक का ही दिया गया। एक वर्ष की फिगर्स क्यों नहीं दी गई बीड़ी कर्मियों की संख्या के बारे में, साथ ही उनके प्राँविडेंड फण्ड के बारे में ?

तीसरी बात, डालचन्द्र जी, स्वतः एक बहुत अच्छे व्यापारी हैं या एम्प्लायर हैं बीड़ी के क्षेत्र में, उन्होंने उठाया कि हिन्दुस्तान के वे तमाम स्टेट्स में जहां बाल मजदूरों की संख्या ज्यादा है, उनमें उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल सबसे आगे हैं, उनमें जो आंकड़े सरकार ने प्रस्तुत किए हैं, उनमें साढ़े चार लाख लोग बीड़ी व्यवसाय में काम करते हैं, लेकिन और प्रदेशों, जैसे आंध्र प्रदेश में, बीड़ी कर्म-कारों की कुल संख्या ढाई लाख है वहां 180014 लोग इस प्राँविडेंण्ड फण्ड का लाभ प्राप्त कर रहे हैं या लाभ पाने की श्रेणी में हैं, बिहार में उनकी संख्या 3,50,000 है, उनमें से मात्र 2651 मजदूर ही कवर्ड हैं, कर्नाटक में इनकी संख्या 3 लाख की है, इनमें से 2,83,540 मजदूर इस प्राँविडेंण्ड फण्ड स्कीम के तहत लाभान्वित होते हैं।

6.00 म. प.

लेकिन वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में जहां यह संख्या साढ़े 4 लाख है, एक भी मजदूर प्राँविडेंड फण्ड से लाभान्वित होने की सीमा में नहीं आया, उसके क्या कारण हैं ? क्या इसका एनेलिसिस और सर्वे मंत्री जी करवायेंगे ?

जैसा हमारे साथी डा. राजहंस और श्री रावत जी ने बताया कि इसमें सट्टेदार मिडिलमैन होता है जो अच्छी क्वालिटी की बीड़ी को खराब कहकर रिजेक्ट कर देता है और उसका पेमेंट मालिक से अच्छी बीड़ी के नाम पर ले लेता है, इस प्रकार से मिडिल मैन बेईमानी करता है, इसकी जांच करने के लिये क्या माननीय मंत्री जी कदम उठायेंगे जिससे लाभ गरीब कर्मचारी को मिले।

— — —

6.01 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अधिसूचनाएं

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं, सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), सभापटल पर रखता हूं :

(एक) अधिसूचना संख्या 292/87-सी०शु० जो 12 अगस्त, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 0.6 प्रतिशत से कम कार्बन अन्तर्वस्तु वाले लौह अथवा अमिश्र धातु इस्पात तप्त बेलित कुंडलियों पर आंशिक छूट देना और पुनः बेलित करने के लिए तप्त बेलित कुंडलियों तथा कुंडलिओं पर सीमा-शुल्क की दरों को मूल्यानुसार 15 प्रतिशत जमा 1100 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर के बराबर करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) अधिसूचना संख्या 293/87-सी० शु०, जो 12 अगस्त, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 17 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 86/86-सी० शु० से पुन: वेलित करने हेतु कुंडलियों से संबंधित प्रविष्टि को हटाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या 4600/87]

6.02 म०प०

आधे घंटे की चर्चा

बीड़ी कर्मकार

[अनुवाद]

श्री अजीत कुमार साहा (विष्णुपुर) : बीड़ी और सिगार अधिनियम. एक पुराना अधिनियम है । इस अधिनियम में खामियां हैं । इन खामियों का फायदा उठाते हुए नियोक्ता बीड़ी मजदूरों को सभी सुविधाओं से वंचित कर रहे हैं । मंत्री महोदय ने कहा कि इस उद्योग में 33 लाख मजदूर लगे हुए हैं । लेकिन यह आंकड़ा सही नहीं है । इस उद्योग में 50 लाख से भी अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं । यदि आप उनके परिवारों को लेते हैं तो करोड़ों व्यक्ति इस उद्योग पर निर्भर कर रहे हैं ।

मैं बीड़ी मजदूरों के कल्याण संबंधी एक विधेयक लाया था । इस पर चार दिन तक बहस हुई थी । उस समय मंत्री महोदय ने हमें आश्वस्त किया था कि वह बीड़ी कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक विधेयक लाएंगे । लेकिन मुझे नहीं मालूम कि यह व्यापक विधेयक कब आएगा । उन्होंने कहा है कि उन्होंने मजदूर संघ के नेताओं से बात-चीत की थी और एक त्रिपक्षीय बैठक भी बुलाई गई थी । उन्होंने उनसे कौन-कौन से मुद्दों पर चर्चा की थी ? इस विषय पर एक व्यापक विधेयक वह कब ला रहे हैं ?

पिछले सत्र में, इस अधिनियम को संशोधित किया गया था । लेकिन कुछ संशोधन करने से हम बीड़ी मजदूरों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि वे असंगठित हैं । पश्चिमी बंगाल में, हमारे पास कुछ संगठित मजदूर-संघ हैं । मजदूर-संघों की मांग पर, हमने नियोक्ताओं को उन्हें कुछ सुविधाएं देने के लिए मजबूर किया । लेकिन पूरे भारत में, इन मजदूरों को किसी प्रकार से भी छुट्टियों, भविष्य निधि, उपदान और इसी प्रकार की सुविधाओं से वंचित रखा जाता है । उन्हें किसी भी क्षण नौकरी छोड़ने के लिए कहा जा सकता है । इस मामले में कोई संरक्षण नहीं है । ये मजदूर अस्वास्थ्यप्रद स्थितियों में काम करने के कारण, बड़ी संख्या में तपेदिक की बीमारी का शिकार हो रहे हैं ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार व्यापक विधेयक कब प्रस्तुत कर रही है ।

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : महोदय, चर्चा वास्तव में भविष्य निधि अधिनियम के लागू करने पर ही केन्द्रित होनी चाहिए क्योंकि इस पर ही प्रश्न था, और मुझे यह अवश्य मानना चाहिए कि कल्याण संबंधी गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी मेरे पास नहीं है क्योंकि प्रश्न केवल भविष्य निधि अधिनियम के लागू करने से संबंध रखता है, क्या इसे लागू किया गया या नही और यदि इसे लागू किया गया है तो कहां तक इसे सफलता मिली है । लेकिन मुझे उठाए गए कुछ मुद्दों पर अवश्य प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए ।

डा० राजहंस ने कहा है कि बीड़ी मजदूरों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। बीड़ी मजदूरों की स्थितियों में कुछ सुधार हुए हैं। अनेक राज्यों में बीड़ी मजदूर कल्याण निधि के अंतर्गत कल्याणकारी गतिविधियां ठीक प्रकार से चल रही हैं। मुझे कहना चाहिए कि विशेष रूप से दक्षिण के राज्यों में—कर्नाटक आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल भी—अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत सा कार्य किया गया है···।

(व्यवधान)

डा० गौरीशंकर राजहंस : लेकिन बिहार में मुश्किल से ही कोई कार्य किया गया है।

श्री पी० ए० संगमा : ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ राज्यों में यह कार्य किया गया है। मुझे खेद है कि पूर्वी क्षेत्र में यह कार्य बहुत अच्छी तरह नहीं किया गया। दक्षिण में, यह कार्य भली भांति किया गया है क्योंकि प्राथमिक रूप से इसे प्रारम्भ करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है जो कुछ परिवर्तन लाएंगी।

अत:, काफी कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि इसे आरम्भ करने में राज्य सरकारें कितनी रूचि लेती हैं। हम, अपनी ओर से यथा सम्भव सहायता देने का प्रयास करते हैं।

एक माननीय सदस्य शिक्षा के बारे में बोले हैं। उदाहरणार्थ, वित्तीय वर्ष 1986-87 में, सभी कल्याण निधियों से हमने बीड़ी मजदूरों के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने में लगभग 90 लाख रुपया खर्च किया, और आज मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे द्वारा दी गई नि:शुल्क शिक्षा के कारण, बीड़ी मजदूरों के बच्चों में से अनेक डाक्टर और इंजीनियर बने हैं। उनमें से कुछ से मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। उनका ग्रुप बहुत ही सन्तोषजनक है। अत:, यह कहना सही नहीं है कि उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया है। ठीक है, हमने पर्याप्त कार्य नहीं किया है। अपेक्षित लक्ष्य जिसे हम प्राप्त करना चाहेंगे, प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन कुछ कार्य किया गया है और मुझे विश्वास है कि यदि राज्य सरकारें शुरू करने में अधिक रूचि लें, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं।

डाक्टर साहब, आप न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को क्रियान्वित करने के बारे में बोल रहे थे। मैं जो कर सकता हूं, वह यह है कि मैं केवल उन्हें लिख सकता हूं और उन्हें याद दिला सकता हूं। आप भी मुझे याद दिला चुके हैं कि मेरे पत्रों से कुछ नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपको इसी तरह उत्तर देने जा रहा था। मैं राज्य सरकारों को लगातार याद दिलाता रहा हूं। यह, वास्तव में, मेरे मन्त्रालय की प्राथमिकता सूची में है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का क्रियान्वयन प्राथमिकता सूची में पहले नम्बर पर है क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि यदि यह अकेला अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को ईमानदारी तथा कारगर ढंग से लागू किया जाता है, तो असंगठित मजदूरों की अनेक समस्याएं हल हो जाएंगी। अत:, हम इसे इतना महत्व दे रहे हैं··· ···(व्यवधान)।

डा. दत्ता सामन्त : राज्यों में कांग्रेस सरकारों के बारे में बताए ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह सामान्य रूप में सभी राज्य सरकारों के बारे में बता रहे हैं।

श्री पी. ए. संगमा : डाक्टर साहब, मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जो भेद करता है। मैं कह रहा हूं कि जिस राज्य सरकार ने भी अच्छा कार्य किया है, उन्होंने अच्छा किया और मैंने जिन राज्यों के नाम दिए हैं, वे सब विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के हैं। आप मेरा दृष्टिकोण क्यों नहीं समझते ? ···(व्यवधान) नहीं, डाक्टर साहब, आपकी विकास में रूचि नहीं है··· (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मंत्री महोदय, आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री पी. ए. संगमा : डाक्टर साहब, यदि मुझे आपको उत्तर देना है...(**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको यह कार्य करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री पी. ए. संगमा : जब कभी मैं सदन में होता हूं, आप मेरे सम्मुख बैठने में शर्म महसूस करते हैं। मैं आपके बारे में सभा में सब कुछ नहीं कहना चाहता। कृपया इस पर ध्यान दें। मैं एक श्रम मन्त्री हूं। मैं सभी मजदूर संघों के नेताओं के कार्य-कलाप जानता हूं। मैं जानता हूं कि कौन से मजदूर संघ नेता अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं। आप अच्छी सरकारों और बुरी सरकारों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? मजदूर संघ नेता अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं...(**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक बाधा क्यों डाल रहे हैं? आप बीच में बाधा नहीं डालें और ध्यान दूसरी ओर न करायें।

(**व्यवधान**)

डा० दत्ता सामन्त : यह दुख की बात है कि करोड़ों व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। इस सदन में हम क्या चर्चा कर रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या चर्चा कर रहे हैं और अन्य केवल बात-चीत कर रहे हैं। मंत्री महोदय, आप जारी रखें।

डा० दत्ता सामन्त : कांग्रेस सरकार को किसने रोका है? (**व्यवधान**)

श्री डी. बी. पाटिल : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री डी. बी. पाटिल : मन्त्री महोदय डा० दत्ता सामन्त को चुनौती दे चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया जारी रखें।

श्री डी. बी. पाटिल : डा० दत्ता सामन्त को चुनौती दी गई है। मंत्री महोदय इस पर चर्चा कर सकते हैं।

डा. दत्ता सामन्त : आप इसे समाप्त करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बता रहा हूं कि डा० दत्ता सामन्त को अनुपूरक प्रश्न रखने का कोई अधिकार नहीं है जब मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हों। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री पी. ए. संगमा : सदन के सूचनार्थ, डा० दत्ता सामन्त भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के कर्मचारी थे। उन्होंने भी श्रम मन्त्रालय में कुछ काम किया है। और इस प्रकार वह एक समय श्रम मन्त्रालय के अंग थे। इतना ही पर्याप्त है।

अन्य माननीय सदस्यों ने भी स्वास्थ्य के बारे में बोला है। हम स्वास्थ्य पर अनेक कार्यवाहियां कर रहे हैं। (**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय : शांत रहिए। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री पी. ए. संगमा : मैं जानता हूं, आप ई० एस० आई० अस्पताल में थे। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री का ध्यान दूसरी ओर मत ले जाओ।

(व्यवधान)

श्री पी. ए. संगमा : आप ई. एस. आई. अस्पताल में डाक्टर थे। आप इससे इन्कार नहीं कर सकते।

डा० दत्ता सामन्त : मैंने अस्पताल में काम नहीं किया है।

श्री पी. ए. संगमा : इस समय नहीं।

डा० दत्ता सामन्त : मैंने ई. एस. आई. में काम नहीं किया है। मैं कभी भी सरकार का कर्मचारी नहीं था। मैंने ई. एस. आई. अस्पताल में कहीं भी कभी काम नहीं किया।

श्री पी. ए. संगमा : इस समय परेशान न हों।

डा० दत्ता सामन्त : मेरा निजी धंधा बहुत अच्छा था। मैंने इसे छोड़ दिया।

श्री पी. ए. संगमा : ठीक है। बिल्कुल ठीक है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि सदन में निजी मामले उठाये जाए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शान्त रहिए।

श्री पी. ए. संगमा : हमारे पास कल्याण निधि योजना के अन्तर्गत अनेक अस्पतालों में अनेक विशेष योजनाएं हैं। जहां तक स्वास्थ्य कार्यक्रम का संबंध है, हम अपने कार्य-कलापों का विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं।

जैसा कि सदन को याद होगा कि मैं यह घोषणा कर चुका हूं कि हमें बीड़ी पर उत्पाद-शुल्क दर बढ़ानी है और इस समय मजदूरों की स्थिति अच्छी नहीं है। उत्पाद-शुल्क में वृद्धि के साथ, हम आशा करते हैं कि हमें कल्याण निधि के अन्तर्गत काफी धन मिल जायगा और हम अपने कार्य-कलापों की वृद्धि की आशा करते हैं।

इस समय जहां तक बीड़ी मजदूरों की पहचान का संबंध है, डा. राजहंस कह चुके हैं और यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं इसे लगातार उठा रहा हूं—जब तक हम यह नहीं जानते कि बीड़ी मजदूर कौन-कौन से हैं, उन्हें कोई भी सहायता देना बहुत कठिन है। अतः, हम बीड़ी मजदूरों की पहचान की प्रक्रिया को प्राथमिकता दे रहे हैं जिससे उनकी पहचान हो जाए। हम पहचान पत्र जारी कर रहे हैं। सदन को याद होगा, पिछले सत्र में, श्री साहा के अनुरोध पर, जब हम उनके विधेयक पर चर्चा कर रहे थे, हमने अधिनियम में संशोधन पारित किया और इस संशोधन में मैं एक उपबन्ध में यह बात लाया था कि यदि कोई नियोक्ता अपने कर्मचारी को पहचानने में और पहचान कार्ड जारी करने में विफल होता है, उसे सजा दी जाएगी। इसे क्षमा-योग्य, दण्डनीय अपराध बनाया जाएगा। अतः, हम समस्या को हल करने के लिए कदम उठा चुके हैं।

आवास—श्री रावत ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। इस समय, हमारे पास दो योजनाएं हैं।

1. हम इसे 'अपना मकान स्वयं बनाए' योजना कहते हैं। यदि कोई बीड़ी मजदूर अपना मकान बनाना चाहता है तो हम एक हिस्सा ऋण के रूप में और एक हिस्सा राज सहायता के रूप में देते हैं। वे अपना मकान बना सकते हैं।

2. दूसरी योजना ठीक प्रकार चल रही है।

मुझे सम्बद्ध राज्य सरकारों का धन्यवाद करना चाहिए। यह योजना लोगों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए मकान बनाने के लिए बनी है।

यह योजना ठीक प्रकार चल रही है। मुझे अवश्य यह कहना चाहिए कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। शोलापुर में हमने लगभग 4000 मकान बनाने शुरू कर दिए हैं। निर्माण कार्य बहुत प्रगति पर है। इसी तरह गुजरात ने यह योजना हाथ में ली है। मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि अब हमारी प्राथमिकता असंगठित क्षेत्र की ओर है। इस समय असंगठित क्षेत्र के अन्तर्गत हमने बाल श्रम, महिला श्रम, निर्माण कार्य में लगे मजदूर और बीड़ी मजदूर जैसे कुछ क्षेत्रों की पहचान की है, जहां हम उनके लिए विशेष ध्यान देने का प्रस्ताव करते हैं और इसीलिए हम बहुत उत्सुक हैं कि भविष्य निधि जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में भी, जिस पर आज हम चर्चा कर चुके हैं, हम बहुत उत्सुक हैं कि हमें इस सामाजिक सुरक्षा योजना को असंगठित क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों तक फैलाना चाहिए।

मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया।

6.15 म. प.

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 13 अगस्त, 1987/22 श्रावण, 1909 (शक) के 11 बजे म. पू. तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : दि इंडियन प्रेस